रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2010 (पौष 12, 1931)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2010 (PAUSA 12, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 1

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 1

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 1

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

सं. 123-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	श्रीनिवास येल्लैया दांडिकवर कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
2.	बालासाहेब हनुमंत देशमुख उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 22/02/2008 को श्री देशमुख को सूचना मिली कि गांव डोबुर (धानगढ़ थानांतर्गत) के निकट के जंगलों में 70/80 नक्सली मौजूद हैं और ये नक्सली तोड़-फोड़ की योजना बना रहे हैं। श्री देशमुख ने यह सूचना एस.पी गढ़चिरौली को दी और कम अनुभव लेकिन उत्कृष्ट करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इन्होंने जंगल के एकत्र हुए नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई। डाबुर वन में तीन तरफ से प्राकृतिक किलेबंदी के रूप में ऊंची चट्टानें हैं। यह स्थान कटोरेनुमा घाटी है जिसके चारों और उँची पहाड़ियां और नाला है जो जंगल की तलहटी से शुरू होकर इससे गुजरता है ऐसे जोखिम भरे भौगोलिक स्थान पर एकत्र हुए सशस्त्र नक्सलियों को ललकारने और गिरफ्तार करने का अभियान चलाने की योजना बनाना अत्यंत कठिन था। इस पर भी यह योजना ऐसी बनाई जानी थी कि नक्सली, पुलिस दल को न देख सकें। इसके अतिरिक्त यह स्थान पुलिस दल के लिए अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में था। फिर भी पी एस आई देशमुख ने अतिरिक्त मानवशक्ति मंगाई और एक साहसिक अभियान की योजना बनाई। ए.ओ.पी से दस सदस्यीय एक दल ने प्रस्थान किया इस दल में सी-60 के पुलिस कांस्टेबल और कमांडो दल था और इसका नेतृत्व हैड कांस्टेबल नारायण बड्डे कर रहे थे। पी.सी. श्रीनिवास येल्लैया दांडिकवर पी.एस.आई. देशमुख के दल में थे। इन्होंने जंगल की तलाशी लेने और नक्सलियों को ललकारने के लिए पैदल ही डोबुर वन की ओर प्रस्थान किया। नारायण बड्डे का सी-60 दल एकदम दक्षिण के मोर्चे पर था। रामा कुदियामी के नेतृत्व वाला दल घाटी के पश्चिम भाग में था जबकि पी एस आई देशमुख के नेतृत्व वाले दल ने पूर्वी तरफ से प्रवेश किया। पुलिस स्टेशन के 2 दलों को कोठी की तरफ से

उत्तर में डोबुर की पहाड़ी रेंज के पीछे तैनात किया गया था। जहां पर नक्सली एकत्र हुए थे इन्होंने उस स्थान की ओर बढ़ाना शुरू किया। पुलिस दलों ने अभी मुश्किल से अपना मोर्चा संभाला ही था कि नक्सलियों ने नारायण वड्डे के नेतृत्व वाले दक्षिणी दल को देख लिया और उन्होंने इन पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इस गोलीबारी की आवाज सुन कर पीएसआई देशमुख ने रामा कुदियामी वाले दल को दक्षिणी दल की सहायता करने के लिए प्रेरित किया और दोनों दलो ने नक्सलियों पर गोलीबारी करके दबाव बनाना शुरू किया। पश्चिम दिशा से बढ़ते दबाव को देख करके नक्सली पीछे मुड़े और पी एस आई देशमुख वाले पुलिस दल की तरफ पूर्वी दिशा में बढ़ने लगे। इसी बीच पी एस आई देशमुख का दल, जिसमें पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास येल्लैया दांडीकवर शामिल थे, नाले की ओर बढ़ा लेकिन उन्होंने वहां देखा कि नक्सली उनके पीछे चले गए हैं, उन्होंने इनका घेराव कर दिया है और नक्सलियों ने पी एस आई देशमुख के दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। पी एस आई देशमुख के दल ने अपने आपको नारायण वेड्डे और रामा कुदियामी के दलों से बहुत दूर पाया और इन्होंने नक्सलियों की गोलीबारी की शक्ति के सामने अपने आपको असहाय महसूस किया। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक था कि नक्सलियों पर जबाबी दबाव बनाया जाए और उन्हें वापस पीछे जाने पर मजबूर किया जाए। पी एस आई देशमुख ने एक खुले क्षेत्र को पार करने के बाद पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास दांडीकवर एस.के.इंग्ले, दयाराम जडे और 3 अन्यों से युक्त एक छोटी टुकड़ी का गठन किया ताकि दूसरी तरफ से नक्सलियों पर हमला किया जा सके। पी एस आई देशमुख द्वारा बनाए गए हमलावर दल के पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास दांडीकवर ने "भारत माता की जय" का जयकार करके अत्यंत साहसिक ढंग से आगे बढ़ना शुरू किया और अत्यधिक बहादुरी से नक्सलियों पर टूट पड़े। पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास येल्लेया दांडिकवर, दिनांक 28.03.2005 को गढ़चिरौली जिले में पुलिस सेवा में आए थे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इनके अच्छे डील-डौल, कार्यनिष्पादन, सतर्कता और ड्यूटी के प्रति ईमानदारी के कारण इन्हें दिनांक 25.02.2006 को गढ़चिरौली में सी-60 नामक विशेष अभियान ग्रुप में शामिल किया गया था। पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास दांडिकवर द्वारा किया गया हमला अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ और नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा जिससे पुलिस दल पर कुछ दबाव कम हुआ। कांस्टेबल श्रीनिवास दांडिकवर द्वारा किया गया हमला, इनके जीवन के लिए जोखिम भरा था। इन्होंने उन नक्सलियों में से कुछ को मार गिराया और घायल कर दिया जो पेड़ों और बांस के झुरमुट के पीछे मोर्चा संभाले हुए थे। इनके बहादुरी से भरे कृत्य के कारण नक्सलियों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने पीछे मुडना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इस बहादुर पुलिस कर्मी पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास दांडिकवर के सिर में गोली लग गई। लेकिन नीचे गिरने पर भी ये पुलिस दल के बाकी सदस्यों को आगे बढ़ कर नक्सलियों पर हमला करने और गोलीबारी करने के लिए प्रेरित करते रहे। इनके इस प्रयास से नक्सली पीछे मुड़े और वन में चले गए। इसी बीच पी एस आई देशमुख, युवा और अनुभवहीन होने पर भी नक्सलियों के प्रति आक्रामक रहें, अपने होशो-हवास में रहे और निरंतर रूप से उन पर हमला करते रहे। पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास दांडिकवर द्वारा किया गया हमला और पी एस आई देशमुख की बहादुरी से की गई गोलीबारी प्रभावी सिद्ध हुई और नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा जिससे पुलिस पर दबाव कम हो गया। इस प्रयास में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास दांडिकवर को दुर्भाग्य से नक्सलियों की गोली लग गई। इसी तरह पी एस आई देशमुख, जो दल के प्रभारी थे, ने विपरीत परिस्थितियों में कारगर ढंग से अपने दल का नेतृत्व किया और बहादुरी से 3 नकसलियों को मार गिराया

और अपने साथियों का जीवन बचाया। तलाशी लेने पर पुलिस दल को नक्सलियों के चार शव मिले (एक पुरूष और 3 महिला) और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, साहित्य और नक्सल से संबंधित अन्य वस्तुएं मिलीं। घटना स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद बरामद हुआ:

1.	एस एल आर राइफल	01	2.	303 राइफल	02
3.	315(एम एम) मैग्जीन के साथ	01	4.	फ्यूज के साथ ग्रेनेड	02
5.	डिटोनेटर	18	6.	डब्ल्यू.टी	01
7.	.303 राउंद	45	8.	8 एम एम राउंद	41
9.	एस एल आर राउंद	06	10.	कैमरा फ्लैश	03
11.	सोलर प्लेट 12 डब्ल्यू	01	12.	मल्टीमीटर	01
13.	बैटरी	05	14	स्टील टार्च	03
15.	पिटठू	05	16.	तार	01
17.	दवाई किट	01			

घायल पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास येल्लैया दांडिकवर डेढ़ घंटे तक जीवित रहे और इस बीच घने वन से उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान के लिए ले जाया गया। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से पता चलता हे कि इनके बायें कान से 5 सेंमी. ऊपर सिर के पीछे कनपटी क्षेत्र में इन्हें एक गोली लगी जिससे 2 सेमी. x 1/2 सेंमी x 1 सेंमी. के आकार का छेद हो गया और यह गोली दाई तरफ कनपटी क्षेत्र से बाहर निकल गई जिससे वहां पर 4 सेमी. x 4 सेमी का छेद हो गया। यह चोट इतनी गंभीर थी कि यह एक बहादुर, ईमानदार और सक्षम पुलिस कर्मी की मृत्यु का कारण बन गई। पी एस आई देशमुख ने दल के एक परिपक्व नेता के रूप में मोर्चा संभाला, रेडियो पर एस डी पी ओ भाग्रगढ़ को संदेश भेजा, घायल पुलिस कांस्टेबल के लिए चिकित्सा सहायता मांगी और इनका जीवन बचाने की पूरी कोशिश की। इस प्रकार सी-60 के सदस्य पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास येल्लैया ने नक्सलियों के हमलों को निष्क्रिय करने की स्वयं जिम्मेदारी उठाई। ये बहादुरी से नक्सलियों पर टूट पड़े और इन्होंने नक्सल-विरोधी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी की शक्ति और इसमें फंसे पी एस आई देशमुख के नेतृत्व वाले दल के बीच हुई गंभीर मुठभेड़ में अपने साथियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की। पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास येल्लैया दांडिकवर ने कर्तव्यों की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस प्रकार पी एस आई बालासाहेब हनुमंत देशमुख एक युवा अधिकारी ने अपनी पहली तैनाती के दौरान अत्यंत परिपक्व मानसिक शक्ति, सक्षम नेतृत्व, दल की सर्वोच्च क्षमता और उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया, विपरीत परिस्थितियों में वो खरे उतरे और समय की मांग के अनुसार इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और डोबुर वन के अभियान को सफल बनाया। इससे पुलिस दल का मनेबल और उपलब्धियां बढ़ी।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री (स्व.) श्रीनिवास येल्लैया दांडिकवर, कांस्टेबल और बालासाहेब अनुमंत देशमुख, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22.02.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 124-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

1.	के.सी यादव सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	अशीम मंता कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
3.	अर्जुन सिंह हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	राजेश कुमार कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	राठौड़ पंडित कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

जम्मू फ्रंटियर की तदर्थ जे-III बी एस एफ बटालियन को बिहार के नक्सलियों के सर्वाधिक बहुल रोहतास और कैमूर जिलों में चुनाव करवाने का अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया था। कैमूर पठार, 1500 से अधिक वर्ग किमी. में फैला हुआ है और सड़कों की खराब स्थिति के कारण यहां पहुंचना कठिन समझा जाता है। इस क्षेत्र में घना वन, कम रोशनी, दुर्गम स्थल और लोगों की कठोर जीवन चर्या होने के कारण यह पठार, नक्सलियों के फलने-फूलने का स्वर्ग बन गया है। ये अप्रत्यक्ष रूप से इस पठार पर शासन कर रहे हैं और वहां उन्होंने अपने आधार शिविर, प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर दिए हैं और वे स्वतंत्र रूप से घूमते रहे हैं। जब कभी सुरक्षा बल इस पठार पर पहुंचने का साहस करते हैं तो उनके कई कार्मिक हताहत हो जाते हैं। 182 बटालियन बी एस एफ की 'बी' कंपनी को नक्सलियों से भरे हुए धासा, पुलिस स्टेशन- रोहतास के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किए जाने का दुष्कर कार्य सौंपा गया था। तैनाती स्थल पर पहुंचने के बाद इन्होंने धांसा से लगभग 22 किमी. की दूरी पर आधार शिविर स्थापित किया। सामान्य क्षेत्र का मुआयना करने और संभावित खतरे का विश्लेषण करने के बाद दिनांक 02 अप्रैल, 2009 को कंपनी की तैनाती की गई। चूंकि इस क्षेत्र को नक्सली ग्रुप

का गढ़ माना जाता है और विगत में नकसली ग्रुप, सुरक्षा बलों की हत्या करने और इस क्षेत्र में आई ई डी विस्फोट करने में भी सफल हुए थे इसलिए तैनात किए जाने के बाद कंपनी ने स्थानीय पुलिस द्वारा बताए गए छिपने के सभी संधिग्ध स्थानों की गहन छानवीन की, घेराव किया और तलाशी अभियान चलाया। दिनांक 14.04.2009 को लगभग 2230 बजे कांस्टेबल अशीम मंता, जिन्हें संतरी की ड्यूटी पर तैनात किया गया था को धांसा गांव में कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई दी और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इस पर इन्होंने टुकड़ी को सतर्क कर दिया। खतरे का आभास होने पर श्री के सी यादव, सहायक कमांडेट, कंपनी कमांडर ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और कार्मिकों को अपने-अपने स्थान पर मोर्चा लेने के लिए कहा जिन्हें इन्होंने किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इससे पहले तैयार किया था। अचानक ही लगभग 250 नक्सलियों ने कंपनी चौकी के चारों ओर मोर्चा संभाल लिया और स्वचालित हथियारों से चौकी पर भारी गोलीगारी शुरू कर दी। बी एस एफ की टुकड़ियों ने अत्यंत पेशेवर ढंग से जवाबी गोलीबारी कर दी जिससे नक्सली उस चौकी से हटने पर मजबूर हो गए। नक्सलियों द्वारा किए गए शुरूआती हमले में हैड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को एक गोली लग गई। श्री अर्जुन सिंह, बिल्डिंग की छत के ऊपर एम एम जी से निगरानी कर रहे थे। घायल होने के बावजूद हैड कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने अपनी एम एम जी से गोलीबारी जारी रखी। बाद में कंपनी कमांडर ने इन्हें वहां से हटवाकर किसी सुरक्षित मोर्चे पर भिजवा दिया जहां पर उन्हें क्विक क्लाट पाउडर दिया गया और प्राथमिक चिकित्सा उपचार किया गया। क्विक क्लॉट लगाने से रक्त का प्रवाह काफी हद तक रूक गया और गंभीर रूप से घायल होने पर भी हैड कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने नक्सली ग्रुपों पर गोलीबारी फिर शुरू कर दी। श्री के सी यादव, सहायक कमांडेट ने यह महसूस किया कि गांव के एक विशेष मकान से अभी भी भारी मात्रा में गोलीबारी हो रही है। यह मकान, नक्सलियों को रक्षात्मक कवच प्रदान कर रहा था और इनकी गोलीबारी निष्प्रभावी हो रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री के.सी यादव ने महसूस किया कि नक्सलियों की गोलीबारी को नियंत्रित और निष्क्रिय करने के लिए नक्सलियों के गोलीबारी करने के स्थान पर कब्जा करना आवश्यक है। इसलिए ये कांस्टेबल अशीम मंता के साथ नक्सलियों की भारी गोलीबारी के बीच अपने मोर्चे से बाहर आए और अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर नक्सलियों के कब्जे वाले मकान की ओर रेंगते हुए बढ़ने लगे। कवरिंग फायर के तहत ये दोनों, दोनों ओर से हो रही भारी गोलीबारी के बीच उस मकान तक पहुंचने में सफल हो गए और उस मकान के अंदर ग्रेनेड फैंकने में सफल हो गए। इस प्रकार इन्होंने उन नक्सली ग्रुपों को निष्क्रिय कर दिया जो एक संरक्षित स्थान से गोलीबारी करके मुसीबत खड़ी कर रहे थे। इसके बावजूद गांव की दूसरी दिशा से भारी गोलीबारी जारी थी। जमीन की विशिष्ट स्थिति के कारण कांस्टेबल राजेश कुमार, जिनके पास 51 एम एम मोर्टार मोर्चा था, प्रभावी गोलीबारी नहीं कर पा रहे थे इसलिए इन्होंने अपना मोर्चा बदलने का निर्णय लिया तथा वैकल्पिक मोर्चा संभाला और फिर प्रभावी गोलीबारी शुरू कर दी। एक दूसरी साहसिक चाल में कांस्टेबल राठौड़ पंडित ने नक्सलियों पर प्रभावी गोलीबारी करने के उद्देश्य से वे अपने मोर्चे से बाहर आ गए और भारी गोलीबारी के बीच रेंगते हुए कोटे तक पहुंचने पर ए जी एल निकाली और स्वयं को नक्सलियों की गोलीगारी के सामने ला कर हथियार को छत पर व्यवस्थित किया

और नक्सलियों पर प्रभावी गोलीबारी कर दी। इस प्रकार इन्होंने नक्सलियों को शिविर के और नजदीक आने से रोक दिया। श्री केसी यादव, सहायक कमांडेंट ने नेतृत्व प्रदान किया और अपने जीवन की बिलकुल भी परवाह किए बगैर अभियान का नेतृत्व अत्यंत पेशेवर अंदाज, दृढनिश्चय और साहस के साथ किया। हैड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार, कास्टेबल राठोड़ पंडित और कांस्टेबल अशीम मंता ने लगातार असाधारण साहस का परिचय दिया जिससे नक्सलियों के साहसिक हमले को निष्क्रिय करने में सहायता मिली। यह इतनी बेहतरीन कार्रवाई थी कि हैड कास्टेबल अर्जुन सिंह के घायल होने को छोड़कर किसी भी कार्मिक या सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पूरे अभियान के दौरान श्री के.सी. यादव के नेतृत्व में कार्मिकों ने अनुशासनिक गोलीबारी की और स्वचालित हथियारों और राकेट लांचरों से सज्जित सशस्त्र नक्सलियों के विरूद्ध नियंत्रित ढंग से अपनी गोलीबारूद का उपयोग करके लम्बे समय तक लड़ाई सुनिश्चत की तथा नकसलियों को भारी नुकसान पहुंचाया जिससे नक्सली घने जंगल में भागने पर मजबूर हो गए । ऐसा कार्य सुरक्षा बलों पर दुस्साहसी नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में विरला ही होता है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री के.सी यादव, सहायक कमांडेट, अशीम मंता, कांस्टेबल, अर्जुन सिंह, हैड कांस्टेबल, राजेश कुमार, कांस्टेबल और राठौड़ पंडित, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.04.2009 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 125-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक	
सर्व श्री	
1. भागीरथ सिंह, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
2. अमरेन्द्र शर्मा, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
3. सरबजीत सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
4. विपिन कुमार सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
5. धरम सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
6. सलीम खां, कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
7. संतोष कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8. देवेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
9. सुभाष चन्द्र प्रधान, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
10. पटुपुरेद्टी उप्पन्ना, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
11. बरूण परमाणिक, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
12. सोलंकी कृतन कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) मरणोपरांत)

13.	बिधान माजी, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
14.	ललित कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
15.	कुबेर चन्द्र राउत, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
16.	चेतन दास, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
17.	राम बिलाश सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
18.	हरेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
19.	चमपक कलिता, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
20.	एस के. मोहिउद्दीन, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
21.	नरेन्द्र कुमार यादव कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
22.	मिहिर परमाणिक, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

इस प्रशस्ति पत्र का संबंध उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में नाल्को धमनजोड़ी से संबंधित खानों की एकस्प्लोसिव मैग्जीन में तैनात सी आई एस एफ के कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित अत्यंत बिरले साहसिक कृत्य से है जिसमें हथियारों, गोलीबारूद और विस्फोटक पदार्थों को उड़ाने और लूटने के नक्सलियों की कोशिश को कारगार ढंग से नाकाम किया गया था। इस अभियान में जहां 4 नक्सली मारे गए थे वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सी आई एस एफ के दस कार्मिकों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

दिनांक 12.04.2009 की रात लगभग 2130 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के भारी मात्रा में शस्त्रधारी लगभग 400 नकसलियों के ग्रुप ने सी आई एस एफ फायर स्टेशन बैरक, सी आई एस एफ माइन्स बैरक, सी आई एस एफ मेन गेट कंट्रोल रूम और एक्सप्लोसिव मैग्जीन, नाल्को धमनजोड़ी पर बारी-बारी से हमले किए। वे एके. -47 राइफलों, एस एल आर देशी हथियारों, पैट्रोल बमों, ग्रेनेडों और आई ई डी जैसे अधुनातन हथियारों से लैस थे। हैड कांस्टेबल/ जीडी अमरेन्द्र शर्मा और कांस्टेबल/जीडी सरबजीत सिंह क्विक रियेक्शन टीम के हिस्से थे इसलिए पहले हमले का सामना उन्होंने ही किया। यद्यपि संख्या में ये बहुत कम थे

और चारों तरफ से इन पर हमले हो रहे थे फिर भी इन्होंने जबाबी हमला किया और समर्पण करने से इंकार कर दिया। हैड कांस्टेबल/जीडी अमरेन्द्र शर्मा, आई ई डी विस्फोट से मारे गए जबकि कांस्टेबल सरबजीत सिंह, गोली लगने के कारण गिर पड़े। हैड कांस्टेबल/ जीडी भागीरथ सिंह, मोर्चा नं0 4 पर ड्यूटी पर तैनात थे। नकसलियों ने इनसे समर्पण करने के लिए कहा लेकिन ये लड़ते रहे और बहादुरी से जबाबी हमला करते रहे। नक्सलियों की गोलियां लगने तक इन्होंने उन्हें रोके रखा। कांस्टेबल/जीडी विपिन कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी संतोष कुमार की ड्यूटी महत्वपूर्ण मोर्चा नं0 5 पर थी। इन्होंने चारों तरफ से हो रही भारी गोलीबारी का प्रतिरोध, अनुकरणीय साहस और कार्रवाई संबंधी कौशल से किया। इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और कार्रवाई संबंधी कौशल से एक भी नक्सली को जमीन से लगभग 25 फीट उँचाई पर बने मोर्चे तक नहीं आने दिया और अपने मोर्चे पर डटे रहे। गोली लग कर घायल होने के बावजूद कांस्टेबल वी.के. सिंह तब तक लड़ते रहे जब तक अत्यधिक रक्त बहने से इनकी मृत्यु न हो गई। कांस्टेबल संतोष कुमार अकेले ही लड़ते रहे और इन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नक्सली इस महत्वपूर्ण चौकी को उड़ा न सकें। कांस्टेबल/जी डी धर्म सिंह, कांस्टेबल/जी डी देवेन्द्र प्रसाद और कांस्टेबल/जीडी सलीम खां की तैनाती नियंत्रण कक्ष की छत पर महत्वपूर्ण मोर्चा नं0 6 पर थी। जैसे ही हमला शुरू हुआ वैसे ही इन्होंने रणनीतिक मोर्चा संभाला और एल एम जी तथा इंसास राइफल से जबाबी कार्रवाई कर दी। यद्यपि नक्सलियों की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम थी और तीन तरफ से इन पर हमला हो रहा था तो भी इन्होंने हार नहीं मानी और समर्पण करने की नक्सलियों की चेतावनी को नकार दिया। इन्होंने सुबह तक अनुकरणीय साहस, रणनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छाशक्ति से लड़ाई लड़ी। इनकी साहसिक कार्रवाई से न केवल चौकी का बचाव हुआ बल्कि इन्होंने नक्सलियों को हथियार, गोलीबारूद और विस्फोटक पदार्थ लूटने से भी रोका तथा अन्य जवानों को घायल होने से बचाया। नक्सलियों ने अपनी गोलीबारी मोर्चा नं0 8 पर केंद्रित की जो मैग्जीन की रक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोर्चा था। ड्यूटी पर तैनात उप-निरीक्षक/एक्जी. सुभाष चन्द्र प्रधान, कांस्टेबल/जीडी बरूण परमाणिक और कांस्टेबल/जीडी विधान माजी ने अचानक और भयानक हमले की चुनौती स्वीकार की और जबावी कार्रवाई की। गोलीबारी करने के अतिरिक्त उन्होंने सी आई एस एफ कार्मिकों पर पैट्रोल बम फैंके। इन तीनों कार्मिकों ने अनुकरणीय प्रतिरोध प्रदर्शित किया और अनुकरणीय बहादुरी के साथ तीन तरफ से हो रहे हमले का सामना किया। दोनों ओर से हो रही इस गोलीबारी के दौरान एक हमलावर मारा गया और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सी आई एस एफ के तीनों कार्मिकों ने इस महत्वपूर्ण मोर्चे को बचाने में अपनी साहासिक कार्रवाई जारी रखी और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कांस्टेबल/जीडी पोटुपुरेद्दीन अप्पला की उस दिन ड्यूटी नहीं थी और ये विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे। जैसे ही हमला शुरू हुआ वैसे ही इन्होंने कंटेनर बैरक के निकट मोर्चा संभाला और आगे बढ़ रहे नक्सलियों पर गोलीबारी कर दी। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी के दौरान इन्हें एक गोली लग गई लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और बहादुरी से लड़ते रहे तथा अपने जीवन सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कांस्टेबल/जीडी सोलंकी कृतन कुमार की तैनाती मोर्चा नं० 7 पर की गई थी। नक्सलियों ने पड़ोस की मैग्जीन बिल्डिंग की आड़ लेकर इस मोर्चे की ओर भी गोलीबारी की और पैट्रोल बम फेंके ताकि वे आगे

बढ़ सकें। कांस्टेबल/जीडी सोलंकी कृतन कुमार बहादुरी से लड़ते रहे और इन्होंने नक्सलियों को और आगे बढ़ने से रोके रखा। इन्हें पैट्रोल बम लगे लेकिन गोली लगने और स्वर्गवास होने तक ये बहादुरी से लड़ते रहे। कांस्टेबल/जीडी ललित कुमार, भी जो ड्यूटी पर नहीं थे, ने मैग्जीन के निकट मोर्चा संभाला और उन पर गोलीबारी कर दी। ये अकेले थे जबकि नकसली संख्या में बहुत अधिक थे इसलिए नक्सलियों ने इन पर काबू कर लिया। नक्सलियों ने इनसे कहा कि वे सी आई एस एफ कार्मिकों पर ग्रेनेड फैंके लेकिन इन्होंने ऐसा क़रने से बिल्कुल इंकार कर दिया। जब इन्होंने नक्सलियों के अनुसार कार्रवाई करने से मना कर दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने से इंकार कर दिया तो नक्सलियों ने गोली मार कर इनकी हत्या कर दी। कांस्टेबल/जीडी नरेन्द्र कुमार यादव ड्यूटी पर नहीं थे लेकिन ये नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे। ये बहादुरी से लड़े और ग्रेनेड से घायल होने के बावजूद इन्होंने नक्सलियों को अंदर नहीं आने दिया। यदि नक्सली, नियंत्रण कक्ष के अंदर घुस जाते तो वे नियंत्रण कक्ष उड़ा देते और महत्वपूर्ण मोर्चा नं० 2 और 3 को नष्ट कर देते। कांस्टेबल कुबेर चन्द्र राउत, कांस्टेबल/जीडी चेतन दास, कांस्टेबल/जीडी राम बिलाश सिंह, कांस्टेबल/जीडी हरेन्द्र प्रसाद कांस्टेबल/जीडी चंपक कलिता, कांस्टेबल/जीडी मिहिर परमाणिक और कांस्टेबल/जीडी एस के. मोहिउद्दीन हमले के समय विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे। इन्होंने तत्काल मोर्चा संभाला और यद्यपि ये संख्या में बहुत कम थे तो भी ये अत्यधिक साहस से सुबह तक लड़ते रहे। इस प्रकार इन्होंने नक्सलियों को हथियार, गोलीबारूद और विस्फोट पदार्थ लूटने से रोका। यद्यपि कई तरफ से इन पर भारी गोलीबारी की जा रही थी फिर भी इन्होंने अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया और नक्सलियों के हमले को नाकाम कर दिया। इनके बहादुरी पूर्ण कृत्य से सी आई एस एफ के कार्मिकों ने नक्सलियों को उनके अभियान में सफल नहीं होने दिया। इन्होंने नक्सलियों को दूर ही रखा, एक्सप्लोस्वि मैग्जीन को लूटने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संपत्ति को हानि पहुंचाने से रोका तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों का जीवन बचाया। इन्होंने चार नक्सलियों को मार गिराया और कई नक्सलियों को घायल कर दिया। इन्होंने दिनांक 13.4.2009 की सुबह तक अपनी साहसिक कार्रवाई जारी रखी जब नक्सली दुम दबा कर पीछे हट गए। वास्तविकता यह है कि अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से नक्सली शायद ही कभी अपने साथियों के शवों को छोड़ जाते हैं लेकिन यहां पर सी आई एस एफ के कार्मिकों की अनुकरणीय बहादुरी स्वयं यह बयान कर रही हे कि नक्सली अपने पीछे चार शव छोड़ कर भाग गए। इस अभियान में सीआईएसएफ के बाईस कार्मिकों ने नक्सलियों के विरूद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी और नक्सलियों को उनका लक्ष्य प्राप्त किए बगैर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इनमें से दस ने कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगी की गई:-

i. नक्सलियों के चार शव

ii. 02 नग राइफल 7.62 एमएम आईएआई एसएलआर (रजि० नं० ओएफटी-1900-15159659 और ओएएफटी-1999-16192546), राइफल 303 बी/ए सिंगल बोर की मैग्जीन के साथ-01 नं०1 नं० एम के-01, नं० 4 एन-94 58/एस बी, बी/ए 29963-ए(303 पुराना माडल), एक्सप्लोसिव मैग्जीन पर अनापेक्षित क्रूड डिवाइस

भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त भाग रहे नक्सलियों से 10.5 कि०ग्रा० विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री (स्व.) भागीरथ सिंह,हैड कांस्टेबल, (स्व.) अमरेन्द्र शर्मा, हैड कांस्टेबल, (स्व.) सरबजीत सिंह, कांस्टेबल, (स्व.) विपिन कुमार सिंह,कांस्टेबल, धरम सिंह, कांस्टेबल, सलीम खां, कांस्टेबल , संतोष कुमार, कांस्टेबल, देवेन्द्र प्रसाद,कांस्टेबल, (स्व.) सुभाष चन्द्र प्रधान, उप-निरीक्षक, (स्व.) पटुपुरेद्टी उप्पन्ना, कांस्टेबल, (स्व.) बरूण परमाणिक, कांस्टेबल, (स्व.) सोलंकी कृतन कुमार, कांस्टेबल, (स्व.) बिधान माजी, कांस्टेबल, (स्व.) ललित कुमार, कांस्टेबल, कुबेर चन्द्र राउत, कांस्टेबल, चेतन दास, कांस्टेबल, राम बिलाश सिंह, कांस्टेबल, हरेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल, चमपक कलिता, कांस्टेबल, एस के. मोहिउद्दीन, कांस्टेबल, नरेन्द्र कुमार यादव कांस्टेबल, मिहिर परमाणिक, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.4.2009 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 126-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री मुरलीधर लक्ष्मण चौधरी (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात दिनांक 26.11.2008 को श्री मुरलीधर एल. चौधरी को हैड कांस्टेबल के रूप में आर पी एफ थाना सी एस टी (मुख्य) में 20.00 बजे से 08.00 बजे वाली पाली में तैनात किया गया था। इन्हें पार्सल गेट की ड्यूटी पर लगाया गया था। इसी बीच आतंकवादियों ने सी एस टी स्टेशन क्षेत्र पर हमला कर दिया। जब इन्हें खतरे का आभास हुआ तो ये जोर से चिल्लाए कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है तथा इन्होंने जनता तथा कर्मचारियों से कहा कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इस पर आतंकवादियों ने इन पर गोलीबारी कर दी और घटनास्थल पर ही ये वीरगति को प्राप्त हो गए। यद्यपि इनके पास कोई हथियार नहीं था फिर भी इन्होंने जनता को सचेत कर दिया और कई लोगो का जीवन बचा दिया तथा सर्वोच्च स्तर पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। श्री मुरलीधर एल. चौधरी के द्वारा किया गया यह कार्य अनुकरणीय, साहसिक, विशिष्ट और अद्वितीय है जो अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना को दर्शाता है। आर पी एफ के इस कार्मिक की ऊर्जापूर्ण, बहादुरी और साहसिक कार्रवाई अतुलनीय और अद्वितीय है और इसने अत्यंत विरले साहस का परिचय दिया है।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री मुरलीधर लक्ष्मण चौधरी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.11.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 127-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री अनिल कुमार टी
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिसम्बर, 2001 में तालिबान के पतन होने से यह पता चला कि विश्व की मुख्य शक्तियां, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करने के लिए कई तरह की सहायता प्रदान करने हेतु आगे आ रही हैं। भारत ने भी अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कई निर्माण योजनाओं में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। भारत के सभी सहायता कार्यक्रमों में सबसे बड़ी सहायता डेलाराम से जरगंज तक के 219 किमी. लम्बे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर 746 करोड़ रूपए की थी। इस राजमार्ग ने ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट से अफगानिस्तान तक के व्यापार मार्ग को 1400 किमी. से अधिक तक छोटा कर दिया। भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भारत सरकार की ओर से सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) ने इस संपर्क सड़क का निर्माण करने का कार्य स्वीकार किया। आई टी बी पी को जरांग परियोजना, अफगानिस्तान में तैनात किया गया और बी आर ओ कर्मिकों को सुरक्षा प्रदान करने का चुनौतीपूर्ण कार्य इसे सौंपा गया। बी आर ओ के कार्मिक, युद्ध से त्रस्त अफगानिस्तान के नियरोज प्रांत में 219 किमी. लम्बे राजमार्ग का निर्माण कर रहे थे। 8वीं बटालियन आई टी बी पी के कांस्टेबल अनिल कुमार टी (कांस्टेबल/जी डी सं0 880183185) को सितम्बर, 2007 में जरांग परियोजना में तैनात किया गया था और ये 23 बी आर टी एफ के साथ सुरक्षा संबंधी ड्यूटियां कर रहा था। दिनांक 12.04.2008 को लगभग 0754 बजे गुरगुरी से डेलाराम की ओर लगभग 54 किमी. मनिअप्पन डेट्ट (मीनार) के निकट जब बर्म फिलिंग/रोड मार्किंग दल कार्य स्थल की ओर जा रहा था तो अचानक ही एक आत्मघाती व्यक्ति ने दल के निकट ही अपने आपको बम से उड़ा दिया। इस विस्फोट से बी आर ओ के दो कार्मिक मारे गए और बी आर ओ/ आई टी बी पी के कई कार्मिक घायल हो गए। कांस्टेबल/जी डी अनिल कुमार टी भी घायलों में से एक था। घायल होने के बावजूद इन्होंने यह सुनिश्चित किया कि क्षतिग्रस्त वाहन में बी आर ओ और आई टी बी पी के अन्य घायल कार्मिक बाहर निकल जाएं और उन्हें एम

आई कक्ष में ले जाने के लिए तैयार रखा जाए। इसके बाद अचेत होने से पहले इन्होंने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मोर्चा संभाला ताकि तालिबान के किसी संभावित हमले को रोका जा सके।

इस मुठभेड़ में श्री अनिल कुमार टी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.4.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 128-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. एम. रविन्द्रनाथ बाबू,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. श्रीरंगम रविन्द्रनाथ,
   रिजर्व उप-निरीक्षक
3. इसरपु सन्यासी राव,
   उप-निरीक्षक
4. एम. वैंकटेश्वरलू
   पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 27.10.2008 की सांय को श्री एम.रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक को अपने विश्वसनीय स्रोत से इस आशय की महत्पूर्ण सूचना मिली कि विजयनगरम जिले के पार्वतीपुरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लगभग 12 कि.मी. उत्तर पश्चिम में रविकोना वन क्षेत्र में कोरापुट एरिया कमेटी के प्रतिबंधित मावेवादी संवर्ग ने शिविर लगाया हुआ है ताकि वे उस क्षेत्र में अपराध कर सकें। उक्त क्षेत्र, विजयनगरम-उड़ीसा राज्य सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र मिले-जुले घने जंगल में फैला है जिसमें झरने और पहाड़ियां, हैं, लगभग सभी सड़कों, ठेला गाड़ी के रास्तों और पैदल रास्तों के बारे में यह संदेह किया जाता है कि उनमें बारूदी सुरंगे बिछी हैं और ये सड़क यात्रा के साथ-साथ पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक हैं। यह क्षेत्र खतरनाक होने के बावजूद श्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने योग्य आसूचना प्राप्त की और वन क्षेत्र में शिविर लगाए बैठे अलगाववादियों को निष्क्रिय करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार इन्होंने घेराव अभियान चलाने के लिए विजयनगरम जिले के एक जिला विशेष दल की सहायता ली। बलों की चाल गुप्त रखने के लिए इन्होंने रात के समय उन्हें भेजने की योजना बनाई ताकि वे सुबह-सुबह ही अभियान क्षेत्र में पहुंचकर अभियान शुरू कर दें। अपनी योजना के अनुसार श्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में श्री श्रीरंगम रविन्द्रनाथ, आर एस आई, श्री इसरपु संन्यासी राव, उप-निरीक्षक और श्री एम. वैंकटेश्वरलू, पुलिस कांस्टेबल से युक्त विशेष दल

वन क्षेत्र में पहुंचा और दिनांक 28.10.2008 की पहली किरण के साथ इस दल ने क्षेत्र का घेराव करना शुरू कर दिया।

दिनांक 28.10.2008 की सुबह लगभग 0430 बजे श्री श्रीरंगम रविन्द्रनाथ आर एस आई, श्री इसरपु सन्यासी राव, उप-निरीक्षक और श्री एम. वैंकटेश्वरलु, पुलिस कांस्टेबल तथा जिला विशेष दल, विजयनगरम के साथ कोठावलसा-रविकोना वन क्षेत्र, पार्वतीपुरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन के 11 कि.मी. उत्तर पश्चिम के निकट घेराव अभियान चलाते समय श्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक ने यह नोट किया कि कोरापुट एरिया कमेटी के प्रतिबंधित सी पी आई माओवादियों का लगभग 10-15 सदस्यों का ग्रुप, जिन्होंने जैतून के हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं तथा कुछ ने साधारण कपड़े पहने हुए हैं और उनके निकट खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। इस पर इन्होंने पुलिस दल को तत्काल दो भागों में बांट दिया। एक ग्रुप का नेतृत्व श्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक और श्री इसरपु सन्यासी राव, उपनिरीक्षक और जिला विशेष दल के आधे भाग ने किया दूसरे ग्रुप का नेतृत्व श्री श्रीरंगम रविन्द्रनाथ, आर एस आई और श्री एम वैंकटेश्वरलू, पुलिस कांस्टेबल तथा बाकी विशेष के सदस्यों ने किया। इन्होंने अपने-अपने मोर्चे संभाले और सशस्त्र माओवादियों को पकड़ने में जुट गए। लेकिन एक संत्री ने पुलिस दलों को देख लिया और उसने अपने साथियों को सचेत कर दिया तथा पुलिस दल पर आग्नेयाश्त्रों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी ताकि वे पुलिस दल के सदस्यों की हत्या कर सकें। इस पर पुलिस दल ने हर तरह की सावधानी बरतने के बाद उचित रक्षात्मक मोर्चे संभाले और अपनी रक्षा में माओवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनो ओर से लगभग 30 मिनट तक गोलीबारी हुई जिसमें श्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री श्रीरंगम रविन्द्रनाथ, आर एस आई, श्री इसरपु सन्यासी राव, उप-निरीक्षक और श्री एम. वैंकटेश्वरलू, पुलिस कांस्टेबल ने अपने-अपने जीवन की परवाह किए बगैर माओवादियों के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को मार गिराया जो पुलिस दल का कड़ा विरोध कर रहे थे। पुलिस दल के हमले से खतरा भांप कर बाकी अलगाववादी घने वन और चट्टानों का लाभ उठा कर उस स्थान से भाग गए। नामित कार्मिकों ने हमलावर ग्रुप के साथ उन उग्रवादियों का पीछा किया जो उस स्थान से बच कर भागते हुए पुलिस दल पर एके-47 और अन्य स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे।

श्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री श्रीरंगम रविन्द्रनाथ, आर एस आई, श्री इसरपु सन्यासी राव, उप-निरीक्षक और श्री एम. वैंकटेश्वरलू, पुलिस कांस्टेबल और इनके दल के साहसिक कृत्य से सीपीआई (माओवाद) को भारी नुकसान हुआ जिसमें (1) वल्लुरी वैंकट राव उर्फ मस्तान राव उर्फ एम.आर. उर्फ कैलासम, ए ओ बी एस जेड सी, सदस्य, आंध्र-प्रदेश के गुंटुर कस्बे का निवासी (2) रामटोही जयकुमार उर्फ रामन्ना उर्फ रमेश, कमांडर, कोरापुर एरिया कमेटी, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का निवासी मारा गया।

इस मुठभेड़ में विजयनगरम जिले के पार्वतीपुरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन किम. सं. 67/08 के तहत अपराध स्थल से एक 9 एम एम पिस्तौल, एक तमंचा, दो किट बैग और 32,000/-रूपए नकद बरामद किए गए।

मारे गए इन अलगाववादियों ने पुलिस कार्मिकों और राजनीतिक नेताओं की हत्या करने और पुलिस स्टेशनों और वाहनों को विस्फोट से उड़ाने, हमले आदि करने सहित ए ओ बी एस जेड सी क्षेत्र में कई घिनोने अपराध किए थे। इस मुठभेड़ के परिणामस्वरुप ए ओ बी क्षेत्र में सी पी आई (माओवादी) का धैर्य धरातल तक पहुँच गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम. रविन्द्रनाथ बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीरंगम रविन्द्रनाथ, रिजर्व उप-निरीक्षक, इसरपु सन्यासी राव, उप-निरीक्षक, एम. वैंकटेश्वरलू पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.10.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 129-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. एस वी राजशेखर बाबू,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. श्रीकांतम जगन्नाथ राव,
   उप-निरीक्षक
3. हथगले दशरथ,
   हैड कांस्टेबल
4. लंके भास्कर राव,
   पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 27.10.2008 की सायं श्री एस वी राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक को अपने विश्वसनीय स्रोत से इस आशय की सूचना मिली कि ए.पी. विशेष समिति के प्रतिबंधित सी पी आई माओवादी के शीर्ष संवर्गों ने बंडलमोटू मंडल और गुंटूर जिले के पुलिस स्टेशन से लगभग 12 कि.मी. और जिला मुख्यालय तथा प्रकाशम जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से 110 किमी. दूर बोठा कोडा वन क्षेत्र के निकट शिविर लगाया हुआ है। यह क्षेत्र मिले जुले घने जंगल में फैला है जिसमें झरने और पहाड़ियां हैं तथा लगभग सभी संड़कों, ठेला गाड़ी के रास्तों और पैदल रास्तों के बारे में यह संदेह है कि वहां पर बारूदी सुरंगे बिछी हैं तथा सड़क यात्रा करने के साथ-साथ पैदल चलने के लिए ये खतरनाक हैं। इस क्षेत्र की खतरनाक स्थिति होने के बावजूद श्री एस.वी. राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई योग्य आसूचना प्राप्त की और गुंटूर जिले के जिला विशेष दल के साथ अभियान की योजना बनाई। इन्होंने पुलिस दल की गतिविधि को गुप्त रखने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती और अभियान की योजना अत्यंत सूझबूझ से बनाई और इसके अनुसार ही दल को इसके बारे में बताया।

दिनांक 27.10.2008 की सांय को श्री एस.वी. चन्द्रशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक ने घेराव अभियान चलाने के लिए श्री श्रीकांतम् जगन्नाथ राव, उप-निरीक्षक, श्री हथगले दशरथ, हैड कांस्टेबल औ श्री लंके भास्कर राव, पुलिस कांस्टेबल तथा जिला विशेष दल को साथ लिया

और रेमिदिचेरला गांव की सीमा रेखा पर पहुंचे और निकटवर्ती वन क्षेत्र एल यू पी लिया। इन्होंने दिनांक 28.10.2008 को भी अपना घेराव अभियान आगे जारी रखा और रेमिदिचेरला और बोंठपल्ली वन क्षेत्रों में स्थित सभी उँची-नीची पहाड़ियों, घाटियों, छिपने के स्थानों और जल स्रोतों की जांच करनी शुरू कर दी तथा लगभग 0645 बजे बोठा पल्ली पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचे। पहले अधिकारी के नेतृत्व वाले दल ने पूर्वी तरफ की झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनीं और इस आवाज की पुष्टि करने के लिए श्री एस.वी. राजशेखर बाबू, अपर- पुलिस अधीक्षक और इनका दल कठोर जमीन पर रेंगते हुए झाड़ियों तक पहुंचे, उनसे दूसरी तरफ झांक कर देखा कि वहां पर प्रतिबंधित सी पी आई माओवादी के 8 सदस्यों का एक ग्रुप खतरनाक हथियारों से लेंस हैं। श्री एस वी. राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस दल को तत्काल हमलावर दल और कट-आँफ दल के रूप में विभाजित कर दिया। हमलावर दल का नेतृत्व श्री एस.वी राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक ने किया और इसमें श्री हथगले दशरथ, हेड कांस्टेबल और जिला विशेष दल के आधे सदस्य शामिल थे। कट-ऑफ दल का नेतृत्व श्री श्रीकांतम जगननाथ राव, उप-निरीक्षक ने किया और इसमें श्री लंके भाष्कर राव, पुलिस कांस्टेबल और विशेष दल के बाकी सदस्य शामिल थे। सभी रणनीतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए ये दोनों दल तेजी से रेंगते हुए अपने- अपने मोर्चों तक पहुंचे और सशस्त्र उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू करने ही वाले थे। लेकिन माओवादी ग्रुप के दोनों ओर दो संतरी चौकसी कर रहे थे। एक संतरी ने रेंगते हुए कट ऑफ दल को देख लिया और उसने सारे ग्रुप को बता दिया कि शत्रु पक्ष नजदीक ही है। इस पर उस ग्रुप के नेता ने पूरे ग्रुप को निर्देश दिया कि वे पुलिस दल पर भारी गोलीबारी कर दें। इस पर माओवादियों ने पुलिस दल की हत्या करने की मंशा से अपने आधुनातन हथियारों से अंधाधुंध गोलीबरी शुरू कर दी। युद्ध जैसी इस स्थिति में हमलावर दल ने अत्यंत बहादुरी का परिचय दिया, चट्टानों के निकट पहुंचें, मोर्चा संभाला और जबाबी गोलीबारी शुरू कर दी। माओवादी, हमलावार दल पर लगातार गोलियों की बौछार कर रहे थे लेकिन एस.वी राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक और श्री हथगले दशरथ, हैड कांस्टेबल ने अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया और इन्होंने अपने निकट से गुजरती गोलियों की तनिक भी परवाह नहीं की तथा टेढ़े- मेढ़े ढंग से आगे बढ़े और ऐसे मोर्चे का सहारा लिया जहां से वे आंशिक रूप से देखे जा सकते थे। यहां से इन्होंने उन उग्रवादियों पर गोलीबारी की जो एके-47 से गोलियों की बौछार कर रहे थै। इनकी इस गोलीबारी से एक उग्रवादी मारा गया और बाकी उग्रवादियों को हमलावर ग्रुप से खतरे का आभास हुआ तो वे दूसरी तरफ भाग खड़े हुए लेकिन तब तक कट-ऑफ दल ने मोर्चा संभल लिया था और इन्होंने भाग रहे उग्रवादियों को देख लिया था। भागते उग्रवादियों ने भी कट-ऑफ दल को देख लिया और उन्होंने कट-ऑफ दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से बीस मिनट तक गोलीबारी हुई और श्री श्रीकांतम जगन्नाथ राव, उप-निरीक्षक और श्री लंके भास्कर राव, पुलिस कांस्टेबल ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर लड़ाई लड़ी और उस महिला उग्रवादी को मौत के घाट उतर दिया जो पुलिस दल का कड़ा प्रतिरोध कर रही थी।

इस प्रकार सर्व श्री एस.वी. राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीकांतम जगन्नाथ राव, उप-निरीक्षक, हथगले दशरथ, हैड कांस्टेबल और लंके भास्कर राव, पुलिस कांस्टेबल और

इनके दल की साहसिक कार्रवाई से माओवादी गुट को भारी नुकसान हुआ और (1) छोटा गंगाधर उर्फ रामचन्द्र उर्फ आर सी, निवासी कूरागल्लू (वी), मंगलागिरि (एम), गुंटूर जिला, सदस्य ए.पी विशेष समिति (2) वलन-दास जयम्मा उर्फ अरूणा उर्फ कमलक्का पुत्री राजा गौदड, पत्नी आर सी, गोलापल्ली गांव, नरसपुर मंडल, मेटुक जिला, सी सी टेक, मकैंजिन्म (डी सी एम स्टेटस) मारे गए।

इस मुठभेड़ में गुंटूर जिले के बंडलमेटू पुलिस स्टेशन के क्रिम. नं0 54/2008 के तहत अपराध स्थल से एक एके-47 राइफल और एक तमंचा बरामद हुआ। मारे गए इन उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों और राजनीतिक नेताओं की हत्या करने, पुलिस स्टेशनों पर हमला करने जैसे कई जघन्य अपराध किए थे। बारूदी सुरंग बिछाई थीं और वाहन ब आदि को विस्फोट से उड़ाया था। छोटागंगाधर उर्फ आर सी, 2001 में येरागोडा पालेम पुलिस स्टेशन पर हमला करने, 2002 में श्रीसेलम I और II टाउन पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और 2003 में दोरनाला सरपंच की हत्या करने और 2004 में कटमराजू यात्रा से आ रहे उप-निरीक्षक श्री अंजनेयुलु का अपहरण आदि करने जैसे कई अपराधों में संलिप्त है।

जयम्मा उर्फ अरूणा, 1995 में आर.आर. जिले के इब्राहिमपटनम में हुई गोलीबारी, 1996-97 में निजामाबाद जिले के रमयापेठ पुलिस स्टेशन पर हमला करने, 1997 में पिललुतला में बारूदी सुरंग बिछा कर विस्फोट करने में शामिल था जिसमें एक डी एस पी की मृत्यु हो गई थी, 1998 में नालगोंडा जिले के तुरकापलली पुलिस स्टेशन पर हमला करने, 1999 में बोम्माल्नरामाराम पुलिस स्टेशन पर हमला करने और 2005-2006 में मन्नुरू पुलिस स्टेशन पर हमला आदि करने जैसे अपराधों में संलिप्त है।

इन दो कुख्यात माओवादी नेताओं के मारे जाने से एपीएससी में सीपीआई (माओवादी) का मनोबल टूट गया और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में माओवादियों को फिर से सिर उठाने की शक्ति एक ख्वाब बन कर रह गई है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस वी राजशेखर बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीकांतम जगन्नाथ राव, उप-निरीक्षक, हथगले दशरथ, हैड कांस्टेबल, लंके भास्कर राव, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.10.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 130-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, आध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री एम. गणेश राजू,
पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 25.09.2009 से पहले की रात को जी. मुदुगुला थानांतर्गत मद्दीगरूवु (वी) के निकट सी आई (माओवादी) के 20 सदस्यों के एक ग्रुप की हलचल के बारे में सूचना मिली। ओ एस डी/ नरसीपतनम ने अपने स्रोतों से संपर्क किया और माओवादियों की मौजूदगी के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की और एक विस्तृत रणनीतिक योजना तैयार की। इन्होंने जिला विशेष दल को प्रतिनियुक्त किया और योजना के बारे में इस दल को विस्तृत रूप से समझाया । इस पुलिस दल में श्री गणेश राजू, पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे और यह दल दिनांक 25.9.2007 को 0900 बजे मद्दीगरूबु गांव की सीमा पर पहुंचा और एल यू पी लिया। यह दल भयंकर गर्मी में सिरसापल्ली आरक्षित वन से हो कर 6 किमी. पैदल चला। इन्होंने घने वन क्षेत्र का घेराव किया। हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए जब ये वन से होते हुए अभिदेलु (बी) की ओर आगे बढ़ रहे थे तो आक्रमक दल के सबसे आगे चल रहे श्री एम.गणेश राजू पुलिस कांस्टेबल ने नोट किया कि वहां पर हथियारों से लैस जॅतून की हरी वर्दी में 20 माओवादियों का एक ग्रुप मौजूद है। श्री एम. गणेश राजू, पुलिस कांस्टेबल और अन्य कार्मिक बाई और दाई तरु से आगे बढ़े ताकि भागने के रास्तों को बंद किया जा सके। पुलिस दल ने माओवादियों से स्पष्ट और ऊँची आवाज में कहा कि उन्हें पहचान लिया गया है इसलिए वे समर्पण कर दें। लेकिन माओवादी ग्रुप ने अपने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर दी। मुख्य आक्रमक दल ने माओवादियों की गोलियो की बौछार की परवाह न करते हुए उपलब्ध आड़ का सहारा लेकर साहसपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना जारी रखा और अपनी रक्षा में जबाबी गोलीबारी कर दी। श्री एम.गणेश राजू, पुलिस कांस्टेबल, आक्रामक दल के सबसे आगे थे इसलिए माओवादियों की गोलीबारी का सामना सबसे पहले इन्हें ही करना पड़ा। दोनों ओर से हुई भयानक गोलीबारी का सामना सबसे पहले इन्हें ही करना पड़ा । दोनों ओर से हुई यह भयानक गोलीबारी लगभग 30 मिनट तक चली और इससे एक खूंखार महिला माओवादी नागरत्नम उर्फ शकीला, उप-कमांडर और एरिया कमेटी की सदस्य, कारूकोंडा क्षेत्रीय समिति की मौत हो गई। माओवादियों ने घने वन में मोर्चे संभाल लिए थे इसलिए उस क्षेत्र का पूरी तरह से घेराव किया गया लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू

कर दी। एक बार फिर पुलिस ने ऊँची और स्पष्ट आवाज में उनसे समर्पण करने के लिए कहा। लेकिन माओवादियों ने गोलीबारी जारी रखी। श्री एम. गणेश राजू, पुलिस कांस्टेबल सहित आक्रामक दल ने अपनी रक्षा में गोलीबारी कर दी और अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह किए बगैर साहसपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। दोनों ओर से यह गोलीबारी लगभग 20 मिनट तक चली और इससे तीन और खूंखार माओवादी ढेर हो गए जिनमें एक दलम कमांडर था और दो अन्य दलम सदस्य थे। गोलीबारी बंद होने पर पुलिस दल ने क्षेत्र की तलाशी ली और माओवादियों के तीन शव बरामद किए जो जर्थ विजय, कुंब राम लक्ष्मी उर्फ स्वीता और येलांगी चिन्तिबाबू उर्फ चंतिबाबू थे। ये माओवादी हिंसा के कई मामलों में संलिप्त थे और भगोड़े थे। गोलीबारी स्थल से दो .303 राइफलें एक एस बी टी एल, एक तमंचा, बड़ी मात्रा में गोलीबारूद, डिटोनेटर निजी सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज माओवादी साहित्य/ पुस्तकें बरामद हुई जिनमें उनके संगठन और भविष्य की योजनाओं आदि के विशाखापटनम जिले पडेरू उप-प्रभाग के सर्किल में आई पी सी की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 307, आई ए. अधिनियम की धारा 25,27 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत अपराध सं० 34/2007 के रूप में दर्ज है। यह पडेरू उप-प्रभाग की सीमाओं में सी पी आई (माओवादी) की कोरूकोडा क्षेत्रीय समिति के सशस्त्र संवर्गों के साथ हुई सबसे पहली और सफल गोलीबारी है जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तेलांगना और लल्लामल्ला क्षेत्र में मओवादियों के पतन के बाद से वे आंध्र –उड़ीसा सीमावर्ती विशेष क्षेत्र में और विशेष रूप से विशाखापटनम के पूर्वी प्रभाग में पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो उनक गुरिल्ला आधार है, यहां पर वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हिंसातमक वारदातें कर रहे हैं। इस क्षेत्र में उनके अभियान के बाद उनके द्वारा की गई हिंसात्मक वारदातें कर रहे हैं। इस क्षेत्र में उनके अभियान के बाद उनके द्वारा की गई हिंसात्मक वारदातों के बावजूद पुलिस कार्रवाई में उन्हे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस एक ही सफल अभियान के कारण विशाखापतनम के पूर्वी प्रभाग में सी पी आई (माओवादी) को भारी आघात पहुंचा और जनता का विश्वास मिला। इस उग्रवाद-विरोधी सफल अभियान में अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह किए बगैर श्री एम. गणेश राजू, पुलिस कांस्टेबल द्वारा आगे बढ़ कर प्रदर्शित दृढ़ निश्चय, बहादुरी, साहस, लक्ष्य प्राप्त करने की भावना और कर्तव्यनिष्ठा से बल का नैतिक बल नई ऊँचाइयों पर पहुंच गया।

इस मुठभेड़ में श्री एम. गणेश राजू, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.09.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 131-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. नबनीत महन्त,
   उप- प्रभागीय पुलिस अधिकारी
2. उत्पल बोरा
   शस्त्रहीन शाखा उप-निरीक्षक
3. पुष्पांधर पयेंग,
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल
4. गोणेश गोगोई,
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल
5. ललित पयेंग,
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

गरमुर थानांतर्गत, ग्राम जोराबिल कठनियाती में उल्फा उग्रवादियों के एक ग्रुप की हलचल के बारे में नबनीत महन्त, ए पी एस, एस डी पी ओ, मजुलि द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इनकी कमांड में दिनांक 19.07.2008 को 1700 बजे एक अभियान चलाया गया। तदनुसार, एस डी पी ओ मजुलि अपने तीन पी एस ओ अर्थात, ए बी सी/537 पुष्पांधर पयेंग और एबीसी/121 गोणेश गोगोई तथा शस्त्रहीन शाखा उप-निरीक्षक यू.बी.एस.आई उत्पल बोरा (ओसी गरमुर पुलिस स्टेशन) के साथ गांव की ओर चल पड़े। जी 35 सी आर पी एफ के कंपनी कमांडर को सूचित किया गया; और उनसे कहा गया कि वे गांव में जाने और वहां से आने के सभी मार्गों को रोकने के लिए बोरागुरि (जो पी ओ से डेढ़ किमी. दूर है) में नाकाबंदी करें। जब पुलिस दल बलिचपोर्बी एल.पी. स्कूल तक पहुंचे तो 2/3 सशस्त्र उग्रवादियों को योहुमोरा बलिचपोरिगांव की ओर दौड़ते हुए देखा गया। पुलिस दल देख करके उन उग्रवादियों ने अपने हथियारों से पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में उग्रवादियों द्वारा अधुनातन हथियारों से की गई भारी गोलीबारी के बीच अपने जीवन को खतरे में डाल कर श्री नबनीत महंत, ए पी एस, एस डी पी ओ, मजुली, ओ सी गरमु पी एस और अपने तीन पी एस

ओ के साथ गांव की ओर बढ़े। इस पर पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई जो कुछ समय तक जारी रही। जब गोलीबारी रूक गई तो पी ओ की तलाशी ली गई और उल्फा संवर्ग के शरीर पर लगी गोली से घायल हो कर मृत पड़े एक उग्रवादी का शव पाया गया। बाद में उसकी पहचान तुलेन बरूआ उर्फ नरेन बरूआ उर्फ अमृत दत्ता, पुत्र, नित्यानंद बरूआ, खरजन ना- सतरा, पी एस गरमुर, मजुली के रूप में की गई। वह प्रतिबंधित उल्फा संगठन का एस/एस एस जी टी मेजर था और वह अन्य लोगों की हत्या करने के साथ-साथ दिनांक 04.07.1997 को सामाजिक कार्यकर्ता और एवीएआरडी एनई महासचिव संजय घोष और दिनांक 24.01.2007 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भदेश्वर बेज की हत्या करने सहित हत्या, अपहरण, जबरन धन ऐंठने आदि के कई मामलों में संलिप्त था। कुछ उग्रवादी, अंधेरे और घने पेड़-पौधों का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए।

यह मामला जोंग्रियामुख पुलिस स्टेशन में यू एस (पी) अधिनियम 10/13 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम 25(1-ए)/27 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120 (बी)/121/(ए)/307 के तहत मामला सं. 16/08 के रूप में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री नबनीत महन्त, उप- प्रभागीय पुलिस अधिकारी, उत्पल बोरा, शस्त्रहीन शाखा उप-निरीक्षक, पुष्पांधर पर्येग, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल, गणेश् गोगोई, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल, ललित पर्येग, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.07.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 132-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. विनीत विनायक
   पुलिस अधीक्षक
2. बिरेन्द्र कुमार सिंह,
   उप-निरीक्षक
3. राज कुमार
   उप-निरीक्षक
4. सुरेन्द्र कुमार सिंह,
   वरिष्ठ कमांडो
5. मनोज कुमार,
   कनिष्ठ कमांडो
6. नरेन्द्र कुमार झा,
   कनिष्ठ कमांडो
7. सुनील कुमार सिंह,
   कनिष्ठ कमांडो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 13.12.2007 को श्री विनीत विनायक, आई आर एस, पुलिस अधीक्षक, जिला खगरिया को इस आशय की आसूचना जानकारी मिली कि हत्या, डकैती, अपहरण और जबरन धन ऐंठने के 23 मामलों में वांछित कोसी क्षेत्र का खूंखार अपराधी और उसके सशस्त्र गैंग के सदस्य दिनांक 13/14.12.2007 के बीच की रात में खगरिया-सहरसा सीमा पर स्थित एक फार्म में आएंगे। इस गैंग के पास पुलिस से लूटी गई राइफलों सहित अधुनातन हथियार हैं और यह गैंग पुलिस के साथ इससे पहले हुई कम से कम 02 मुठभेड़ों में संलिप्त था। इस गैंग का नेता उसके विरुद्ध दर्ज किए गए सभी आपराधिक मामलों में एक भगोड़ा अपरधी है और इसकी गतिविधियों में इसकी सहायता विपरीत और दुर्गम नदी घाटी क्षेत्र करता है जिसने कुछ दूरी पर पुलिस दल की हलचल प्रकट कर इन्हें अत्यधिक सुभेद्य बना दिया और इससे पुलिस दल की

समस्याएं और गंभीर हो गई। दिनांक 13.12.2007 को लगभग 2145 बजे श्री विनीत विनायक ने एक दल का नेतृत्व किया जिसमें उप-निरीक्षक बिरेन्द्र कुमार सिंह, उप-निरीक्षक राज कुमार और 25 अन्य पुलिस कार्मिक शामिल थे। यह दल उक्त फार्म की ओर चल पड़ा। इस रणनीति को गुप्त रखने के उद्देश्य से इस छापामार दल ने उसे ठंडी और काली सर्दी की रात में दो परित्यक्त पुलों को पार करते हुए नदी के रेतीले किनारे-किनारे 10 कि.मी. की पैदल यात्रा की। मध्य रात्रि में लगभग 1200 बजे उक्त स्थान पर पहुंचने पर एस पी ने अपने कार्मिकों को संक्षिप्त में बताया और तीन तरफ से उक्त फार्म की घेराबंदी करने के लिए अपने दल को रणनीतिक दृष्टि से 4 ग्रुपों में बांट दिया। प्रात: लगभग 0100 बजे घोड़े पर सवार 7 सशस्त्र व्यक्ति वहां पर आए। एस पी ने उन्हें रुकने और समर्पण करने का निदेश दिया। इस चेतावनी का यह असर हुआ कि पुलिस दल पर उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिससे पुलिस कार्मिकों के जीवन और सरकारी हथियारों की सुरक्षा खतरे में पड़ती नजर आई। इस पर श्री विनीत विनायक ने अपने कार्मिकों को निर्देश दिया कि वे रेंगते हुए आगे बढ़ें और सीमित और नियंत्रित जबाबी गोलीबारी करें। दोनों ओर से यह खतरनाक गोलीबारी लगभग चार घंटे तक चली। प्रात: लगभग 5.00 बजे जब गोलीबारी रुकी तो यह स्पष्ट हो गया कि 7 अपराधी और दो घोड़े फील्ड में मरे पड़े हैं। उनके निकट उनके हथियार,गोलीबारुद और चलाई गई गोलियों के खोके पड़े हुए थे जिनमें लूटी गई .303 की पुलिस की 2 राइफलें, 3 रेग्युलर .315 राइफलें, एक अर्द्ध-स्वचलित राइफल और 2 देशी पिस्तौलें शामिल थीं तथा जीवित गोलीबारुद के 66 राउंद भी थे। निकटवर्ती फील्ड में 5 घोड़े भी पाए गए। तीन पुलिस कार्मिकों की बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन गियर पर लगी गोलियों के निशानों से पता चला कि इससे वे घायल होने से बच गए। इस घटना की सूचना तुरंत ही वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों और डी जी पी नियंत्रण कक्ष को दी गई। मृत अपराधियों की पहचान 1. सन्तन चौधरी (गैंग का नेता), 2. रणजीत यादव, 3. मो. इजरायल, 4. राजो चोधरी, 5. भूप चोधरी, 6. जागी चौधरी और 7. नरेश चौधरी के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विनीत विनायक, पुलिस अधीक्षक, बिरेन्द्र कुमार सिंह, उप-निरीक्षक, राज कुमार, उप-निरीक्षक, सुरेन्द्र कुमारसिंह, वरिष्ठ कमांडो, मनोज कुमार, कनिष्ठ कमांडो, नरेन्द्र कुमार झा, कनिष्ठ कमांडो, सुनील कुमार सिंह कनिष्ठ कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.12.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 133-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विजय कुमार करशनभाई गढ़वी,
पुलिस उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री विजय कुमार करशनभाई गढ़वी, पुलिस उप-निरीक्षक ने गांव-सथरा, अलंग पुलिस स्टेशल, तलजा तालुका के खूंखार और सर्वाधिक वांछित अपराधी सैलेश मनुभाई ढंढालिया, जो गुजरात राज्य के भावनगर और अन्य जिलों में हुए 20 से अधिक जघन्य अपराधों में वांछित था, गिरफ्तार किया था। भावनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कई दस्ते गठित किए थे लेकिन वह 7 से अधिक माह तक पुलिस को धोखा देता रहा। दिनांक 09.08.2008 को सैलेश ने अपने रिश्तेदार और कट्टर दुश्मन देवशंकरभाई जानी पर गांव सथरा में गोली चलाई लेकिन देवशंकर भाई सौभाग्य से बच गए। इसके बाद सैलेश अपने साथी के साथ अपनी मोटर बाइक पर अपराध स्थल से भाग खड़ा हुआ। भगोड़े अपराधी को पकड़ने के लिए जिला स्तर पर चौकसी बरती गई। इसलिए श्री विजय कुमार करशनभाई गढ़वी, पुलिस उप-निरीक्षक ने जूना जलिया और राजपारा गांवों के बीच उसके बच निकलने के एक संभावित रास्ते पर मोर्चा संभाला। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस की उपस्थिति से यह चालाक अपराधी सतर्क न हो जाए इसलिए इस दल ने "नाकाबंदी" के लिए प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल किया। जब यह दल उन पर नजर रख रहा था तो सैलेश और उसका साथी मोटर साइकल पर इनकी ओर आए और जब पुलिस दल ने उन्हें समर्पण करने के लिए कहा तो श्री विजय कुमार करशनभाई गढ़वी, पुलिस उप-निरीक्षक की हत्या करने की मंशा से उन्होंने इनकी छाती को निशाना बना कर गोलियां चलाईं। श्री गढ़वी की बाईं तरफ छाती पर गोली लगने के कारण ये घायल हो गए। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चोटें भी लगी थीं। श्री गढ़वी ने इस अभियान के लिए सावधानी बरती थी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी इसलिए इस हमले के बावजूद ये बच गए। श्री गढ़वी ने सशस्त्र अपराधी के सामने साहस और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। श्री गढ़वी के साथ इनका दल भी था जिसने इस खतरनाक, सशस्त्र अपराधी को काबू में किया और उससे भरा हुआ आग्नेयास्त्र छीन लिया। इसके बाद इन्होंने सैलेश ढंढालिया को

गिरफ्तार किया जो भावनगर और इसके बाहर के जिलों में खूंखार नाम बन चुका था और जिसने सशस्त्र लूटपाट और डकैतियां की और आग्नेयास्त्रों से हत्याएं भी कीं। उसने जबरन धन ऐंठने का कार्य भी शुरु कर दिया था और उसके अगले संभावित शिकार को पुलिस संरक्षण भी प्रदान करना पड़ रहा था। इसलिए सैलेश मनुभाई ढंढालिया नामक इस खूंखार अपराधी को काबू कर गिरफ्तार करके श्री विजय कुमार करशनभाई गढ़वी ने अपने जीवन को दांव पर लगा कर अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और सच्चे पुलिस अधिकारी की तरह कार्रवाई की और इस तरह समाज को अत्यधिक राहत भी प्रदान की।

इस मुठभेड़ में श्री विजय कुमार करशनभाई गढ़वी, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.08.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 134-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री अब्दुल कयूम
अपर पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 20.4.2007 को श्री अब्दुल कयूम- केपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक (आप्स) पुलवामा द्वारा कुछ हद तक विकसित एक विशिष्ट सूचना के आधार पर कि एच एम आतंकवादी गुट के दो आतंकवादी, गांव रत्नीपुरा(पुलवामा थानांतर्गत) में किसी गु. नबी रेशी, पुत्र खजीर मोहम्मद के मकान में छिपे हुए हैं। छिपे हुए आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए श्री अब्दुल कयूम, अपर पुलिस अधीक्षक (आप्स) पुलवामा के नेतृत्व में पुलिस शिविर पुलवामा के पुलिस दल द्वारा मकान का घेराव किया गया। जब आतंकवादियों से समर्पण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया और तलाशी दल पर हथगोला फेंक दिया। अपर पुलिस अधीक्षक (आप्स) पुलवामा के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने अपनी रक्षा में जबाबी कार्रवाई की। इस दल की और सहायता करने के लिए सेना (55 आर आर) भी आ गई। इसी बीच यह भी नोट किया गया कि आतंकवादियों ने मकान के अंदर कुछ सिविलियनों को बंधक बना दिया है। श्री अब्दुल कयूम, अपर पुलिस अधीक्षक (आप्स) पुलवामा के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर सिविलियनों को छुड़ा लिया। दोनों ओर से चली गोलीबारी के दौरान आतंकवादियों ने मकान से बच कर भागने की कोशिश की लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक (आप्स) पुलवामा की नेतृत्व क्षमता, समर्पण और समय पर की गई कार्रवाई के कारण एच एम गुट के दोनों आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान निम्नवत की गई:-

1. बलाल अहमद गनाई उर्फ सुहेल पुत्र गु. रसूल निवासी रत्नीपुरा (जेड पी एच क्यू श्रेणी सूची के अनुसार "सी श्रेणी"।
2. सज्जाद अहमद भट उर्फ वसीम पुत्र अब्दुल अहद निवासी लेलहर।

इन दो खूंखार आतकवादियों के मारे जाने से एचएम गुट को भारी आधात लगा क्योंकि ये खूंखार आतंकवादी कई हत्याएं (सुरक्षा बल और सिविलियन) करने, जबरन धन ऐंठने, सिविलियनों पर अत्याचार करने में संलिप्त होने के अतिरिक्त स्थानीय युवाओं की भर्ती/उन्हें प्रेरित भी करते थे। यह निश्चित ही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उक्त अभियान में मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद बरामद हुए:-

1. ए के-47/56 राइफल -02 नग
2. ए के मैग्जीन - 04 नग
3. ए के गोलीबारूद - 110 राउंद आदि

इस संबंध में पुलवामा पुलिस स्टेशन में आर पी सी की धारा 307, आई.ए. अधिनियम की धारा 7/27 के तहत प्राथमिकी सं0 154/07 के रूप में मामला दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में श्री अब्दुल कयूम,अपर पुलिस अधीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.04.2007 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 135-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शिव कृष्ण

उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 31.07.2007 को एस एस पी डोडा को इस आशय की सूचना मिली कि पाकिस्तान का शीर्ष खूंखार आतंकवादी आबिद हुसैन बसरा कोड जरगम कोड हयात सैट कोड के-2 पुत्र मोहम्मद इस्माइल बसरा, निवासी रहीमयारखां, पंजाब, पाकिस्तान, जो हिजबुल मुजाहिद्दीन गुट से संबद्व है, डोडा थानांतर्गत नग्नी नाला के घने जंगल में निर्मित छिपने के स्थान पर मौजूद है। उक्त आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस, 2007 की पूर्व संध्या के अवसर पर कुछ सनसनीखेज कार्रवाई करने की मंशा से गंडोह और भदेरवाह नामक ऊंचे स्थानों से उतर कर डोडा जिला मुख्यालय आया था। उक्त अधिकारी ने अपने स्थानीय स्त्रोतों की सेवाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करके अत्यधिक गोपनीयता सुनिश्चित की, बुद्धिचातुर्य से अभियान की योजना बनाई और दिनांक 31.07.2007 और 01.08.2007 के बीच रात को जिला पुलिस और 10 आर आर के कुछ संघटकों के साथ स्वयं ही जमीन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। छिपने के स्थान के चारों ओर घेरा डालते समय आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारीशुरु कर दी और ग्रेनेड फेंके। इससे विचलित हुए बगैर तुरंत घेराव किया गया। उप-निरीक्षक शिव कृष्ण के साथ श्री मनोहर सिंह, एस एस पी ने छिपने के स्थान पर हमला करने की पहल की। यह महससू करते हुए कि आक्रामक दल छिपने के स्थान की ओर बढ़ रहा है, आतंकवादी ने गोलीबारी करने और ग्रेनेड फेंकने की मात्रा बढ़ा दी जिनसे अधिकारी बाल-बाल बचे। उस स्थान पर छिपे आतंकवादी से समर्पण करने के लिए बार-बार कहा जा रहा था लेकिन वह आक्रामक दल पर लगातार गोलीबारी करता रहा और ग्रेनेड फेंकता रहा। घेराव दल के जवानों के जीवन को खतरा महसूस कर अधिकारियों ने चतुराई से छिपने के स्थान की ओर रेंगना शुरु किया। इसी बीच आतंकवादी कूद कर बाहर आया और उसने इस चट्टान के पीछे मोर्चा संभाला और गोलीबारी जारी रखी। वहां पर अधिकारियों के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं था जिसकी वे आड़ लेते फिर भी इन्होंने अत्यधिक सूझ-बूझ और सर्वोच्च साहस का परिचय दिया और तुरंत जबावी गोलीबारी कर दी जिससे आतंकवादी को रोका जा सका और उसके बच कर भाग निकलने के रास्ते भी बंद हो गए। जब आतंकवादी को यह महसूस हुआ कि अधिकारी उसके निकट आ रहे हैं तो वह अपनी ए के राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए नाले में कूद पड़ा। जब अधिकारी

उस आतंकवादी का पीछा कर रहे थे तो वह तुरंत पीछे मुड़ा और अधिकारियों पर भारी गोलीबारी कर दी जिससे एक बार फिर ये बाल-बाल बचे। लेकिन अधिकारियों ने उक्त पाकिस्तानी शीर्ष कमांडर की भारी गोलीबारी के बीच सर्वोच्च साहस, अभियान चलाने के कौशल, प्रतिबद्धता, कर्तव्यपरायणता और अत्यधिक सूझ-बूझ का परिचय दिया और उसे मार गिराया। उक्त आतंकवादी से 01 ए के राइफल, 03 मैग्जीन, 37 राउंद, 01 वाइनोक्यूलर, 01 ग्रेनेड, 02 पहचान पत्र और 01 पाउच बरामद हुए। मारा गया आतंकवादी लगभग 10 वर्षों से डोडा जिले में सक्रिय था और वह निर्दोष सिविलियनों की हत्या करने, सुरक्षा बलों/पुलिस/वी डी सी पर हमले करने, बलात्कार, लूट आदि जैसे उग्रवाद से संबंधित कई जघन्य अपराधों में संलिप्त था। उसने कई युवाओं की भर्ती उग्रवाद के लिए की थी और उन्हें हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजा था। वह एक खूंखार आतंकवादी था और उसने पूरे डोडा जिले में भय फैला रखा था। वह हिजबुल मुजाहिद्दीन के उन आतंकवादियों के सभी अभियानों, वित्तीय सहायता, भर्ती, घुसपैठ करने, उन्हें बाहर निकालने के कार्यों को देखता था जिन्होंने समर्पण कर दिया था और जिन्हें गिरफ्तार/रिहा किया गया था। वह सर्वाधिक वांछित मुजाहिद्दीन आतंकवादी था जिसे श्रेणी "क" में रखा गया था। वह डोडा जिले में अकेला और सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला हिजबुल मुजाहिद्दीन का विदेशी आतंकवादी था। उसका मारा जाना, डोडा जिले में हिजबुल मुजाहिद्दीन के विरुद्ध सबसे बड़ी उपलब्धि समझी जाती है और समय पर उसे मार गिराये जाने से स्वतंत्रता दिवस, 2007 की पूर्व संध्या पर कई लोगों का जीवन बच गया। स्वतंत्रता दिवस, 2007 की पूर्व संध्या पर कुछ सनसनी खेज कृत्य करने के लिए वह जिला मुख्यालय के निकट छिपने के अपने वर्तमान स्थान पर आया था।

इस मुठभेड़ में श्री शिव कृष्ण, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.08.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 136-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नजीर अहमद
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

निरीक्षक नजीर अहमद, एस एच ओ पुलिस स्टेशन नौगांव श्रीनगर को जहांगीर अहमद डार उर्फ छोटा जहांगीर पुत्र गुलाम मोहम्मद डार निवासी हलमुल्लाह बिजबेहरा (जिला कमांडर, अनंतनाग) के ग्राम डोग्रीपुरा पुलवामा, पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा, पुलिस जिला अवंतीपुरा में किसी स्थान पर छिपे होने के संबंध में विशिष्ट सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर एस एच ओ पुलिस स्टेशन नौगांव श्री नजीर अहमद ने दक्षिण अंचल श्रीनगर की एक पुलिस पार्टी के साथ ही उक्त गांव की ओर कूच किया और शीघ्र ही क्षेत्र का घेराव कर दिया। श्री नजीर अहमद, निरीक्षक और इनकी पार्टी, छिपने के संदिग्ध स्थान की ओर बढ़े। छिपने के स्थान का पता लगाने के बाद, जो संदिग्ध मकान में गौशाला के ऊपर था, निरीक्षक नजीर अहमद ने चतुराई से पुलिस पार्टी को संदिग्ध मकान के चारों ओर मोर्चे पर लगा दिया। छिपने के स्थान पर पहुंचने पर जब निरीक्षक नजीर अहमद ने उस स्थान के लकड़ी के पटेर को हटाने की कोशिश तो अंदर छिपे आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे निरीक्षक नजीर अहमद, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन नौगांव बाल-बाल बचे। जबाबी गोलीबारी किए जाने पर आतंकवादी वापस अपने छिपने के स्थान पर चला गया। निरीक्षक नजीर अहमद के नेतृत्व वाली उक्त पार्टी ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए असाधारण सूझ-बूझ और साहस का परिचय देते हुए छिपने के स्थान से बहुत नजदीक मोर्चा संभाला और सेना तथा पुलिस सहायता पहुंचने तक लगभग 35 मिनट तक उसे गोलीबारी में उलझाए रखा। इसके बाद हुई गोलीबारी में जहांगीर अहमद डार उर्फ छोटा जहांगीर, पुत्र गुलाम मोहम्मद डार, निवासी हलमुल्लाह बिजबेहरा (एच एम गुट का जिला कमांडर, श्रेणी 'क') मार गिराया गया। उक्त आंतकवादी विगत 07 वर्षों से सक्रिय था और वह कई जघन्य अपराधों में संलिप्त था जिनमें कार बम विस्फोट, आई ई डी विस्फोट, सिविलियनों और सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करना शामिल था। उक्त आतंकवादी के मारे जाने से एच एम गुट को भारी धक्का लगा। इस संबंध में पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में

आर पी सी की धारा 307, आई ए अधिनियम की धारा 7/27 के तहत प्राथमिकी सं० 4/2008 दर्ज है। उसके कब्जे से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद बरामद किया गया:-

1.	ए के. 56	-02
2.	ए के. मैग्जीन	-02 नग
3.	राउंद	-56 नग
4.	ग्रेनेड (चीनी)	-01 नग(घटनास्थल पर नष्ट कर दिया गया)
5.	पिस्तौल (चीनी)	-01
6.	पिस्तौल मैग्जीन	-01
7.	आर पी जी एल शटल	02 नग (घटना स्थल पर नष्ट कर दिया गया)

इस मुठभेड़ में श्री नजीर अहमद, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 18.03.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 137-प्रेजं/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री राज पाल सिंह,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर उप-निरीक्षक राज पाल सिंह सं. 7197/एन जी ओ (पी आई डी सं. ई एक्स जे-006645), एस एस आर गूल ने अपनी टुकड़ियों और 58 आर आर की टुकड़ियों के साथ, गूल के सामान्य क्षेत्र में दिनांक 22.12.2007 को तलाशी अभियान चलाया। उक्त अधिकारी ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अधिक ऊंचाई पर स्थित वन क्षेत्र में अत्यधिक ठंडी रात में ए एन ई के साथ संपर्क स्थापित करने के अपने प्रयास जारी रखे। अंन्ततः दिनांक 23.12.2007 की सुबह (1000 बजे) एक अज्ञात/संदिग्ध व्यक्ति की हलचल दिखाई दी जिसे रुकने और अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया लेकिन उसने इसके बजाए अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। उक्त आतंकवादी ने अपने आप को नाले में पड़ी चट्टानों के पीदे छिपा दिया लेकिन अधिकारी चतुराई से रेंगते हुए उक्त आतंकवादी तक पहुंचे और आतंकवादी को मार गिराने में रणनीतिक बुद्धिचातुर्य और असाधारण साहस का परिचय दिया। मारे गए आतंकवादी की पहचान बाद में मोहम्मद इमरान उर्फ अबू उमर, एल ई टी गुट, निवासी चेच्यान रावलपिंडी, पाकिस्तान के रूप में हुई। उक्त आतंकवदी के मारे जाने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली और इससे पुलिस सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ा। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित की बरामदगी की गई :-

1.	ए के-47	-	01 नग
2.	ए के मैग्जीन	-	03 नग
3.	ए के गोलीबारुद	-	05 राउंद
4.	ग्रेनेड	-	01 नग
5.	पाउच	-	01 नग

इस मुठभेड़ में श्री राज पाल सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.12.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 138-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सज्जाद अहमद साह,
   पुलिस उपाधीक्षक
2. मुस्ताक अहमद,
   निरीक्षक
3. आर.पी. सिंह,
   उप-निरीक्षक
4. जन मोहम्मद,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

आगामी ग्रीष्मकाल और पर्यटकों के लिए उपयुक्त समय होने पर एल ई टी ने प्रभागीय कमांडर, मध्य कश्मीर, अबू फैजल को निर्देश दिया कि वह अपने संवर्ग को पुन: सक्रिय करे और श्रीनगर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में लम्बे समय से चलती आ रही चुप्पी को तोड़े। अबू फैजल, जो मध्य कश्मीर में सबसे खूंखार और सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी था, ने निर्णय लिया कि वह श्रीनगर की शांति भंग करने और 2008 में होने वाले चुनाव में बाधा पहुंचाने की अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देगा। एस ओ जी श्रीनगर को इस संबंध मे सूचना मिली और इस बात की पुष्टि की गई कि खूंखार आतंकवादी अबू फैजल, श्रीनगर शहर में हमले करने की योजना बना रहा है। श्रीनगर के एस ओ जी सज्जाद अहमद शाह, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में एक दल का गठन किया गया ताकि इस जानकारी की आगे और पुष्टि करके एल ई टी के अबू फैजल, प्रभागीय कमांडर, मध्य कश्मीर को मार गिराया जा सके। मार्च के पहले हफ्ते में किसी व्यक्ति से यह विश्वसनीय सूचना मिली कि अफू फैजल, अपने एक सहयोगी के साथ जबरवान पहाड़ियां में स्थित अपने छिपने के स्थानों को छोड़ कर तेइलबल और आसपास के क्षेत्रों में चला गया है ताकि वहां से वह हमले कर सके। मार्च के तीसरे हफ्ते में अंतत: डांगरपुरा तेइलबल में लक्ष्यगत मकान का पता चला। इस बारे में छानबीन की गई और आस-पास के क्षेत्रों का एक कच्चा खाका बनाया गया। अत्यंत सावधानी

के साथ योजना बनाई गई ताकि कोई सिविलियन हताहत न हो और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। अभियान मुख्यालय श्रीनगर में एस एस पी श्रीनगर ने स्वयं सभी कार्मिकों को इस योजना के बारे में बताया। दिनांक 23 मार्च, 2008 को अंततः लक्ष्यगत मकान का घेराव किया गया। इस पर आतंकवादी उस मकान से तेजी से बाहर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी और ग्रेनेड फेंकने शुरु कर दिए और भारी गोलीबारी की आड़ में घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। इस गोलीबारी में सार्जे. कांस्टेबल बशीर अहमद सं. 2678/एस, कां. इरशाद अहमद, कां. मोहम्मद कबीर और 122 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक कांस्टेबल शाम सिंह मारा गया। यह वारदात करने के बाद आतंकवादी आस-पास के खेतों में भागने में सफल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक सज्जाद अहमद शाह, निरीक्षक मुस्ताक अहमद, उप-निरीक्षक आर पी सिंह और कांस्टेबल मोहम्मद जौन, सार्जेंट कांस्टेबल अबू रशीद एन, कांस्टेबल तनवीर अहमद, शोएब रियाज, सरफराज खां और एस पी ओ इफ्तिखार अहमद से युक्त एक दल ने भाग रहे उग्रवादियों का पूरी ताकत के साथ पीछा किया। मकान से कुछ दूरी तक उनका पूरी ताकत से पीछा करने के बाद आतंकवादी ने महसूस किया कि वह फंस गया है। उस आतंकवादी ने नाले के एक तरफ बने भारी तटबंध पर मोर्चा संभाला। उस आतंकवादी ने पीछा कर रहे दल पर भारी गोलीबारी करनी और ग्रेनेड फैंकने शुरु कर दिए। पीछा कर रहे दल ने आतंकवादी को दो तरफ से घेर लिया। पुलिस उपाधीक्षक सज्जाद अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद जॉन ने एक तरफ से चट्टान के पीछे मोर्चा संभाला और दूसरे दल ने जिसमें निरीक्षक मुस्ताक अहमद और उप-निरीक्षक आर पी सिंह ने निकटवर्ती छज्जे पर मोर्चा संभाला और आतंकवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी। निरीक्षक और उप-निरीक्षक आर पी सिंह की कारगर गोलीबारी से उग्रवादी घायल हो गया। वह आतंकवादी दीवार के दूसरी तरफ कूदा और पुलिस उपाधीक्षक सज्जाद अहमद शाह पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी ताकि वह घेरा तोड़ कर वहां से बच कर भाग सके। पुलिस उपाधीक्षक सज्जाद अहमद ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अपने मोर्चे से बाहर आ गए तथा उस निश्चिंत आतंकवादी को देख लिया। पुलिस उपाधीक्षक सज्जाद अहमद शाह ने कांस्टेबल मोहम्मद जॉन के साथ बिल्कुल नजदीक से उस उग्रवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी जो स्वयं भी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। निरीक्षक मुस्ताक अहमद और उप-निरीक्षक आर पी सिंह ने पुलिस उपाधीक्षक सज्जाद अहमद शाह को प्रभावी कवरिंग फायरिंग दी जिसके फलस्वरुप अबू फैजल, प्रभागीय कमांडर मध्य कश्मीर मारा गया। उस आतंकवादी पर बहुत नजदीक से गोली चलाए जाने के कारण उसे मारा गया। मारे गए आतंकवादी से 01 ए के एल राइफल, 01 ए के मैग्जीन, 13 (जीवित) ए के राउंद, 03 नग ग्रेनेड, 01 पाउच, 2 मैट्रिक्स, 01 पहचान पत्र और 01 डायरी बरामद की गई। इस संबंध में पुलिस स्टेशन निजीन, श्रीनगर में आर पी सी की धारा 302, 307, आई.ए. अधिनियम की धारा 7/27 के तहत प्राथमिकी सं. 24/2008 के रूप में मामला दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सज्जाद अहमद साह, पुलिस उपाधीक्षक, मुस्ताक अहमद, निरीक्षक, आर.पी. सिंह, उप-निरीक्षक, जन मोहम्मद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.03.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 139-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री तन्वीर अहमद,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मंडूरा निवासी अब्दुल अहद भट्ट के मकान में एक एच एम आतंकवादी, जो इस क्षेत्र में आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था, की मौजूदगी/उसके छिपे होने के संबंध में अवंतीपोरा पुलिस को विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर आतंकवादी को पकड़ने और उस गांव का घेराव करने के लिए पुलिस, सेना और सी आर पी एफ का एक संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनाई गई। तलाशी के दौरान अब्दुल अहद भट्ट के मकान में छिपे शौकत अहमद डार उर्फ सलीम खॉ पुत्र मोहम्मद सुल्तान डार निवासी ओवरीगंड नामक आतंकवादी ने तलाशी दल पर ग्रेनेड फेंके और अपने अवैध हथियारों से भारी मात्रा में गोलीबारी की जिससे सेना का एक अधिकारी और एक लांस नायक घायल हो गए। इस मकान में उक्त आतंकवादी ने पूरे परिवार को बंधक बनाया हुआ था। उक्त मकान में परिवार के लोग होने के कारण पुलिस जबाबी गोलीबारी नहीं कर पा रही थी। पुलिस/सेना/सी आर पी एफ की पूरी टीम इस बात पर चर्चा कर रही थी कि उक्त मकान में बंधक बनाए गए लोगों को वहां से कैसे बाहर निकाला जाए। तथापि, उप-निरीक्षक तन्वीर अहमद ने अपने बहुमूल्य जीवन की परवाह नहीं की और ये किसी तरह उक्त मकान के अंदर जाने में सफल हो गए। पुलिस को अपनी मौजूदगी/अपने जीवित रहने के बारे में बताने के लिए आतंकवादी समय-समय पर गोलीबारी कर रहा था। उप-निरीक्षक तन्वीर अहमद उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और इन्होंने यह पता लगया कि वह आतंकवादी किस कमरे से गोलीबारी कर रहा है। इसलिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर और उक्त मकान में मौजूद लोगों का जीवन बचाने के लिए आतंकवादी पर हमला करने तथा उसे मार गिराने के उद्देश्य से ये दो से तीन घंटे तक उक्त मकान में रास्ता देखने के लिए रहे। अंततः इन्होंने आतंकवादी को देख लिया और अपनी सर्विस पिस्तौल से गोली मार दी और उक्त मकान से परिवार के सभी लोगों को मुक्त कर दिया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलीबारूद बरामद किया गया:-

1.	राइफल एके	01
2.	मैग्जीन एके	04(03 क्षतिग्रस्त)
3.	गोलीबारूद एके	30 राउंड
4.	डिटोनेटर	02 नग

इस संबंध में पुलिस स्टेशन त्राल में आर पी सी की धारा 307, ए. अधिनियम की धारा 7/27 के तहत प्राथमिकी सं0 62/07 के रूप में एक मामला दर्ज है। यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि उक्त आतंकवादी, त्राल क्षेत्र में सिविलियनों की हत्या करने, सुरक्षा बलों पर हमले करने में संलिप्त था और इसने लोगों में भय का वातावरण बनाया हुआ

था। उप-निरीक्षक तन्वीर अहमद ने जिस प्रकार बहादुरी का परिचय दिया उससे न केवल आतंकवादी मारा गया बल्कि मकान से परिवार के निर्दोष लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इस मुठभेड़ में श्री तन्वीर अहमद, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.07.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 140-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री गुलाम जिलानी वानी,
पुलिस उपाधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 को, असदुल्ला खान, पुत्र-अबदुल्ला खान, निवासी-वातरीना बांदीपुरा के मकान में आतंकवादियों के उपस्थित होने से संबंधित विशिष्ट जानकारी मिलने पर, श्री गुलाम जिलानी वानी, पुलिस उपाधीक्षक (सब-डिवीजनल पुलिस ऑफिसर बांदीपुरा) ओर उनके साथी ग्राम वातरीना (बांदीपुरा) की ओर कूच कर गए और संदिग्ध मकान को घेर लिया। जब मकान को चारों तरफ से घेरा जा रहा था, तब श्री गुलाम जिलानी वानी, पुलिस उपाधीक्षक और उनके साथ चल रही छोटीटुकड़ी लक्षित मकान के निकट चली गई और मकान में छुपे हुए आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जो निरर्थक साबित हुआ क्योंकि आतंकवादियों ने पुलिस उपाधीक्षक और उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। बुद्धिमता और नेतृत्व की अद्भूत मिसाल प्रस्तुत करते हुए, अपने दल के नेतृत्व वाला अधिकारी तीव्रता से मकान की ओर बढ़ा और दिवार के पीछे मोर्चा संभालकर जवाबी गोलीबारी से आतंकवादियों को उलझाए रखा। आतंकवादियों ने निरन्तर गोलीबारी को जारी रखते हुए पुलिस दल पर श्रृँखलाबद्ध हथगोले भी फेंके। निरन्तर गोलीबारी के दौरान श्री गुलाम जिलानी वानी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए अपने साथियों के साथ एक कमरे की ओर चले गए जहाँ से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे और दो आतंकवादियों को मार गिराने में सफल हो गए। मुठभेड़ स्थल पर अत्यन्त संवदेनशील स्थिति होने के बावजूद गुलाम जिलानी द्वारा दिखाए गए

अदम्य साहस एवं अत्यधिक बहादुरी तथा उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण पुलिस दल में किसी के हताहत हुए बिना दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जाना संभव हुआ। मारे गए आतंकवादियों की पहचान जमित-उल-मुजाहिद्दीन आतंकवादी दल के पाकिस्तान निवासी अबु हमजा उर्फ जुल्फिकार उर्फ शकीर तथा लश्कर-ए-तैयाबा आतंकवादी दल के पुँछ निवासी फजारत हुसैन शाह के रूप में की गयी। ऑपरेशन में बरामद किए गए असलों में दो एके-47 राइफलें, चार एके मैगजीन, एके बारूद के ग्यारह चक्र और तीन चहचान पत्र शामिल हैं। इस घटना के लिए पुलिस थाना बांदीपुरा में मामला 307 आर पी सी 7/27 ए एक्ट की धारा के अन्तर्गत एफ आई आर 183/2007 के तहत दर्ज है। इन आतंकवादियों का मारा जाना जम्मू व कश्मीर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कई आपराधिक मामलों में उन दोनों की तलाश थी। वास्तव में अबु हमजा जमित-उल-मुजाहिद्दीन आतंकवादी दल का स्वयंभू जिला कमाण्डर था और उसे "ए" श्रेणी के आतंकवादी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। वह बांदीपुर क्षेत्र में काफी लम्बे समय से सक्रिय था और नागरिकों की हत्या तथा सुरक्षा बलों पर हमले जैसे विभिन्न जघन्य अपराधों मं संलिप्त था। उसका मारा जाना न केवल जमित-उल-मुजाहिद्दीन आतंकवादी दल के लिए वरन् अन्य आतंकवादी दलों के लिए भी एक भारी क्षति है।

इस मुठभेड़ में श्री गुलाम जिलानी वानी, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 11 अक्तूबर, 2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 141-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शहजाद अहमद सलारिया
   पुलिस उपाधीक्षक
2. शेराज अहमद खान
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27 जुलाई, 2008 को सुरीगाम लोलाब क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों के उपस्थित होने से संबंधित कुपवाड़ा पुलिस द्वारा प्राप्त की गई विशिष्ट जानकारी के आधार पर, कुपवाड़ा पुलिस द्वारा एक कार्रवाई शुरू की गई थी। श्री शहजाद अहमद सलारिया, पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस घटक कुपवाड़ा) के कमाण्ड में कार्रवाई दल जैसे ही घटना स्थल पर पहुँचा, क्षेत्र में छुपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस उपाधीक्षक एवं उनके साथियों पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी का तीव्रता से जवाब दिया गया जिससे भयंकर गोलीबारी का आदान-प्रदान होने लगा, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा दल के बटालियन कमाण्डर "अब्दुल्ला" के रूप में पहचान किए गए एक विदेशी आतंकवादी को मार दिया गया, परन्तु उसके कुछ सहयोगी घटनास्थल से भागने में सफल हो गए। उल्लेखनीय है कि एक निश्चित समायान्तराल के बाद, श्री शहजाद अहमद सलारिया, पुलिस उपाधीक्षक तथा उनके साथियों द्वारा प्रथम गोलीबारी के दौरान बच निकले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कार्रवाई फिर से शुरू की गई थी और घेरेबंदी तथा तलाशी अभियान को पुन: चालू किया गया था, जिसमें 9 पारा टुकड़ियों की अतिरिक्त सेना भी कुपवाड़ा के एस ओ जी कार्मिकों के साथ शामिल हो गई थी। वह स्थान जहाँ आतंकवादी छुपे हुए थे एक घना जंगल है और आतंकवादियों को वहाँ ढूढ पाने की कार्रवाई एक अत्यन्त कठिन कार्य था, परन्तु श्री शहजाद अहमद खान, पुलिस उपाधीक्षक एवं उनके कांस्टेबल श्री शेराज अहमद द्वारा किए गए अथक प्रयासों से आतंकवादियों को ढूढ लिया गया था परन्तु उन्हें देख लिए जाने पर आतंकवादियों ने निरन्तर गोलबारी शुरू कर दी। श्री शहजाद अहमद सलारिया, पुलिस उपाधीक्षक ने जब यह समझा कि वह स्थान कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों को हानि पहुँचाने के लिए तथा उस स्थान से भाग जाने का मौका पाने के लिए आतंकवादियों हेतु अत्यन्त लाभकारी है,

अधिकारी ने अपनी बुद्धिमता का प्रयोग किया और जहाँ पर आतंकवादी छुपे थे वहाँ पर अपने साथियों को तीव्रता से फैला दिया जिससे कठिन घेरा सुनिश्चित किया जा सके। आतंकवादियों के चारों ओर कठिन घेरा डालने के बाद ही आतंकवादियों की जवाबी गोलीबारी को दबाने के लिए तथा कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को किसी तरह की क्षति से बचाने के लिए चारों तरफ से प्रभावी ढ़ंग से जवाबी गोलीबारी शुरू की गई थी। भयंकर गोलीबारी के दौरान श्री शहजाद अहमद सलारिया, पुलिस उपाधीक्षक ने श्री शेराज अहमद, कांस्टेबल की सहायता से आतंकवादियों को दबोचने के लिए उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वे आतंकवादियों की ओर बढ़ रहे थे तब आतंकवादियों ने पुलिस उपाधीक्षक एवं उनके साथियों पर हथगोले बरसाना शुरू कर दिया और भयंकर गोलीबारी भी करते रहे। परन्तु आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद श्री शहजाद अहमद सलारिया, पुलिस उपाधीक्षक एवं श्री शेराज अहमद, कांस्टेबल ने भारी गोलीबारी के बीच ही साहस के साथ, अत्यन्त सहचारिता का प्रदर्शन करते हुए तथा अपनी कुशल तकनीकों का प्रयोग कर सुभेद्य स्थानों से जवाबी गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों की ओर आगे बढ़ना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप जे ई एम आउटफिट के अबु बकार उर्फ इकबाल उर्फ रिजवान नामक एक और आतंकवादी को ढ़ेर कर दिया गया। बहादुरीपूर्ण कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई थी:-

ए के -47 राईफल-1, ए के 47 मैगजीन-6, ए के-47 बारूद-183 चक्र, आर/एस आई कम.-1 (क्षतिग्रस्त), हथगोला-1(क्षतिग्रस्त),यू बी जी एल-1, यूबी जी एल ग्रेनेड-5 (स्थल पर नष्ट कर दिया गया), पाऊच-2, पिस्तौल तोकासर 7.62 एम एम-1, मैगजीन पिस्तौल-1 और 7.62 एम एम एम्यूनिशन-8 चक्र।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री शहजाद अहमद सलारिया, पुलिस उपाधीक्षक और शेराज अहमद खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27.07.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 142-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद युसूफ,
पुलिस उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 19.8.2007 को, कोविपुड़ा महमा बिजवेहड़ा के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के उपस्थित होने से संबंधित एस एस पी अनंतनाग द्वारा प्रदत्त विशिष्ट जानकारी के आधार पर, डिप्टी एस पी, एस ओ जी अनंतनाग के पर्यवेक्षण में पुलिस उप निरीक्षक मो युसूफ के नेतृत्व में एक दल ने उक्त क्षेत्र को घेर लिया। तलाशी के दौरान, आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस दल ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु उन्होंने दल पर गोलीबारी जारी रखी। पुलिस दल ने पेशेवर तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना जवाबी कार्रवाई की, घटना स्थल पर ही वघामा बिजवेहड़ा निवासी ग० कादिर दास के पुत्र फैयाज अहमद दास उर्फ जुबैर नामक "ए" श्रेणी के खूंखार आतंकवादी को मार गिराया तथा 'सी' श्रेणी के वघामा बिजवेहड़ा निवासी हबिबुल्ला दास के पुत्र फैयाज अहमद दास उर्फ जमशीद नामक उसी दल के दूसरे आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में पुलिस उप निरीक्षक मोहम्मद युसूफ की वीरतापूर्ण कार्रवाई अद्वितीय थी और घटनास्थल पर ही आम नागरिक द्वारा सराही गयी क्योंकि कोई क्षति या हताहत नहीं हुआ था। हालांकि उक्त अधिकारी गोलीबारी में जख्मी हो गया था। इस अधिकारी एवं दल ने अपनी सेवा राइफल यथा ए के-47 तथा पिस्तौल से क्रमश: एके-47 की 105 चक्र और 09 मि.मी. की 30 चक्र गोलीबारी की । निम्नलिखित मात्रा में हथियारों की बरामदगी की गयी थी:-

1) ए के राइफल -1
2) मैगजीन -2
3) ए के बारूद -80 चक्र
4) यू बी जी एल -1

इस मुठभेड़ में श्री मेहम्मद युसूफ, पुलिस उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19/08/2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 143-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. शेख जुनैद मेहमूद,
   पुलिस अपर अधीक्षक
2. परम वीर सिंह,
   पुलिस उपाधीक्षक
3. मोहम्मद शफीक,
   निरीक्षक
4. राकेश अकरम,
   निरीक्षक
5. मंजूर अहमद,
   उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 8 नवम्बर, 2007 को लगभग 1415 बजे पुलिस की वर्दी में दो हथियार बंद आतंकवादियों ने उत्तर कश्मीर के बारामूल जिला में मेन चौक सोपोर पर सी आर पी एफ सैनिक तथा पुलिस के एक संयुक्त गश्त दल पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी और सी आर पी एफ के एक सिपाही को घायल कर दिया। इसके तुरन्त बाद दोनों आतंकवादी नजदीक के न्यू लाईट होटल सोपोर नामक चार तल्ला होटल परिसर में घुस गए और लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। सी आर पी एफ एवं सेना के साथ पुलिस ने आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी तथा हथगोलों की बरसात के बीच उस होटल को घेर लिया जहाँ बड़ी संख्या में मेहमान ठहरे हुए थे और कई नागरिक अपना भोजन ले रहे थे। चूंकि सौ से अधिक नागरिक चार तल्ला परिसर में फंस गए थे,इसलिए पुलिस अपर अधीक्षक बारामूला श्री शेख जुनैद मेहमूद और निरीक्षक मोहम्मद शफीक सं० 4500/ एन जी ओ (एसएचओ पुलिस थाना सोपोर) तथा उप निरीक्षक मंजूर अहमद सं० 7848/एनजीओ ने अपने साथियों को एकत्रित किया और पीछे के एक दरवाजे से होटल में दाखिल हो गए तथा नागरिकों को बाहर निकलने का मौका प्रदान किया। जब तीनों अधिकारी उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही बुलेट प्रूफ बंकर पर हो रही भयंकर गोलीबारी के बावजूद अत्यन्त कर्मठता एवं सावधानी बरतते हुए नागरिकों के निकलने

की व्यवस्था कर रहे थे, श्री शेख जूनैद मेहमूद (पुलिस अपर अधीक्षक, बारामूला) अपनी बुलेट प्रूफ बंकर वाहन को मुख्य द्वार की ओर ले गए तथा अपने साथियों के साथ गोलीबारी जारी रखी तथा आतंकवादियों को भूमि तल को खाली कर ऊपर की ओर दूसरी और तीसरी मंजिल पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। 1800 बजे तक श्री शेख जुनैद मेहमूद (पुलिस ऊपर अधीक्षक, बारामूला), निरीक्षक मोहम्मद शफीक सं० 4500/ एन जी ओ तथा उप निरीक्षक मंजूर अहमद सं० 7848/ एन जी ओ ने अपने साथियों के साथ मिलकर नागरिकों को होटल से सफलतापूर्वक निकाल लिया और एस ओ जी श्रीनगर से अतिरिक्त सेन्यबल लेकर होटल के चारों ओर सघन घेरा भी डाल दिया। जब आई जीपी कश्मीर/ आई जी सी आर पी एफ/डी आई जी उत्तर कश्मीर कार्रवाई के अगले चरण के लिए रात्रिकालीन तैंनाती को समन्वित कर रहे थे, आतंकवादियों में से एक ने उनके वाहन पर हथगोला फेंक दिया, जिसके बाद तीसरे तल पर छुपे आतंकवादियों एवं नीचे खड़े दल के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो गयी । अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना, श्री शेख जुनैद मोहमूद निरीक्षक मोहम्मद शफीक तथा उप निरीक्षक मंजूर अहमद के साथ गोलीबारी के बीच ही भवन के पिछवाड़े चले गए और छुपे हुए आतंकवादियों को व्यस्त रखा। समस्त रात्रिकालीन तैनाती बलों ने दोनों आतंकवादियों को संभावित गोलीबारी में व्यस्त रखा और उन्हें भवन से बाहर आने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। 9 नवम्बर, 2007 की सुबह में गोलीबारी जारी रही और श्री शेख जुनैद मेहमूद तथा पुलिस अपर अधीक्षक (ऑपरेशन) श्रीनगर ने एस ओ जी एवं सी आर पी एफ के सोलह सैनिकों के एक छोटे दल को लेकर साथ वाले भवन से होटल के चौथे तल पर घुसने की योजना बनाई। इस दल के प्रथम दो सैनिकों ने जैसे ही चौथे तल में प्रवेश किया, चौथे तल की ओर आने वाली सीढ़ियों में छुपे आतंकवादी ने इस दल पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी जिससे सिपाही ओम सिंह 556/आई आर 8वीं (एस ओ जी कार्गो) गंभीर रूप से घायल हो गया और वे तीसरे तल पर भाग गए। घायल को बचाने और वहाँ से निकालने का कार्य डिप्टी एस पी परम वीर सिंह (एस ओ जी श्रीनगर) तथा निरीक्षक राकेश अकरम सं० 4377/एन जी ओ द्वारा बहादुरी एवं साहसपूर्वक किया गया था जबकि आतंकवादियों द्वारा तीसरे तल से लकड़ी की छत में गोलीबारी की जा रही थी। जब दिन ढ़ल रहा था और रात होने वाली थी, रात्रि वर्चस्व/दीपन के लिए तैयार दूसरी क्रमिक रात्रि में भी जारी रही। इस कार्रवाई को तीसरे दिन की सुबह में उन कमरों पर भारी गोलीबारी करते हुए जारी रखी गयी जिनमें आतंकवादी छुपे हुए थे और भवन में घुसने की योजना को श्री डी पी उपाडी, कमाण्डेंट सी आर पी एफ तथा श्री शेख जुनैद मेहमूद के प्रभार में एस ओ जी श्रीनगर I सोपोर तथा सी आर पी एफ के सैन्य बलों के साथ चौथे तल में प्रवेश करते हुए पूरा किया गया। दोपहर तक, चौथे तल पर डिप्टी एस पी परम वीर सिंह के प्रभार में एस ओ जी श्रीनगर के सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तीसरे तल पर श्री डी.पी. उपाडी, कमाण्डेंट सी आर पी एफ, निरीक्षक राकेश अकरम सं. 4377/एन जी ओ के प्रभार में एस ओ जी श्रीनगर के सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था तथा श्री शेख जुनैद मेहमूद ने सी आर पी एफ एवं एस ओ जी के सैन्य बलों को दूसरे तल पर भारी गोलीबारी करने में लगा दिया जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी सीढ़ियों से भूमि तल की ओर नीचे चले गए जिन्हें बाहर से नहीं घेरा जा सकता था क्योंकि सीढ़ियाँ परिसर के अंदर थी। जल्दी ही सी आर पी एफ एवं एस

ओ जी दलों ने दूसरे एवं प्रथम तल पर कब्जा कर लिया और भूमि तल की ओर कूच कर गए। जेसे ही डिप्टी एस पी परम वीर (एस ओ जी श्रीनगर) तथा निरीक्षक राकेश अकरम सं. 4377/एन जी ओ के नेतृत्व में दल सीढ़ियों के आधार तक पहुँचें, सीढ़ी के नीचे छुपे आतंकवादियों में से एक ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और भवन के पीछवाड़े भागने की कोशिश की परन्तु उसे ढ़ेर कर दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान, सिपाही मजिद हुसैन, जे आर 7 ई एच वटा० (एस ओ जी सोपोर के साथ संबद्ध) धमाकें से जख्मी हो गया। दूसरा आतंकवादी किसी तरह से भूमि तल के कोने वाले कमरे में भागने में सफल हो गया और उसने गोलीबारी जारी रखी। कार्रवाई तीसरी रात भी जारी रही और घेरे को बनाए रखने के लिए सारी रात सैनिक तैनात रहे। कार्रवाई के चौथे दिन सुबह, निरीक्षक मोहम्मद शफीक अपने सिपाहियों को उस कमरे के नजदीक ले गया जिसमें आतंकवादी छुपा हुआ था और वहाँ आतंकवादी द्वारा भारी गोलीबारी की जा रही थी। अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए तथा अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना, निरीक्षक मोहम्मद शफीक अपने सिपाहियों के साथ और नजदीक चला गया और आतंकवादी पर गोलीबारी करते हुए उसे ढ़ेर कर दिया। सम्पूर्ण कार्रवाई में, दो आतंकवादी मारे गए, जिनकी बाद में अबु तैहा जंबाज मुमताजुल्लाह निवासी तहसील पेपलान जिला मीनावाली पाकिस्तान तथा अबु उसामा जीशन कासिम निवासी तहसील एवं जिला लेह एन डब्ल्यू एफ पी पाकिस्तान के रूप में पहचान की गयी। साथ ही, 02ए के राइफलें, 02 ए के मैगजीनें और 17 ए के चक्र मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए। इस घटना के लिए मामला पुलिस थाना सोपोर में एफ आई आर सं० 350/2007 धारा 307, 302 आर पी सी, 7/27 ए एक्ट के अन्तर्गत दर्ज है। इस कार्रवाई के दौरान, जो तीन रातों और चार दिनों तक चली तथा जो उत्तर कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी कार्रवाईयों में अलग प्रकृति की थी, उपरवर्णित आधिकारियों एवं सैनिकों ने अत्यधिक सहनशीलता के साथ-साथ दृढ़ संकल्प एव साहस का परिचय दिया जिससे कि जानमाल की समानान्तर क्षति को कम किया जा सके।

इस मुठभेड़ में सव श्री शेख जुनैद मेहमूद, पुलिस अपर अधीक्षक, परमवीर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मोहम्मद शफीक, निरीक्षक, राकेश अकरम, निरीक्षक तथा मंजूर अहमद, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08/11/2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 144-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अमरनाथ,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 05.10.2006 को, ए सी कन्हैया सिंह और एस आई अमरनाथ के नेतृत्व में सी आर पी एफ का एक दल विशेष अभियान 'जेबरा' में लगा हुआ था। जब सैन्य बल बड़वाडीह, हेतरकाला और पाल्हे में गश्त लगाने के बाद रांका पुलिस थाना अन्तर्गत रनपुरा गांव के टोला बेसरी में पहुँचा तो शाम में लगभग 0545 बजे नक्सलियों ने सैन्य बल पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने अपना परिचय देते हुए नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु नक्सलियों ने दल पर गोलीबारी जारी रखी। कोई विकल्प न मिलने पर ए सी कन्हैया सिंह और एस आई अमरनाथ ने सैन्य बल को मोर्चा संभालने तथा नियंत्रित गोलीबारी करने के लिए निर्देश दिया किया। चूँकि वह बाजार का दिन था और कई नागरिक मुठभेड़ स्थल के नजदीक आवाजाही कर रहे थे, तो पुलिस को अत्याधिक चौकन्ना रहना पड़ा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जवाबी गोलीबारी में नागरिक मारे जाएं। यह मुठभेड़ लगभग 30 मिनट तक चली। अपने आपको कमजोर स्थिति में पाकर नक्सलियों ने गोलीबारी जारी रखते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। पुलिस दल ए सी कन्हैया सिंह तथा एस आई अमरनाथ के मार्गदर्शन में लगभग 300 मीटर आगे बढ़ा जहाँ उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद नक्सली अन्य नक्सलियों को बचाने में सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस पर निरन्तर गोलीबारी कर रहे थे। एस आई अमरनाथ और ए सी कन्हैया सिंह एवं अन्य ने भी नक्सलियों पर गोलीबारी जारी रखी। छापामार दल और आगे बढ़ा जहाँ उन्होंने वर्दी में एक नक्सली के मृत शरीर को पाया और उसके पास एक एस एल आर पड़ा हुआ था। उन्होंने पुनः खतरे की दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया परन्तु अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल हो गए। उन्होंने घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तथा मुठभेड़ स्थल पर डेरा जमा दिया क्योंकि क्षेत्र में घात लगाए जाने की संभावना थी। मध्यरात्रि में लगभग 12 बज नक्सली फिर से एकत्रित हुए और पुनः गोलीबारी शुरू कर दी। छापामार दल ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। गोलीबारी 2 बजे तक जारी रही। अतिरिक्त सेना रात में लगभग 0330 बजे आई। चूँकि वहाँ पर बारूदी सुरंगों के बिछे होने एवं नकसलियों की ओर से गोलीबारी किए जाने की संभावना थी, इसलिए छापामार दल सुबह में ही क्षेत्र में तलाशी कर सका जहाँ उन्होंने जब्ती सूची में वर्णित सामानों को जब्त किया।

इस घटना में एस आई अमरनाथ तथा ए सी कन्हैया सिंह, सी आर पी एफ की तरफ से अति विशिष्ट नेतृत्व तथा साहस का परिचय दिया गया, उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर सैन्य बल का नेतृत्व किया और न केवल अपनी सुरक्षा की तथा अपने अस्त्र-शस्त्रों को सुरक्षित रखा वरन् ऐसी कठिन परिस्थिति में नियंत्रित गोलीबारी को भी सुनिश्चित किया जिससे कई निर्दोष नागरिको की जान भी बचाई जा सकी।

इस मुठभेड़ में श्री अमरनाथ, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 05.10.2006 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 145-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. गिरीश पाण्डेय,
   निरीक्षक
2. बशिष्ठ नारायण सिंह,
   उप निरीक्षक
3. प्राण रंजन कुमार,
   उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को एक गोपनीय सूचना मिली कि 40-50 सदस्यों वाला सी पी आई (माओवादी) का एक हथियारबंद दल गया जिले के चोपारण पुलिस थाना क्षेत्र और फतेहपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में उपस्थित हैं तथा ग्रामीणों को आतंकित कर भारी धन उगाही कर रहे हैं। एस पी श्री प्रवीण कुमार ने चौपारण प्रभारी तथा सी आई बड़ही के माध्यम से इसकी पुष्टि करवाई और तत्काल सतर्कतापूर्वक नियोजित एक छापे/कार्रवाई का आयोजन किया। एस पी ने उस स्थान की ओर जाने वाले क्षेत्र के तराई से संबंधित समस्त जानकारी पर सी आई बड़हि गिरीश पाण्डेय, चौपारण, प्रभारी एस आई बी. एन. सिंह, बड़ही प्रभारी एस आई प्राण रंजन कुमार के साथ-साथ असिस्टेंट कमाण्डेट श्री एस.एन. सिंह 72 "जी" कम्पनी, सी आर पी एफ के साथ चर्चा की। पुलिस बल की गतिविधि की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि रेल से यात्रा की जाए और उस स्थान पर हजारी बाग-गया की सीमाओं से लगे वन क्षेत्र से होकर पैदल जाया जाए। योजना के अनुसार, एस पी और सी आइ बड़ही का उनका दल, प्रभारी चौंपारण, प्रभारी बड़ही, सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमाण्डेंट एस.एन. सिंह, सी आर पी एफ के 40 जवानों तथा डी ए पी के लगभग 10 जवानों के साथ रात के अंधेरे में जादू ग्राम रेलवे स्टेशन से पैदल अंबातारी गांव की ओर गए। अंबातारी के वन क्षेत्र के नजदीक पहुँचने के बाद, प्रभारी चोपारण को एक गोपनीय जानकारी मिली कि माओवादियों का हथियारबंद दल परस्तरी गांव में था जो बारा घाट की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। अभूतपूर्व साहस के साथ पुलिस कर्मियों ने उपरोक्त अधिकारियों के सक्षम एव बहादुरी पूर्ण नेतृतव में दो दलों में विस्तारित कतार बनाकर लक्ष्य की ओर बढ़ने की रणनीति बनाई।

प्रथम दल का नेतृत्व एस. पी हजारीबाग ने स्वयं किया जिसमें उनके साथ सी आई बड़ही, सी आर पी एफ का एक प्लाटून और एस. पी के 4 अंगरक्षक थे। दूसरे दल का नेतृत्व जिला पुलिस के एस आई बी एन सिंह एवं एस आई प्राण रंजन कुमार तथा असिस्टेंट कमाण्डेंट सी आर पी एफ "जी" 72 श्री एस.एन. सिंह ने किया जिसमें उनके साथ सी आर पी एफ की एक प्लाटून और डी ए पी जवान थे। प्रथम दल ने कच्छ वन सड़क के अंत से आगे बढ़ना शुरू किया जबकि दूसरा दल कच्छ वन सड़क के पश्चिम से आगे बढ़ा। पारसतारी गांव की नदी से लगभग आधा कि.मी. पहले, जब पुलिस दल गांव की ओर बढ़ रहा था, तो रात में लगभग 0030 बजे उग्रवादी दल को पुलिस की उपस्थिति की भनक लग गई तथा उन्होंने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। प्रत्येक पुलिस कर्मी अत्यन्त सतर्क थे और सभी ने तुरन्त नजदीकी उपलब्ध स्थान पर शरण ले ली। स्वयं एस पी के निर्देशन पर प्रथम दल और दूसरे दल ने जवाबी गोलीबारी की और हमले को नाकाम करना शुरू कर दिया। चूँकि सम्पूर्ण पुलिस दल उपयुक्त कवर में नहीं था और उग्रवादियों का एक दल पहाड़ी के ऊपर भी था, इसलिए समपूर्ण छापामार दल की जान अत्यधिक खतरे में थी। उग्रवादियों ने न केवल छोटी-छोटी चट्टानों के पीछे शरण ले रखी थी वरन् लगातार गोलीबारी भी कर रहे थे। गोलीबारी काफी तेज थी और घने जंगल के बीच से की जा रही थी कि पुलिस दल के लिए आगे बढ़ पाना लगभग असंभव जैसा था। सी आर पी एफ के आक्रमण खण्ड के 4 जवानों के साथ असिस्टेंट कमाण्डेट एस.एन. सिंह और एस आई प्राण रंजन कुमार तथा एस आई बी.एन सिंह के नेतृत्व में दूसरा दल रेंगते हुए छोटे कवर/चट्टान की ओर बढ़ा जहाँ से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे। गोलीबारी काफी तेज थी और पुलिस अधिकारी उग्रवादियों की गोलीबारी से इस बात से हतप्रभ थे कि अंधकारपूर्ण रात्रि में भी उन्हें कैसे दिखाई दे रहा था । सी आई बड़ही तथा अपने दल के सदस्यों के साथ एस पी पहाड़ के ऊपर पहुँच गए और उन उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी जो ऊपर बैठे हुए थे। वे तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक उग्रवादी पहाड़ को छोड़कर नीचे भाग नहीं गए और उनमें से कुछेक गोली से घायल भी हो गए। दूसरी तरफ एस आई बी.एन. सिंह, प्राण रंजन कुमार, असिस्टेंट कमाण्डेंट एस.एन. सिंह तथा आक्रमण खण्ड के जवान गोली चला रहे उग्रवादियों के नजदीक जाने लगे और उग्रवादियों को अपना लक्ष्य बना लिया, जबकि पीछे की तरफ के दल ने एस पी के निर्देशन के अनुसार रोशनी के लिए पारा बम छोड दिया। उसी समय पुलिस/सीआर पी एफ की तरफ से भी उस दिशा में एच.ई. बम बरसाए गए जहाँ पर पारा बम की रोशनी में उग्रवादियों को छुपा हुआ पाया गया था। एक समय पर पुलिस पक्ष की स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि वे घिर गए थे और मुठभेड़ के समय पुलिस दल ने पाया कि वे बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में हैं क्योंकि उग्रवादियों को ऊँचाई एव घने वन की ओंट का लाभ प्राप्त था। उग्रवादियों की तरफ से गोलीबारी धीमी पड़ने लगी। यह भगवान की दया ही थी कि गोलीबारी के दौरान गोली लगने से कोई पुलिस कर्मी हताहत नहीं हुआ। यह मात्र सी आई गिरीश पाण्डेय, एस आई बी.एन. सिंह, एस आई प्राण रंजन कुमार, सी आर पी एफ के अत्यन्त समर्पित अधिकारियों का बेहतर नेतृत्व, अदम्य साहस, शांत, नियोजित और बुद्धिमतापूर्ण कार्रवाई की शैली का नतीजा था कि उन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ हमले का जवाब दिया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया तथा नक्सली पक्ष का भारी नुकसान करते हुए उन्हें पीछे हटने को मजबूर

कर दिया । दिन के समय क्षेत्र में व्यापक खोजबीन की गई। क्षेत्र की खोजबीन के दौरान घातक हथियारों एवं हथगोलों के साथ हरे कपड़े में हार्ड कोर फ्लैग (सी पी आई माओवादी) उग्रवादियों के चार मृतक शरीर पाए गए। उस मुठभेड़ स्थल पर कुल 10 अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए थे:-

(i)7.62 रेगुलर एस एल आर (लातेहार जिला में सी आर पी एफ से लूटा गया)-01 (ii) 5.56 इन्सास रेगुलर राइफल- 01 (iii) .303 मार्क iv रेगुलर स्टेनगन -01 (iv) तीन हथगोले प्रत्येक का आकार ½ किलोग्राम विस्फोटक वाला, विभिन्न बोरों यथा 7.62, 5.56 .303, .02 बोर आदि के असलों की भारी संख्या, प्रत्येक मगध जोन की गतिविधियों से संबंधित जानकारी धन उगाहियों से संबंधित माओवादी गतिविधियाँ आदि। मृत उग्रवादियों की पहचान ग्रामीणों द्वारा (i)ठेकेदार यादव, ग्राम-सलैया, पुलिस थाना-मोहनपुर, जिला-गया (ii) सुधेश्वर मांझी, पुत्र-शिव नन्दा मांझी, ग्राम- भगवानपुर, पुलिस थाना-मोहनपुर (iii) जनक पासी, ग्राम-मनहोना, पुलिस थाना-फतेहपुर सभी गया जिला से और (iv) सुनि भूइया, पुत्र-महावीर भूइया, ग्राम-सिरनाटाड़, पुलिस थाना- दिरदल्ला, जिला-नवादा (सभी बिहार राज्य के) के रूप में की गयी। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी दी और बाद में खुफिया जानकारी से पता चला कि लगभग 6 और नक्सली मारे गए हैं तथा कई अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके मृत शरीर नक्सलियों द्वारा ले लाए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री गिरीश पाण्डेय, निरीक्षक, बशिष्ठ नारायण सिंह, उप निरीक्षक और प्राण रंजन कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.03.2006 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 146-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. चंचल शेखर
   पुलिस अधीक्षक
2. वीरेन्द्र सिंह
   अपर पुलिस अधीक्षक
3. बी.एस. परिहार
   निरीक्षक
4. बी.पी.एस परिहार
   निरीक्षक
5. अजय कैथवास
   निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

धार में रंग पंचमी त्यौहार के अति संवदेनशील साम्प्रदायिक मामले को निपटाने में जब पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर अपने अधिकारियों एव जवानों के साथ व्यस्त थे, तब जोनल आई जी पी श्री अनिल कुमार तथा रेंज डी आई जी श्री वी. मधु कुमार से निर्देशन प्राप्त करने के बाद जिला धार के पितमपुर क्षेत्र में कुछ सिमी उपद्रवियों की गतिविधि के बारे में जिला धार के पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी 26.03.2008 को प्राप्त की गयी थी। परन्तु सिमी उपद्रवियों की सक्रियता और राज्य में कानून एवं व्यवस्था पर उनका प्रभाव कुछ ऐसा था कि एस पी चंचल शेखर ने एक मौका लिया और संवदेनशील कार्यों पर तैनात कुछ अधिकारियों को वापिस बुलाकर जानकारी पर कार्रवाई करने के लिए दलों का गठन किया। जानकारी यह थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति संभवत: सिमी के सदस्यगण पितमपुर में सिल्वर ओक फैक्टरी के पास वाले क्षेत्र में स्थानीय लोगों की गुप्त बैठक कर रहे थे। संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस बल को पितमपुर जाना था और इस कार्य को पूरा करने के लिए तीन दल गठित किए गए थे। ए एस पी विरेन्द्र सिंह/ की सी एस पी सुनिल मेहता, पितमपुर, श्री बी पी एस परिहार, एस एच ओ पितमपुर, धार (म.प्र.), निरीक्षक अजय कैथवास, एस एच ओ तिरला धार (म.प्र.)

और श्री बी. एस. परिहार, एस एच ओ धमनोद धार (म.प्र) के साथ पार्टी गठित की गयी और एस पी द्वारा कार्रवाई की महत्ता तथा सिमी की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, पार्टी योजना पर कार्य करने के लिए पितमपुर चल पड़ी। प्रथम पार्टी का नेतृत्व श्री वीरेन्द्र सिंह अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुनील मेहता, सी एस पी पितमपुर, धार (म.प्र.) तथा निरीक्षक अजय कैथवास, एस एच ओ तिरला, धार (म.प्र.) के साथ किया गया था। दूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री बी.एस. परिहार, एस एच ओ धमनोद, धार (म.प्र) द्वारा किया गया था। समस्त तीनों पार्टियों ने उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पूर्ण नियोजित प्लान पर कार्य किया। संयोगवश कोई भी पार्टी वहां पर उपद्रवियों की किसी तरह की गतिविधि का पता नहीं लगा पाई। परन्तु तलाशी लेने पर उन्होंने संवदेनशील साहित्य तथा अन्य दस्तावेजों को जब्त किया जिससे पता चला कि कुछ संदिग्ध तत्वों ने वहाँ कोई बैठक की है और कुछ समय पहले ही वहाँ से गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर कुछ मुखबिरों को उपद्रवियों की जानकारी हासिल करने के लिए आगे भेजा गया। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को पुष्ट किया गया तथा पता चला कि कुछ सिमी उपद्रवी जफ्फार खान नामक बेकरी मालिक के मकान में श्याम नगर में ठहरे हुए थे। यह एक तीन तल्ला मकान है। उपरोक्त जानकारी को अत्यन्त गोपनीय तरीके से पुष्ट किया गया और फिर एक सतर्क योजना बनाई गई जिसमें समय एवं छापे के तरीके पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि यह अत्यन्त सघन मुस्लिम-बहुल इलाका था। रात के दरम्यान भी यह क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से व्यस्त रहता है। यदि गोलीबारी भी की जाती तो इससे जान एवं माल की क्षति हो सकती थी। पार्टियाँ निरन्तर पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर के सम्पर्क में थीं, जो समग्र कार्रवाई का पर्यवेक्षण एवं समन्वय कर रहे थे। ए एस पी वीरेन्द्र सिंह और सी एम पी पितमपुर सुनील मेहता नागरिकों के वेश में श्याम नगर इंदौर (म.प्र) पहुँच गए और सम्पूर्ण क्षेत्र की गतिविधि संदिग्ध जहाँ छुपे हुए थे उस मकान की, भौगोलिक स्थिति की तथा क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद एस पी द्वारा दलों को संक्षिप्त जानकारी दी गयी। रात में लगभग 2.0 बजे तीनों दलों को घटनास्थल से लगभग 2 कि.मी. दूर रखते हुए, तीनों दलों के प्रमुख घटनास्थल पर पहुँच गए और उन्हें उस भवन की तीसरी मंजिल दिखाई जिसमें संदिग्ध छुपे हुए थे। कमरे में बत्ती जल रही थी, जबकि क्षेत्र के सभी घरों में बत्ती बुझी हुई थी क्योंकि लोग सो चुके थे। दल प्रमुखों को उनकी स्थितियों के बारे में बताया गया । योजना को पूर्ण गोपनीय रखा गया था जिसके कि उपद्रवियों को पुलिस की उपस्थिति की जरा भी भनक न लगे। क्षेत्र से लौटने के बाद तीनों दलों के समस्त सदस्यों को योजना की जानकारी दी गयी। उन्हें एस पी द्वारा उनके कार्यों के बारे में तथा कार्रवाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निर्देश दिए गए। यह जानकारी दी गयी थी कि उपद्रवियों के पास विभिन्न प्रकार के परिष्कृत एवं अत्याधुनिक हथियार तथा अत्यन्त विध्वंसक विस्फोटक हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दलों के सदस्यों को बुलेट प्रूफ जैकेट और स्वचालित हथियारों से सज्जित किया गया जिससे कि कोई अप्रिय घटना न हो। दल के सदस्यों को कठोर हिदायत दी गयी कि अति की स्थिति में ही गोलीबारी करें जहाँ जान की हानि शामिल हो। योजना के प्रभावी निष्पादन के लिए पहले से बनाए गए तीनों दलों को उनसे संबंधित कार्य सौंप दिए गए थे। पहले दल को श्री वीरेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला धार (म.प्र) के नेतृत्व में श्री

सुनील मेहता, सी एस पी, पीतमपुर, जिला धार (म.प्र) और निरीक्षक अजय कैथवास, एस.एस. ओ. तिरला, जिला धार (म.प्र) के साथ उपद्रवियों पर हमला करने एवं पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। दूसरे दल को श्री बी. एस. परिहार, एस.एच.ओ, धमनोद, जिला धार (म.प्र.) के नेतृत्व में मुख्य दल की सहायता करने तथा मकान को सामने से कवर करने के लिए कहा गया। तीसरे दल को श्री बी.पी एस. परिहार, एस.एच ओ. पितमपुर, जिला धार (म.प्र) के नेतृत्व में मकान के पिछले हिस्से को कवर करने के लिए कहा गया जिससे कि मकान के पिछवाड़े से कोई उपद्रवी भाग न सके। इस योजना पर कार्य करते हुए, प्रथम दल चुपके से कमरे की तरफ गया जहाँ उपद्रवी छुपे हुए थे उन्होंने कमरे को चारों तरफ से घेर लिया और सभी तरह की जोखिम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शांतिपूर्वक और तत्परता से दरवाजे को खोला। दल द्वारा बुद्धिमतापूर्वक और चालाकी से डिजाइन किए गए हमले से उपद्रवियों को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला कि वहाँ क्या हो रहा है। जब तक वे कुछ समझ पाते, उससे पहले उन सभी को पकड़ कर हिरासत में ले लिया गया था। उनमें से अधिकांश हथियारों से लैस थे। यदि उन्हें क्षणिक समय भी मिलता तो वे निश्चित रूप से हमला करते और कुछ पुलिसकर्मी मारे जाते। सफदर नागौरी, हाफिज हुसैन, आमिल परवाज, शिबाली, कमरूद्दीन, शदुली, यासीन, कामरान अंसार, पुनेज, शमिउल्ला, खालहीद अहमद, अहमद बेग सहित समस्त उपद्रवियों को लैस स्वचालित पिस्तौलों के साथ घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह पुलिस की पूर्णरूपेण कारगर और पुख्ता कार्रवाई थी कि उग्रवादियों को अपनी स्थिति सुधारने का मौका ही नहीं मिला अन्यथा कई पुलिसकर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठते। यदि उन्हें जरा भी मौका मिलता तो भारी नुकसान पहुँचा सकते थे। इस बात की पुष्टि सफदर नागौरी के बयान से हुई थी कि यदि उन्हें 30 सेकेण्ड भी मिलते तो पुलिस बल का स्वागत बुलेट के साथ किया जाता और वे अपनी जान रहने तक लड़ते। उपरवर्णित मकान से तेरह उपद्रवी गिरफ्तार किए गए जिनमें से कुछ देश के सिमी संगठन के उच्च श्रेणी के आतंकवादी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में निम्न शामिल थे:-

1. सफदर नागौरी, पूर्व अखिल भारतीय महासचिव सिमी, भारत में सिमी का प्रमुख,
2. कमरूद्दीन नागौरी, सिमी का राज्य प्रमुख, मध्य प्रदेश।
3. हाफिज हुसैन उर्फ अदनान, सिमी का राज्य प्रमुख, कर्नाटक राज्य
4. आमिल परवाज, सिमी की केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य और बिहार एवं झारखण्ड राज्य का राज्य प्रमुख
5. शिबाली, सिमी की केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य और दक्षिणी जोन का प्रमुख
6. शादुली, केरल,
7. यासीन गुलबर्गा, कर्नाटक
8. कामरान खंडवा, कर्नाटक
9. अंसार, केरल
10. मुन्नोज बेलगाँव, महाराष्ट्र
11. शमीउल्लाह, कर्नाटक

12. खालिद अहमद, महाराष्ट्र
13. अहमद बेग, कर्नाटक

सभी सिमी के कोर ग्रुप के सदस्य हैं।

सिमी से छापे में की गई निम्न जब्ती से उनके विध्वंसक योजना की घातक जानकारी मिली:-

1. सात पिस्तौल (माऊजर),39 चक्र
2. 39 चक्र
3. 13 मास्क
4. 23 सर्जिकल ग्लब्स, फर्स्ट एड बॉक्स
5. 9 मोबाइल फोन
6. 45500/रूपए नगद तथा 25 लाख रूपए मूल्य का एक चैक
7. प्रतिबंधित साहित्य
8. प्रशिक्षण तालिका एवं प्रशिक्षण साहित्य
9. 2 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, अतिरिक्त हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव, 22 सी डी
10. कोरल कैम्प से 122 जिलेटिन स्टीक तथा 100 डेटोनेटर

पुलिस बल ने योजना को काफी बहादुरी तथा साहसपूर्ण ढंग से अंजाम दिया। एक बूँद खून भी बहाए बिना उन्होंने समस्त उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया । यह लचीलेपन, बहादुरी, दलगत भावना और दक्षता का एक अतुलनीय उदाहरण है। यदि इन दुर्दान्त आतंकवादियों को नहीं पकड़ा जाता, तो यह देश की अखण्डता के लिए एक बड़ा खतरा होता। यदि उन्हें मार भी दिया जाता तो भी यह उतना सहायक नहीं हो पाता। उपद्रवियों से हासिल हुई जानकारी से पता चला कि उनके प्रशिक्षण शिविर कोरल, जिला खड़गाँव, उज्जैन में चलाए जा रहे हैं और कर्नाटक, केरल तथा गुजरात राज्य के इलाके में दहशत फैलाने के लिए कई राज्यों में उनकी तलाश थी। आतंकवादियों की जाँच के बाद उनके द्वारा कोरल में बताए गए प्रशिक्षण के ब्यौरे के आधार पर भवन की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विस्फोटक, 122 जिलेटिन स्टीक तथा 100 डेटोनेटरों की बरामदगी की गयी। जाँच के बाद यह पुष्टि हुई कि प्रशिक्षण शिविरों में हथियार उपलब्ध कराए जाते थे और युवाओं को हथियार एवं विस्फोटक इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ पर बम बनाने वाले विस्फोटक भी जब्त किए गए। यदि इन्हें नहीं रोका जाता तो ये शिविर सैकड़ों आतंकवादी पैदा करते जो देश की स्थिरता एव अखण्डता के लिए खतरा पैदा करते। पुलिस अधिकारियों द्वारा उपद्रवियों की पहचान पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, आदि जैसे विभिन्न राज्यों के नागरिकों के रूप में की गयी। इस जानकारी के आधार पर कई सिमी उपद्रवियों को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था। धार पुलिस (म.प्र) की इस सफल कार्रवाई के साथ देशभर में सिमी की विध्वंसक गतिविधियों को रोका जा सकता है। जिन आतंकवादियों का नार्को टेस्ट किया गया, उनसे देशभर में संगठन की कई समाज विरोधी गतिविधियों तथा लश्कर-ए-

तैयबा एवं हुजी जैसे विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ उनके सम्पर्कों का खुलासा हुआ। इस अभियान को सफल बनाने के लिए किसी पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। समस्त पुलिसकर्मियों एव अधिकारियों ने बहादुरी का परिचय दिया और अपने देश एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने गोलीबारी एवं हिंसा की समस्त संभावनाओं के बावजूद कार्य किया। यह जानकारी मिलने पर भी कि उपद्रवियों के पास हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध हैं, उन्होंने अपनी तरफ से हथियारों का प्रयोग न करने का भरसक प्रयत्न किया। यह अभियान सिमी के विरूद्ध था, जिस संगठन का सक्रिय नेटवर्क देश के कई हिस्सों में है।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री चंचल शेखर, पुलिस अधीक्षक, वीरेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, बी. एस. परिहार, निरीक्षक, बी.पी.एस परिहार, निरीक्षक तथा अजय कैथवास, निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27/03/2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 147-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. श्रीमती अनुराधा शंकर
   उप महानिरीक्षक
2. अनन्त कुमार सिंह,
   पुलिस अधीक्षक
3. डा. गिरिजा किशोर पाठक,
   अपर पुलिस अधीक्षक
4. राजेश सिंह भदौरिया,
   पुलिस उप मंडलीय अधिकारी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 10.01.2007 की रात्रि में, श्रीमती अनुराधा शंकर, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति, जो नक्सली हो सकते हैं, सतनामी नगर, पिलानी, भोपाल में हथियार की एक फैक्टरी चला रहे थे। स्त्रोत से यह भी पता चला कि उक्त फैक्टरी में घातक हथियार, उनके कलपुर्जे और विस्फोटक सामग्री भी बनाई जा रही थी। इन घातक सामग्रियों को नक्सलियों के पास राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए तथा निर्दोष नागरिकों एवं सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर उन्हें मारने के लिए भेजे जाने की संभावना थी। केवल एक सुराग मिला था कि हनुमान मंदिर के पास भास्कर इंजिनियरिंग वर्क्स नामक फैक्टरी है और दी गयी जानकारी अत्यन्त अस्पष्ट थी। जानकारी का सत्यापन करने के लिए श्रीमती अनुराधा शंकर, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल, श्री अनन्त कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, भोपाल, हैड कांस्टेबल पप्पु कटियार और मुखबिर के साथ रात्रि में लगभग 10.00 बजे उक्त क्षेत्र की ओर चल पड़ीं। वे सारी रात बिना आराम किए चलते रहे और अन्ततः कुछ जिम्मेदार नागरिकों की सहायता से लक्ष्य को ढूंढ लिया। तब यह आवश्यक हो गया था कि एक नियोजित तरीके से छापा मारा जाए। अतः श्रीमती अनुराधा शंकर, डी आई जी पुलिस, भोपाल रेंज, भोपाल, श्री अनन्त कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, भोपाल के साथ 11.1.2007 की सुबह पिपलानी पुलिस थाना पहुँच गईं और उक्त हथियार फैक्टरी पर छापा मारने की योजना

बनाई। उन्होंने सैन्य बल को एकत्रित किया, तीन पार्टियाँ बनाई और उन्हें संक्षिप्त ब्यौरा दिया। प्रथम पार्टी में श्रीमती अनुराधा शंकर, डी आई जी पुलिस, भोपाल रेंज, भोपाल, श्री अनन्त कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा और अन्य शामिल थे। यही वही पार्टी थी जिसने पिछली रात्रि के दौरान लक्ष्य का पता लगाया था। अन्य दो पार्टियाँ "नाकाबंदी" पार्टियाँ थीं। प्रथम नाकाबंदी पार्टी का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक जी.के. पाठक तथा दूसरी छोटी नाकाबंदी का नेतृत्व एस डी ओ पी राजेश सिंह भदौरिया ने किया। तीनों पार्टियाँ 11.1.2007 को सुबह 9.00 बजे पिपलानी पुलिस थाना से रवाना हुईं और उक्त स्थल पर पहुँचकर अपना संबंधित मोर्चा संभाल लिया। सुबह लगभग 10.30 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति साइकिल पर फैक्टरी जा रहा था जिसने मुख्य छापा दल और इसकी मुखिया श्रीमती अनुराधा शंकर, डी आई जी को देख लिया और जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो उसने तुरन्त अपनी साइकिल मोड़ी और भागने की कोशिश की। डी आई जी श्रीमती अनुराधा शंकर, एस पी अनन्त कुमार सिंह और उप-निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा उसका पीछा किया गया। नाकाबंदी पार्टियों को तुरन्त सावधान किया गया जिसने अन्य दो तरफ से आगे बढ़ना शुरु कर दिया। यह देखकर संदिग्ध व्यक्ति गली में दुकान सं. 4 की तरफ भाग गया। परन्तु उसे तुरन्त मुख्य छापा दल द्वारा घेर लिया गया। जब उसने एक दीवार फांदने की कोशिश की तो उप-निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने अपने पैर से उसे दबोच लिया। संदिग्ध ने उप-निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा पर छलांग लगा दी, उसका सर्विस रिवाल्वर निकाल लिया और तुरन्त दल पर गोली चला दी, परन्तु अनहोनी घटना को उप-निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा टाल दिया गया जिसने साथ ही साथ उसका हाथ दूसरी तरफ कर दिया। गोली श्रीमती अनुराधा शंकर, डी आई जी एवं श्री अनन्त कुमार सिंह, एस पी की बगल से निकल गई और वे बाल-बाल बच गए। चूंकि उप-निरीक्षक मिश्रा का रिवाल्वर एक चेन से बंधा था, अन्यथा वह व्यक्ति रिवाल्वर लेकर भाग जाता। तब तक नाकाबंदी पार्टियों के नेता जी.के. पाठक और राजेश सिंह भदौरिया भी मुख्य छापा दल के पास पहुँच गए। अधिकारियों ने तब अपनी जान की परवाह नहीं की जब वे एक तंग गली में घुसे। काफी परेशानी से विकट खतरे का सामना करे हुए चारों अधिकारियों ने संदिग्ध को काबू में कर लिया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया। यह सब इन अधिकारियों की अदम्य साहस एवं वीरता के कारण ही संभव हुआ। संदिग्ध ने मुख्य छापा दल को बताया कि उसका नाम दिवाकर उर्फ मधुकर था। अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली और दुकान नं. 4 की चाभी हासिल कर ली। यह विशेष दुकान भास्कर इंजिनियरींग वर्क्स थी। तलाशी के दौरान श्रीमती अनुराधा शंकर, डी आई जी भोपाल रेंज, भोपाल और श्री अनन्त कुमार सिंह, एस पी को मशीन आदि के अतिरिक्त 2 ईंच मोर्टारों के काफी सारे खोल, रिवाल्वरों के बैरल और कल पुर्जे तथा .303 राइफल मिले। इसके बाद सघन तलाशी ली गयी जिसके परिणामास्वरुप घातक हथियार, विस्फोटक, कल पुर्जे, माओवादी साहित्य और नकदी प्राप्त हुई तथा 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. चक्का कृष्ण उर्फ शेखर उर्फ चन्द्रशेखर उर्फ राम चन्दर, पुत्र वीराह, उम्र-47 वर्ष, निवासी – तेनाली एवं गुंटूर के बीच स्थित ग्राम काजिपेट, जिला – गुंटूर, सी पी आई

में सी टी सी मेम्बर तथा माओवादी गुट में एस सी एम (स्टेट कमिटी मेम्बर) रैंकधारी, जिसको पकड़वाने पर 10 लाख रुपए का ईनाम था।

2. येलवर्थी लीला कृष्ण उर्फ दिवाकर उर्फ रविन्द्रम उर्फ मधुकर, पुत्र – सत्यनारायण, उम्र – 35 वर्ष, निवासी कोथालुरु, स्वल्यापुरम, गुंटूर जिला, माओवादी दल में डी सी एस, जिसको पकड़वाने पर 5 लाख रुपए का ईनाम था।

3. रमेश सिद्धी उर्फ रामू उर्फ दुन्ना दांगी, पुत्र – आशीर्वादम, उम्र – 40 वर्ष निवासी – ब्रम्मनकोदुर, गुंटूर जिला का पोन्नुर मंडल, माओवादी दल में डी सी एम, जिसको पकड़वाने पर 3 लाख रुपए का ईनाम था।

4. गन्द्रकोटा पेन्ताइह उर्फ सतीश पाटिल उर्फ नारायण, पुत्र – कोमोरेयाह, उम्र- 57 वर्ष, निवासी – इंतिकाने, वारांगल जिला में केसमुद्रम, माओवादी दल में ए सी एस, जिसको पकड़वाने पर 2 लाख रुपए का ईनाम था।

5. लंजुपल्ली रानी उर्फ सुनीता, पुत्री – पेराइह, उम्र – 25 वर्ष, निवासी – जुलापल्ली, पिदुगुरल्ला, गुंटूर जिला, माओवादी दल में ए सी एस, जिसको पकड़वाने पर 2 लाख रुपए का ईनाम था।

हथियार फैक्टरी सी पी आई (माओवादी) के नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही थी। इस फैक्टरी में बनाए गए सामान को देश के विभिन्न प्रान्तों में उनके काडरों को भेजा जाता था। ये गिरफ्तार नक्सली अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति के हैं और उनके संगठनों में उनकी स्थिति भी राष्ट्रीय स्तर की है। संदिग्ध दिवाकर की गिरफ्तारी के दौरान, जब उसने उप-निरीक्षक मिश्रा की रिवाल्वर पर हाथ डाला और उससे गोली चलाई, श्रीमती अनुराधा शंकर, डी आई जी पुलिस, भोपाल रेंज, भोपाल और श्री अनन्त कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, भोपाल बाल-बाल बच गए, परन्तु अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अत्यधिक बहादुरी, अतुलनीय नेतृत्व, अत्यन्त साहस, तीव्र निर्णय एवं कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया जब वे नक्सली दिवाकर एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करते समय प्रतिकूल एवं खतरनाक परिस्थितियों में कार्रवाई कर रहे थे। इस सम्पूर्ण कार्रवाई में एक बात महत्वपूर्ण थी कि दी गयी जानकारी विवरणात्मक थी परन्तु वास्तविक नहीं थी। फिर भी विलक्षणता का परिचय देते हुए डी आई जी एवं एस पी ने लक्ष्य को ढूंढने में काफी मेहनत की, जिसके लिए उन्हें आई.बी. की तरफ से उच्च सम्मान से नवाजा गया था। इसके बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि लक्ष्य एक हथियार फैक्टरी थी जिसे माओवादी दल के खतरनाक काडरों द्वारा चलाया जा रहा था। जान-माल की सुरक्षा संदेहनीय थी। इस बात ने इन अधिकारियों को बिल्कुल भी विचलित नहीं किया। वास्तव में डी आई जी एवं एस पी स्तर के अधिकारियों ने सामने से कार्रवाई का नेतृत्व किया जिससे बल को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अन्ततः और विशेष रूप से चक्का कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद उसके शब्दों को उद्धृत करना उचित होगा कि "सर, हमारी फैक्टरी को बरबाद कर आपने हमारी रीढ़ तोड़ दी है। हमें कम से कम 20 वर्ष पीछे धकेल दिया गया है।" कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित हथियारों की बरामदगी की गयी थी:-

(क) हथियार

1. 9 मि.मी. कार्बाइन मैगजीन के साथ -१
2. 51 मि.मी. मोर्टार (बैरल-10, लीवर-4, फायरिंग पिन-13)
3. आर पी जी 7 रॉकेट लाऊन्चर (बैरल-04)
4. 0.38 रिवाल्वर (सेंट्रल रॉड-55, बट्ट-06, बॉडी-06)

(ख) गोला-बारुद

1. एच.ई. बम के पुर्जे (51 मि.मी. मोर्टार)
2. विभिन्न बोरों के कार्टरिज

(ग) पुर्जे/डाई

1. 0.303 रिवाल्वर, पिस्तौल, एस एल आर, एल एम जी के पुर्जे
2. हथियारों एवं गोला-बारुद के विभिन्न हिस्सों की डाई

(घ): विस्फोटक

1. गन पाऊडर
2. प्रोपेलेन्ट
3. डेटोनेटर

(ड.) मशीन एवं औजार/उपकरण

1. लेथ मशीन-1, माऊल्डिंग प्रेस मशीन-1, ग्राईंडिंग मशीन-1, मिलिंग मशीन-1
2. विभिन्न मापों को नापने के लिए मापक यंत्र

(च): नकदी

1. 11,86,500/-रुपए

(छ) साहित्य

1. हथियारों एवं गोला-बारुदों की शोध एवं निर्माण से संबंधित पुस्तकें।
2. नक्सलवाद से संबंधित पुस्तकें।
3. हथियारों/गोला-बारुदों तथा संबंधित हिस्सों से संबंधित आरेखण।
4. सी टी सी (सेंट्रल टेक्नीकल कमिटी) की समस्त बैठक का कार्यवृत्त।

(ज) कम्प्यूटर आदि

1. लैपटॉप-01

2. प्रिंटर-01
3. सी डी, फ्लॉपी, कैसेट (हथियारों एवं गोला-बारुदों तथा नक्सली विचारधारा से संबंधित)

इस मुठभेड़ में श्रीमती अनुराधा शंकर, उप महानिरीक्षक, सर्व/श्री अनन्त कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, डॉ. गिरिजा किशोर पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा राजेश सिंह भदौरिया, पुलिस उप मंडलीय अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 11.01. 2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 148-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. श्री जयदीप प्रसाद,
   पुलिस अधीक्षक
2. श्री रामेशवर सिंह यादव,
   पुलिस उप मंडलीय अधिकारी

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

01.03.2005 की मध्य रात्रि में श्री जयदीप प्रसाद को जानकारी मिली कि डाकू गिरोह के सरगना हजरत रावत को 5-6 हथियारबंद डाकुओं के साथ जिला शिवपुरी से पुलिस थाना भीतरवार के क्षेत्र में घुसने तथा एक सड़क पुल के ऊपर से गोहिन्दा ग्राम में नाला पार करने की संभावना है। श्री जयदीप प्रसाद पुलिस थाना भीतरवार पहुँचे, पुलिस थाना से सैनिकों को एकत्रित किया और पुलिस दल को दो हिस्सों में बाँट दिया। उन्होंने सूचना के बारे में सिपाहियों एवं अधिकारियों को संक्षिप्त जानकारी दी तथा उन्हें गोहिन्दा नाला की तरफ ले गए। श्री जयदीप प्रसाद ने नाला पर पुनः सिपाहियों को समझाया और घात लगाकर बैठ गए। प्रथम दल, जिसमें एस पी श्री जयदीप प्रसाद, एस डी ओ पी श्री आर.एस. यादव, एस एच ओ भीतरवार, एस आई श्री ए.पी. गोस्वामी और कांस्टेबल श्री राम लखन शामिल थे, को गोहिन्दा नाला पुल की बाँई तरफ तैनात कर दिया गया। दूसरे दल, जिसमें एस आई श्री उदय भान सिंह, विनोद छबई, कांस्टेबल अमर सिंह और कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह शामिल थे, को पुल की दाँई तरफ तैनात कर दिया गया। दोनों दल रात भर अंधेरे में सावधानीपूर्वक और धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे। लगभग 5 बजे तड़के जिला शिवपुरी के सिरोह तरफ से नाला की ओर बढ़ते हुए दो हेडलाईटों को देखा गया। जब यह नजदीक आया तो स्पष्ट दिखने लगा कि दो मोटरसाकिलें हैं जो सनाला से लगभग 50-60 फीट दूरी पर रुक गईं। उनमें से कुछेक मोटरसाइकिलों से उतर गए जबकि दोनों चालक बैठे रहे। दो डाकू सड़क की बाँई तरफ और दो दाँई तरफ उतर गए। दोनों तरफ से सड़क से 20-30 फीट की दूरी बनाते हुए सभी डाकू, जो गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, नाला की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने लगे। एस पी श्री जयदीप प्रसाद, जो पुल की बाँई तरफ प्रथम दल में थे, ने डाकुओं को अपनी पहचान बताने के लिए चुनौती दी। प्रत्युत्तर में अपना

परिचय देने की बजाय डाकुओं ने एस पी श्री जयदीप सिंह एवं उसके दल पर लगातार गोलीबारी शुरु कर दी। श्री जयदीप प्रसाद बाल-बाल बच गए क्योंकि एक गोली उनके सिर के पास से निकल गई। एस डी ओ पी आर.एस. यादव भी इस अप्रत्याशित गोलीबारी से बाल बाल बच गए क्योंकि एक गोली उनके बांयी कान को छूती हुई निकल गई। एस.पी. श्री जयदीप प्रसादने डाकुओं को फिर से गोलीबारी बंद करने की चेतावनी दी और आत्मसमर्पण करने के लिए चुनौती दी परन्तु यह निरर्थक रहा। तभी दोनों मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी मोटरसाइकिलें मोड़ी और तेज गति से जिला शिवपुरी में सिहोर की ओर भाग गए। एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद ने अपनी पार्टी को उन डाकुओं की ओर बढ़ने के लिए कहा जिन्होंने सुरक्षित स्थिति बना रखी थी और काफी नजदीक से पहली पार्टी पर गोलीबारी कर रहे थे। एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद, एस डी ओ पी श्री आर.एस. यादव तथा उनके दल ने सुरक्षित डाकुओ की तरफ अपनी सुरक्षा में गोली चलानी शुरु कर दी। डाकुओं ने एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद तथा एस डी ओ पी श्री आर.एस. यादव पर निशाना साधकर गोली चलाई जो पूर्णतः खुले में थे। एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद ने जान की जोखिम उठाते हुए डाकुओं की ओर बढ़ना शुरु किया। विलक्षण नेतृत्व को देखते हुए एस डी ओ पी श्री आर.एस. यादव आगे बढ़ा और एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद के साथ जा मिला। दोनों अधिकारियों ने अदम्य वीरता, सतर्कता और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय देते हुए सुरक्षित डाकुओं पर अपनी ए के-47 राइफलों से नियंत्रित तरीके से जवाबी गोलीबारी की। दोनों तरफ से नजदीकी गोलीबारी के बीच एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद तथा एस डी ओ पी श्री आर.एस. यादव डाकुओं की ओर आगे बढ़ते रहे और दुर्दांत एवं खूंखार गिरोह सरगना हजरत रावत, पुत्र – कल्याण सिंह रावत, उम्र-38 वर्ष, निवासी – ग्राम छाता, थाना – जिगना, जिला – दतिया (मध्य प्रदेश) को मारने में सफल रहे जिसके ऊपर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 50,000/-रुपए का ईनाम था। 9 जीवित एवं 12 बोर डबल बैरल इंग्लिश गन के साथ-साथ 12 बोर के 9 जीवित एवं 15 खाली कारतूस और 315 बोर के 8 खाली कारतूस बरामद किए गए। ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया जिले के लोगों में भयंकर दहशत थी जिन्होंने इस तरह के खूंखार डाकू के मारे जाने के बाद भारी राहत महससू की। एस.पी. श्री जयदीप प्रसाद और एस डी ओ पी श्री आर.एस. यादव के नेतृत्व में इस बहादुरीपूर्ण कारनामे की नागरिक एवं मीडिया में जमकर तारीफ हुई। सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान, श्री जयदीप प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर ने अतुलनीय नेतृत्व क्षमता, कार्य के प्रति निष्ठा, अदम्य साहस तथा उच्च कोटि की वीरता का परिचय दिया जिसमें अपने कर्त्तव्य से आगे बढ़कर गंभीर संकट में भी अपनी जान को जोखिम में डाला। अदम्य साहस के साथ-साथ उनके उत्साहवर्धक नेतृत्व ने विपरीत परिस्थितियों में भी उनके साथियों का उत्साहवर्द्धन किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जयदीप प्रसाद, पुलिस अधीक्षक और रामेश्वर सिंह यादव, पुलिस उप मंडलीय अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.03.2005 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 149-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

	अधिकारियों के नाम और रैंक सर्व/श्री	
1.	वाई. ओकेन मीतेई, सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	एल. गोगो मीतेई, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	एल. रामेश्वर सिंह, हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4.	मो. फिरोज खान, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	थ. प्रेमचन्द्र सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	ए. अरुणाकुमार सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 1.7.2008 को दोपहर लगभग 3.30 बजे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि दस के करीब युवक अत्याधुनिक हथियारों के साथ नोंगमाइचिंग पहाड़ी के लफुपोक्पी क्षेत्र के आसपास आवारागर्दी कर रहे थे। इस विश्वस्त जानकारी के आधार पर, सब इंस्पेक्टर वाई. ओकेन मीतेई के नेतृत्व में इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमाण्डो तथा 32 असम राईफल्स के एक संयुक्त दल ने उपयुक्त योजना बनाकर सलाह मशविरा करने के बाद वे उक्त क्षेत्र की ओर बढ़ गए। लफुपोक्पी फुट हिल एरिया में पहुँचने के बाद, लगभग 100 मीटर की दूरी पर, संयुक्त दल ने टीलों के बीच में कुछ युवकों को देखा। युवकों को देखने के बाद, कमाण्डों एवं असम राईफल्स के सैनिकों ने अत्यन्त सावधानी से आगे बढ़ना शुरु किया। 10/15 मिनट तक पैदल चलने के बाद, संयुक्त दल पर विपरीत दिशा से भारी गोलीबारी होने लगी। तत्काल कमाण्डो एवं असम राईफलस के सैनिकों ने घनी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए और उबड़-खाबड़ जमीन पर लेटते हुए पहाड़ी क्षेत्र में मोर्चा ले लिया और जवाब देने लग गए। वहाँ भीषण मुठभेड़ शुरु हो गई।

मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर वाई, ओकेन मीतेई और राइफलमैन एल. अरुण कुमार को पहाड़ी की घनी झाड़ियों के पीछे उनमें से एक युवक की हलचल महसूस हुई। तत्काल वे दोनों उग्रवादी की ओर बढ़े। उग्रवादी जमीन पर लेट गया और फिर से गोलीबारी करने लगा। इस नाजुक स्थिति में, एस आई ओकेन तथा राइफलमेन अरुण कुमार दोनों ने दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवादी (भूरा टी-शर्ट एवं घना भूरा लाँग पैन्ट पहने हुए) पर प्रहार किया और अन्ततः उसे मारने में सफल रहे। मृतक की पहचान बाद में थोकचोम पितरु सिंह (21 वर्ष), पुत्र – स्वर्गीय थ. शामकिशोर सिंह, निवासी –गुलास्थोन, जिरिबाम के रूप में हुई। मृतक के पास से 16 जिंदा कारतूस, भरा हुआ एक ए के-47 राइफल, तीन लेथोड बम, ए के बारुद के 56 जिंदा कारतूस सहित एक बैग, एम-16 मैगजीन 4 और 3 पी इ के बरामद किए गए। वह कंगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) का हार्डकोर सदस्य था। तभी हैड कांस्टेबल एल. गोगो मीतेई तथा राइफलमैन मो. फिरोज की लगभग 50/60 मीटर की दूरी पर पहाड़ी के बिल्कुल किनारे एक बरगद के पेड़ के पास मुठभेड़ हुई। अकेला उग्रवादी बरगद के पेड़ के पीछे से लड़ रहा था जबकि दोनों कमाण्डो दो अलग-अलग दिशाओं से उस पर प्रहार कर उसे काबू में करने की भरसक कोशिश कर रहे थे। उग्रवादी के पास छोटे हथियार थे। हालांकि उसे आसानी से काबू नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसकी स्थिति अत्यन्त सुरक्षित थी। उसे आत्मसर्मपण करने के लिए चेतावनी दी गयी, परन्तु उसने चेतावनी की चिंता नहीं की और बरगद के पेड़ के पीछे से कमाण्डों की ओर गोलीबारी करता रहा। एक मौके पर जब उग्रवादी अपना स्थान परिवर्तन करना चाह रहा था, हैड कांस्टैबल एल. गोगो मीतेई और राइफलमैन मो. फिरोज ने दो अलग-अलग दिशाओं से उस पर हमला किया और उसे मार गिराया। मृतक के पास से 4 जिंदा कारतूस, भरा हुआ एक 9 मि.मी. पिस्तौल और 13 जिंदा कारतूस सहित एक बैग बरामद किया गया। मृतक की पहचान चिंगागबम बिजेन सिंह (19 वर्ष), पुत्र – स्वर्गीय च. इनाओबी सिंह, निवासी – यांबेम मायाई लेईकाई के रूप में की गई। वह कंगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) का एक हार्डकोर सदस्य था। पहाड़ी की तलहटी की उत्तरी दिशा में हवलदार एल. रामेश्वर सिंह और राइफलमैन थ. प्रेमचन्द्र सिंह कुछ उग्रवादियों के साथ बंदूक की लड़ाई में व्यस्त थे। असम राईफल्स के सैनिक भी लगभग 200 मीटर की दूरी से उन्हें कवर फायर प्रदान कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान, जब हवलदार एल. रामेश्वर सिंह और राइफलमैन थ. प्रेमचन्द्र सिंह भागते हुए उग्रवादियों का पीछा करने के लिए एक घाटी को पार कर रहे थे, तब एक उग्रवादी घनी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। वह झाड़ी के पीछे से कमाण्डो पर हमला करने की ताक में था। कमाण्डो को अपनी ओर आते देखकर उस युवक ने कमाण्डो पर गोलीबारी शुरु कर दी। हालांकि गोलियाँ नहीं लगीं। इस संकटपूर्ण स्थिति में, हवलदार रामेश्वर तथा राइफलमैन थ. प्रेमचन्द्र सिंह ने तुरन्त उस पर गोली चलाई और उसे मार गिराया। उसके पास से 2 जिंदा कारतूस भरा हुआ एक 9 मि.मी. पिस्तौल बरामद किया गया। मृतक उग्रवादी की पहचान चिगांगबम टोमपोक सिंह (20 वर्ष), पुत्र – च. सागर सिंह, निवासी – याइरीपोक यांबेम मायाइ लेईकाई के रूप में की गयी। वह कंगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) का हार्डकोर सदस्य था। यह मामला इरिलबंग पुलिस थाना में प्राथमिकी सं. 76(7)08 के तहत धारा 307/341 आई पी सी, 25(1-सी) ए. एक्ट तथा 5 एक्स. सब. एक्ट के अन्तर्गत दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री वाई. ओकेन मीतेई, सब इंस्पेकटर, एल. गोगो मीतेई, हैड कांस्टेबल, एल. रामेश्वर सिंह, हवलदार, मो. फिरोज खान, राइफलमैन, थ. प्रेमचंद सिंह, राइफलमैन और ए. अरुणकुमारसिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.07.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 150-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	बी. लुन्थांग वाइफेइ, सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	सैम्युल कामेई, राईफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	एल. रतन कुमार, सिपाही	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	मो. इस्लामुद्दीन, राईफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

19 मार्च 2008 को लगभग 2110 बजे, एक विश्वसनीय जानकारी मिली कि कंगलेई याओल कन्ना लूप उग्रवादी दल के लगभग 5 हथियारबंद उग्रवादियों, जो हायाइल हेंगून, मयांग इम्फाल में 17.03.2008 को 7 गैर-मणिपुरी नागरिकों की निर्मम हत्या करने के लिए जिम्मेवार हैं, को चरोइबुंग, मयांग इम्फाल क्षेत्र में देखा गया है और यह भी जानकारी मिली कि वे फिर से चरोइबुंग क्षेत्र में सुरक्षा बल पर हमला करने के उद्देश्य से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर, सी डी ओ/बिष्णुपुर यूनिट तथा सी डी ओ/इम्फाल वेस्ट यूनिट के एक संयुक्त दल को सी डी ओ/बिष्णुपुर के एस आई बी लुन्थांग वाइफेइ के कमाण्ड के तहत गठित किया गया था और संक्षिप्त विचार-विमर्श के बाद उग्रवादियों को पकड़ने के लिए उन्हें एक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कहा गया था। बदलती परिस्थितियों और आने वाली चुनौतियों पर निर्देशात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के लिए तथा मिश्रित कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस एवं घाटी के जिलों के कमाण्डो के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता थी। लगभग 2140 बजे चरोइबुंग पहुंचने पर दलों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एस आई एम. सुधीर कुमार, एस आई पी. संजय सिंह और जेम. थि. सुधीर सिंह के कमाण्ड में एक दल को 6 सैनिकों को कट-ऑफ पार्टी के रूप में चरोइबुंग गाँव की पूर्वी दिशा में मयांग इम्फाल अनिलोंथी क्रासिंग पर तैनात

किया गया था। जबकि एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ, एस आई शिमराय तथा जेम.डी. रॉबिन्सन के नेतृत्व में दूसरे दल को 6 सैनिकों के साथ लगभग एक किलोमीटर पश्चिम की ओर हेइबोंग मरवोंग की तरफ चरोइबुंग गाँव की दक्षिण पूर्व दिशा में चल पड़ा। जैसे ही एस.आई. बी. लुन्थांग वाइफेइ के नेतृत्व में दल चरोइबुंग – हेइबोंग मरवोंग की रोड – क्रॉसिंग पर पहुँचा, उन पर अचानक हेइबोंग मरवोंग की पश्चिमी दिशा से अत्याधुनिक हथियारों के साथ अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरु कर दी। तत्काल एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ और राईफलमैन सैम्युल कामेइ, जो निरन्तर पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे, बुलेट प्रूफ वाहन से उछल कर बाहर आ गए और सड़क के किनारे मोर्चा संभालकर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी ए के – 47 राइफल से पूरी तत्परता से उग्रवादियों पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी जबकि गोलियाँ उनके पास से भी निकल रही थीं। उग्रवादियों की तरफ से लगभग 10/15 मिनटों तक निरंतर गोलीबारी होती रही। हालांकि, एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ और राईफलमैन एस. कामेई ने बिना कवर के सड़क पर लेटकर उग्रवादियों की ओर गोलीबारी जारी रखी और उन्हें व्यस्त रखा। जबकि राईफलमैन मो. इस्लामुद्दीन और सिपाही एल. रतन कुमार, जो बिना किसी कवर के सड़क की ओर खुले में खड़े थे अपनी जान को जोखिम में डालकर उग्रवादियों की ओर से हो रही भारी गोलीबारी के बावजूद पश्चिमी दिशा से आगे बढ़े और एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ तथा राईफलमैन एस. कामेई को फायरिंग कवर प्रदान किया। उन्होंने अपने आपको बुरी तरह से मुठभेड़ में व्यस्त रखा और उग्रवादियों की ओर उनकी दक्ष गोलीबारी के कारण एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ तथा राईफलमैन एस. कामेई को उग्रवादियों की ओर नजदीक जाने और उन पर गोलीबारी करने का मौका मिल गया। एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ ने अपनी पेशेवर दक्षता एवं बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए उग्रवादियों की स्थिति का आकलन किया और गतिविधि पर नजर रखी। अचानक उन्हें दो हथियारबंद उग्रवादी दिख गए, जिनमें से एक के साथ में ए के-47 राइफल था और वे रात की धुंधली रोशनी में पुलिस दल पर गोली चलाने के लिए निशाना साध रहे थे। तत्परता से एस आई बी. लुन्थांग वाइफेइ और राईफलमैन एस. कामेई ने अपनी जान की कतई परवाह किए बिना दोनों उग्रवादियों पर उनके द्वारा पुलिस दल पर गोली चलाने से पहले लगातार गोलीबारी शुरु कर दी और उन्हें घटनास्थल पर ही मार गिराया। अन्य उग्रवादियों ने ऊँची झाड़ियों एवं अंधेरे का फायदा उठाकर लोकटक झील की तरफ हेइबोंग मरवोंग की पश्चिमी दिशा की ओर भागने में सफलता प्राप्त कर ली। सी डी ओ के दूसरे दल, जिन्हें अनिलोंगबी चौराहे पर कट-ऑफ के रूप में तैनात किया गया था, एस आई वाइफेइ ने वायरलेस सेट से सम्पर्क साधा और वे क्षेत्र की अगली तलाशी लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 5 मिनटों में हाजिर हो गए। लगभग 10/15 मिनटों के मुठभेड़ के बाद, पुलिस दल के साथ क्षेत्र की पूर्णरुपेण तलाशी ली गयी और पाया कि दो उग्रवादी कई गोलियाँ लगने से मारे जा चुके थे। साथ ही, दोनों मृतकों के पास मैगजीन में भरे हुए 9 जीवित कारतूसों के साथ ए के -47 राइफल और मैगजीन में भरे हुए 4 जीवित कारतूसों के साथ 9 मि.मी. पिस्तौल पाया गया था। बाद में मारे गए दोनों उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार हुई थी:-

(1) स्वयंभू सार्जेण्ट मेजर संजय उर्फ रॉबर्ट (35), पुत्र – एस. बिरमानी सिंह, निवासी –वाबागाइ मायाइ लेइकाई, के वाइ के एल का हार्डकोर कैडर ।

(2) स्वयंभू कॉरपोरल दत्ता सिंह (36), पुत्र – ई. मुदुत्सन सिंह, निवासी वाबागाइ कैथल माचा, के वाइ के एल का हार्डकोर कैडर।

यह मामला 307/34 आई पी सी एवं 25 (1-सी) ए. एक्ट के तहत प्राथमिकी सं. 37(3)08 एम आई-पी एस के रूप में दर्ज है। उपरोक्त के वाई के एल कैडर हएल हेंगून, मयांग इम्फाल में 17.03.2008 को जघन्य तरीके से 7 गैर-मणिपुरी नागरिकों को मारने में संलिप्त थे। मुठभेड़ में मारे गए दोनों उग्रवादियों के पास से निम्नलिखित असलों की बरामदगी की गयी :-

(i)	ए के-56 एसाल्ट राइफल	-	1
(ii)	ए के मैगजीन	-	1
(iii)	ए के जीवित कारतूस	-	9
(iv)	9 मि.मी. पिस्तौल	-	1
(v)	9 मि.मी. जीवित कारतूस	-	4
(vi)	9 मि.मी. मैगजीन	-	1

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री बी. लुन्थांग वाइफेइ, सब इंस्पेक्टर, सैम्युल कामेई, राईफलमैन, एल. रतन कुमार, सिपाही तथा मो. इस्लामुद्दीन, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.03.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 151-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी. अचौबा मीतेई, सब इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. खोनाइजम रिंगो सिंह, राइफलमैन (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. लिशम रतन सिंह, सिपाही (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

06.10.2007 को लगभग 1500 बजे, सब इंस्पेक्टर अचौबा मीतेई को टॉप खोंगनांगकाँग क्षेत्र में हथियारबंद आतंकवादियों के उपस्थित होने के बारे में विशिष्ट जानकारी मिली। जानकारी प्राप्त होने पर, सब इंस्पेक्टर पी. अचौबा मीतेई के नेतृत्व में कमाण्डो, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट तथा मेजर आर के शर्मा, पोस्ट कमाण्डर, 32 बटा. असम राइफल्स, चिंगा के नेतृत्व में और कर्नल दीपक कुमार, कमाण्डेंट 32 बटा. असम राइफल्स के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत 32वीं असम राइफल्स की एक टुकड़ी को मिलाकर तैयार किए गए संयुक्त दल ने एक कार्यात्मक योजना बनाई और लगभग 1530 बजे सावधानीपूर्वक क्षेत्र की ओर चल पड़े। क्षेत्र में पहुंचकर दल ने घेरा बनाकर तलाशी अभियान शुरु कर दिया। लगभग 1600 बजे, जब कार्रवाई चल रही थी, यह पता चला कि हथियारबंद आतंकवादी एक मोटरसाइकिल से नोंगमाइचिंग पहाड़ी की ओर चले गए। सब इंस्पेक्टर पी. अचौबी और उनके दल ने उनका पीछा किया तथा तत्काल नोंगमाइचिंग पहाड़ी की ओर कूच कर गए। शीघ्र ही असम राईफल्स के सैनिकों ने उनका अनुसरण किया। यह दल जैसे ही इको-टूरिज्म पार्क के पास नोंगमाइचिंग पहाड़ी की तलहटी के चौराहे पर पहुँचा, आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से उन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। सब इंस्पेक्टर अचौबा मीतेइ और उनके दल ने तुरन्त इसका जवाब दिया और सभी अर्थात सिपाही एल. रतन सिंह, सिपाही टी. जमालियन, सिपाही एस. रमेश, सिपाही मो. अब्दुर रहमान और राईफलमैन खो. रिंगो सिंह वाहन से कूदकर धान के खेत में लेट गए। वे मात्र धान के खेत के उठे हुए हिस्से से ही छुपे हुए थे। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी के साथ-साथ भूमि पर लगभग 4 मिनट तक लेटे रहने के बाद, सब इंस्पेक्टर अचौबा सिपाही रतन और राईफलमैन रिंगो के साथ थोड़ा उत्तर की ओर खिसके जिससे कि आतंकवादियों की स्थिति को ठीक से समझा जा सके। उन्हें 3 या 4 की संख्या में आतंकवादी लगभग 15/20 फीट की दूरी पर उनके स्थान से थोड़ा ऊपर तलहटी के ऊपर पेड़ों एवं घनी झाड़ियों के बीच छुपे हुए दिखे। अचानक आतंकवादियों ने फिर से गोलियों की बौछार की और गोलियाँ सब इंस्पेक्टर अचौबा मीतेई तथा राईफलमैन रिंगो सिंह के पास से निकलती चली गईं। तब सिपाही रतन सिंह को सब इंस्पेक्टर अचौबा द्वारा आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखने के लिए कहा गया, जबकि वे और

बंदूकधारी रिंगो सिंह दोनों सावधानीपूर्वक अपनी जान की परवाह किए बिना खुली गोलीबारी के बीच पहाड़ी की ओर रेंगते हुए चल पड़े। अचानक दो आतंकवादी अपनी लेटी हुई स्थिति से उठ खड़े हुए और पुलिस कर्मियों पर गोली बरसाने लगे, तभी सब इंस्पेक्टर अचौबा और राईफलमैन रिंगो सिंह ने आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की और उन दोनों को घटनास्थल पर ही ढ़ेर कर दिया। बांकी मुठभेड़ के दौरान घटनास्थल से भाग गए। मुठभेड़ लगभग 10-12 मिनटों तक चली। गोलीबारी रुकने के बाद क्षेत्र की पूर्णरुपेण तलाशी ली गयी और तलहटी के पास एक मृत शरीर मिला जिसके पास 5 जीवित कारतूसों के साथ एक मैगजीन से भरा हुआ 5ए 5647 नंबर का एक ए के-56 एसॉल्ट राइफल पड़ा मिला। इस युवक की पहचान बाद में मो. इकबाल अहमद (23), पुत्र एम वी खलील, निवासी लिलोंग यांग्बी लेइकेइ के रूप में की गयी। उसके पॉकेट से एक बटुआ मिला जिसमें एक ड्राईविंग लाइसेंस और 215.00 रुपए नकद मिला। आगे की तलाशी के दौरान, दूसरा मृतक मिला जिसके पास चार जीवित कारतूस से भरा हुआ यू एस ए निर्मित "ऑटोमेटिक पिस्टल" चिन्ह वाला 1110 नंबर का एक 9 मि.मी. पिस्तौल बरामद हुआ। उसके पॉकेट से पी यू एल एफ के कुछ भड़काऊ दस्तावेज, एक नोकिया मोबाइल हैंडसेट माडल नं. 1110 और 200.00 रुपए नकद बरामद हुए। मृतक की पहचान बाद में मो. कबीर उर्फ हेफा उर्फ बेलन, पुत्र मो. अजिजुर रहमान, निवासी लिलोंग लेइखाओखोंग, दल का प्रचार सचिव के रूप में की गई। घटनास्थल की और अधिक तलाशी लेने पर ए के बारुद के 5 खाली खोखे और लाईसेंस की प्रतिलिपि के साथ एम एन 03/0479 नंबर की एक मोटर साइकल बरामद हुई। इसे 25(1-सी) आर्म्स एक्ट के साथ पठित 307/34 आई पी सी धारा के अन्तर्गत प्राथमिकी सं. 227(10)07 प्रोम्पट पी एस के तहत दर्ज किया गया है। बेहतर स्थिति में छुपे हुए हथियारबंद आतंकवादियों की गोलीबारी से भारी एवं अचानक गोलीबारी के अन्तर्गत अपनी जान की परवाह किए बिना, सब इंस्पेक्टर पी. अचौबा मीतेई और राईफलमैन रिंगो सिंह ने पेशेवर ढ़ंग से बहादुरी एवं साहस के साथ उनका जवाब दिया, जिसके कारण पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पी यू एल एफ) संगठन के दो जिम्मेवार सदस्य मारे गए और 5 जीवित कारतूस के साथ 1 ए के राइफल तथा 4 जीवित कारतूस एवं खाली खोखों के साथ एक 9 मि.मी. पिस्तौल बरामद हुआ। यह सिपाही रतन सिंह द्वारा की गई सुरक्षात्मक गोलीबारी के कारण भी संभव हुई। यदि पुलिस अधिकारी और उनके सहयोगियों ने बहादुरी से जवाब नहीं दिया होता तो पुलिस कर्मियों, असम राईफल्स के सैनिकों तथा नागरिकों की जानें जा सकती थीं।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पी. अचौबा मीतेई, सब इंस्पेक्टर, खोनाइजम रिंगो सिंह, राईफलमैन और लिशम रतन सिंह, सिपाही ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 06.10.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 152-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. के. जयन्त सिंह, पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. एम. सुधीरकुमार मीतेइ, इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3. पी. संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4. एल. नरेन सिंह, राईफलमैन (वीरता के लिए पुलिस पदक)
5. मो. हसन अली, राईफलमैन (वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

08.09.2008 को लगभग 8.30 बजे रात में, जैसा कि पूर्व-नियोजित था, सब इंस्पेक्टर पी. संजय सिंह के नेतृत्व में कमाण्डो राईफलमैन मो. हसन अली के साथ सैन्य बल आक्रमण दल के रूप में कंट्री-बोट में निंगथाउरबोंग की तरफ से लोकतक झील में लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर एम. सुधीरकुमार मीतेई, कमाण्डो के प्रभारी राईफलमैन एल. नरेन सिंह के साथ, जैसा कि पूर्व-नियोजित था, सैन्य बल का नेतृत्व करते हुए ताउबुल की तरफ से लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनका मुख्य कार्य न केवल कट-ऑफ प्रदान करना था वरन् किसी भागते हुए भूमिगतों को बाधित भी करना था। यदि आवश्यकता पड़े तो, उसे उन भूमिगतों पर हमला भी करना था जिन्होंने उत्तरी दिशा में शिविर भी स्थापित कर रखे थे। श्री के. जयन्त सिंह कार्रवाई का समन्वय और पर्यवेक्षण कर रहे थे। सैन्य बल के साथ कमाण्डो शिविरों की ओर बढ़ रहे थे और अपने हाथों से कंट्री-बोट को खेते हुए अत्यन्त सावधानी बरत रहे थे। 9 सितम्बर, 2008 को लगभग 4.15 बजे तड़के भूमिगतों के शिविरों के पास उनके पहुँचते ही संतरी ड्यूटी पर तैनात भूमिगत कैडर ने उन पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। तत्काल सैन्य बल का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर एम. सुधीरकुमार मीतेई ने राईफलमैन मो. हसन अली के साथ तत्परता का परिचय देते हुए उन पर जवाबी गोलीबारी की। साथ-ही-साथ अपनी वैयक्तिक सुरक्षा

की चिंता किए बिना वे आगे भी बढ़ रहे थे। भारी मुठभेड़ हुई और इंस्पेक्टर एम. सुधीर कुमार मीतेई, राईफलमैन एल. नरेन सिंह तथा सैन्य बल ने शिविर के निरीक्षण पोस्ट पर तैनात भूमिगत कैडरों के संतरी को मार गिराया। वहीं सब इंस्पेक्टर पी. संजय सिंह, राईफलमैन मो. हसन अली तथा सैन्य बल ने शिविर के दक्षिण तरफ तैनात भूमिगत कैडरों के संतरी को मार गिराया। वहीं सब इंस्पेक्टर पी. संजय सिंह, राईफलमैन मो. हसन अली तथा सैन्य बल ने शिविर के दक्षिण तरफ तैनात भूमिगत कैडर के संतरी को मार दिया। दोनों संतरियों को मारने के बाद, दोनों कमाण्डो अधिकारियों के नेतृत्व में सैन्य बल जोखिम उठाते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना शिविरों में हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरुप अन्य तीन हथियारबंद कैडर मारे गए। कार्रवाई 09.09.2008 की सुबह 6.30 बजे तक चली। तलाशी अभियान के दौरान शिविर से एक महिला कैडर को गिरफ्तार किया गया तथा निम्नलिखित असलों की बरामदगी की गयी :-

(क)	ए के राइफल	-	4
(ख)	यू एम जी	-	1
(ग)	60 मि.मी. मोर्टार	-	1
(घ)	लेथोड गन	-	1
(ड.)	एम-16 यू बी जी एल	-	1
(च)	आर पी जी	-	1
(छ)	7.62 मि.मी.	-	1200 चक्र
(ज)	5.56 मि.मी.	-	300 चक्र
(झ)	30 मि.मी. ग्रेनेड	-	22
(ञ)	चीनी ग्रेनेड	-	6 (अंदर ही नष्ट)
(ट)	मोर्टार बम	-	6
(ठ)	रेडियो सेट	-	13
(ड)	पाऊच	-	6
(ढ)	डेटोनेटर	-	50
(ण)	पी इ के/आर डी एक्स	-	2 किलो
(त)	तार	-	50 मीटर

इसे धारा 307/34 आई पी सी, 16/20 यू ए (पी) अमेण्डमेंट एक्ट 2004, 25(1-सी) आर्म्स एक्ट तथा 3/5 एक्सप्लोसिव सब्सटांस एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी सं. 104(9)2008 विष्णुपुर थाना के तहत दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार, यह भी पता चला कि 4 अन्य हथियारबंद कैडरों, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ने लोकतक झील के पूर्वी हिस्से अर्थात्त मयांग इम्फाल तरफ से भागने में सफलता प्राप्त कर ली। मृतक पाँच भूमिगत कैडरों, की पहचान निम्नानुसार की गयी:-

क) नोंगथोंबम रोशन सिंह उर्फ दीपक (23), पुत्र – बीरमांगोल सिंह, निवासी – लंगथाबल कुंजा अबांग लेइकाइ, इम्फाल ईस्ट, रैंक – एस/एस लांस कारपोरल (पी आर ई पी ए के)

ख) सागोलसेम जयकुमार सिंह उर्फ लोकतकगंबा (30), पुत्र – एस. गोकुलचंद सिंह, निवासी – लंगमेइडाँग लाइमनाइ, थाउबल जिला, रैंक – एस/एस प्राइ (पी आर ई पी ए के)

ग) ओकरम बसंत सिंह उर्फ पंजाबा (25), पुत्र – ओ. मांगी सिंह, निवासी – लंगथेल मानिंग लेइकाइ, थाउबल जिला, रैंक – एस/एस कारपोरल (पी आर ई पी ए के)

घ) थंगाजांगम कुकी उर्फ लालबोई (19), पुत्र – (स्व.) जाउखोमांग, निवासी – मोरेह वार्ड नं. 2, चंदेल जिला, रैंक – एस/एस प्राइ. (पी आर ई पी ए के)

ङ) मैसनम रंजीत सिंह उर्फ नानाओ उर्फ थांगबू (20), पुत्र – एम. रोमन सिंह, निवासी – बाबुखाल, जिरीबाम, इम्फाल ईस्ट जिला, रैंक – एस/एस प्राइ. (पी आर इ पी ए के)

गिरफ्तार महिला कैडर की पहचान भी अखम निंगोल लाइशरम ओंगबी हेलेन देवी उर्फ आशालता (32), पत्नी – एल. निंगथेमून सिंह, निवासी – नचाऊ, बिष्णुपुर जिला के रूप में की गयी। लोकतक झील की कार्रवाई के समाप्त होने के बाद ही, श्री के. जयंत सिंह, बिष्णुपुर जिला के पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर एम. सुधीरकुमार मीतेई और सब इंस्पेक्टर पी. संजय सिंह ने घायल व्यक्ति यथा हावरावंगबम लकपति सिंह उर्फ खगेम्बा (31), पुत्र – एच. इबोम्चा सिंह, निवासी – लिलाँग चाजिंग चिंगमांग को तेरा उरक अवांग लेइकाइ, लमसंग थाना, इम्फाल वेंस्ट जिला से गिरफ्तार किया जिसने अपना उपचार राज पोलिक्लिनिक, नॉर्थ ए ओ सी, इम्फाल से करवाया था। इसे भी उसी मामले में धारा 307/34 आइ पी सी, 16/20 यू यी (पी) अमेण्डमेंट एक्ट 2004, 25(1-सी) आर्म्स एक्ट तथा 3/5 एक्सप्लोसिव सब्सटान्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी सं. 104(9) 2008 के तहत विष्णुपुर थाना में गिरफ्तार किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के. जयंत सिंह, पुलिस अधीक्षक, एम. सुधीरकुमार मीतेई, इंस्पेक्टर, पी. संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर, एल. नरेन सिंह, राईफलमैन और मो. हसन अली, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.09.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 153-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. एम. जेम्स थगंल, सब इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. एम प्रेम कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3. डी. खंबा मारिंग, कास्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 24.9.2008 को लगभग 1730 बजे कोटला क्षेत्र में हथियारबंद आतंकवादियों के उपस्थित होने के बारे में पुख्ता सूचना प्राप्त हुई। बाद की जानकारी से यह पता चला कि वे किसी संभावित मौके पर सुरक्षा बल/ पुलिस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इस विश्वस्त जानकारी के आधार पर डॉ. ए के झलाजीत सिंह, एस डी पी ओ, इम्फाल वेस्ट जिला, जी ओ प्रभारी ने 16वीं असम राईफल्स के साथ समन्वय स्थापित किया और एक संयुक्त जवाबी हमले की योजना बनाई। संयुक्त दल आगे चल पड़ा और संगाईथेल गांव के निकट पहुँचने पर दल दो हिस्सों में बंट गया। सब इंस्पेक्टर एम. जेम्स थंगल की कमान के अन्तर्गत कमाण्डो दल थंगजिंग धीरू गांव की ओर चल पड़ा और बांकी उस गांव की नहर की ओर चल पड़ा जिससे यदि कोई भागना चाहे तो उसे रोका जा सके। जब सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल के नेतृत्व में कमाण्डो दल थंगाजिंग चीरू गांव के दक्षिणी किनारे पर पहुँचा तो उन पर आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल, हेड कांस्टेबल एम. प्रेम कुमार सिंह, कांस्टेबल थं. हेरोजित सिंह तथा डी. खंबा मारिंग के दल, जो सामने की तरफ थें, ने फुटहिल की ओर मोर्चा संभाल लिया तथा अपने ए के एसाल्ट राइफलों से जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। तत्काल जवाब मिलने पर हथियारबंद आतंकवादी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। अवसर पाकर सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल और उनका दल दो समूह में समानान्तर दिशा में आगे बढ़ा जिससे उनकी सुभेद्यता को कम किया जा सके। गांव की ओर लगभग 10 मीटर बढ़ने के बाद सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल ने एक उभरे हुए टीले की आड़ में दो हथियार बंद आतंकवादियों को देखा जो स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोली बरसा रहे थे। सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल ने हैड कांस्टेबल प्रेम कुमार और कांस्टेबल डी. खंबा मारिगं को हथियारबंद आतंकवादियों को घेरने के लिए उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए कहा। हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार और कांस्टेबल डी. खंडा मारिंग तत्काल उत्तर की तरफ बढ़े और गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों को व्यस्त

रखा इस बीच सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल और कांस्टेबल थ. हेरोजीत सिंह पर आतंकवादियों द्वारा लगातार गोलीबारी की जाती रही और वे आगे बढ़ने में अक्षम थे। अचानक दो आतंकवादियों की झलक दिखी जो गोलीबारी में घिर गए थे, दोनों ने ही तत्काल गोलीबारी का जवाब दिया और घटनास्थल पर ही दो आतंकवादियों को मार दिया गया। मारे गए दोनों आतंकवादियों की बाद में (1)थोकचोम थॅमस उर्फ थॉमसन (23), पुत्र-थ. उमाकान्त सिंह, निवासी सिंगजामेई थोकचोम लेइकाई, वर्तमान में वांघेई खेइथेल आसंग्बी और (2) लेइथथेम तंडोम्बी (23), पुत्र-एल इनौचा सिंह, निवासी- कोंगपाल चानम लेइकाई के रूप में पहचान की गयी। दोनों प्रतिबंधित संगठन कंगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) के हार्डकोर आतंकवादी थे। मारे गए आतंकवादी के पास से 11 जीवित कारतूस भरे हुए एक ए के-56 राइफल और एक चीन निर्मित हथगोला बरामद हुआ। दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार और कांस्टेबल डी. खंबा मारिंग गांव के उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते रहे जो घने जंगल/वन से ढ़का हुआ था और जहाँ से कुछ आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे। जब वे आगे बढ़ रहे थे तब उनपर भी भाग रहे अज्ञात हथियारबंद आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गयी। दोनों अधिकारियों ने तत्काल भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें रूकने के लिए कहा। रूकने की बजाय, आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोली चलाई। तभी दोनों अधिकारियों ने उन पर जवाबी गोलीबारी की और उन्हें घटनास्थल पर ही मार गिराया। उन्हें बाद में माइबम होमेन्द्रो सिंह (26), पुत्र-एम. लुखोई सिंह, निवासी-पैलेस कम्पाउण्ड,, महाबली के पास, उसी भूमिगत दल के एक आतंकवादी के रूप में पहचाना गया। मृतक के पास से 4 जिंदा कारतूस भरे हुए एक 9 मि.मी पिस्तौल बरामद हुआ। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर जेम्स थंगल, हैड कांस्टेबल एम. प्रेमकुमार सिंह, कांस्टेबल थ.हेरोजीत सिंह तथा कांस्टेबल डी. खंबा मारिगं ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्वितीय साहस और पेशेवर अंदाज का परिचय दिया तथा सामान्य ड्यूटी से अलग हटकर बेहद जोखिम उठाई। इस मुठभेड़ में के सी पी संगठन को एक झटका लगा जिससे कि संगठन के कैडरों के मनोबल टूट गए। यदि अधिकारी और उनके सहयोगियों ने साहसपूर्ण एवं विलक्षण तरीके से कार्रवाई नहीं की होती तो ऐसी उपलब्धि संभव नहीं होती और भूमिगत कैडर बचकर भाग जाते।

इस मुठभेड़ में एम. जेम्स थंगल, सब इंस्पेक्टर, एम. प्रेम कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल, डी. खंबा मारिंग, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.09.2008 से अनुमत हैं।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.154-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार / वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	एम. सुधीरकुमार मीतेई सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	पी. संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
3.	ए. इन्द्रकुमार सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	एन. रोमन सिंह, राईफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 10.04.2008 को दोपहर लगभग 2 बजे कमाण्डो, विष्णुपुर जिला के सब इंस्पेक्टर पी. संजय सिंह को एक विश्वस्त जानकारी मिली थी कि हथियारबंद कैडर बंदूक की नोंक पर निंगथाउखोंग नगर निगम परिषद, बाजार क्षेत्र गैस एजेन्सी तथा चुंगी कर से धन उगाही करने की योजना बना रहे हैं। जानकारी मिलने पर हथियारबंद कैडरों को पकड़ने के लिए मेजर अभिनन्दन राय के नेतृत्व में 15 जे के एल आई की एक टुकड़ी के साथ गठजोड़ कर सब इंस्पेक्टर एम. सुधी कुमार मीतेई (अब इंस्पेक्टर) की सहायता से सब इंस्पेक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में कमाण्डो दलों ने एक योजना बनाई। उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद, 15 जे के एल आई की सहायता से दो दलों ने ए पी. संजय सिंह तथा एस आई एम सुधीरकुमार मीतेई (अब इंस्पेक्टर) के नेतृत्व में टिड्डिम रोड से होकर खा पेसांगम की ओर से निंगथाउखाँग की तरफ बढ़े। उसी दिन अर्धरात्रि के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति दो पहिया वाहन से निंगथाउखांग की ओर से टिड्डिम रोड पर आते हुए दिखाई दिए। असामान्य समय में वाहन की गतिविधि से शंका होने लगी और एस आई पी . संजय सिंह के नेतृत्व में कमाण्डो पार्टी ने दोपहिया वाहन को रोकने की कोशिश की। तत्काल दोपहिया रूक गया और दो अज्ञात युवक कमाण्डो पार्टी की ओर

गोलीबारी करते हुए टिड्डिम की ओर भागने का प्रयास करने लगे। कमाण्डो पार्टी ने भी उनका पीछा किया परन्तु दोनों युवकों ने कमाण्डों पार्टी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी जिससे उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। कमाण्डो ने भी जवाबी गोलीबारी की और वहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। एस आई पी संजय सिंह ने कांस्टेबल ए. इन्द्रकुमार सिंह की सहायता से अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना धान के खेत के साथ-साथ छुपते हुए थोड़ा आगे बढ़े और उनमें से एक कैडर को पकड़ने की कोशिश की। तुरन्त हथियारबंद कैडर गोली चलाने के लिए उठ खड़ा हुआ, परन्तु एस आई पी. संजय सिंह ने कांस्टेबल ए. इन्द्रकुमार सिंह के साथ मिलकर तत्काल प्रतिक्रिया में उस पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हुआ और धान के खेत में गिर गया। एस आई एम. सुधीरकुमार मीतेई (अब इंस्पेक्टर) भी राईफलमैन एन. रोमन सिंह के साथ मिलकर हिम्मत के साथ छुपते हुए दूसरे हथियारबंद कैडर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा जो एस आई एम. सुधीरकुमार मीतेई (अब इंस्पेक्टर) की पार्टी की ओर गोलीबारी करते हुए बचकर भागना चाह रहा था। दोनों ने तत्काल प्रतिक्रिया की और अपनी ए के -47 राइफलों से उस पर गोली चला दी जिससे उसके पीठ पर और सामने की तरफ गोली लगी। वह भी जमीन पर गिर पड़ा ।

मुठभेड़ समाप्त होने के बाद, तलाशी शुरू की गयी और वहाँ से निम्नलिखित गोला-बारूद और अन्य सामानों की बरामदगी हुई:-

1. एक मैग्जीन तथा 4 जिंदा कारतूस के साथ एक एम 20 पिस्तौल
2. एक मैग्जीन तथा 3 जिंदा कारतूस के साथ एक 9 मि.मी पिस्तौल
3. काले रंग की होण्डा एक्टीवा मोटर साइकिल नं0 एम एन ओ1एन/9871
4. पी आर ई पी ए के के लोगों के साथ 10(दस)लेटर हैड
5. सिम कार्ड नं0 9856529518 के साथ एक नोकिया हैण्डसेट मॉडल 2300

यह मामला धारा 307/34 आई पी सी, 20/16 (1-बी) यू ए (पी) ए एक्ट एवं 25(1-सी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी सं0 43(4)08 बिष्णुपुर थाना के तहत दर्ज है

दोनों मृत आतंकवादियों की बाद में निम्नानुसार पहचान की गयी:-

1) सलेम रोबिन्सन सिंह उर्फ चिराई उर्फ रॉबिन (33), पुत्र- एस. जय सिंह, निवासी-उरिपोक खुमानयेम लेइकाइ एस/एस-कमाण्डर वित्त, बिष्णुपुर जिला, पी आर इ पी ए के।
2) नांगबम धनजीत उर्फ इबोमचा उर्फ बोम्चा सिंह (23), पुत्र-नं. मांगी सिंह, निवासी-उरिपोक बस्चामती लेइकाई, एस/-कारपोरल, पी आर ई पी ए के।

मुठभेड़ में एस आई पी संजय सिंह, एस आई एम सुधीरकुमार मीतेई (अब इस्पेक्टर) और उनके कमाण्डो दल ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह किए बिना विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य दायित्व से अलग हटकर अत्यन्त जोखिम का सामना करते हुए पेशेवर एवं बेहतर नेतृत्व का परिचय देते हुए असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। पी आर ई पी ए के संगठन द्वारा इस मुठभेड़ में उठाई गई हानि से संगठन के कैडरों के मनोबल पर बुरा प्रभाव

डाला। परिणामस्वरूप, धन उगाही के लिए गैर-मणिपुरियों के अपहरण एवं हत्या में तुलनात्मक कमी आई। अत्यधिक शांति व्याप्त हुई और अच्छा महौला बना। यदि अधिकारियों एवं उनके सहयोगियों ने बहादुरी पूर्ण एवं असाधारण व्यवहार का परिचय नहीं दिया होता, तो भूमिगत कैडर न केवल पुलिस के पंजे से बचकर निकल जाते, वरन् पुलिस अधिकारियों एवं उनके सहयोगियों की जान भी जा सकती थी।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री एम. सुधीरकुमार मीतेई, सब इंस्पेक्टर पी. संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर, ए. इन्द्रकुमार सिंह, कांस्टेबल तथा एन रोमन सिंह, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10.4.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.155-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. लाईजोंजम बिबेकानन्द सिंह,
   हवलदार
2. ताखेलाम्बम अनौं सिंह,
   कांस्टेबल
3. माइबम इमो सिंह,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 26.05.2008 को लगभग 9.30 बजे सुबह एक विशेष और विश्वस्त जानकारी मिली कि गैरकानूनी भूमिगत दल "कंगलोईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी" (के सी पी) के कुछ सदस्यों ने संगाइथेल क्षेत्र में धन उगाही के लिए एक को बंधक बना रखा था। इस जानकारी के मिलने पर श्री ए.के. झलाजीत, एस डी पी ओ, इम्फाल एवं ओ सी/ कमाण्डो यूनिट, इम्फाल वेस्ट की कमान के अन्तर्गत कमाण्डो, इम्फाल वेस्ट जिला, 12 एम एल आई तथा 32 असम राइफल्स प्रत्येक की एक-एक टुकड़ी को मिलाकर एक संयुक्त दल कार्रवाई के लिए उक्त क्षेत्र की ओर बढ़ा । संदिग्ध क्षेत्र में पहुँचने पर संयुक्त दल ने विचार-विमर्श कर एवं सामरिक ठिकानों पर तैनाती कर संगाईथेल गांव तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में तलाशी

शुरू कर दी। चूँकि यह एक बृहत् पहाड़ी क्षेत्र था, कमाण्डों एवं सुरक्षा बलों ने बेहद सावधानी से कार्रवाई को अंजाम दिया। लगभग 10.30 बजे सुबह, जब संयुक्त दल संगाईथेल गांव के पहाड़ी क्षेत्र में वाइखुलफ एवं उचालोक घाटियों की ओर के घास के मैदान की ओर बढ़ रहा था, उन पर भारी गोलीबारी की गई जो सामने की ओर से थी। कमाण्डो ने जवाबी गोलीबारी की और आगे बढ़े। काफी मुश्किलों के बाद कमाण्डो ने आतंकवादियों पर प्रहार किया और उनके छुपने के स्थल को नष्ट करने में सफल रहे। हालांकि आतंकवादी पीछे हट गए और वृहत् पहाड़ी क्षेत्र में फैल गए तथा पहाड़ी के ऊपर से कमाण्डो की ओर गोलीबारी करने लगे। उस समय तक, असम राईफल्स के सैनिकों एवं शेष कमाण्डो सेनिक, जो गोलीबारी करते हुए गोलीबारी स्थल (छुपने के स्थान) के निकट बाहरी घेरे में थे, बढ़ रहे कमाण्डो को फायरिंग-कवरेज प्रदान कर रहे थे। भीषण मुठभेड़ के बीच, कमाण्डो दल की एडवान्स टीम, विशेषकर हवलदार बिबोकानन्द, कास्टेबल टी. अनौमीतेई, कांस्टेबल एम. इमो सिंह ने घनी झाड़ियों से ढ़की हुई घाटी की ढ़लान की ओर भाग रहे आतंकवादियों का तेजी से पीछा किया। जब हवलदार बिबोकानन्द गोली बरसाते हुए घाटी की ओर भागे, उन पर विभिन्न दिशाओं से भारी गोलीबारी की गयी। इस स्थिति में, उन्होंने अपने आपको एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा लिया। इस महत्वपूर्ण घड़ी में, कांस्टेबल टी. अनौमीतेई और एम. इमो सिंह भी नजदीक आ गए और लड़ाई में हवलदार बिबोकानन्द की सहायता करने लगे। उसी समय एक आतंकवादी ने एक युवक को छोड़कर बचने के लिए घाटी से छलांग लगाने की कोशिश की। तत्काल हवलदार बिबेकानन्द, कांस्टेबल टी. अनौ और कांस्टेबल एम. इमो ने उस आतंकवादी पर गोली चला दी जिसने एक छोटा हथियार पकड़ रखा था और उसे मार गिराया। दूसरे युवक ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए और कमाण्डो के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पूछने पर उस युवक की पहचान तैयब अली, पुत्र-इमाम अली, निवासी-मंत्रीपुखरी के रूप में हुई और बंदूकधारी, उसका अपहरण कंगलाइपाक कम्यूनिष्ट पार्टी (एम सी)के आतंकवादियों द्वारा की गयी थी जिन्होंने उसे विगत 15 दिनों से अपने छुपने के स्थान पर बंदी बना रखा था । इस प्रकार युवक को कमाण्डो द्वारा बिना किसी हानि के बचा लिया गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान बाद में वरोक्पम बसंता मीतेई, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र-स्व. डब्ल्यू इबोहल, निवासी-यारिपोक लाइखोंग, के सी पी (एम सी) का एक कार्यकर्ता के रूप में की गयी। मृतक के पास से खाली मैग्जीन सहित एक 9 मि.मी पिस्तौल बरामद हुआ। जो आतंकवादी पहाड़ी क्षेत्र में पहले से ऊपर की तरफ थे, वे पहाड़ी क्षेत्र की घनी झाड़ियों/ पेड़ों का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। मुठभेड़ लगभग दो घंटे चली। संगाइथेल मैनिगं एरिया की और अधिक तलाशी लेने पर के सी पी (एम सी) के दो महिला काडरों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान बाद में (1)संजेन्बम विया दिवी (19वर्ष), पुत्री-एस. ब्रजमणि सिंह, निवासी- संगीथेल मैनिंग लेइकाई तथा (2) संजेन्बम प्रतिमा देवी (18वर्ष), पुत्री-एस. ब्रजमणि सिंह, निवासी-संगाइथेल मैनिंग लेइकाई के रूप में की गयी। घटनास्थल से निम्नलिखित सामानों की बरामदगी की गयी:

(i) एक खाली मेग्जीन लगा हुआ 1 (एक) 9 मि.मी पिस्तौल

(i i) क्रैमोफ्लैग शर्ट-5

(i i i) कैमोफ्लैग पैन्ट-2

(iv) मैग्जीन पाऊच-13

(v) जंगल हेट-3

(vi) कैमोफ्लैग पी कैप-4

(vii) वाटर बोतल-2

(viii) जंगल हैट का एक जोड़ा

(ix) एक ए के-47 फोल्डिंग बट

यह मामला 307/34 आई पी सी, 16/1720 यू ए (पी) ए एक्ट 2004 और 25 (1-सी)) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी सं0 39(5)08 पत्सोई थाना के तहत दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री लाईतोंजम बिबेकानन्द सिंह, हवलदार, ताखेलाम्बम अनौ सिंह, कास्टेबल तथा माइबम इमों सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.05.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 156-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. के. मनिहार सिंह, इंस्पेक्टर
2. पी. अचौबा मीतेई, सब इंस्पेक्टर
3. एस. रमेश सिंह, कांस्टेबल
4. मो. अब्दुर रहमान, कांस्टेबल
5. मो. सनयैम्मा, कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 04.09.2007 को लगभग 0110 बजे, यह विशेष जानकारी मिलने पर कि पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पी यू एल एफ) के कुछ हथियारबंद कैडर क्षेत्र में अवैध गतिविधि- चलाने तथा आगामी पंचायत चुनाव 2007 के प्रचार अभियान में बाधा डालने की नीयत से केइराव में घूम रहे हैं, 32वीं असम राइफल्स की एक टुकड़ी के साथ इंस्पेक्टर के. मनिहार सिंह, ओ सी/ सी डी ओ यूनिट, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, एस आई पी अचौबा मीतेइ और ए एस आई खेगेन्दु पंगंबम के नेतृत्व में 3 (तीन) कमाण्डो दल उपरवर्णित क्षेत्र की ओर चल पड़ा।संयुक्त दल ने एक कार्रवाई योजना को तैयार किया और दो दिशाओं से क्षेत्र की ओर

चल पड़े। इंस्पेक्टर के. मनिहार सिंह और एस आई पी अचौबा मीतेइ असम राइफल्स के सैनिकों की आधी टुकड़ी के साथ आयरिल नदी के पश्चिमी ओर की अन्तर-ग्रामीण सड़क के साथ-साथ दक्षिण की ओर इरिबंग बाजार से केइराव गांव की तरफ चल पड़े और ए एस आई खगेन्दु पंगंबम असम राइफल्स की शेष आधी टुकड़ी के साथ गांव की पश्चिमी दिशा से भागने के रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से इरिलबंग थाने के दक्षिण में एक छोटे गलियारे से होकर केइराव गांव की ओर इरिबंग थाने से चल पड़े। जब पुलिस सी डी ओ और असम राइफल्स के सैनिक इरिलबंग पुल से करीब 100 गज दूर केइराव गांव की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें लगभग 20/25 मीटर की दूरी पर दूसरी दिशा से सफेद रंग की एक मारूति जिप्सी आती हुई नजर आई। इंस्पेक्टर मनिहार सिंह, जो सामने थे, को शंका हुई और उन्होंने अपना वाहन रोककर मारूति जिप्सी को रूकने का ईशारा किया। वाहन की गति धीमी हुई, परन्तु रूकने की बजाय उसकी सवारियों ने अचानक स्वचालित हथियारों से पुलिस एवं असम राइफल्स के सैनिकों की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। हथियारबंद आतंकवादी के हथियार की हल्की झलक पाने पर, इंस्पेक्टर मनिहार सिंह एव कांस्टेबल एस रमेश सिंह दोनो ने अपने-अपने ए के राइफलों से तत्काल और साथ-साथ उन हथियारबंद आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। जो वाहन के पिछले हिस्से में बैठे थे और वहीं से गोलीबारी कर रहे थे, जिनकी हल्की झलक चांदनी रोशनी में दिख रही थी और वे सड़क के किनारे लपक गए। इंस्पेक्टर मनिहार एवं कांस्टेबल रमेश के तत्काल जवाब से उनका एक साथी मारा गया तथा पुलिस दल पर आतंकवादियों के अगले हमले को बिखरा दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी लगभग2/3 मिनटों तक चली और मुठभेड़ के दौरान अन्य आतंकवादी केइराव गांव की ओर भाग गए। इंस्पेक्टर मनिहार ने तुरन्त वायरलैंस सेट से केइराव गांव की ओर घटनास्थल से कुछ आतंकवादियों के भाग जाने की सूचना एस आई अचौबा मीतेई को दी। एस आई पी अचौबा मीतेई ने तुरन्त वायरलैस सेट से ए एस आई खगेन्दु पंगंबम को मुठभेड़ स्थल से हथियारबंद आतंकवादियों के बच निकलने की सूचना दी और गांव की पश्चिमी दिशा में बचने के रास्ते को अवरूद्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कांस्टेबल मो. सनयैमा और कांस्टेबल मो. अब्दुर रहमान, प्रत्येक के पास एक ए के राइफल तथा एस आई पी. अचौबा, जिनके पास पारा एलुमिनेटर के साथ एक अतिरिक्त 2 ईंच मोर्टार थी उन्होंने तुरन्त अपनी जान जोखिम में डालकर धुधंली चांदनी रात में भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया। गांव की ओर लगभग 20-25 मीटर की दूरी तक उनका पीछा करने के बाद, उनका सामना धान के खेत के पास आतंकवादियों की तरफ से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी से करना पड़ा। पीछा करने वाले पुलिस कर्मियों ने भी जोश में जवाबी गोलीबारी की और उछलकर जमीन पर सीने के बल लेट गए तथा लगभग ½ मिनट तक इंतजार किया। लगभग 2-3 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी होने के बाद, एस आई अचौबा ने कांस्टेबल मो. अब्दुर रहमान को पारा एलुमिनेटर छोड़ने का निर्देश दिया जिससे आतंकवादी की स्थिति तथा उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। जैसे ही पारा एलुमिनेटर छोड़ा गया वैसे ही आतंकवादयों की तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। 2/3 आतंकवादी हल्की रोशनी में धान के खेत के पास गड्ढे में लेटे हुए दिख रहे थे जिन्होंने अपने हथियारों को पुलिस दल की तरफ किया हुआ था। आतंकवादियों की गोली ईंचों के फासले पर कांस्टेबल अब्दुर रहमान से चूक गई। कांस्टेबल ने छलांग लगाई और धान के खेत में लेट गया। जबकि आतंकवादी अपनी गोलीबारी और तीव्रता को बढ़ाते जा रहे थे, पुलिस, अधिकारी और

उनके सहयोगी रेंगते हुए उभरी हुई भूमि की तरफ थोड़ा आगे बढ़ गए। अचानक 2/3 आतंकवादी गड्ढे में छुपने के स्थान से उठ खड़े हुए और पुलिस दल पर गोली बरसाते हुए आगे बढ़ आए। एस आई अचौबा मीतेई ने कांस्टेबल मो. अब्दुर रहमान एवं कांस्टेबल मो. सनयेमा के साथ मिलकर अपनी जान को जोखिम में डाल तीव्रता से जवाबी गोली चलाई और उनमें से दो को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया। अन्य सभी धान के खेत से होकर गांव की दक्षिण दिशा में भाग गए । दोनों तरफ से गोलीबारी बंद होने के लगभग 10 मिनटों के बाद, कमाण्डो तथा असम राईफल्स के जवानों ने गहनता से क्षेत्र की तलाशी ली और धान के खेत में दो मृत शरीरों को पाया। एक आतंकवादी के मृत शरीर के पास से 13 चक्र जिंदा कारतूसों से भरा हुआ एक ए के-47 राइफल सं. 1968x54734 बरामद हुआ। उसकी पहचान बाद में मो. युसुफ अली उर्फ इबोचा (25), निवासी-केइराव मैकटिंग अवाँग लेइकाई, एस/एस- हथियारबंद समूह का सी ओ के रूप में की गई। दूसरा मृत शरीर भी नजदीक ही पाया गया जिसकी पहचान बाद मे मो. डॉक्टर साना (18), पुत्र-मो. जुनाब अली निवासी केइराव मेजर इंगखोल के रूप में की गई। उसके मृत शरीर के पास पाँच चक्र जिंदा कारतूसों से भरा हुआ पेट्रो बेराइट्टा चिन्हित एक 9 मि.मी. पिस्तौल बरामद किया गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का. मनिहार सिंह और उसके सहयोगियों ने सड़क की तरफ तलाशी ली और वाहन तथा मारूति जिप्सी के अन्दर एक मृत शरीर को बरामद किया। उसकी पहचान बाद में मो. अकबर उर्फ फिरोज (20), पुत्र-मो. अब्दुल वाहिद, निवासी-केइराव मेंजर इंगखोल, एस/एस-पीयू एल एफ का वित्त सचिव के रूप में की गयी वाहन के अन्दर से ए के राफल के 7 (सात) खाली खोलों के साथ 15 चक्र जिंदा कारतूसों से भरा हुआ एक ए के -56 राइफल सं. 56-16225925 बरामद किया गया। यह मामला धारा 307/34 आई पी सी, 25 (1-सी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी सं. 76(9)07 के तहत इरिलबंग पुलिस थाना में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री के. मनिहार सिंह, इंस्पेक्टर, पी अचौबा मीतेइ, सब इंस्पेक्टर, एस रमेश सिंह, कांस्टेबल, मो. अब्दुर रहमान, कांस्टेबल तथा मो. सनयौमा, कास्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.09.2007 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 157-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	एन.टिकेन्द्र मीतेई सब इंस्पेक्टर	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	ए नन्दू सिंह जमादार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	ए. गोपेन्दु सिंह राईफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	डी. मेखम मारिंग राईफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 28.06.2008 को लगभग 6.20 बजे शाम में, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (पी आर ई पी ए के) के कुछ हथियारबंद कैडर, जो 24 मार्च 2008 के हेइरोक थबल चोगंबा गोलीबारी कांड में संलिप्त थे, जिसमें दो लड़कियाँ मारी गयी थी, और एक अंधा हुआ था, की उपस्थिति के संबंध में अत्यन्त विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि वे सुरक्षा बलों पर घात लगाने के दृष्टिकोण से लंगमेइथेट गांव (थौबल जिला के अन्तर्गत) में घूम रहे थे, एस आई एन टिकेन्द्र मीतेई तथा जमादार ए. नन्दू सिंह के अधीन सी डी ओ थौबल के दो दल और मेजर एन.रावत के अधीन 34 ए आर की एक टुकड़ी क्षेत्र की ओर चल पड़ी तथा लंगमेइथेंट ममांग खोंने के विशिष्ट मकानों को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। दल ने तुरन्त क्षेत्र को घेर लिया और संयुक्त दल को दो हिस्सों में बाँटकर दो चुने गए मकानों की तलाशी ली। लगभग 6.45 शाम में, जब एस आई एन टिकेन्द्र राईफलमैन ए गोपेन्दु तथा राईफलमैन डी. मेखम मारिंग के साथ माइबम मणिबाबू सिंह, पुत्र-एम. खोइदूम सिंह, निवासी- लंगमेइथेट ममांग खूमू के मकान के अहाते में सामने से घुसे तो मकान के अन्दर उपस्थित आतंकवादियों ने ए के राइफलों से भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी। तत्काल एस आई एन. टिकेन्द्र ने राईफलमैन ए. गोवेन्दु तथा राईफलमैन डी.मेखम मारिंग के साथ मोर्चा संभाल लिया और साथ-

ही-साथ गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े। जब जमादार ए. नन्दू सिंह एवं मेजर एन रावत के अधीन दल ने महसूस किया कि आतंकवादी पीछे से भाग सकते हैं तो वे उस मकान के पिछले दरवाजे की ओर भागे। दोनों दलों ने साथ-साथ मकान में प्रवेश किया। संयोगवश भूमिगत आतंकवादी अचम्भे में पड़ गए और अपनी एसाल्ट राइफलों से निरन्तर भारी गोलीबारी करने लगे। तीव्रता से कार्रवाई करने की आवश्यकता को समझते हुए, एस आई एन टिकेन्द्र गोलीबारी के अन्तर्गत अदम्य साहस का परिचय देते हुए तथा राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझते हुए, मकान के सामने के हिस्से की ओर बढ़े जिनके साथ- साथ राईफलमैन ए. गोपेन्दु और राईफलमैन डी. मेखम मारिंग भी थे। तब एस आई एन. टिकेन्द्र ने धक्का मारकर अगले दरवाजे को खोल दिया और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी जिनके साथ-साथ राईफलमैन ए. गोपेन्दु एवं बंदूकधारी डी. मेखम मारिंग ने भी आतंकवादियों पर गोलियों की वर्षा शुरू कर दी। भयंकर नजदीकी मुठभेड़ में, एक आतंकवादी मकान के दरवाजे के पास घटनास्थल पर ही मार दिया गया। मकान के अन्दर मृत आतंकवादी से 10 जिदां चक्रों से भरे हुए एक मैग्जीन के साथ एम 229171 चिन्हित एक ए के राइफल बरामद किया गया। उसकी पहचान बाद में लैशराम बोम्बा उर्फ भगत (28), पुत्र-एल. टोम्बा सिंह निवासी-सेक्माइजिन हंगून, प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ कंगलेइपाक (पी आर इ पी ए के) का एक स्वयंभू सार्जेण्ट के रूप में की गई। तभी जमादार ए नन्दू सिंह तथा मेजर एन रावत भी राईफलमैन जॉन्सन के जी तथा राईफलमैन एन ब्रोजेन सिंह के साथ मकान के पिछवाड़े से अंदर घुस गए और प्रत्येक कमरे की सफाई शुरू कर दी। ए के राइफल से गोलीबारी कर रहा एक आतंकवादी रसोइघर के नजदीक से भागने की कोशिश कर रहा था। तब ए . नन्दू तथा मेजर एन.रावत ने भागने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा लगभग 12 मिनटों तक चली भयंकर मुठभेड़ के बाद आतंकवादी को रसोई के पिछले दरवाजे के पास मार गिराया । मुख्य मकान और रसोई के दरवाजे के बीच मृत आतंकवादी के पास से 12 जिंदा चक्रों से भरे हुए एक मैग्जीन के साथ चीन में बना हुआ एक ए के राइफल बरामद किया गया। उसकी पहचान बाद में असेम इबोचौबा सिंह (26), पुत्र- ए. तुनाल सिंह, निवासी-कमाइजिन खेइदुमपट, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ कंगलेइपाक (पी आर इ पी के) नामक प्रतिबंधित संगठन का एक स्वयंभू कॉरपोरल के रूप में की गयी। मुठभेड़ के बाद व्यापक रूप से तलाशी ली गई और निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई:-

(क) मकान के अन्दर मृत आतंकवादी से 10 जिंदा चक्रों से भरे हुए एक मैग्जीन के साथ एम 229171 चिन्हित एक ए के राइफल बरामद किया गया।

(ख) मुख्य मकान और रसोई के दरवाजे के बीच में मृत आतंकवादी के पास से 12 जिंदा चक्रों से भरे हुए एक मैग्जीन के साथ चीन में निर्मित ए ए के राइफल बरामद किया गया।

(ग) स्थल की और अधिक तलाशी लेने पर ए के राइफलों के 30 (तीस) खाली खोखे पाए गए।

(घ) ए के राइफल के 30 (तीस) अतिरिक्त जिंदा कारतूस पकड़े गए जो मकान के अंदर मृत आतंकवादी के पाऊच में रखे हुए थे।

यह मामला धारा 307/74 आई पी सी, 25 (1-सी)ए एक्ट एवं 16(1) यू ए(पी)ए एक्ट 2004 के अन्तर्गत वाई पी के थाने में प्राथमिकी सं. 87(6) 2008 के तहत दर्ज है।

इस मुठभेड़ सर्व श्री एन. टिकेन्द्र मीतेई, सब इंस्पेक्टर, ए. नन्दू सिंह, जमादार, ए. गोपेन्दु सिंह, राईफलमैन तथा डी. मेखम मरिंग, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.6.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 158-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	पेबम जॉन सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	मो. रियाजुद्दीन शाह, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	थोकचोम मनिशना सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	मो. कलमुद्दीन, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 29.08.2008 को लगभग 6.45 बजे विश्वसनीय सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र उग्रवादी, जिन्होंने मफोड डैम की ओर जा रही बस के एक यात्री पर ओक्सु गांव में गोली चलाई और इस बस के सभी टायरों की हवा निकाल दी थी, बरुनी पहाड़ी श्रृखंला पार करके टिनसिड सड़क की ओर बच कर भाग निकल गए हैं। उक्त सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक पी. जॉन के नेतृत्व में इंफाल पूर्वी जिले के कमांडो और 39 असम राइफल्स के कार्मिकों से युक्त एक संयुक्त दल ने तलाशी अभियान चलाने के लिए उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया। टिनसिड पहाड़ी की तलहटी क्षेत्र में पहुंच कर कमांडो कार्मिक अपने वाहन से उतरे और बांई तरफ अर्थात् पहाड़ी के उत्तर की ओर पैदल ही चल पड़े जब कि असम राइफल के कार्मिक, मुख्य टिनसिड सड़क के साथ-साथ अर्थात् टिनसिड पहाड़ी के दक्षिण की ओर चल पड़े। इस प्रकार तलहटी के उस क्षेत्र की बेहतर ढंग से तलाशी लेने के लिए संयुक्त दल का विभाजन किया गया जिस क्षेत्र के बारे में यह संदेह था कि वहां पर उग्रवादियों ने शरण ली हुई है। वह स्थान सुभेद्य था और

आतंकवादियों से भरा पड़ा था इसलिए पैदल आगे बढ़ते हुए कमांडो कार्मिकों ने अतिरिक्त सावधानी बरती। इस प्रकार जहां कमांडो कार्मिक, तलहटी क्षेत्र के साथ-साथ अत्यधिक सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे, वहां लगभग 200 मीटर की दूरी पर करीब 7 व्यक्ति अत्यंत संदिग्ध रूप में देखे गए। इस पर भी कमांडो आगे बढ़ते गए। तथापि, जहां उक्त लोग देखे गए थे उस क्षेत्र में पहुंचने से पहले कमांडो पर दो दिशाओं से, उनके सामने के तलहटी क्षेत्र से और पहाड़ी चोटी से, गोलीबारी की गई। इस पर तुरंत ही कमांडो ने पहाड़ी की सीधी चढ़ाई के छोटे से नाले के साथ-साथ मोर्चा संभाल कर जबावी कार्रवाई कर दी। तथापि, पहाड़ी की चोटी से की जा रही गोलियों की बौछार से अपने आपको बचाना उनके लिए काफी कठिन था और यह स्थिति उनके लिए नाजुक थी। फिर भी अपने जीवन की तनिक भी परवाह किए बगैर कमांडो आगे बढ़ते रहे। इस भयानक मुठभेड़ में निरीक्षक पी. जॉन ने अनुमान लगाया कि कोई उग्रवादी निकटवर्ती घनी झाड़ियों के पीछे से गोलीबारी कर रहा है। राइफलमैन मो. कलामुद्दीन द्वारा प्रदान की गई कवरिंग फायरिंग का लाभ उठाते हुए निरीक्षक पी. जॉन, रेंगते हुए उसके निकट पहुंचे और बहुत नजदीक से उग्रवादी पर तेजी से कार्रवाई की। इन्होंने अपनी 9 एम एम पिस्तौल से उस पर गोली चलाई और घटना स्थल पर ही उसे मार गिराया। दूसरी ओर लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक युवा को भी कमांडो की ओर गोलीबारी करते हुए देखा गया। चूंकि उग्रवादी, बहुत नजदीक से निरीक्षक पी. जॉन पर सीधे ही तेजी से गोलीबारी कर रहे थे इसलिए वे और आगे नहीं बढ़ सके। पहाड़ी की ऊंची चोटी से अन्य उग्रवादी भी अधुनातन हथियारों से भारी गोलीबारी कर रहे थे। इस नाजुक स्थिति में उप-निरीक्षक मो. रियाजुद्दीन ने अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और उग्रवादी पर हमला कर दिया। शारीरिक रूप से ये उग्रवादियों की गोलीबारी के सामने आ गए थे। कांस्टेबल थो. मनिशना सिंह इनकी सहायता के लिए आगे आए। कांस्टेबल थो. मनिशना सिंह कुछ क्षण तक उग्रवादी के सामने थे तो उसी अल्प समय में उप-निरीक्षक मो. रियाजुद्दीन शाह ने अपनी 9 एम एम पिस्तौल से उसे मार गिराया। वास्तविक मुठभेड़ लगभग 8 मिनट तक चली। दो उग्रवादियों को मार गिराने के बावजूद दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। तथापि, कमांडो कार्मिकों के दृढ़ संकल्प को देखते हुए उग्रवादी पीछे हटने लगे और पहाड़ी क्षेत्र की घनी झाड़ियों का फायदा उठा कर वे बच कर भाग निकलने में सफल हो गए। कमांडो कार्मिकों ने क्षेत्र की तलाशी ली। तलाशी लेने पर इन्हें 9 एम एम की एक पिस्तौल मिली जिस पर "स्टार बेकिबोरिया फाइबर एस्पांसा एस.ए. काल डी एम/एम 38" लिखा था और इसकी बॉडी सं. 1183245 थी और इसके चैंबर में एक जीवित राउंद तथा मैग्जीन में 5 (पांच) जीवित राउंद भरे थे और यह पिस्तौल नीली धारीदार टी शर्ट और ग्रे पैंट पहने एक उग्रवादी के शव के निकट पड़ी थी। इसकी और तलाशी लेने पर जेब से निदेशक एफ सी एस को संबोधित धन ऐंठने की एक चिट मिली। इसके अतिरिक्त ग्रे टी शर्ट और नीले रंग की जीन की पैंट पहने एक उग्रवादी के शव के निकट एक और 9 एम एम पिस्तौल पड़ी हुई मिली जिस पर "यू. एस ए" लिखा था इसकी बॉडी सं. 0537 थी तथा इसके चैम्बर में एक जीवित राउंद और मैग्जीन में तीन जीवित राउंद भरे हुए थे। मृतक उग्रवादी से हाथ से लिखा खाता विवरण भी मिला जिसमें अलग-अलग सरकारी कार्यालयों से जबरन ऐंठा गया धन दर्शाया गया था। ए के गोलीबारुद के 19 (उन्नीस) खाली केस भी पहाड़ी की चोटी पर बिखरे हुए पाए गए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान (1) एस/एस मेजर

थाउनाओजाम श्यामबाबू सिंह उर्फ नुंगशिबा उर्फ रोहित (38 वर्ष) पुत्र थो. मेघा मैतेई, ग्राम नपेट पाली मैनिंग लेइकाई, जो इंफाल पूर्वी जिले के जिला कामंडार के रूप में कार्य कर रहा था और (2) एस/एस कारपोरल सगोलसेम रामे, पुत्र स्व. एस. इबोपिसक (37 वर्ष), ग्राम ईथम मकाह लेइकाई के रूप में की गई थी और ये दोनों ही कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एम सी) के प्रतिबंधित उग्रवादी गुट के खूंखार उग्रवादी थे।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पेबम जॉन सिंह, निरीक्षक, मो. रियाजुद्दीन शाह, उप-निरीक्षक, थोमचोम मनिशना सिंह, कांस्टेबल और मो. कलमुद्दीन, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.08.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.159-प्रेज/2009, राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार / वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. पी. अचौबा मीतेई (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
   उप-निरीक्षक
2. ख. रिंगो सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   राइफलमैन
3. मो. सनयैमा (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल
4. जेकोब कैपिंग (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 7 जून, 2008 को सायं लगभग 7.45 बजे विद्राह-रोधी अभियान के एक भाग के रूप में उप-निरीक्षक पी. अचौबा मीतेई के नेतृत्व में इंफाल पूर्वी जिले और मेज.आर.के.शर्मा के नेतृत्व में 32 असम राइफल्स के कमांडो की एक संयुक्त टीम ने इरिलबंग गांव और उचेकोन खुनोऊ के बीच गुजर रही लैरेनपर अंतर गांव सड़क के साथ-साथ जामा-तलाशी और जांच की। अंतर-गांव सड़क के दोनों धान के खेत हैं। इस प्रकार जब संयुक्त टीम अंतर-गांव सड़क से गुजर रहे मुसाफिरों की जामा-तलाशी ले रही थी और जांच कर रही थी तो पूर्वी तरफ से अर्थात इरिबंग से उचेकोन खुनोऊ की ओर उच्च गति से आती हुई ग्रे रंग की एक मारूति वेन आती हुई दिखाई दी। इस क्षेत्र में उस समय तक अंधेरा हो चला था और जैसे ही वह वाहन पुलिस पार्टी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर आया तो उप-निरीक्षक पी. अचौबा मीतेई ने वाहन को रूकने का संकेत किया। वह वाहन एक झटके के साथ रूका और उसमें सवार लगभग 5/6 लोग (अंधेरे के कारण लोगों की सही संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सका) वाहन से बाहर कूदे और उस क्षेत्र की अलग-अलग दिशाओं में फैल गए और संयुक्त बल पर गोलीबारी करने लगे। इस स्थिति से निपटने के लिए कमांडो, तुरंत ही सड़क के मध्य ही नीचे झुक गए और आई. वी. सड़क के दोनों ओर स्थिति संभाल कर उन्होंने जबाबी गोलीबारी शुरू कर दी। तब तक

असम राइफल्स के जो कार्मिक बाहरी क्षेत्रों को कवर कर रहे थे उन्होंने भी बहुत नजदीक से गोलीबारी शुरू कर दी। तथापि, अंधेरे में उग्रवादियों और कमांडो के बीच हुई भारी गोलीबारी के कारण असम राइफल्स के कार्मिकों को गोलीबारी क्षेत्र के निकट आना कठिन हो रहा था। उप-निरीक्षक पी. अचौबा मीतेई, राइफलमैन ख. रिंगो सिंह और कांस्टेबल मो.सनयैमा ने धान के खेतों की छोटी सी पहाड़ी के पीछे दक्षिण-पूर्व की ओर से मोर्चा संभाला और कांस्टेबल जैकोब कैपिंग और राइफलमैन एन.नुंगशिबाबू नामक दो कमांडो कार्मिकों ने भी आई.वी.सड़क के उत्तर-पश्चिम की ओर धान के खेतों की एक छोटी सी नाली में मोर्चा संभाला। स्वयं कमांडो भी दो ग्रुपों में फैल गए और उन्होंने उग्रवादियों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी। गोलीबारी के बीच दक्षिण-पश्चिम की तरफ से एक आवाज सुनाई दी कि मुझे बचाओं, मैं निर्दोष हूँ और यू जी ने मेरा अपहरण किया था। इसी बीच उप-निरीक्षक पी. अचौबा ने दक्षिणी सड़क की तररफ से रेंगते हुए दो (2) सशस्त्र उग्रवादियों को देखा और वे लगातार पुलिस पार्टी पर गोलीबारी क़र रहे थे। उप-निरीक्षक पी-अचौबा मीतेई ने तत्काल ही कथित अपहृत व्यक्ति को बचाने के लिए उचित सावधानी बरतते हुए एक (1) सशस्त्र उग्रवादी को मार-गिराया और दूसरे उग्रवादी को राइफलमैन ख. रिंगो सिंह और कांस्टेबल मो. सनयैमा ने मार गिराया। दूसरी ओर एक उग्रवादी ने लगातार गोलीबारी करते हुए आई.वी. सड़क के दक्षिण की ओर बच कर भाग निकलने की कोशिश की; लेकिन कांस्टेबल जैकोब कैपिंग और राइफलमैन एन. नुबासिबाबू ने उसे मार गिराया। गोलीबारी रूकने के तुरंत बाद उप-निरीक्षक पी. अचौबा मतेई रेंगते हुए अज्ञात युवक की ओर बढ़े और उसे अर्द्ध-अचेत अवस्था में पाया। उसने अपना परिचय हओरोंग्म शांता सिंह (44 वर्ष) पुत्र एच. खेरों सिंह, चिंगमेइरोंग ममंश लेईकाई के रूप में दिया। इस प्रकार उसे बचाया गया और यह पाया गया कि संदिग्ध के वाई के एल उग्रवादियों ने फिरौती के लिए उसका उपहरण किया था। उचित पहचान करने के बाद ये उस युवक को सुरक्षित स्थान पर ले गए और उसके बाद इन्होंने उस क्षेत्र की पूरी तलाशी ली जिसके दौरान इन्हें दो शव मिले, बाद में उनकी पहचान निंगथाउजम गुलपाई सिंह (40) पुत्र एच खेरों सिंह, निवासी से गलबैंड तेरा लाऊकैम लेईरक और हुईड्रोम रोबिन्द्रो सिंह (30 वर्ष), सेकमैजिन, जो इस समय काकचिंग इरूंग मपंग है, के रूप में की गई जो के वाई के एल के सूचीबद्ध सवंर्ग है और इन्हें आई.वी.सड़क के दक्षिण में पाया गया। तलाशी के दौरान निंगथाउजैम गुलपई के शव के निकट 9 एम एम गोलीबारूद के 6 (छ) जीवित राउंद से भरी एक एम एम कार्बाइन और हुई ड्रोम रोबिन्द्रो सिंह के शव के निकट भी तीन जीवित राउंदों के साथ एक 9 एम एम पिस्तौल बरामद हुई। एन गुलपई की पैंट की दायें जेब के अंदर दो डिटोनेटर के साथ पीईके विस्फोकों के 2 (दो) नग भी पाए गए। इसके अलावा एक और उग्रवादी का शव भी पाया गया, बाद में जिसकी पहचान मयंगलमबम इबोचोउबा उर्फ तंगी सिंह (30) के रूप में हुई जो काकचिंग इरूंग मपल का सदस्य है और यह के वाई के एल का सूचीबद्ध संवर्ग है। इसे धान के खेतों के दक्षिण की तरफ पाया गया था। इटली में निर्मित एक 9 एम एम पिस्तौल स्वचालित पिस्तौल जो तीन जीवित राउंदों से भरी थी, उसके शव के निकट पाई गई। संयुक्त टीम ने आगे भी तलाशी अभियान जारी रखा। बाकी उग्रवादी, अंधेरे का फायदा उठा कर बच कर भाग निकलने में सफल हो गए। घटना स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलीबारूद, वाहन और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई:-

(क) एक एस.एम कार्बाइन जिस पर पंजीकरण सं० जी ए एफ 1960, बट सं0 आई सी आर57ए आई पी एस 1969 और मैग्जीन सं० आई सी आर 59 ए लिखी हुई थी। मैग्जीन 9 एम एम आई ए चैंबर के अंदर एक तरफ 6 जीवित राउंदों के साथ 34 राउंद भरे थे।

(ख) 2 डिटोलेटरों के साथ पीईके विस्फोट पदार्थ के 2 (दो) नग।

(ग) इटली में निर्मित एक 9 एम एम की स्वचालित पिस्तौल 9 राउंद आई सी आर 9 एम एम, बी/सं० ए 0017171 और 3 (तीन) जीवित राउंद के साथ एक मैग्जीन। एक चैंबर के अंदर।

(घ) 2 (दो) जीवित राउंदों, एक चैंबर के अंदर, के साथ भरी एक मैग्जीन सहित एक 9 एम एम पिस्तौल।

(ङ) के.सी बूड के साथ पंजीकरण सं० एम एन 01 के-6240 वाली ग्रे रंग की एक मारूति वैन।

(च) ए के छर्रों के 9 खाली नग, 9 एम एम छर्रों के 5 (पांच) नग।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी. अचौबा मीतेई उप-निरीक्षक, ख.रिंगो सिंह राइफलमैन, मो. सनयैमा, कांस्टेबल और जेकोब कैपिंग,कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 7.06.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.160-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. एल. थगामिनलेन खेगंसाई,
   हवलदार
2. एन. कुंजेश्वोर सिंह
   कांस्टेबल
3. वाई. निंग्थेम मैतेई,
   राइफलमैन
4. ओ. सुरंजोय सिंह,
   राइफलमैन
5. एम. श्यामसुंदर सिंह,
   राइफलमैन
6. आर. के. मंजीत सिंह,
   राइफल मैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जनवरी, 2009 के पहले हफ्ते में पुलिस मुख्यालय से इस आशय की आसूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), मणिपुर घाटी के चार जिलों में सुरक्षा बलों के लिए बहु-आयामी घात लगाने और आई ई डी बिछाने की योजना बना रही है। जो पुलिस अधीक्षक स्थानीय जानकारी प्राप्त कर रहे थे उनके पर्यवेक्षण में सभी चार जिलों और थोइबल जिला पुलिस को आम तौर पर सतर्क कर दिया गया और कई स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इस प्रकार दिनांक 10/01/2009 को अपराह्न लगभग 1.30 बजे इस आशय की विश्वसनीय और विशिष्ट सूचना मिली कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) के कुछ सशस्त्र संवर्ग, उपयुक्त समय पर सुरक्षा बलों पर हमला करने/घात लगाने और आई ई डी बिछाने के लिए कीरक और वाबाई गांव के सामान्य क्षेत्र में आए हुए हैं। इस आधार पर उक्त उग्रवादियों के विध्वंसात्मक क्रियाकलापों को नाकाम करने के लिए उप-निरीक्षक एन.

टिकेन्द्र मैतेई, जमादार प्रकाश, सहायक उप-निरीक्षक थ. बिबेकानन्द सिंह और हवलदार एल. थंगमिनलेन खोंगसाई से युक्त सी डी ओ थाउबल जिले की एक टीम ने उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया। उपराह्न लगभग 2.30 बजे जब कमांडो टीम थंबल चिंग्या सड़क पर टेंथा से कीरक की ओर चार वाहनों पर जा रही थी तो बफैलो फार्म, कीरक के निकट चिंगफेई चिंग की आस-पास की पहाड़ियों पर अलग-अलग दिशाओं से उग्रवादियों ने अपने आधुनातन हथियारों से इस टीम पर भारी गोलीबारी कर दी। तत्काल ही वाहनों को पहाड़ी की तलहटी के निकट ले जाया गया और फिर कमांडो अपने-अपने वाहनों से कूद कर बाहर आए और सड़क के किनारे और बाहनों के पीछे उन्होंने मोर्चे संभाले। चूंकि उग्रवादियों ने दांई तरफ की पूर्वी पहाड़ी रिज के ऊपरी स्थानों और बांई तरफ पश्चिमी पहाड़ी रिज पर थोड़ा और ऊँचाई पर स्थित स्थानों पर मोर्चे लिए हुए थे और वहां से वे अलग-अलग कोणों से गोलीबारी कर रहे थे इसलिए इस भारी गोलीबारी का जबाब देने के लिए उन्हें कोई आड़ नहीं मिल पा रही थी। इस पर भी आस-पास का पहाड़ी भू-भाग और दल-दली क्षेत्र होने के कारण कमांडो को उग्रवादियों के उस सही मोर्चे का पता लगाने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी जहां से वे गोलीबारी कर रहे थे। तब सहायक उप-निरीक्षक बिबेकानन्द और हवलदार एल. थंगमिनलेन खोंगसाई की पार्टियां क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहीं थी; उसी समय हवलदार एल. थंगमिनलेन खोंगसाई ने पश्चिमी रिज की निचली तरफ और पश्चिमी पहाड़ी की ऊंची रिज पर घनी झाड़ियों के पीछे मोर्चे संभाले अधुनातन हथियार लिए हुए ¾ व्यक्तियों को देख लिया। इन्होंने राइफलमैन एम. श्यामसुन्दर सिंह और राइफलमैन ओ. सुरंजोय सिंह से फुसफुसा कर कहा कि वे पहाड़ी रिज की चोटी की ओर बढें। हवलदार थंगमिनलेन खोंगसाई और उक्त कमांडो जब रेंगते हुए चतुराई से पश्चिम की तरफ से छोटी पहाड़ी की ओर बढ़े और वहां पर मोर्चा संभाला तो निचली रिज में छिप कर अपनी ए के राइफल से कमांडो पर गोलीबारी कर रहे एक उग्रवादी को हवलदार थंगमिनलेन और कांस्टेबल एन. कुंजेश्वोर ने मार गिराया। इसी बीच राइफलमैन वाई. लिंगथेंम और राइफलमैन ओ. सुरंजोय सिंह ने पश्चिमी पहाड़ी की रिज की उत्तरी तरफ से और राइफलमैन एम. श्यामसुंदर सिंह और राइफलमैन आर.के. मंजीत सिंह ने पश्चिमी पहाड़ी की दक्षिणी तरफ से ऊपर चढ़ना शुरू किया और वहां पहुंच कर उन्होंने लगातार और नजदीक से गोलीबारी की । इस प्रकार पहाड़ी की चोटी के निकट भयंकर गोलीबारी जारी रही जिसमें ¾ संदिग्ध उग्रवादियों का घेराव किया गया। इस प्रकार इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया जबकि दूसरे उग्रवादी खरूंग पट की दलदली झील की ओर भागने में सफल हो गए । जो उग्रवादी भागे थे उनके भागने के रास्ते में पड़े खून के धब्बों से यह पता चलता है कि उनमें से कम से कम एक उग्रवादी अवश्य घायल है लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल हो गया। लगभग 15/20 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद सावधानी बरतते हुए कमांडो घटना स्थल की ओर बढ़े और उक्त क्षेत्र की जांच करने के बाद निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया:

1. पहाड़ी की निचली रिज पर मरे पड़े यू जी के निकट 10 जीवित राउंदों से भरी एक मैग्जीन के साथ सं. 56-13203642 वाली एक ए के राइफल और ए के राइफल की एक खाली मैग्जीन । बाद में उसकी पहचान थिंगुजम जितेन सिंह उर्फ बिनोद शुमांचा (35 वर्ष) पुत्र थ. येमा सिंह, थाऊबल कियम वंगमतबा अमुरेइजम, प्रतिबंधित पीपुल्स आर्मी लिबरेशन (पी एल ए

) गुट का स्वयं- भू सार्जेंट मेजर ख्वानंचा के रूप में की गई। यह निरीक्षक एन. लोखोन सिंह, भूत-पूर्व प्रभारी अधिकारी सी डी ओ/ थाऊबल और दो अन्य कमांडो कार्मिकों के लिए थाऊबल बाजार में दिनांक 20 फरवरी, 2006 को घात लगाने और उनकी हत्या करने में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त था। इसका संदर्भ आई पी सी की धारा 302/307/326/395/34, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/5, ए. अधिनियम की धारा 25(1-सी) और सू ए (पी) ए. अधिनियम 04 की धारा 16(1) (बी) के तहत टी बी एल पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 24(2)06 के रूप में वैथाऊ में बम विछाने के लिए, जिसमें 34 असम राइफल्स के दो कार्मिक मारे गए थे, आई पी सी की धारा 307/ और यू ए (पी) ए अधिनियम की धारा 16(1) (ए) (बी) के तहत टी बी एल पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी सं. 117(7)05 के रूप में, दिनांक 2/9/2006 को कोक्सु मिसि मखोंग में घात लगाने के लिए, जिसमें 19 असम राइफल्स के दो हवलदार और दो राइफलमैन मारे गए थे, आई पी सी की धारा 121/121-/ए-302-307/326/34, यू ए (पी) ए. अधिनियम '04 की धारा 20 और ए' अधिनियम की धारा 25 (1-सी) के तहत एल एल आई पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी सं. 105(9)06 के रूप में, दिसम्बर, 2007 को वाई.के. कालेज वंगजिंग के निकट बम बिछाने लिए दिसम्बर, 2007 की जी डी प्रविष्टि सं. 7/ टी बी एल पुलिस स्टेशन जे. 2007 है, अक्तूबर, 2007 को मयंग इंफाल में 22 मराठा लाइट इंफैंट्री पर हमले के संदर्भ में आई पी सी की धारा 307/302/34 और ए. अधिनियम की धारा 250- सी के प्राथमिकी सं. 117(10)07 एम आई पी एस के रूप में दर्ज है।

2. पहाड़ी रिज पर मरे पड़े यू जी उग्रवादी के शव के निकट 12 जीवित राउंदों से भरी एक मैग्जीन के साथ सं. 301018 वाली एक ए के राइफल और ए के राइफल का खाली मैग्जीन। बाद में उसकी पहचान लैशराम बोयाई मैतेई उर्फ टोनी (25 वर्ष/पुत्र (स्व.) श्याम किशोर सिंह, खोईटुम्पत, प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) गुट का स्वयं-भू लांस कार्पोरल के रूप में की गई थी।

3. घटना स्थल की आगे और तलाशी लेने पर कॉटन के हैंगिंग बैग में 7 (सात) जीवित राउंद से भरी एक मैग्जीन के साथ सं. 56 23295 वाली एक ए के राइफल, 2 (दो) प्रेसर बम, ए के राइफल के 2 (दो) मैग्जीन पाउच और 35 (पैंतीस) खाली केस बरामद हुए। घटना स्थल पर अपराह्न 3.10 बजे औपचारिकतायें पूरी करने के बाद इन्हें जब्त कर दिया गया । इसका संदर्भ जे पी सी की धारा 121/121-ए/307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(आई-सी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और यू ए (एफ) अधिनियम '04 की धारा 20 के तहत काकचिंग पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी सं. 06(01)09 से है।

इस मुठभेड़ में श्री एल. थगामिनलेन खेगंसाई, हवलदार, एन. कुंजेश्वोर सिंह, कांस्टेबल, वाई. निंग्थेम मैतेई, राइफलमैन, ओ. सुरंजोय सिंह, राइफलमैन, एम. श्यामसुंदर सिंह, राइफलमैन, आर. के. मंजीत सिंह, राइफल मैन, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10/01/2009 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 161-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का 5वां बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. थि. कृष्णातोम्बी सिंह, निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का 5वां बार)
2. एल. लेनिन सिंह, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. च. बिरेन्द्र ऐमोल, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 को सांय लगभग 6 बजे इस आशय की विश्वसनीय सूचना मिलने पर कि किसी उपयुक्त समय पर वाहनों का अपहरण करने और सुरक्षा अधिकारियों पर घात आदि लगाने जैसे विध्वंसात्मक कार्य करने के लिए इंफाल के खुरिया सलंयोग क्षेत्र में और इसके आस-पास रह रहे घाटी आधारित उग्रवादी गुट के कुछ सशस्त्र सवंर्ग मौजूद हैं तो निरीक्षक थि. कृष्णतोम्बी सिंह, प्रभारी अधिकारी, सी डीओ आई इंफाल पश्चिम के नेतृत्व में इंफाल पश्चिम जिले के कमांडो (सी डी ओ) की एक टीम ने तलाशी अभियान के लिए उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया। इस प्रकार जब कमांडो टीम चतुराई से उक्त क्षेत्र की ओर बढ़ी और खुरिया सलंयोंग के लकड़ी के हैंमिंग ब्रिज तक पहुंची तो निरीक्षक थि. कृष्णतोम्बी सिंह ने अपना वाहन रोक दिया, अपने वाहन से उतरे और कांस्टेबल च. बिरेन्द्र ऐमोल को आदेश दिया कि वह उनके साथ पैदल ही पुल पार करे जब कि बाकी कमांडो कार्मिकों को निर्देश दिया गया कि वे वाहन के साथ दूसरे मार्ग से इंफाल नदी की दूसरी तरफ उनसे मिलें क्योंकि पुलिस वाहन छोटे से उस लकड़ी के हैंगिंग ब्रिज को पार नहीं कर सकता था/वहां से नहीं गुजर सकता था। जब निरीक्षक थि. कृष्णतोम्बी सिंह और इनके दो उल्लिखित कमांडो कार्मिक उस पुल को पार करने के लिए पश्चिम की तरफ से पूर्वी तरफ जा रहे हैं तो इन्होंने देखा कि विपरीत दिशा से अर्थात् इंफाल नदी की पूर्वी तरफ से पश्चिम की तरफ मोटर साइकल में सवार तीन अज्ञात युवक पुल पार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण तब तक लगभग अंधेरा हो गया था। जब मोटर साइकल में सवार उक्त युवक पुल के मध्य पहुंचने वाले थे उन्होंने मोटर

साइकल की हैड फ्लैश लाइट से कमांडो की हलचल देखी। जल्दबाजी में उन्होंने अपनी मोटर साइकल की गति धीमी कर दी और उनमें से एक युवक मोटर साइकल से नीचे कूदा और उसने अपने स्वचालित हथियार से कमांडो पर गोलीबारी कर दी। निरीक्षक थि. कृष्णतोम्बी सिंह, जो उस समय आगे बढ़ कर कमांडो कार्मिकों का नेतृत्व कर रहे थे, उग्रवादियों की गोलियों की बौछार के बिल्कुल नजदीक आ गए। वहां पर आड़ लेने के लिए कोई वस्तु न होने के कारण ये नीचे झुक गए और गोता लगा कर लकड़ी से बने उस छोटे से पुल के फर्श पर लेट गए और पहले से भरी अपनी ए के राइफल से भयंकर जवाबी गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल एल. लेनिन सिंह, जो इनकी बगल में थे, पुल की बाईं तरफ कूद कर आए, मोर्चा संभाला और निरीक्षक के साथ गोलीबारी करने में शामिल हो गए। जब च. बिरेन्द्र ऐमोल, जो इन दोनों के पीछे थे और जो भारी गोलीबारी से विचलित हुए बगैर लकड़ी के पुल की दाईं तरफ पहले ही मोर्चा संभाले हुए थे और जिन्होंने इस नाजुक मौके पर जिम्मेदार और प्रतिबद्धता की अत्यधिक उच्च भावना का परिचय दिया, ने रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और अपने हथियारों से रुक-रुक कर उग्रवादियों पर गोलीबारी की। इस प्रकार अपने जीवन की परवाह किए बगैर निरीक्षक थि. कृष्णतोम्बी सिंह और इनके दो कमांडो फुर्ती और चतुराई से आगे बढ़े और जो उग्रवादी अपने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे और उन पर अपनी ए के राइफलों से जबाबी गोलीबारी कर दी। लगभग 6/7 मिनट तक चली संक्षिप्त गोलीबारी में घटनास्थल पर ए के धारक एक उग्रवादी मार गिराया गया जब कि उनमें से एक व्यक्ति (गोलीबारी में घायल) बार-बार चिल्ला रहा था, "मुझे बचाओ", "मुझे बचाओं," "मैं निर्दोष हूं, मुझे उग्रवादियों ने अपहृत किया है।" मानवता की भावना से निरीक्षक थि. कृष्णतोम्बी सिंह और इनके साथियों ने निर्दोष व्यक्तियों को बचाया। तथापि, घायल व्यक्ति की बाद में पहचान चंदम सुनील सिंह (33 वर्ष) एसबी च. ऐमा सिंह, लैरिकेंग्बम लेइकेई, पीआरईपीएके के एक लड़ाकू सदस्य के रूप में और मृतक युवक की पहचान थगजम बोयनओ करनजित, आयु लगभग 25 वर्ष, सिंगजमेई मयेंग लेइकेई, पीआरईपीएके के लड़ाकू सदस्य के रूप में हुई। बाकी उगग्रादी अंधेरे का फायदा उठा कर अपने स्वचालित हथियारों से रुक-रुक कर कमांडो पर गोलीबारी करते हुए बच कर भागने में सफल हो गए। एक ए के-56 राइफल, जिसमें 18 (अठारह) जीवित राउंद थे (एक जीवित राउदं चैंबर में भरा था और 17 जीवित राउंद मैग्जीन में भरे थे), ए के गोलीबारुद के 39 खाली केस, एक चीनी हैंड ग्रेनेड और लाल रंग की एक यामाहा मोटर साइकल जिसका पंजीकरण सं. एम एन आई 1-6540 था, मुठभेड़ स्थल (शव के निकट) से बरामद की गई। इसका संदर्भ आई पी सी की धारा सं. 326/307/34, ए – अधिनियम की धारा 25 (I-सी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और यू ए (पी) ए- अधिनियम 04 की धारा 20 के तहत पी आर टी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी सं. 426 (12) 08 के रूप में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री थि. कृष्णतोम्बी सिंह, निरीक्षक, एल. लेनिन सिंह, कांस्टेबल और च. बिरेन्द्र ऐमोल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का 5वाँ बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.12.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 162-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार / वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	कले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	वाई. किशोरचंद मैतई, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	एन. टिकेन्द्र मैतेई, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
4.	ए. नंदो सिंह, जमादार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	क्ष. इनाओटोन सिंह, हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	फ. अरुण कुमार सिंह, हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
7.	एस. सुरेश सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8.	टी. पॉल मरिंग, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
9.	मो. दौलत खां, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
10.	एच. नुंगशिथोई सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
11.	वाई. जेम्स मैतेई, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
12.	एन. सैलेश सिंह, राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

13. ई. रोमन कुमार सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 8.12.2008 को सायं लगभग 7 बजे इस आशय की विशिष्ट और महत्वपूर्ण सूचना मिली कि किसी उपयुक्त समय पर सुरक्षा बलों पर हमला करने/घात लगाने के ध्येय से लंगथेल गांव में अपहृत किए गए टाटा वाहन में पी आर ई पी ए के सशस्त्र संवर्ग देखे गए हैं। तत्काल ही श्री क्ले खोंगसाई, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, थाऊबल जिले की समग्र कमांड में निरीक्षक वाई. किशोरचंद मैतेई (ओ सी/थाऊबल पुलिस कमांडो), उप-निरीक्षक एन. टिकेन्द्र मैतेई, जमादार ए. नंदो सिंह, हवलदार क्ष. इनाओटोन सिंह और हवलदार फ. अरुण कुमार सिंह से युक्त थाऊबल जिले के कमांडो के दलों को संक्षिप्त रूप से जानकारी देने के बाद ये दल उक्त क्षेत्र की ओर चल पड़े और उक्त सशस्त्र संवर्गों की हलचल की जांच करने के लिए लंगथेल नदी पर बने बांध के पास लंगथेल पुल के निकट और लंगथेल चेइराओचिंग पर घात लगाने का स्थान चुना। उक्त स्थान का चयन चांदनी रात और कम से कम सिविल लोगों की मौजूदगी को ध्यान में रख कर किया गया। सायं लगभग 7.45 बजे लंगथेल चेइराओचिंग पर उप-निरीक्षक टिकेन्द्र के सहायक के रूप में हवलदार क्ष. इनाओटोन से युक्त एक टीम और जमादार नंदो के सहायक के रूप में हवलदार अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में दूसरी टीम तैनात की गई। इसके अतिरिक्त श्री क्ले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक, थाऊबल के नेतृत्व में एक टीम और निरीक्षक वाई. किशोरचंद के नेतृत्व में दूसरी टीम ने पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर आरक्षित पार्टी और कट-ऑफ पार्टी के रूप में सड़क के किनारे के मोर्चा संभाला। सायं लगभग 8.40 बजे लंगथेल गांव से बाहर एक टाटा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। इस पर श्री क्ले खोंगसाई पुलिस अधीक्षक, थाऊबल ने तैनात कमांडो को सचेत कर दिया। उप-निरीक्षाक टिकेन्द्र के नेतृत्व वाली टीम उठी और इसने टार्च के प्रकाश में वाहन को जांच के लिए रुकने का संकेत किया। लेकिन कुछ सैंकेंडों में कई उग्रवादियों ने, जो संख्या में लगभग 10 (दस) से 12 ((बारह) थे, टाटा ट्रक से अपने अधुनातन हथियारों से पुलिस कमांडो पर गोलीबारी कर दी। तुरंत ही जमादार नंदो और हवलदार अनिल कुमार सिंह ने राइफलमैन टी. पॉल मरिंग और राइफलमैन मो. दौलत खां के साथ टाटा ट्रक में सवार उग्रवादियों पर गोलीबारी कर दी और जिन दो उग्रवादियों ने टाटा ट्रक के पीछे मोर्चा संभाला था उन्हें उसी समय मार गिराया गया। अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा बलो की मौजूदगी से सशस्त्र उग्रवादी भौचक्के रह गए और उनमें से कुछ उग्रवादी ट्रक से नीचे कूदे और उन्होंने लंगथेल नदी के किनारे मोर्चे संभालने के बाद सी डी ओ पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी की आवाज सुन कर निरीक्षक वाई. किशोरचंद और पुलिस अधीक्षक/थाऊबल क्ले खोंगसाई भी पुलिस टीम की सहायता करने के मुठभेड़ स्थल की ओर चल पड़े। इसी बीच जो उग्रवादी वाहन से नीचे कूद गए थे उन्होंने कमांडो परअपने हथियारों से लगातार गोलीबारी करते हुए नदी के किनारे की पूर्वी तरफ बच कर भागने की कोशिश की। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी के बीच उप-निरीक्षक टकेन, हवलदार इनाओटोन और राइफलमैन एस. सुरेश ने अपने

जीवन की परवाह किए बगैर और अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए रेंगते हुए चुराई से आगे बढ़े और उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार कर दी। एक उग्रवादी ने नदी के किनारे मोर्चा संभाला था, उसे मार गिराया गया। इसी समय जिस उग्रवादी को नदी के किनारे की झाड़ियों में रोके रखा गया था वह बार-बार पुलिस कमांडों पर गोलीबारी कर रहा था। विद्रोह-रोधी कई वर्षों के अनुभव के आधारपर जब श्री क्ले सोंगसाई, पुलिस अधीक्षक/थाऊबल को यह आभास हुआ कि पुलिस को नुकसान हो सकता है तो इन्होंने पहले राइफलमैन एच. नुनांशिथोई को और फिर राइफलमैन वाई. जेम्स को संकेत किया तथा रणनीतिक सूझबूझ से आगे बढ़े और उग्रवादी पर गलातार गोलीबारी करके उसे मार गिराया। इसी बीच एक उग्रवादी ने बांध की तरफ पूर्वी दिशा की ओर बच कर भागने की कोशिश की लेकिन निरीक्षक वाई. किशोरचंद, जिन्होंने राइफलमैन एन. सैलेश और राइफलमैन ई. रोमन कुमार के साथ उस पर गोलीबारी कर दी थी, ने पूरी गति के साथ उसका पीछा किया। इस पर वह उग्रवादी पीछे मुड़ा और उसने इन पर गोलीबारी कर दी। लेकिन निरीक्षक वाई. किशोरचंद (थाऊबल कमांडो के प्रभारी अधिकारी) ने राइफलमैन सैलेश और राइफलमैन रोमन के साथ बांई तरफ की घनी झाड़ियों में गोता लगाया और साथ ही उस उग्रवादी पर गोलियों की बौछार करके उसे मार गिराया। यह मुठभेड़ लगभग 30 मिनट तक चली। इस भगदड़ और अंधेरे का फायदा उठा कर कम से कम दो/तीन उग्रवादी बच कर भागने में सफल हो गए और इस बारे में यह कहा जा सकता है कि वे घायल हो सकते हैं। थोड़ी सी चुप्पी के बाद पुलिस अधीक्षक/थाऊबल ने कूट भाषा में कमांडो को संकेत दिया। इसके बाद कमांडो उचित सावधानी बरतते हुए उक्त स्थल की ओर बढ़े और उसकी जांच करने के बाद निम्नलिखित हथियार और गोलीबारुद बरामद किया गया:-

1. नदी के किनारे मृत पड़े उग्रवादी के निकट ए के राइफल गोलीबारुद के 9 जीवित राउंदों से एक एक मैग्जीन के साथ सं. 18081 वाली एक ए के-56 राइफल/ बाद में उसकी पहचान निंगहाउजम रोहजन सिंह उर्फ कोको (26 वर्ष) पुत्र एन. इटोम्बा सिंह, फ्लेइरोक भाग ।। बाजार, प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) गुट की रेड आर्मी का एक प्राइवेट संवर्ग, के रूप में हुई।

2. नदी के किनारे झाड़ियों में मृत पड़े उग्रवादी के निकट ए के राइफल के 7 जीवित राउंदों से भरी एक मैग्जीन के साथ सं. 56 15142741 वाली एक ए के-56 राइफल। बाद में उसकी पहचान लोक्तोंगबम दिनेश उर्फ नओबा सिंह उर्फ दिनेशोर उर्फ थौंग्लेन (25 वर्ष) पुत्र एल. अमुथैम्मा सिंह, सगोलबंद, लैंगजिंग अचौबा, प्रतिबंधित प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) गुट की रेड आर्मी के स्वयं-भू सार्जेंट के रूप में हुई।

3. नदी के किनारे पूर्वी तरफ मरे पड़े उग्रवादी के निकट 5 जीवित राउंदों से भरी एक मैग्जीन के साथ सं. 1972 179556 वाली एक ए के-45 राइफल। बाद में उसकी पहचान थिंगुजंम समनंद सिंह उर्फ ननई इंगबा (18 वर्ष) पुत्र ठ. सनजओबा सिंह, थियम

लीशंग्खोंग, प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) गुट की रेड आर्मी के स्वयं-भू लांस कारपोरल के रूप में की गई।

4. टाटा ट्रक के अंदर मृत पड़े उग्रवदी के निकट 8 लैथोड बम शैलों के साथ एक लैथोड लांचर गन (एम-40) । बाद में इस उग्रवादी की पहचान थाग्खोम बुंगो सिंह उर्फ टोम्थिन्नगंबा (23 वर्ष) पुत्र स्व. वाई. सनतोम्बा सिंह, विष्णुपुर वार्ड सं.2, प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) गुट की रेड आर्मी के स्वयं-भू कारपोरल के रूप में की गई।

5. ट्रक के अंदर मृत पड़े उग्रवादी के निकट डिटोनेटर के साथ एक चीनी हैंड ग्रेनेड और डिटोनेटर के साथ .36 एच.ई. हैंड ग्रेनेड। बाद में उसकी पहचान हुइद्रेम कोकंगगंग सिंह (28 वर्ष) एसबी एच. इबोटोम्बा सिंह, बाबागई टेरा पिशक, प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) गुट की रेड आर्मी के प्राइवेट संवर्ग के रूप में हुई।

6. आगे और तलाशी लेने पर ए के राइफल गोलीबारुद के 51 खाली केस, दो मैग्जीन पाउच, एक झोला, कुछ कपड़े, दवाइयां, अन्य संबंधित वस्तुएं और सफेद रंग का एक टाटा डिपर बरामद हुआ जिस पर सं. एम एन-03टी/0065 लिखा हुआ था। घटना स्थल परसायं लगभग 9.25 बजे औपचारिकतायें पूरी करने के बाद वहीं जब्त कर लिया गया।

खुद्रकपम एना सिंह उर्फ इबोसना उर्फ राहुल उर्फ नोंगथंग (24 वर्ष) एसबी केएच. थैमा सिंह अमुयैमा सिंह, हेइरोक भाग ।। देवी मैंडोम, प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) गुट के थाऊबल जिले का स्चयं-भू जिला कमांडर है, नामक जो उग्रवादी घायल हा गया था और जो बचकर भागने में सफल हो गया था उसे मुठभेड़ के अगले दिन पड़ोसी गांव के कुछ स्थानीय लोग अस्पताल ले आए। इसका संदर्भ आई पी सी की धारा 121, 121-ए, 120-बी, 307/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-सी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और यू ए (पी) ए. अधिनियम 104 की धारा 20 के तहत काकचिंग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी सं. 230(12)08 के रूप में दर्ज है। उक्त मुठभेड़ में ,अंधेरा होने की अलाभप्रद स्थिति में होने के बावजूद कमांडो यूनिट, थांऊबल जिले के अधिकारियों और कार्मिकों ने अपने पुलिस अधीक्षक श्री क्ले खोंगसाई के सक्षम नेतृत्व में आतंकवादी गुटों का नाश करने के लिए गोलीबारी के सामने उत्कृष्ट योजना, अदम्य साहस का परिचय दिया। इन्होंने सर्वोच्च साहस और बहादुरी का भी प्रदर्शन किया जिसके आधार पर प्रतिबंधित पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ कांग्लीपाक (संक्षेप में पी आर ई पी ए के) के पांच खूंखार सशस्त्र उग्रवादीमारे गए। उनसे दो ए के-56 एसॉल्ट राइफलें, तीन मैग्जीनों में गोलीबारुद के 21 जीवित राउंद के साथ एके-47 एसॉल्ट राइफलें, 8 जीवित लैथोड बम शैलों और दो हैंड ग्रेनेडों के साथ एक लैथोड लांचर गन बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री क्ले खोंगसाई, पुलिस अधीक्षक, वाई. किशोरचंद मैतेई, निरीक्षक, एन. टिकेन्द्र मैतेई, उप-निरीक्षक, ए. नंदो सिंह, जमादार, क्ष. इनाओटोन सिंह, हवलदार, फ. अरुण कुमार सिंह, हवलदार, एस. सुरेश सिंह, राइफलमैन, टी. पॉल मरिंग, राइफलमैन, मो. दौलत खां, राइफलमैन, एच. नुंगशिथोई सिंह, राइफलमैन, वाई. जेम्स मैतेई, राइफलमैन, एन. सैलेश सिंह, राइफलमैन और ई. रोमन कुमार सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.12.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

25—391 GI/2009

सं. 163-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. एल. धनबीर सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   सहायक उप- निरीक्षक
2. टी. हरिदास सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   राइफलमैन
3. एन. जेमसन सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 26.03.2009 को अपराह्न लगभग 4 बजे इस आशय की विशिष्ट सूचना मिलने पर कि लोक सभा चुनाव के लिए तैनात सुरक्षा बलों पर किसी उपयुक्त समय पर हमला करने की मंशा से बाबगई गांव और खरूंगपर (दलदली झील) के सामान्य क्षेत्र में प्रतिबंधित युनाइटेट नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) के सशस्त्र संवर्ग मौजूद हैं तो अपर-पुलिस अधीक्षक/थऊबल के पर्यवेक्षण में सशस्त्र संवर्गों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए ओसी/सीडीओ थऊबल के तहत कमांडो यूनिट थऊबल की टीमों ने उक्त क्षेत्र में गश्त लगाई। जब वाबगई क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाने के बाद सायं लगभग 4.45 बजे कमांडो टीमें खरूंग पट और वाबगई के बीच नटेक खोंग (निकट की नहर) के साथ-साथ खरूंग की ओर जा रही थीं तो सहायक उप-निरीक्षक एल. धनबीर सिंह के नेतृतव वाली अग्रणी पार्टी पर उग्रवादियों ने, जिन्होंने पहले ही खरूंग पर (दलदली झील) की ऊंची घास/सरकंडों के पीछे मोर्चे संभाले हुए थे, लेथोड बमें (एम-40), एके राइफलों और अन्य अधुनातन हथियारों से अलग-अलग दिशाओं से अचानक भारी गोलीबारी कर दी। चूंकि इन्हें उस समय कोई आड़ नजर नहीं आई तो इन्होंने भी तत्काल दलदली झील में मोर्चे संभाले और हमलावरों पर जबाबी भारी गोलीबारी कर दी। सबसे आगे रहते हुए सहायक उप-निरीक्षक एल. धनबीर सिंह और इनके पीछे राइफलमैन टी. हरिदास सिंह और राइफलमैन एन. जेमसन सिंह ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं की और उन उग्रवादियों की ओर चतुराई से रेंगते हुए आगे बढ़े जो ऊंची घास/ सरकंडों के पीछे से गोलीबारी कर रहे थे और फिर पलट कर हमलावरों पर गोलीबारी कर दी जब कि निरीक्षक वाई किशोरचंद, ओसी/सीडीओ और अन्य सी डी ओ कार्मिक दक्षिण की तरफ से कवरिंग फायरिंग कर रहे थे। इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। दूसरे उग्रवादी इस तेज हमले के आगे टिक नहीं पाए और उन्होंने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए खरूंग पट की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया और खरूंग पट की ओर भागने की कोशिश करने लगे। कमांडो ने तेज फायरिंग और भाग रहे उग्रवादियों की ओर बढ़ना जारी रखा। तथापि, खरूंग पट पर तैर रही घनी वनस्पतियों की आड़ लेकर और बढ़ रहे अंधेरे का फायदा उठा कर उग्रवादी बच कर भाग

निकलने में सफल हो गए। लगभग 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की तलाशी लेने पर मृतक उग्रवादी के निकट निम्नलिखित मदें/वस्तुयें बरामद हुई:

1. चैंबर में भरे हुए एक जीवित राउंद के साथ एक ए के-56 राइफल,
2. मैग्जीन से भरे हुए ए के राइफल गोलीबारूद के 25 (पच्चीस) जीवति राउंद,
3. मैग्जीन पाउच में एक (१) मैग्जीन,
4. क्षेत्र की और तलाशी लेने पर ए के राइफल गोलीबारूद के 12 (बारह) खाली केस बरामद हुए। घटनास्थल पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सायं लगभग 6.30 बजे इन्हें जब्त कर लिया गया।

बाद में मृतक उग्रवादी की पहचान युमेलम्बम तोंबा सिंह (30 वर्ष) उर्फ संजीव पुत्र वाई.चन्द्र सिंह, खुरई नंदेईवम लेइकई, प्रतिबंधित युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) का स्वयं-भू सार्जेंट, के रूप में की गई।

इसका संदर्भ आई पी सी की धारा 121/121-ए/307/34,ए. अधिनियम की धारा 25(1-सी) और यू ए (पी) ए. अधिनियम '04 की धारा 20 के तहत के सी जी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी सं. 47 सं. 4(3) 09 के मामले के रूप में है। इस नजदीकी और भयंकर मुठभेड़ में सी डी ओ, थऊबल जिले के अधिकारी और कार्मिकों ने आतंकवादी गुट को नष्ट करने के लिए उत्कृष्ट अनुशासन, सूझबूझ, इच्छा शक्ति और भावना तथा सर्वोच्च कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया जिससे यू एन एल एफ का स्वयं-भू सार्जेंट मारा गया और ए के-56 राइफल बरामद की गई यदि पुलिस अधिकारी और कार्मिकों ने फुर्ती से, पेशेवर ढंग से और रणनीतिक दृष्टि से कार्रवाई न की होती तो पुलिस कार्मिकों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र में रह रहे सिविलियनों का जीवन भी अत्यधिक खतरे में पड़ जाता ।

इस मुठभेड़ में श्री एल. धनबीर सिंह ,सहायक उप- निरीक्षक, टी. हरिदास सिंह राइफलमैन, एन. जेरासन सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.03.2009 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.164-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. क्षेत्रिमयूम मनिहर सिंह, निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. येंग्खोम शक्ति शेन सिंह, जमादार (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. वैखोम अमरजीत सिंह, राइफलमैन (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. मो. अबू तालिब राइफलमैन (वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 27.02.2009 को सायं लगभग 7 बजे इस आशय की विश्वसनीय और विशिष्ट सूचना मिली कि कांगलीपाक कम्युनिष्ट पार्टी (एम सी)-लालहेटूबा" गुट के घाटी आधारित उग्रवादी गुट के सशस्त्र संवर्ग, कमांडो कार्मिकों पर घात लगाने की मंशा से खुरई बाजार अर्थात् इंफाल नदी के तटवर्ती क्षेत्र के पश्चिम भाग में और इसके आस-पास घूम रहे हैं। इसी तरह की घटना अभी हाल में (21.12.2008 को सायं 7.20 बजे) खुरई लामलोंग बाजार क्रासिंग में घटी थी। विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक क्षे. मनिहर सिंह, ओसी., इंफाल पूर्वी कमांडो यूनिट की समग्र कमांड में इंफाल पूर्वी जिले के कमांडो की एक विशेष टीम बनाई गई और इस टीम ने विद्रोह-रोधी अभियान चलाने के लिए उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया। इसके आस पास के क्षेत्र को उचित रूप से कवर करने और सांदिग्ध क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करने के लिए यह टीम छोटे-छोटे दलों में विभाजित की गई। निरीक्षक क्षे. मनिहर सिंह के नेतृत्व वाला दल दक्षिण की तरफ से आगे बढ़ा अर्थात खुरई लाई अवंगबा के निकट रोड-क्रासिंग से नदी की तटवर्ती सड़क के साथ-साथ उत्तरी तरफ की ओर बढ़ा। दूसरी तरफ जमादार शक्ति शेन सिंह के नेतृत्व वाला दल लमलोंग पुल से सांदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा। चूंकि इस क्षेत्र में बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा हो गया था। जबकि कुछ कमांडो, असमतल भूतल और झाड़ियों वाले नदी के तटवर्ती क्षेत्र कमांडो, असमतल भूतल और झाड़ियों वाले नदी के तटवर्ती क्षेत्र में तलाशी ले रहे

थे तो जमादार शक्ति शेन सिंह और इनके कुछ साथी, लामलोंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निर्माण स्थल पर रखे ढांचों की आड़ में संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। निरीक्षक क्षे. मनिहर सिंह और इनके साथ आए कुछ कमांडो ने लेन/उप-लेन के क्रेस-क्रास बिन्दुओं को कवर करते हुए नदी तट की पूर्वी तरफ संदिग्ध तत्वों की हलचल देखी। इन्होंने सावधानी और अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए कारगर ढंग से पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए बल की तैनाती का निकट से पर्यवेक्षण किया। इस प्रक्रिया में अचानक ही सायं लगभग 8.15 बजे निरीक्षक मनिहर सिंह ने देखा कि नदी के तटवर्ती क्षेत्र (नदी के तटवर्ती क्षेत्र का ऊपरी ढांचा) से संख्या में लगभग 6 (छ) सशस्त्र युवक आ रहे है और वे पूर्वी तरफ, जहां पर दुकान और स्कूल भवन है, छिप कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब निरीक्षक मनिहर सिंह ने जोर से उन्हें रूकने के लिए कहा तो उन युवकों ने स्वचालित हथियारों से कमांडों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। उग्रवादियों ने हैंड ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया। कमांडो ने जबाबी कार्रवाई की और इससे इनमें खतरनाक मुठभेड शुरू हो गई। स्कूल परिसर के दक्षिण तरफ निरीक्षक मनिहर सिंह और राइफलमैन अमरजीत और राइफलमैन मो. अबू तालिब नामक इनके कुछ साथियों और स्वचालित हथियारों से कमांडों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। उग्रवादियों ने हैंड ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया। कमांडो ने जबाबी कार्रवाई की और इससे इनमें खतरनाक मुठभेड़ शुरू हो गई। स्कूल परिसर के दक्षिण तरफ निरीक्षक मनिहर सिंह और राइफलमैन अमरजीत और राइफलमैन मो. अबू तालिब नामक इनके कुछ साथियों और स्वचालित राइफल से लैस एक उग्रवादी के साथ भयानक गोलीबारी चल रही थी। चूंकि उग्रवादियों ने पहले से ही उक्त क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था इसलिए वे इस मुठभेड़ में कमांडो की तुलना में बेहतर स्थिति में थे। तथापि, निरीक्षक मनिहर सिंह ने ठंडे दिमाग से लेकिन दृढ़ता से स्थिति संभाली और उग्रवादियों के विरूद्ध सशक्त अभियान चलाया, अततः निरीक्षक मनिहर सिंह ने, जिनकी सहायता राइफलमैन अमरजीत और राइफलमैन मो. अबू तालिब ने निकट से की थी, ए के -56 राइफलधारी उग्रवादी को मार गिराया। बाद में इसकी पहचान लैशराम सिकेन मैतेई (34 वर्ष), पुत्र (स्वा.) लैशराम नुगंसितेम्बी मैतेई, धम्नपोकपी, पी.एस.लामलई, प्रतिबंधित उग्रवादी कांग्लीपाक कम्युनिष्ट पार्टी (एम सी), लालहेइबा गुट का स्वयं-भू सार्जेंट मेजर था। जब ए के -56 राइफलधारी उग्रवादी नीचे गिर गया तो उग्रवादियों को धक्का लगा और वे अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। तथापि आसानी से भाग कर बच निकलने के लिए उन्होंने रूक-रूक कर गोलीबारी करनी जारी रखी। कमांडो ने भाग रहे उग्रवादियों का तत्काल पीछा किया। इस नाजुक मौके पर जब भाग रहे उग्रवादियों का पीछा करते हुए नदी तट की पूर्वी दिशा में चेताई बाड़ के बिल्कुल पीछे छोटे से नाले के ऊपर जमादार शक्ति शेन ने कूदने की कोशिश की तो उक्त उग्रवादी कोने से एक तरफ मुड़ा और इन्हें मारने की मंशा से बहुत नजदीक से इन पर गोलीबारी कर दी। लेकिन सौभाग्य से पहली और दूसरी गोली निशाना चूक गई। इस पर जमादार शक्ति शेन ने गोता लगा कर नाले में कूद लगाई और साथ ही साथ जबाबी गोलीबारी भी कर दी। जमादार शक्ति शेन के चारों और तैनात कमांडो ने उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई की। ऐसे में कोई विकल्प न होने पर उग्रवादी सड़क की तरफ भाग खड़े हुए। जमादार शक्ति शेन ने अकेले ही उग्रवादी का पीछा किया और उस पर रूक रूक कर गोलियां बरसाईं और अतंतः इन्होंने 9 एम एम

पिस्तोलधारी उस उग्रवादी को मार गिराया। बाद में इसकी पहचान अशेग्बम जडुमणी सिंह (35 वर्ष), पुत्र (स्व.) ए. रबेई, मईबा खुल मयंग लेकेई, कोइरंगेई, उसी यू-जी-गुट के सी पी (एम सी)लालहेइबा गुट का दुर्दांत नेता था, के रूप में हुई। वास्तविक मुठभेड़ लगभग 15 मिनट और सायं लगभग 8.30 तक जारी रही। दो उग्रवादियों को मार गिराने के बावजूद कमांडो ने तलाशी अभियान जारी रखा। बाकी उग्रवादी अंधेरे और बाजार की पूर्वी दिशा में निर्जन क्षेत्र का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। तलाशी के दौरान निम्नलिखित हथियार और गोलीबारी बरामद हुए:-

1. सं. 02106 वाली 1 (एक) एक के 56 राइफल
2. 1(एक) ए के-56 राइफल मैग्जीन
3. यूएसए के रूप में चिह्नित सं. 3305 वाली 1(एक)9एम एम पिस्तौल
4. 1(एक) 9 एम एम पिस्तौल मैग्जीन
5. जैतून के हरे रंग का चीन में निर्मित अत्यधिक विस्फोटक 1(एक) हैंड ग्रेनेड
6. ए के-56 गोलीबारूद के 8(आठ) जीवित राउंद, ए के-56 के 15(पंद्रह)नग खाली केस
7. 9 एम एम गोलीबारूद के 4(चार) जीवित नग, 9 एम एम के 5(पांच)नग खाली केस

पुलिस रिकार्ड के अनुसार मारे गए उग्रवादी, सुरक्षा बलों पर घात लगाने, निर्दोष लोगों का अपहरण करने और जबरन धन ऐंठने जैसे विध्वंसात्मक स्वरूप के जघन्य अपराधों में संलिप्त थे। उनका नाम, विदेशी प्राशिक्षण प्राप्त उग्रवादी गुट के चोटी के कार्यकर्ताओं में सूचीबद्ध था।

इस मुठभेड़ में श्री क्षेत्रिमयूम मनिहर सिंह, निरीक्षक, येंग्खोम शक्ति शेन सिंह, जमादार, वैखोम अमरजीत सिंह, राइफलमैन, मो. अबू तालिब, राइफलमैन, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/+ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27.02.2009 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 165-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, मेघालय पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	आई. एस. मारक, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	के. थापा, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4.	डी. खत्री उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	बी.बी. बुरूंग, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
6.	एस. शर्मा, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
7.	सी. मारक, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
8.	जे. मारबनियंग कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 26 मार्च, 2008 को गोपनीय स्रोत से एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि लुम्श्रोंग (खेलिहरियत पुलिस स्टेशन, जयंतिया पहाड़ी जिला) को एचएनएलसी के कुछ संवर्ग बाग्लादेश की ओर जाएंगे। इस पर श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा, एमपीएस (एस एस बी-एस बी) के नेतृत्व में 11(ग्यारह) एस ओ टी कार्मिकों की एक टीम ने उक्त क्षेत्र की ओर कूच किया और काफी लम्बे समय तक वाहनों की जांच करने के बाद ये अपराह्न लगभग 1.30 बजे मलिडोर में एक वाणिज्यिक वाहन से एचएनएलसी कैडर के इमैनुएल उम्थलु उर्फ शुवा और विलेंडर दियांगदोह

उर्फ खियान को पकड़ने में सफल हो गए। इन संवर्गों से पूरी तरह से पूछ-ताछ की गई, और उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि वे एचएनएलसी कैडर के स्वयं-भू कमान और एक कुरियर को लेने, जिसे बांग्लादेश से भेजा गया है, भारत-बांग्लादेश सीमा तक जा रहे हैं ताकि नयंतिया हिल्स में स्थित ग्रुप को कमांड किया जा सके। इस टीम ने नियत स्थान पर जाल बिछाया और इन्होंने सायं लगभग 5 बजे उमकियांग पहर जंक्शन जयंतिया हिल्स में श्यपेई मानवलोंग उर्फ मलंग और रिस्किन फावा नामक बांग्लादेश से आए दो उग्रवादियों को पकड़ लिया। श्रीमती सी ए. ल्यांग्वा, एम पी एस, विशेष पुलिस अधीक्षक (एसबी-II) कैडर के पर्यवेक्षण में पूरी तरह से पूछताछ की गई। पूछ-ताछ के आधार पर श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा ने निर्णय लिया कि एचएनएलसी के 2(दो) संवर्गों और त्रिपुरा के एन एल एफ टी के 3(तीन) संवर्गों वाले वाशलियमबोंग स्थित शिविर स्थल पर छापा मारा जाए।गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों ने भी स्वीकार किया कि शिविर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उमइयांग पहर गांव के उनके दो संवर्गों के पास एक रेडियो सेट था। शिविर द्वारा इस स्थान का प्रयोग निगरानी चौकी के रूप में किया जा रहा था। इस पर श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा ने इस ढंग से वहां जाने के लिए ऐसी पुलिस टीम का चयन किया जो वहां पहुंच जाए, ग्रामीण सचेत न हो पाएं और यह टीम उस रेडियों सेट को जब्त भी कर ले। इन ग्रामीणों के बारे में कहा जाता है कि वे एचएनएलसी के हितैषी हैं और वे शिविर के संवर्गों को सतर्क कर सकते है। श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा ने एसओटी कार्मिकों के साथ इस बारे में विस्तृत चर्चा की और उप-निरीक्षक पोहश्ना आई/सी उश्किनाग पी.पी. के साथ उन संवर्गों को आगे करके पूर्वाह्न 2 बजे गांव की ओर चल पड़े जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा के नेतृत्व में एसॉल्ट टीम को गांव से शांत हो कर गुजरना पड़ा इन्होंने उस मकान का पता लगाया और उसे घेर लिया। उप-निरीक्षक के.थापा और उप-निरीक्षक आई मारक, बी एन सी/बी गुरूंग, बी एन सी/ सी मारक के साथ अपने जीवन को अत्यधिक जोखिम में डालकर मकान के अंदर घुस गए। ऐसी मौके पर हथियारों का प्रयोग करने से ग्रामीण सतर्क हो जाते, इसलिए शस्त्रहीन मुकाबला करने का कौशल (यूएसी) का उपयोग करते हुए श्रीमती सी.ए ल्यांग्वा और 4(चार) एस ओ टी कार्मिकों ने अचानक और फुर्ती से कार्रवाई करके अइबोर सवियान उर्फ बहरित और चेद्रक बलियांग नामक एचएनएलसी के 2(दो) संवर्गों पर काबू करने में सफल हो गए। उनसे जापान में निर्मित 2 (दो) यासु वायरलेस हैंड हेल्ड सेट, चीन में निर्मित 2(दो) हैंड ग्रेनेड जब्त किए गए। इसके बाद यह टीम चुपचाप गांव से बाहर आ गई और एस ओ टी के 4(चार) कार्मिकों की देख रेख में गिरफ्तार किए गए 5(पांच) संवर्गों को उम्कियांग गश्ती चौकी (जयांतिया हिल्स) भेज दिया जब कि श्रीमती सी ए. ल्यांग्वा के नेतृत्व में टीम के बाकी सदस्यों शिविर की ओर बढ़ना जारी रखा। ऐबोर सवियान नामक उग्रवादी के नेतृत्व में यह टीम, जंगल के अत्यंत खतरनाक रास्ते से लगभग 6/7 घंटे पैदल चली और इसे लगभग 12.30 बजे जंगल की सीधी चढाई पर वह शिविर दिखाई दिया। शिविर की अवस्थिति से अपने आपकों संतुष्ट कर लेने के बाद श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा ने एसओरी कार्मिकों के साथ फिर चर्चा की और टीम को 3(तीन) ग्रुपों में विभाजित कर दिया। इस शिविर के चारों ओर स्थित पेड़ो की आड़ लेकर ये तीनों ग्रुप बारी-बारी से चुपचाप शिविर से लगभग 50 (पचास) मीटर की दूरी तक पहुंच गए। ये इस शिविर में उग्रवादियों की हलचल भांपने के

लिए इसी स्थिति में लगभग 15 मिनट तक रहे। इस टीम ने बंकर के पीछे खड़े एक ए के 56 एसॉल्ट राइफल लिए एक सशस्त्र संत्री को देखा और एक और उग्रवादी भी एक एक ए के 56 राइफल लिए झोपड़ी की सीढ़ी पर बैठा था। उस समय एन एल एफ टी के 3 (तीन) में से कोई भी संवर्ग नहीं देखा जा सका। ऐसी स्थिति में श्रीमती सी.ए ल्यांग्वा ने टीम को विभाजित करने का निर्णय लिया। वे स्वयं उप-निरीक्षक आई.एस.मारक, उप-निरीक्षक के. थापा, बी एन सी/बी गुरूंग और बी एन सी/ सी मारक के साथ रहीं ताकि शिविर पर हमला किया जा सके। बी एन सी एस शर्मा और बी एन सी/जे. मार्बनियांग के साथ उप-निरीक्षक डी खत्री के नेतृत्व में एक और टीम, कट-ऑफ पार्टी के रूप में शिविर के पीछे जाने के लिए बनाई गई। लेकिन दुर्भाग्य से जब यह एसॉल्ट टीम रेंगते हुए और धीरे-धीरे शिविर की ओर बढ़ रही थी तो संतरी ने इन्हें देख लिया और इन पर गोलीबारी कर दी इस एसॉल्ट टीम पर भारी गोलीबारी हुई लेकिन इन्होंने साहस नहीं खोया और बारी-बारी से इन्होंने जबाबी गोलीबारी कर दी, इस गोलीबारी से ये संतरी को मार गिराने और एक उग्रवादी को घायल करने में सफल हो गए। इसी बीच झोपड़ी के अंदर पड़े एनएलएफटी के 3(तीन) संवर्गों ने अपने मोर्चे से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। लेकिन एसॉल्ट टीम अत्यधिक साहस और दृढ़ता से आगे बढ़ती रही और इन्होंने अपने जीवन को उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलियों की बरसात के आगे कुछ नहीं समझा। इसीलिए इनके दृढ़ संकल्प से एनएलएफटी का एक उग्रवादी इनकी गोलीबारी से घायल हो गया। एसॉल्ट टीम के इस अविचलित संकल्प से एनएलएफटी के उग्रवादी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने घायल उग्रवादी को खींचा और फिर जंगल की ओर भाग गए। उप-निरीक्षक डी खत्री के नेतृत्व वाली कट-ऑफ टीम ने उनका पीछा किया लेकिन उग्रवादी नीचे दौड़ते रहे और पेड़ों के पीछे आड़ लेते रहे। इस प्रकार इस टीम को उग्रवादियों की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा लेकिन उप-निरीक्षक डी. खत्री, बी एन सी/ एस.शर्मा और बी एन सी/जे. मारबनियांग की टीम एक और उग्रवादी को मार गिराने में सफल रही। यद्यपि इस टीम ने भाग रहे उग्रवादियों का पीछा करने के पूरे प्रयास किए लेकिन दूसरे उग्रवादी भागने में सफल हो गए। जंगल में आगे पर उसकी सघनता से पार पाना मानवीय दृष्टि से असंभव था। इस मुठभेड़ में श्रीमती सी.ए. ल्यांग्वा, एम पी एस और उप-निरीक्षक डी.खत्री, बी एनसी/566,बी.बी. गरूंग, बीएनसी/576 एस शर्मा, बी एन सी/319 सी मारक और बीन एन सी/2530 जे मारबनियांग नामक अधिकारियों और कार्मिकों से युक्त टीम ने अपने जीवन के लिए अत्यधिक जोखिम की स्थिति में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। उत्कृष्ट सूझ-बूझ के साथ-साथ दूरदृष्टि का परिचय दे कर और सोच-समझ कर योजना बनाने से ये दो खूंखार उग्रवादियों को मार गिराने , उनके शिविर को नष्ट करने और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोलीबारूद बरामद करने में सफल हुए।

इस मुठभेड़ में श्रीमती सी.ए ल्यांग्वा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आई.एस.मारक, उप-निरीक्षक, के. थापा, उपनिरीक्षक, डी.खत्री, उप-निरीक्षक, बी.बी. गुरूंग, कांस्टेबल, एस. शर्मा, कांस्टेबल, सी.मारक, कांस्टेबल, जे. मारबनियंग, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27.03.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 166-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री देश राज,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

लूटी गई कार के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उप-निरीक्षक हरि किशन ने हैड कांस्टेबल देश राज, हैड कांस्टेबल किशोर कुमार और कांस्टेबल सुभाष के साथ दिनांक 18.06.2008 की डी डी सं. 26ए के तहत पुलिस स्टेशन विकास पुरी की ओर कूच किया ताकि वायरलेस मैसेज पर सूचित कार सं. पी बी-02 ए जेड 8990 मारुति स्विफ्ट खोजने के लिए केशोपुर जल बोर्ड आउटर रिंग रोड के सामने सायं 06.00 बजे जाल बिछाया जा सके। ड्राइवर सायं लगभग 6,15 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी की ओर से स्विफ्ट कार सं. पी बी-02 ए जेड 8990 तेजी से लाया। इस पर अपने साथियों के साथ उप-निरीक्षक ने कार रोकने की कोशिश की। लेकिन कार रोकने के बजाय उसने इनके उपर कार चलाने की कोशिश की ताकि इनकी हत्या की जा सके। ये मुश्किल से अपनी जान बचा सके और कार ड्राइवर कार को केशोपुर डिपो की ओर ले गया। हैड कांस्टेबल देश राज और हैड कांस्टेबल किशोर कुमार ने अपनी मोटर साइकल से कार का पीछा किया और केशोपुर मंडी की लाल बत्ती पर हैड कांस्टैबल देश राज और हैड कांस्टेबल किशोर कुमार ने कार रोकने की कोशिश की लेकिन अपनी लेन में चलते हुए कार ड्राइवर कार को चौखंडी ख्याला की ओर भगा कर ले गया। उप-निरीक्षक हरि किशन और कांस्टेबल सुभाष भी अपने स्कूटर पर कार का पीछा कर रहे थे। सायं लगभग 6.25 बजे जब वे संत नगर एक्सटेंशन के निकट पहुंचे और ड्राइवर तेजी से कार चला रहा था तो उसका कार पर नियंत्रण नहीं रहा और कार पटरी पर जा टकराई। हैड कांस्टेबल देश राज ने ड्राइवर से रुकने को कहा लेकिन उसने फिर भी भागने की कोशिश की। हैड कांस्टेबल देश राज किसी तरह खिड़की (टूटा शीशा) पकड़ने में सफल हो गए लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और हैड कांस्टेबल देश राज को घसीटते हुए भागने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में दरवाजा खुल गया और हैड कांस्टेबल देश राज के साथ-साथ ड्राइवर भी कार से गिर गया। कार का पिछला टायर हैड कांस्टेबल देश राज और ड्राइवर के ऊपर चढ़ गया। पटरी पर टकराने के बाद कार स्वंय ही रुक गई। इसी बीच उप-निरीक्षक हरि किशन और कांस्टेबल सुभाष तब तक वहां पहुंचे गए, वे अपने स्कूटर से नीचे उतरे और हैड कांस्टेबल देश राज को कार के नीचे से निकाला तथा ड्राइवर को अपने काबू में किया। अभियुक्त की पहचान हरप्रीत उर्फ मिंटू उर्फ डिंपल पुत्र जसबीर सिंह, निवासी आर जेड-81, विष्णु गार्डन के रूप में की गई। हैड कांस्टेबल देश राज और कार ड्राइवर के हाथों और शरीर पर चोटें आईं। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने बताया कि अपने सहयोगियों के साथ उसने यह कार दिल्ली कैंट क्षेत्र से छीनी थी और वह जाली नाम प्लेट का इस्तेमाल कर इसका प्रयोग कर रहा था। हैड कांस्टेबल किशोर कुमार और कांस्टेबल सुभाष दोनों ही अभियुक्त हरप्रीत सिंह उर्फ मिंटू और हैड कांस्टैबल देश राज को डी डी यू अस्पताल ले गए। इस संबंध में विकास पुरी थाने में धारा 186/353/307/411/482 के तहत मामला दर्ज किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री देश राज, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 18.06.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 167-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त	(वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार)
2.	चंद्रिका प्रसाद उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	देव दत्त हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 09.05.2006 को इस आशय की विशिष्ट सूचना मिली कि तारिक उर्फ बड़ा चना, जो आतंकवादी डॉन छोटा शकील, दाऊद इब्राहीम गैंग का सहयोगी और अचूक निशानेबाज है तथा जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने 50,000/-रुपए की घोषणा की हुई है, मोटर साइकल सं. यू बी-12-बी-2630 पर कलियार शरीफ की ओर गया है और किसी भी वक्त वापस आ सकता है। इसलिए सोनाली नदी के पुल पर उसके लिए जाल बिछाने हेतु श्री संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त (ए सी प्री), विशेष कक्ष के नेतृत्व में एस.ओ.जी. हरिद्वार और रुड़की और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई। सायं लगभग 09.20 बजे पुल की दूसरी ओर से एक मोटर साइकल आती दिखाई दी तो ए सी पी संजीव कुमार यादव ने उस मोटर-साइकल के सवार को रुकने का संकेत किया। इस पर बच कर आगे निकलने की कोशिश से सवार का मोटर साइकल पर नियंत्रण नहीं रहा और यह फिसल गई। सवार ने बाइक वहीं पर छोड़ दी और अंधेरे की आड़ में बच कर निकलने की कोशिशें में दांईं तरफ भागने लगा। ए सी पी

संजीव कुमार यादव ने उप-निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद और हैड कांस्टेबल देव दत्त तथा टीम के अन्य सदस्यों के साथ मोर्चा संभाला, तारिक उर्फ बड़ा चना के रूप में उसे पहचाना और उसका पीछा करते हुए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस भगोड़े गैंगस्टर ने इसके बजाय आग्नेयास्त्र बाहर निकाला और इन तीनों अधिकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। ऐसी स्थिति में बचाव की कोई आड़ न होने के बावजूद उसे भागने न देने और अपनी रक्षा में ए सी पी संजीव कुमार यादव, उप-निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद और हैड कांस्टेबल देव दत्त ने उस उग्रवादी पर गोलीबारी कर दी। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी में अपने जीवन की परवाह न करते हुए ए सी पी संजीव कुमार यादव, उप-निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद और हैड कांस्टेबल देव दत्त इसमें सबसे आगे रहे। जब उग्रवादी की ओर से गोलीबारी रुक गई तो ए सी पी संजीव कुमार यादव ने भी अपने साथियों से कहा कि वे गोलीबारी रोक दें और सावधानी से उनके निकट जाएं। उसके निकट जाने पर वह गैंगस्टर घायल मिला और उसकी .32 रिवाल्वर उसके निकट पड़ी थी। तत्काल ही तारिक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। ए सी पी संजीव कुमार यादव, उप-निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद और हैड कांस्टेबल देव दत्त ने अपनी-अपनी सर्विस रिवाल्वरों से क्रमशः 01 राउंद, 02 राउंद और 02 राउंद गोलियां चलाईं। इस संबंध में कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन, रुड़की में आई पी सी की धारा 307/186/353, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के तहत प्राथमिकी सं. 114/06 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त, चंद्रिका प्रसाद, उप-निरीक्षक और देव दत्त, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.05.2006 से अनुमत है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 168-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री गगन भास्कर,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

शहर में अपराध लगातार हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि खूखांर चोरों का एक गैंग सक्रिय हो गया है जिसने बंदूक की नोक पर निर्दोष लोगों से नकदी, गहने और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ-साथ इनोबा, फोर्ड फिएस्टा, तवेरा आदि जैसे अत्याधिक मूल्य के वाहनों को लूट कर दिल्ली की सड़कों में भय फैला रखा था। लोगों को लूट कर वे उनके हाथ-पैर बांध देते थे और उन्हें वाहन की पिछली सीट में फैंक देते थे। उन्होंने अत्यधिक मूल्य के वाहन भी लूटे। वे इतने खूंखार और क्रूर थे कि पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन की एक घटना में उन्होंने एक चार वर्ष के बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे उन्होंने पूरे परिवार को लूटने से पहले बंधक बना रखा था और बाद में उसे निहाल विहार क्षेत्र में फेंक दिया था। इसे चुनौती के रूप में लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसके मुख्य सदस्य उप-निरीक्षक गगन भास्कर थे। उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने राजमार्ग के लुटेरों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कई दिनों तक रात और दिन एक कर दिए। उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में सक्रिय सैकड़ों ऐसे अपराधियों के रिकार्डों की स्वयं जांच की जिनकी लूटने की क्रिया पद्धति इसी प्रकार की थी। इस कठिन कार्य को हल करने के लिए इन्होंने जनवरी, 2008 में दिल्ली में हुई चोरी/कार हड़पने की सभी घटनाओं के शिकार लोगों/शिकायतकर्ताओं से प्राप्त सुरागों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपने स्रोत तैनात किए। उप-निरीक्षक गगन भास्कर के इस श्रमसाध्य, अथक और कभी समाप्त न होने वाले प्रयासों का इन्हें फल मिला और खूंखार चोरों के बारे में ये अंततः विशिष्ट सूचना प्राप्त करने में सफल हो गए। कंप्यूटरों पर लूटेरों की प्रत्येक कॉल पर नजर रखने और उसकी तलाशी करने पर आतताइयों से संबंधित सूचना और पुष्टि हो गई। दिनांक 28.1.2008 को उप निरीक्षक गगन भास्कर ने उन अपराधियों के लिए जाल बिछाया जिनके बारे में इस आशय की सूचना मिली थी कि संदिग्ध लुटेरे, पश्चिम विहार थानांतर्गत क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट पार्क में आएंगे। अपराह्न लगभग 3 बजे पीरागढ़ी से एक टोयोटा इनोबा आती दिखाई दी जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। वाहन देख कर और यह जानते हुए भी कि उसमें सवार खूंखार अपराधियों के पास खतरनाक हथियार हैं, उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने निडर हो कर अपने कर्मचारियों को सतर्क किया और आती कार को रुकने का संकेत दिया। पुलिस की मौजूदगी से भौंचक्के अपराधियों ने रुकने की बजाए कार की गति तेज कर दी और बच निकलने की कोशिश में कार एक ओर मोड़ दी। इस पर उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने अत्यधिक सूझ-बूझ का परिचय दिया और तत्काल बैरिकेड लगा दी और निकल रहे वाहनों को रोक दिया। इस पर जब कार में सवार अपराधियों को कोई विकल्प नजर नहीं आया तो वे अपने हथियारों को हाथ में लिए वाहन से उतरे, पुलिस टीम को चेतावनी दी और वाहन को पीछे छोड़ते हुए अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। इस तथ्य को

जानते हुए भी कि खूंखार अपराधियों के पास खतरनाक हथियार हैं (आग्नेयास्त्र और कमांडो चाकू) तथा उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को चेतावनी दी हुई है तथा वे इन पर गोली चला सकते हैं, उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने जीवन को खतरे में डाला और एक ऐसे अपराधी का लगभग 100 मीटर तक पीछा किया जिसके हाथ में एक राइफल थी। लेकिन पीछा करते हुए अंततः इन्होंने रिंकू नामक गैंग लीडर को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। सशस्त्र अपराधी के साथ हाथापाई होने के बाद उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने अपने जीवन को जोखिम में डाल कर उस अपराधी से राइफल छीनने और उस पर काबू पाने में सफलता प्राप्त कर ली। अन्य दो अपराधियों को भी पकड़ लिया गया। लगातार पूछताछ करने के बाद वे टूट गए और उन्होंने यह अपराध स्वीकार कर लिया कि उन्होंने शहर में कई चोरियां/जैकिंग की हैं। उनसे निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

(i) एक राइफल
(ii) एक देशी पिस्तौल
(iii) दो कमांडो चाकू
(iv) दो टोयोटा इनोवा वाहन
(v) एक मोटर साइकल पल्सर
(vi) 11 मोबाइल फोन
(vii) सोने की एक चेन
(viii) सोने की दो अंगूठियां
(ix) दो कलाई घड़ियां
(x) थैले, कपड़े, परफ्यूम आदि ।

इन खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी से लूटपाट, अपहरण, चोरी के 9 मामले, लूटी गई संपत्तियां बरामद किए जाने से सुलझा ली गई हैं यद्यपि उन्होंने दिल्ली के विभिन्न भागों में एक माह में 25 लूट-पाट किए जाने की बात स्वीकार की है।

इस मुठभेड़ में श्री गगन भास्कर, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.01.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 169-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. हर गोबिन्द्र सिंह धालीवाल,
   पुलिस उपायुक्त
2. भीष्म सिंह,
   सहायक पुलिस आयुक्त
3. विजय सिंह,
   निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

अगस्त, 2008 माह के दौरान श्री एच.जी.एस. थालीवाल, भा.पु.से., पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण में एक टीम, ओम प्रकाश उर्फ बंटी नामक एक खूंखार और खतरनाक अपराधी के बारे में सूचना प्राप्त करने और उसे पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही थी। यह अपराधी पुलिस स्टेशन अमर कालोनी के सनसनीखेज दोहरे हत्या के मामले सहित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हत्या, चोरी के सर्वाधिक सनसनीखेज मामलों और अन्य जघन्य अपराधों में वांछित था। उसके विरुद्व दिनांक 11.07.2008 को आई पी सी की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिकी सं. 248/08, दिनांक 11.07.2008 को आई पी सी की धारा 302/3097/394/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत पुलिस स्टेशन डिफेंस कालोनी में हत्या के मामले में प्राथमिकी सं. 217/08, दिनांक 05.07.2008 को आई पी सी की धारा 302/34 के तहत संगम विहार पुलिस थाने में प्राथमिकी सं. 364/08 और दिनांक 12.07.2008 को आई पी सी की धारा 307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के तहत पुलिस स्टेशन अम्बेडकर नगर में हत्या की कोशिश के मामले में प्राथमिकी सं. 317/08 दर्ज है। एक दशक से भी अधिक पहले उसके आपराधिक जीवन के सर्वाधिक सक्रिय और खतरनाक चरण के दौरान उसके द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए श्री एच.जी.एस. धालीवाल, डी सी पी, दक्षिण दिल्ली के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया। इस टीम द्वारा की गई व्यापक खोजबीन और गहन फील्ड जांच-पड़ताल से यह टीम ग्राम गढ़ी शेडा, नौएडा में उनके

छिपने के स्थान तक पहुंच सकी जहां से दो मोटर साइकलें, जिन्हें गोलीबारी और हत्या करने के बाद संगम विहार और एंड्रयूज गंज से चोरी किया गया था, बरामद की गईं। इनके साथ कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए जिनसे उनकी पहचान और संलिप्तता की पुष्टि होती है। ओम प्रकाश उर्फ बंटी, संगम विहार पुलिस स्टेशन का एक बदमाश था और वह विगत में हत्या, हत्या की कोशिश, चोरी, शस्त्र अधिनियम और लूट-पाट के 23 मामलों में संलिप्त था जबकि राजेश उर्फ पन्नी भी शस्त्र अधिनियम और हत्या की कोशिश के मामलों में संलिप्त था। दिनांक 24.08.2008 को श्री एच.जी.एस. थालीवाल, भा.पु.से., पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला, नई दिल्ली को इस आशय की गुप्त सूचना मिली कि खूंखार अपराधी ओम प्रकाश उर्फ बंटी ने अपने साथी राजेश शर्मा उर्फ पन्नी के साथ छिपने का अपना स्थान बदल दिया है और अब वे सौरव विहार, जैतपुर गांव, बदरपुर, नई दिल्ली के क्षेत्र में चले गए हैं। इस पर श्री थालीवाल ने तुरंत अपनी टीम एकत्र की, स्वयं उन्हें इस बारे में बताया और छिपने के संभावित स्थान के बारे में और सूचना प्राप्त की। इसके बाद उक्त परिसरों पर छापा मारने के लिए श्री एच.जी.एस. थालीवाल, डी सी पी, दक्षिण जिले के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। दिनांक 25.08.2008 की भोर में ही पुलिस टीम ने छिपने के स्थान को घेर लिया और अपराधियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन ऐसा करने के बजाए उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी इस पर श्री धालीवाल ने टीम को आदेश दिया कि वे अपनी रक्षा में गोलीबारी करें और उन्होंने स्वयं क्रैक टीम का आगे बढ़ कर नेतृत्व किया तथा इन्होंने दरवाजा तोड़ कर कमरे में प्रवेश किया जब कि दोनों ओर से गोलीबारी तब भी जारी थी। इस कार्रवाई में इनकी पसलियों के मध्य में गोली लग गई जो ऊपरी परत में घुसते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी जिसके कारण इनकी जान बच गई। यद्यपि क्रैक टीम कमरे के अंदर घुस गई थी तो भी अपराधियों ने अपने छिपने के स्थान से कुछ समय तक गोलीबारी करनी जारी रखी तथा कुछ देर तक चली इस गोलीबारी के बाद ही उस खूंखार अपराधी को निष्क्रिय किया जा सका। करो या मरो की ऐसी स्थिति में इनके अद्वितीय साहस, बहादुरीपूर्ण कृत्य, कर्तव्य के प्रति समर्पण और उत्कृट नेतृत्व के कारण ही खूंखार अपराधियों द्वारा की जा रही निरंतर गोलीबारी से अविचलित रहते हुए श्री धालीवाल ने आगे बढ़ कर टीम का नेतृत्व किया और निर्दोष लोगों के साथ-साथ अपनी टीम के सदस्यों का जीवन बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और निरंतर चल रही दोनों ओर की गोलीबारी के बीच इन्होंने अपराधियों के छिपने के स्थान को तोड़ दिया। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी के दौरान श्री धालीवाल ने तीन गोलियां चलाईं और श्री धालीवाल और इनकी टीम द्वारा की गई नियंत्रित जबाबी गोलीबारी के कारण ही पुलिस पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। अपराधियों के छिपने के स्थान की तलाशी लेने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खूंखार बदमाश ओम प्रकाश उर्फ बंटी और अचूक निशानेबाज राजेश शर्मा उर्फ पन्नी पर गोली लगने के कारण ये नाजुक हालत में पड़े मिले और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने पर बाद में उन्हें "मृत लाया गया" घोषित किया गया। पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने इनमें से प्रत्येक बदमाश के लिए 50,000/-रुपए का पुरस्कार घोषित किया हुआ था और इनके विरुद्व अलग-अलग अदालतों में गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। इनसे 3 स्वचालित .9 एम एम पिस्तौल (2 यू एस ए और एक चीन में निर्मित), 4 देशी पिस्तौल (.313 बोर), 2

चाकू, एक खुखरी, .9 एम एम पिस्तौल के चार अतिरिक्त खाली मैग्जीन और 22 जीवित कारतूस बरामद हुए।

अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

श्री एच.जी.एस. धालीवाल, भा.पु.से., पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला:

दिनांक 24.08.2008 को श्री एच.जी.एस. थालीवाल, भा.पु.से., पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला, नई दिल्ली को इस आशय की गुप्त सूचना मिली कि खूंखार अपराधी ओम प्रकाश उर्फ बंटी ने अपने साथी राजेश शर्मा उर्फ पन्नी के साथ छिपने का अपना स्थान बदल दिया है और अब वे सौरव विहार, जैतपुर गांव, बदरपुर, नई दिल्ली के क्षेत्र में चले गए हैं। इस पर श्री थालीवाल ने तुरंत अपनी टीम एकत्र की, स्वयं उन्हें इस बारे में बताया और छिपने के संभावित स्थान के बारे में और सूचना प्राप्त की। इसके बाद उक्त परिसरों पर छापा मारने के लिए श्री एच.जी.एस. थालीवाल, डी सी पी, दक्षिण जिले के नेतृत्व में एक विशेष का गठन किया गया। दिनांक 25.08.2008 की भोर में ही पुलिस टीम ने छिपने के स्थान को घेर लिया और अपराधियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन ऐसा करने के बजाए उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी इस पर श्री धालीवाल ने टीम को आदेश दिया कि वे अपनी रक्षा में गोलीबारी करें और उन्होंने स्वयं क्रैक टीम का आगे बढ़ कर नेतृत्व किया तथा इन्होंने दरवाजा तोड़ कर कमरे में प्रवेश किया जब कि दोनों ओर से गोलीबारी तब भी जारी थी। इस कार्रवाई में इनकी पसलियों के मध्य में गोली लग गई जो ऊपरी परत में घुसते हुए बुलेट प्रूफ जैके पर जा लगी जिसके कारण इनकी जान बच गई। यद्यपि क्रैक टीम कमरे के अंदर घुस गई थी तो भी अपराधियों ने अपने छिपने के स्थान से कुछ समय तक गोलीबारी करनी जारी रखी तथा कुछ देर तक चली इस गोलीबारी के बाद ही उस खूंखार अपरधी को निष्क्रिय किया जा सका। करो या मरो की ऐसी स्थिति में इनके अद्वितीय साहस, बहादुरीपूर्ण कृत्य, कर्तव्य के प्रति समर्पण और उत्कृट नेतृत्व के कारण ही खूंखार अपराधियों द्वारा की जा रही निरंतर गोलीबारी से अविचलित रहते हुए श्री धालीवाल ने आगे बढ़ कर टीम का नेतृत्व किया और निर्दोष लोगों के साथ-साथ अपनी टीम के सदस्यों का जीवन बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और निरंतर चल रही दोनों ओर की गोलीबारी के बीच इन्होंने अपराधियों के छिपने के स्थान को तोड़ दिया। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी के दौरान श्री धालीवाल ने तीन गोलियां चलाईं और श्री धालीवाल और इनकी टीम द्वारा की गई नियंत्रित जबाबी गोलीबारी के कारण ही पुलिस पार्टी को नुकसान नहीं हुआ।

सहायक पुलिस आयुक्त भीष्म सिंह: श्री भीष्म सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, सरिता विहार ने उन अपराधियों के छिपने के स्थान के बारे में सूचना प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई। जब टीम बदमाशों के छिपने के स्थान सौरव विहार, जैतपुर गांव, बदरपुर, नई दिल्ली पहुंची तो श्री भीष्म सिंह, ए सी पी ने टीम के साथ उन बदमाशों का घेराव करने में पहल की और जब टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ उनके दरवोज तोड़े गए तो श्री भीष्म सिंह, ए सी पी उन बदमाशों के हमले के बिल्कुल सामने आ गए। जब ये फ्लैट में घुसे तो दोनों खूंखार बदमाश फिर भी

गोलीबारी कर रहे थे और इनके जीवन के लिए खतरा बना हुआ था। जब पुलिस पार्टी उन बदमाशों के छिपने के स्थान में घुसी तो बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी तो पुलिस पार्टी ने भी अपनी रक्षा में जबाबी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में ए सी पी भीष्म सिंह ने उन बदमाशों पर गोलीबारी करके उन्हें उलझाए रखा। इन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल कर समय पर कार्रवाई की जिससे बदमाशों को मार गिराने और पुलिस टीम के सदस्यों का जीवन बचाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

<u>निरीक्षक विजय सिंह:</u> अन्तर-राज्य बदमाशों के साथ गोलीबारी के दौरान जब निरीक्षक विजय सिंह फ्लैट में घुसे तो उस समय भी बदमाश इधर-उधर दौड़ रहे थे और अलग-अलग दिशाओं में गोलीबारी कर रहे थे। पुलिस पार्टी भी जबाबी गोलीबारी कर रही थी। निरीक्षक विजय सिंह ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और गोलियों की बौछार के बीच बहादुरी से बदमाशों का मुकाबला किया। इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों के छिपने के स्थान में घुसते समय निरीक्षक विजय सिंह ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उन्होंने अत्यधिक साहस का परिचय दिया। श्री विजय सिंह, निरीक्षक की समय पर की गई कार्रवाई से पुलिस पार्टी के सदस्यों का जीवन बचाया जा सका और बदमाशों को मार गिराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री हर गोबिन्द्र सिह धालीवाल, पुलिस उपायुक्त, भीष्म सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त और विजय सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25.08.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.170-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का चौथा बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. संजीव कुमार यादव, (वीरता के लिए पुलिस पदक का चौथा बार)
   सहायक पुलिस आयुक्त
2. धर्मेन्द्र कुमार (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   उप-निरीक्षक
3. बलवंत सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   हैड कांस्टेबल
4. राजबीर सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 13.09.2008 को गफ्फार मार्केट, करोल बाग, सैंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड और ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में हुए कृमिक बम धमाकों की सूचना मिली थी। रीगल सिनेमा, सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस और चिल्ड्रेन्स पार्क, इंडिया गेट, दिल्ली में एक-एक बम निष्क्रिय किया गया। उक्त धमाकों में 26 लोग मारे गए और 133 लोग घायल हुए। आई पी सी की धारा 302/323/121/34, बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (पी) अधिनियम की धारा 10/12/13 के तहत दिनांक 13.09.2008 को करोल बाग पुलिस स्टेशन, दिल्ली में प्राथमिकी सं0 166/08 के अंतर्गत दर्ज बम धमाके का एक मामला जांच-पड़ताल के लिए विशेष कक्ष/ एन डी आर को अंतरित किया गया था। दिल्ली पुलिस के विशेष कक्ष में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। यह टीम मामलों की जांच-पड़ताल करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए राजधानी के पुलिस बल की आतंकवाद-रोधी यूनिट है । आसूचना एंजेंसी से प्राप्त आंकड़ों और जानकारी का विश्लेषण करने के बाद ये जामिया नगर, दिल्ली के बटाला हाउस क्षेत्र में पहुंचे जहां संदिग्ध अपराधी किसी फ्लैट में छिपा हुआ था।

अभियुक्त को पकड़ने के लिए दिनांक 19.09.2008 को एक टीम, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में पहले उस स्थान में गई। एक बैक-अप टीम भू-तल में तैयार रखी गई थी। पहली टीम का नेतृत्व कर रहे निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र को निर्देश दिया कि वे मोबाइल सं0 9811004309 का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान निश्चित करने के तात्कालिक प्रयोजनार्थ यह सेवा प्रदान करने वाले एक कार्यपालक को पकड़ने के लिए फ्लैट नं0 108 में जाएं। उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र सबसे पहल एल-18, बटाला हाउस के फ्लैट नं0 108 के सबसे ऊपर वाले तल तक सीढ़ियों से ऊपर गए जब इन्हें उस अपार्टमैंट में कुछ आवाजें सुनाई दीं तो निरीक्षक मोहन चंद शर्मा को यही बताने के लिए इन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया। जब निरीक्षक मोहन चंद शर्मा को यह जानकारी मिली तो इन्होंने उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र के साथ उक्त अपार्टमैंट में जाने का निर्णय लिया ताकि वहां पर उसकी जांच की जा सके। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, उप- निरीक्षक राहुल कुमार, उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, उप-निरीक्षक रविन्द्र त्यागी, हैड कांस्टेबल बलवंत हैड कांस्टेबल सतेन्द्र और हैड कांस्टेबल उदयबीर सहित सात सदस्यीय एक टीम इस बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल में गई जहां यह फ्लैट नं0 108 था। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने उस फ्लैट का मुख्य दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने के लिए कहा और अपना परिचय देते हुए कहा कि हम पुलिस कार्मिक हैं। इस पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर इन्होंने दरवाजे पर धक्का मारने की कोशिश की लेकिन पता चला कि इस पर अंदर से कुंडी लगी हुई है। इसके बाद इन्होंने एक ऐसे अन्य दरवाजे पर धक्का मारा जिस पर अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी जिससे दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुलने पर निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में एक टीम इस दरवाजे से अंदर घुसी। इस पर तुरंत ही अपार्टमैंट के ड्राइंग रूम की दांई तरफ से और बांई तरफ के कमरे से पुलिस टीम पर गोलियों की बौछार हुई। चूंकि पुलिस टीम, दोनों ओर से उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच फंस गई थी इसलिए अपनी रक्षा में निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, उप-निरीक्षक राहुल कुमार, उप-निरीक्षक रविन्द्र त्यागी, हैड कांस्टेबल बलवंत ने भी जबाबी गोलीबारी कर दी। उग्रवादी अपने अधुनातन हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे। इस गोलीबारी के दौरान निरीक्षक मोहन चंद शर्मा को गोली लग गई और ये नीचे गिर पड़े, इसके बाद उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और घायल निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की सरकारी पिस्तौल उठाई और उप-निरीक्षक राहुल कुमार और हैड कांस्टेबल बलवंत के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद उग्रवादियों का बहादुरी के साथ सामना किया । जबाबी गोलीबारी करते समय ये उग्रवादियों की गोलीबारी के निशाने पर थे और अपने बचाव में इनके पास कोई आड़ नहीं थी। दोनों ओर से बहुत नजदीक से गोलीबारी हो रही थी। उप-निरीक्षक रविन्द्र त्यागी, बांये कमरे से गोलीबारी कर रहे एक उग्रवादी के सामने थे। लेकिन उप-निरीक्षक रविन्द्र त्यागी ने अपनी रक्षा में उस उग्रवादी का बहादुरी से मुकाबला किया। इस गोलीबारी के दौरान उग्रवादियों की एक गोली हेड कांस्टेबल बलवंत के दांये हाथ में लगी और इनकी पिस्तौल गिर गई लेकिन इन्होंने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, बांयें हाथ से पिस्तौल उठाई ताकि वह पिस्तौल उन उग्रवादियों के हाथ न लग जाए। उग्रवादियों के साथ हुई इस गोलीबारी में निरीक्षक राहुल कुमार ने दांई तरफ से टीम का नेतृत्व किया और उग्रवादियों की गोलियों की बौछार का सामना किया। उप-निरीक्षक राहुल कुमार ने

बिल्कुल सामने से उग्रवादियों का सामना किया और अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे घायल निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और हैड कांस्टेबल बलवंत को तत्काल अस्पताल ले जाएं। दोनो ओर से चली गोलीबारी के दौरान मो0 अतीफ अमीन उर्फ बशीर नामक उग्रवादी गोली लगने से घायल हो गया और अरिज उर्फ जुनैद और शाबाज उर्फ पप्पू नामक दो उग्रवादी, पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते हुए बच कर भागने में सफल हो गए निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और हैड कांस्टेबल बलवंत सिंह को उप-निरीक्षक धर्मेंद्र और हेड कांस्टेबल उदयबीर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अभी भी कुछ उग्रवादी बांई तरफ के कमरे में छिपे हुए थे। उप-निरीक्षक राहुल कुमार, उप-निरीक्षक रविन्द्र त्यागी और हैड कांस्टेबल सतेन्द्र ने उनका भागने का रास्ता रोक दिया था। इसी बीच बुलेट प्रूफ-जैकेटों और हथियारों से लैस बैक अप टीम फ्लैट में पहुंच गई। इस टीम का नेतृत्व ए सी पी संजीव कुमार यादव कर रहे थे और हैड कांस्टेबल राजबीर सिंह भी इस टीम में शामिल थे। उस फ्लैट में पहले से मौजूद उप-निरीक्षक राहुल ने उस घटना और बांई तरफ के कमरे में छिप कर पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर रहे दूसरे उग्रवादियों के बारे में बताया। ए सी पी संजीव कुमार यादव ने बांई तरफ कमरे में छिपे उग्रवादियों से कहा कि वे पुलिस पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दें लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद ए सी पी संजीव कुमार यादव और हैड कांस्टेबल राजबीर सिंह ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए उस कमरे में घुसने की कोशिश की लेकिन उनमें से एक उग्रवादी ने पुलिस टीम की ओर लगातार गोलीबारी की और बालकोनी के दरवाजे की ओर जाने लगा। ए सी पी संजीव कुमार यादव उस उग्रवादी के निशाने पर थे और उग्रवादी द्वारा चलाई गई एक गोली इनके बिलकुल नजदीक से गुजर गई। इस पर ए सी पी संजीव कुमार यादव ने तुरंत जबाबी गोलीबारी कर दी। उग्रवादी ने बच कर भागने और पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इन पर गोलीबारी करनी जारी रखी। उग्रवादी द्वारा चलाई गई गोलियों से दो गोलियां हैड कांस्टेबल राजबीर की छाती में लगीं लेकिन क्योंकि इन्होंने बुलेट प्रुफ जैकेट पहन रखी थी इसलिए ये बच गए। इस पर हैड कांस्टेबल राजबीर ने अपनी ए के 47 एसॉल्ट राइफल से तुरंत ही अपनी रक्षा में जबाबी गोलीबारी कर दी। ए सी पी संजीव कुमार यादव ने अत्यंत सूक्ष-बूझ, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति से उस खूंखार उग्रवादी को निष्क्रिय कर दिया। बैक-अप टीम द्वारा की गई क्रास-फायर में मो0 सजिद उर्फ पंकज नामक उग्रवादी घायल हो गया जब कि मो0 सैफ उर्फ राहुल शर्मा नामक दूसरे उग्रवादी ने पुलिस पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मो0 आरिफ अमीन और मो0 साजिद नामक दोनो घायल उग्रवादियों को अस्पताल ले जाया गया और इन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में मृत लाया गया घोषित किया गया। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा भी उसी दिन बाद में अस्पताल में घायलावस्था में शहीद हो गए। दो मैग्जीनों में भरे हुए 30-30 राउंद के साथ ए के श्रृंखला की एक एसॉल्ट राइफल और .30 कैलिबर की दो पिस्तौले उग्रवादियों से बरामद हुई थीं। मो0 सैफ निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का एक उग्रवादी भी फ्लैट नं0 108, एल-18 बटाला हाउस, जामिया नगर, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मो0 सैफ ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और भारत के दूसरे भागो में क्रमिक धमाके करने में संलिप्त था। फ्लैट की एक नजर में तलाशी लेने पर 2 लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, इंटरनेट डाटा कार्ड, कांपैक्ट डिस्क, डिजिटल

वीडियो कैसेट, टूटी सिम, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, साइकल बॉल वियरिंग, जिहाद से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज आदि बरामद हुए।

इन उग्रवादियों की संलिप्तता से संबंधित सूचना केन्द्रीय आसूचना एजेंसी, राजस्थान, मुम्बई, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दूसरी राज्य पुलिस को दी गई। हाल के क्रमिक धमाकों में दिल्ली पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और महाराष्ट्र पुलिस ने बीस तथा उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियुक्त गिरफ्तार किया था। उनसे की गई पूछ-ताछ के दौरान उन सभी ने यह स्वीकार किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के साथ उनके संबंध थे। ए सी पी संजीव कुमार यादव, उप-निरीक्षक राहुल कुमार, उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र, उप-निरीक्षक रविन्द्र त्यागी, हेड कांस्टेबल बलवंत और हैड कांस्टेबल राजबीर की अतुलनीय वीरता और अनुकरणीय साहस से गोलीबारी में दो उग्रवादियों को निष्क्रिय कर दिया गया, एक को जीवित पकड़ा गया और इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी गुट के पूरे मौड्यूल को नष्ट कर दिया गया। ए सी पी संजीव कुमार यादव ने अविचलित और निडर हो कर दो राउंद गोलियां चलाई,उप-निरीक्षक राहुल कुमार ने 5 राउंद, उप-निरीक्षक रविन्द्र कुमार त्यागी ने 4 राउंद, हैड कांस्टेबल बलवंत ने 2 राउंद गोलियां अपनी सरकारी पिस्तौलों से चलाई, उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र ने निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की सरकारी पिस्तौल से 2 राउंद गोलियां और हैड कांस्टेबल राजबीर ने अपनी सरकारी ए के-47 से 3 राउंद गोलियां चलाई और इन सभी ने उग्रवादियों को मिटाने में महत्पूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री, संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त, धर्मेन्द्र कुमार, उप-निरीक्षक, बलवंत सिंह, हैड कांस्टेबल, राजबीर सिंह, हेड कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का चौथा बार/पुलिस पदक का प्रथम बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.09.2008 से अनुमत हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 171-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री गगन भास्कर,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उप निरीक्षक गगन भास्कर ने अपनी सराहनीय वीरता का परिचय देते हुए फिरौती के लिए स्कूल की एक नाबालिग लड़की का दिन दहाड़े किए गए अपहरण के एक सनसनीखेज मामले को हल किया और 5 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया तथा उनसे उस लड़की को छुड़ा दिया। दिनांक 8.3.2008 को श्री राजीव वालिया की 14 वर्षीय सुपुत्री कृतिका, स्कूल जाने वाली एक नाबालिग लड़की, जब वीरेन्द्र नगर, हरि नगर, नई दिल्ली स्थित बाजार जा रही थी तो 5 अभियुक्तों के एक गैंग ने उसके घर के नजदीक उसका अपहरण कर लिया। निर्दोष लड़की का अपहरण करने के बाद अपहर्ताओं ने फिरौती के लिए टेलीफोन किया और उसे सुरक्षित छोड़ने के लिए अपहरण की गई लड़की के माता-पिता से 50 लाख रुपए की मांग की। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई और उस लड़की के दादा जी श्री ओम प्रकाश वालिया के बयान के आधार पर हरि नगर पुलिस स्टेशन ने आई पी सी की धारा 364ए के तहत प्राथमिकी सं. 92/08 दर्ज की गई। चूंकि एक नाबालिग लड़की का जीवन खतरे में होने के कारण यह एक अत्यंत संवदेनशील मामला था इसलिए इस नाबालिग लड़की को कोई नुकसान न हो इसलिए, पुलिस ने अतिरिक्त सावधानी बरती। उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने सर्वोच्च स्तर की पेशेवर क्षमता का परिचय दिया और स्थानीय पूछ-ताछ और तकनीकी निगरानी के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए। इसके आधार पर उप-निरीक्षक, अपराधियों के अधिक-से-अधिक निकट पहुंचने में सफल हुए और इन्होंने महिपालपुर लाल बत्ती के निकट बसंत कुंज रोड पर एक जाल बिछाया। दिनांक 10.03.2008 को पूर्वाह्न लगभग 5 बजे जैसे ही महिपालपुर लाल बत्ती से बसंत कुंज की ओर जाता हुआ एक संदिग्ध वाहन देखा गया (सफेद रंग की लांसर) तभी उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने पुलिस टीम के साथ उसे घेर लिया। लेकिन जब अपहर्ताओं को पुलिस की मौजूदगी का अहसास हुआ तो उन्होंने भागने की कोशिश की। उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने अत्यधिक साहस का परिचय दिया, अपने जीवन को खतरे में डाला और अपराधी को पकड़ने तथा अपहृत लड़की को छुड़ाने के लिए ये वाहन के ऊपर कूद गए। इस झड़प में अभियुक्तों ने अपनी लांसर कार में भगाने और कार के पहियों के नीचे उप-निरीक्षक गगन भास्कर को कुचल कर मारने की कोशिश की। इसके बावजूद उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और बच कर भाग रहे वाहन को लगभग 20 से 25 मीटर तक पकड़े रखा और अंततः ये उसे रोकने में सफल हो गए। उनके इस अत्यंत सराहनीय कृत्य से न केवल 5 अपहर्ताओं को अंततः पकड़ा जा सका बल्कि लांसर वाहन के अंदर रखी लड़की को भी बचाया जा सका। नाबालिग अपहृत लड़की को बचाने के लिए उप-निरीक्षक गगन भास्कर ने बहादुरी का जो कार्य किया उससे वे कार के नीचे आने से भी बच गए। इस कार्य में इन्होंने

अपने जीवन की भी परवाह नहीं की और इनके इस साहसपूर्ण कृत्य का फल भी इन्हें मिला जिसके कारण ये गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने और नाबालिग लड़की को सकुशल बचाने में सफल हुए।

इस मुठभेड़ में श्री गगन भास्कर, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.03.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 172-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री गिते श्रीधर महिपति,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 18 और 19 अक्टूबर, 2008 के बीच की रात जब कांस्टेबल श्रीधर, खिचड़ी पुर, दिल्ली क्षेत्र में अपनी बीट की गश्त लगाने की ड्यूटी कर रहा था तो इन्होंने मोटर साइकल पर सवार तीन लोगों को जांच के लिए रोका। इस जांच के दौरान इन तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने इन पर तीन गोलियां चलाई जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कांस्टेबल श्रीधर ने बहादुरी से पलट कर अपनी सर्विस पिस्तौल से उन हमलावरों पर गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल श्रीधर द्वारा की गई इस जबाबी गोलीबारी से एक हमलावर गोली लगने से घायल हो गया। बाद में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी अभियुक्त खतरनाक अपराधी थे और ये हत्या, हत्या की कोशिश, सेंध लगाने आदि जैसे कई मामलों में संलिप्त थे।

कांस्टेबल श्रीधर ने अकेले ही उक्त साहसिक कृत्य किया और तीन खूंखार और खतरनाक अपराधियों को अकेले ही चुनौती दी, अपने जीवन को गंभीर खतरा होने पर भी इन्होंने सर्वोच्च कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में श्री गिते श्रीधर महिपति कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.10.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 173-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मान सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिसम्बर, 2006 माह के दौरान विशेष कक्ष, एन डी आर में इस आशय की सूचना मिली कि कमल मेहता, पुत्र इंद्रजीत, निवासी 195/200, भारत नगर, दिल्ली नामक एक कुख्यात और खूंखार अंतर राज्यीय बदमाश, जो हत्या, हत्या की कोशिश,, लूट-पाट, फिरौती के लिए अपहरण आदि के कई मामलों में संलिप्त है, दिल्ली में अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए यहां पर अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में 15,000/- रूपए के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। उसके बारे में सूचना देने के लिए मुखबिरों को तैनात किया गया था। और उसकी गतिविधियों और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही थी। दिनांक 22.12.2006 को सायं लगभग 5.30 बजे इस आशय की विशिष्ट सूचना मिली कि कमल मेहता सायं 8 से 9 बजे के बीच अपने सहयोगी से मिलने के लिए नीले रंग के बजाज चेतक स्कूटर पर नरेला-कंझावला होते हुए नांगलोई आएगा। यह सूचना दैनिक डायरी रजिस्टर में दर्ज थी। संजीव कुमार , ए सी पी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें निरीक्षक एस.के.गिरी, निरीक्षक मनोज दीक्षित, उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव, कांस्टेबल मान सिंह और विशेष कक्ष के अन्य कर्मचारी शामिल थे। यह टीम सायं 7.40 बजे सर छोटू राम पोलीटेक्नीक संस्थान, गांव घेवरा रोड पहुंची। सूचना को ध्यान में रखते हुए छापामार पार्टी को दो भागों में बांटा गया। निरीक्षक मनोज दीक्षित के नेतृत्व में पहली टीम ने घेवरा की ओर जाने वाली सड़क पर सर छोटू राम पोलीटेक्नीक संस्थान के सामने मोर्चा संभाला। दूसरी टीम ने, जिसमें ए सी पी संजीव कुमार यादव, निरीक्षक एस.के. गिरी, उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव और कांस्टेबल मान सिंह शामिल थे, घेवरा जा रही सड़क पर सर छोटू राम पोलीटेक्नीक संस्थान से लगभग 200मीटर दूर दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाला। सायं लगभग 8.10 बजे निरीक्षक मनोज दीक्षिण ने दूसरी टीम को सूचित किया कि सूचना के अनुसार एक नीला स्कूटर देखा गया है और यह नांगलोई की ओर जा रहा है। इस स्कूटर का नं. डी एल-6 एस-पी-9783 है। उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव और कांस्टेबल मान सिंह ने इस स्कूटर को रोकने की कोशिश की लेकिन चालक ने अपनी गति तेज कर दी। इस सूचना पर उस स्कूटर को रोकने के लिए दूसरी टीम ने एक सरकारी क्वालिस वाहन सड़क के बीच में खड़ा

कर दिया जिसकी फ्लैश लाइट जल रही थी। वह स्कूटर तेजी से दूसरी टीम की ओर आ रहा था। इसी बीच स्कूटर चालक की पहचान कमल मेहता के रूप में हो गई। इसलिए पुलिस टीम ने उससे कहा कि उसे पहचान लिया गया है, अत: वह आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन उसने ऐसा नही किया, स्कूटर सड़क पर छोड़ दिया और बच कर भागने की कोशिश में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। उसने पूर्वी तरफ खेतों की ओर भागना शुरू किया। इस पर उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव और कांस्टेबल मान सिंह ने उसका पीछा किया। कमल मेहता ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी जारी रखी। खुंखार बदमाश को पकड़ने और अपनी रक्षा में उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव और कांस्टेबल मान सिंह ने भी अपनी सर्विस पिस्तौलों से जबाबी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कमल मेहता घायल हो कर नीचे गिर पड़ा। उसे पी सी आर वाहन से अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत लाया गया, घोषित किया गया। कंझावला पुलिस स्टेशन, दिल्ली में इस संबंध में कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(i) एक कोल्ट स्वचालित पिस्तौल, 455 केलिबर पिस्तौल।

(ii) चलाई गई एक गोली और बदमाश के तीन जीवित कारतूस।

(iii) एक बजाज चेतक सं0 डी एल-6एस-पी-9783।

<u>कांस्टेबल मान सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका</u>

दिनांक 22.12.2006 को कांस्टेबल मान सिंह और उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ कमल मेहता नामक खूंखार बदमाश को पकड़ने के लिए सर छोटू राम पोलीटेक्नीक संस्थान के निकट घेवरा जा रही सड़क पर अपने मोर्चे संभाले। जब स्कूटर आता हुआ दिखाई दिया और उसके चालक की पहचान कमल मेहता के रूप में किए जाने पर उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन उसने स्कूटर वहीं छोड़ दिया और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां करते हुए वह खेतों की ओर भाग खड़ा हुआ। यद्यपि कांस्टेबल मान सिंह और उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव उसकी गोलीबारी की सीध में थे फिर भी इन्होंने उस बदमाश को पकड़ने की दृष्टि से कांस्टेबल मान सिंह और उप-निरीक्षक अभय नारायण यादव ने भी अपनी-अपनी सर्विस पिस्तौलों से गोलीबारी कर दी।

इस मुठभेड़ में श्री मान सिंह, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22.12.2006 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 174-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. साहित देबवर्मा,
   नायक
2. बाबुल चौधरी,
   राईफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 19.08.2008 को लगभग 0800 बजे इस गुप्त जानकारी के आधार पर कि अत्याधुनिक हथियारों एवं ग्रेनेडो के साथ सिविल ड्रेस में आतंकवादियों का एक एन एल एफ टी दल बांग्लोदश से घुसपैठ कर गया है और इसके बाद उन्हें कंचनपुर पुलिस थाना (उत्तर त्रिपुरा) के अन्तर्गत थालिक पारा के कुछ सुदूर क्षेत्रों में कुछेक अज्ञात धुमन्तु झोपड़ियों के पा देखा गया है, पार्टी कमाण्डर नायब/सूबेदार (जीडी) स्वपन कु0 पाल ने अन्य 16 सहयोगियों के साथ मिलकर तुरन्त दल के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु कार्य योजना तैयार की जिससे इन्हें भूमि एवं लोगों पर किसी तरह की गलत गतिविधि करने से रोका जा सके। नीति के अनुसार पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया गया और स्पष्ट एवं संक्षिप्त विचार-विमर्श के बाद वे तुरन्त एन एल एफ टी दल के उन खूँखार आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए चल पड़े जिन्हें पहले ही सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक घने जंगलों एवं दुर्गम तराई से होकर चलते हुए वे थालिकपारा पहुँच गए और आगे सुदूर धुमन्तु झोपड़ियों की ओर चल पड़े। अज्ञात स्थान के पास पहुँचने पर हमारे पार्टी कमाण्डर ने देखा कि लगभग 14-15 साल की लड़की, जो संभवत: सुदूर घुमन्तु झोपड़ी के इलाके से पानी लेने के लिए जल भराव की तरफ आ रही थी, अचानक वापिस लौट गई और दूसरी दिशा में भागने लगी। हमारे पार्टी कमाण्डर को कुछ असामान्यता की शंका हुई और दल को तत्काल सुदूर झोपड़ी के इलाके की जानकारी हासिल करने के लिए उस लड़की को पकड़ने की हिदायत दी। उस लड़की ने कुछ जानकारी दी जिसके आधार पर हमारे पार्टी कमाण्डर ने शरणस्थली के नजदीक ही होने की आशंका से योजनानुसार दल को दो अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए कहा। हवलदार (जीडी) गंगामाणिक देबन्ना के नेतृत्व में एक पार्टी जैसे ही योजनानुसार कुछ दूर आगे बढ़ी, उन्होंने पाया कि अलग-थलग कुछ हटकर एक घुमन्तु झोपड़ी में एक व्यक्ति अपना हाथ धो रहा

था। हवलदार (जीडी) गंगामणिक ने पाया कि उस व्यक्ति की पोशक (हालांकि आम नागरिक की पोशक थी) उन पोशाकों से कुछ अलग हटकर थी जैसा कि उस क्षेत्र के नागरिक सामान्यत: पहनते थे। तुरन्त उनके दिमाग में बात आई कि ये उस इलाके के नहीं लगते और संभवत: घुसपैठिए थे। उन्होंने अपने दल को मोर्चा संभालने के लिए सचेत किया और धीरे-धीरे इलाके को घेर लिया। इन्होंने इलाके का सर्वेक्षण किया और 5 जवानों को अवरोधक दल के रूप में भागने के संभावित रास्ते की तरफ जाने के लिए कहा। सं0 97040602 एन के (जीडी) सहित देबबर्मा और सं0 97040929 एन के (जीडी) बाबुल चौधरी ने तुरन्त मोर्चा संभाला और छुपते हुए कठिन ढ़लान की ओर चल पड़े जिससे उन्हें पहचाना न जा सके। दूसरा सदस्य योजनानुसार इलाके की घेराबंदी करने चल पड़ा। खतरे को भांपते हुए दो व्यक्ति घुमन्तु झोपड़ी से कूदकर बाहर आ गए और एक के बाद एक 2 ग्रेनेड हमारे दल पर फेंक दिए जो उस समय तक घुमन्तु झोपड़ी के काफी नजदीक पहुँच गए थे। एन के (जीडी) सहित देबबर्मा का दल तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए अपने-अपने मोर्चा से उछलकर दूर हो गए जिससे आगामी ग्रेनेड हमले से बचा जा सके। उसके बाद हमारे दल पर रूक-रूक कर घुमन्तु झोपड़ी के दूसरे किनारे से गोली बरसने लगी। हमारे दल ने प्रत्युत्तर में उस दिशा में गोली चलानी शुरू कर दी जिधर से आतंकवादी ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे थे और आगे बढ़ते रहे। असमय गोलीबारी के बीच हमारा दल अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ता रहा जिससे आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। हमारा अवरोधक दल असमय गोलीबारी के बीच भी छुपते हुए घुमन्तु झोपड़ी के काफी नजदीक पहुँच गया और एक आतंकवादी को पकड़ने में सफल हो गया। गोलीबारी लगभग 15 मिन्टों तक चलती रही और अन्ततः पार्टी कमाण्डर के सक्षम नेतृत्व में हमारे दल के प्रहारक हमले से आतकंवादी दल को पीछे हटकर भागना पड़ा । हमारे दल ने हालांकि दुर्गम तराई की तरफ उनका पीछा किया परन्तु दूसरों को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वे जंगल तथा अपनी स्थिति एवं तराई का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। हालांकि सघन तलाशी लेने पर हमारे दल ने एक आतंकवादी के मृत शरीर को और दूसरे आतंकवादी को बुरी तरह से घायल स्थिति में बरामद किया जिसके शरीर से बुरी तरह से खून बह रहा था। हमारे दल ने सहिष्णुता का परिचय देते हुए घायल के तत्काल ईलाज की व्यवस्था की परन्तु घायल थोड़ी देर बाद मर गया।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री साहित देबबर्मा, नायक एवं बाबुल चौधरी, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.08.2008 से अनुमत हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.175-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भक्त बिंदु जमातिया,
नायब सुबेदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 18 अगस्त, 2008 की सुबह एस ओ जी. प्लाटून के हवलदार (जीडी) राजेश देबबर्मा को अपने ही स्रोत से जानकारी मिली कि पुष्परम जमातिया (30) उर्फ नकबर/नैथाकराय नामक ए टी टी एफ के 55 सर्जेण्ट मेजर के नेतृत्व में ए टी टी एफ आतंकवादियों के एक दल को सिधाई पुलिस थाना के अन्तर्गत बरगाछिया गांव में घूमते हुए देखा गया था। वे छः की संख्या में थे जिसमें से 5 ओ जी ड्रेस में थे जबकि एक नागरिक ड्रेस में था। सब के पास स्वचालित हथियार थे। जानकारी का चारों तरफ से सत्यापन कराया गया और पुष्टि की गई। आतंकवादियों के ठहरने के वास्तविक स्थान की जानकारी भी हासिल की गई। इस जानकारी के आधार पर संदिग्ध स्थान पर तत्काल छापा मारने का निर्णय लिया गया। नायब/सूबेदार (जीडी) भक्त बिंदु जमातिया के नेतृत्व में द्वितीय बटालियन टी एस आर के एस ओ जी प्लाटून का कार्रवाई दल 18.08.2008 को 0830 बजे चाचू पोस्ट से चल पड़ा। कार्रवाई दल इक्ट्ठा होकर चाचू से चल पड़ा और पूर्णरूपेण चौकसी बनाए रखी। खामपेर में आर पी केन्द्र निर्धारित किया गया जहाँ वे दो हिस्सों में बँट गए। प्रहारक दल का नेतृत्व हवलदार राजेश देबबर्मा ने और अवरोधक दल का नेतृत्व नायब/सूबेदार भक्त बिंदु जमातिया ने किया। प्रहारक दल (खोजी दल) हवलदार राजेश देबबर्मा के नेतृत्व में आर वी केन्द्र से बांयी ओर मुड़ा और जंगल के पूर्वोत्तर से हथियारबंद आतंकवादियों के शरणस्थली पर हमला करने के दृष्टिकोण से जंगल के रास्ते से चल पड़ा। अवरोधक दल टिल्ला मार्ग से आगे बढ़ा और गांव की पूर्वी दिशा में भागने वाले आतंकवादियों को रोकने के दृष्टिकोण से दो भागों में बँट जाने की योजना बनाई। प्रहारक दल ने जब अपना आधा रास्ता तय कर लिया तब उन्होंने छः सदस्यों के ए टी टी एफ दल को देखा। इनमें से पाँच ओ जी ड्रेस में थे जबकि एक नागरिक पोशाक में था। ये सभी दाइखोला गांव की ओर जाने वाली जंगल पगडंडी को पकड़ने के लिए धान के खेत से होकर जंगल के इलाके में बढ़ रहे थे। समस्त आतंकवादियों के पास हथियार थे। यह इलाका घनी झाड़ियों से भरा हुआ था और कोई उपयुक्त आड़ नहीं थी। सावधान किए जाने पर प्रहारक दल के सदस्यों ने झाड़ियों के पीछे छुपकर तत्काल अपना मोर्चा संभाल लिया। हवलदार राजेश

देबबर्मा सामने की तरफ थे और उन्होंने पगडंडी की दाहिनी तरफ की ढ़लानों पर मोर्चा संभाल रखा था। अन्य सदस्य तकरीबन ऊँचे इलाकों में तैनात किए गए थे और उन्हें धान के खेत से जाने वाली पगडंडी साफ दिख रही थी। जैसे ही एटी टी एफ के सदस्य हवलदार राजेश देबबर्मा से 10 गज की दूरी के भीतर पहुँचे वैसे ही गोलियाँ चलने लग गई। गोलीबारी का क्षेत्र ज्यादा स्पष्ट नहीं था, इसलिए प्रहारक दल अच्छी मारक भूमि के रूप में धान के खेत का लाभ उठाने के लिए तत्काल आगे की ओर नीचे चला गया। हवलदार राजेश देबबर्मा ने अपनी ए के-47 राइफल से लगातार गोलियाँ दागीं और ए टी एफ दल के नंबर वन को मार गिराया । दल के अन्य सदस्य हवलदार राजेश देबबर्मा को साफ नहीं दिख रहे थे। प्रहारक दल के अन्य सदस्यों ने बचाव के लिए गोलीबारी की तथा हवलदार राजेश देबबर्मा एवं इ एफ जगत कुमार जमातिया को आतंकवादियों से होने वाली किसी तरह की हानि से बचाए रखा। जब तक हवलदार (जीडी) राजेश देबबर्मा आतंकवादियों पर फिर से गोली चला पाते वे नीचें की तरफ पहुँच गए और इस क्रम में उन्होंने कार्रवाई दल पर अपनी ए के-66 राइफलों से लगातार गोलीबारी जारी रखी। आतंकवादी दल ने हथगोला भी फेंका जो प्रहारक दल से 20 गज की दूरी पर फटा। 25 मिनटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। प्रहारक दल के सदस्य तब दाहिनी तरफ से नीचे उतरने लगे और एक आतंकवादी के मृत शरीर को रास्ते में पाया जिसके पास ही उसका स्वचालित हथियार पड़ा था। ए टी टी एफ दल के सदस्य पूर्वोत्तर दिशा में भाग गए जहाँ उनकी मुठभेड़ नायब/सूबेदार (जीडी) भक्त बिंदु जमातिया के नेतृत्व वाले अवरोधक दल से हुई। अवरोधक दल के साथ उनकी भिड़न्त तब हुई जब वे अवरोध के लिए लगाए गए अन्तिम केन्द्र पर पहुँचने वाले थे। वे दूसरे आतंकवादी को मारने तथा 20 चक्र कारतूस एवं एक मैग्जीन के साथ उनकी ए के-66 राइफल छीनने में सक्षम हो गए थे। आतंकवादियों ने अपनी ए के-66 राइफलों से लगभग 200 चक्र गोलियाँ एवं एक हथगोला दागा जबकि कार्रवाई दल ने 263 चक्र गोलियाँ चलाई। कार्रवाई दल ने दोनों स्थानों पर गोलीबारी रूकने के बाद सघन तलाशी ली और गोलियों से छलनी ओ जी ड्रेस में ए टी टी एफ के एक आतंकवादी का मृत शरीर मुठभेड़ स्थल पर पाया। मृत शरीर की पहचान बाद में एटीटीएफ के एस एस सार्जेण्ट मेजर पुष्पाराम जमातिया (30) उर्फ नकबर/नैथाकराय, पुत्र- स्वर्गीय बीर बहादुर जमातिया, ग्राम-दोलुमा ए डी सी कालोनी, थाना-बीरगंज, दक्षिण त्रिपुरा जिला (बीरगंज थाना के अन्तर्गत एस पी (एसबी), त्रिपुरा की सूची 51.22 के तहत सूचीबद्ध ए टी टी एफ आतंकवादी में से एक) के रूप में की गयी।

पी.ओ. से निम्नलिखित हथियार एवं भड़काऊ दस्तावेजों की बरामदगी की गयी-

1. ए के-66 राइफल-2 (बॉडी नं. 10101297 एवं 9007345)
2. ए के-66 राइफल मैग्जीन-3
3. ए के-66 राइफल कारतूस-36 चक्र
4. नगद-7300/-रूपए
5. पिठ्ठू-1
6. ए टी टी एफ सब्सक्रियशन पैड-1
7. डायरी-3

8. फोटोग्राफ-2
9. मच्छरजाली-1
10. पोलिथीन शीट-1
11. सिविल शर्ट-1
12. मोबाइल सिम कार्ड-1

टी एस आर की द्वितीय बटालियन की एस ओ जी टुकड़ी की तरफ से यह एक अद्भुत साहस एवं बहादुरी वाला कार्य था। ए टी टी एफ के घुसपैठिया दल से लड़ने में तीव्र एवं बुद्धिमतापूर्ण कार्रवाई से बेहतर परिणाम हासिल हुए। आतंकवादी दल के सरगना की मौत तथा हथियारों की बरामदगी से घुसपैठियों को भारी झटका लगा और कार्रवाई दल के सैनिकों का मनोबल बढ़ा। पार्टी कमाण्डर नायब सूबेदार भक्त बिंदु जमातिया एवं हवलदार (जीडी) राजेश देबबर्मा के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना अपेक्षित है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बहादुरी से लड़ाई की।

इस मुठभेड़ में श्री भक्त बिंदु जमातिया, नायब सूबेदार, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 18.08.2008 से अनुमत हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 176-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1.	अमिताभ यश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
2.	अनन्त देव, अपर पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
3.	ऋषिकेश यादव, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	विमल कुमार सिंह, उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

अमिताभ यश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस टी एफ) और उनका दल, जिसमें श्री अनन्त देव, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक, श्री ऋषिकेश यादव, निरीक्षक, श्री विमल कुमार सिंह, उप निरीक्षक (सीपी) के साथ-साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे, शिवरामपुर पुलिस थाना कार्वी में ठहरा हुआ था। उनको दुर्दान्त डाकू ठोकिया उर्फ अम्बिका तथा उनके गैंग को कानून के शिकंजे में लाने का आदेश मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर पाँच लाख रूपए के ईनाम की घोषण कर रखी थी जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक लाख रूपए के ईनाम की घोषणा की थी। लगभग एक वर्ष से अधिक से मुखबिरों एवं इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से निरन्तर गैंग की गतिविधि, इसके समर्थकों एवं इसके नेटवर्क के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही थी। इस अथक प्रयास के परिणामस्वरूप 04.08.2008 को 00.15 बजे एक मुखबिर के माध्यम से दल को गैंग के ठहरने के स्थान की जानकारी मिली। मुखबिर ने 20 सदस्यों के उपस्थित होने की जानकारी दी जिसमें से सभी स्वचालित एवं अन्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। दल उस स्थान

की ओर चल पड़ा, लहरदार दर्रों का लाभ उठाते हुए अपनी गतिविधि को छुपाए रखा और उस कुएँ के पास गैंग से सम्पर्क बनाने में सफलता पा ली जहाँ वे छुपे हुए थे। आत्मसमर्पण का आह्वान किए जाने पर गैंग ने गालियाँ देकर और गोली चलाकर इसका जवाब दिया। डाकू सामरिक रूप से बेहतर स्थिति में थे और वे एस टी एफ दल पर प्रभावी गोलीबारी कर सकते थे। अपनी जान को अत्याधिक खतरा महसूस करते हुए भी श्री अमिताभ यश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और श्री अनन्त देव, अपर पुलिस अधीक्षक ने आगे बढ़ते समय गैंग के स्थान की तरफ रेंगते हुए जाने का निर्णय लिया। अनिल सिंह, ऋषिकेश यादव और विमल सिंह भी रेंगते हुए गैंग की तरफ आगे बढ़े जो उन पर भारी गोलीबारी कर रहे थे। नजदीक पहुँचने पर पुलिस दल ने भी गैंग के प्रतिरोध का सामना करते हुए जवाबी गोलीबारी की, जो घने अंधेरे, गीली लहरदार भूमि और घनी झाड़ियों का सहारा लेकर भाग गए। क्षेत्र की सतर्कतापूर्वक तलाशी लेने पर ठोकिया उर्फ अम्बिका उर्फ डाक्टर (गैंग का सरगना) का मृत शरीर मिला। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई:-

1. एक ए के सीरिज राइफल, ए के सीरिज के 48 जिंदा कारतूस तथा 11 खाली खोल।
2. एक डी बी बी एल, फैक्ट्री निर्मित 12 बोर बंदूक, 12 बोर के 24 जिंदा कारतूस तथा 08 खाली खोल।
3. दो एस बी बी एल, फैक्टरी निर्मित 12 बोर बंदूक।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री अमिताभ यश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनन्त देव, अपर पुलिस अधीक्षक,ऋषिकेश यादव, निरीक्षक, अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक तथा विमल कुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का द्वितीय बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.08.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.177-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. यतिन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक
2. ओमवीर सिंह चौहान, उप निरीक्षक
3. शिवेन्द्र सिंह सेंगर, हेड कांस्टेबल
4. राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19 दिसम्बर 2007 को लगभग 0430 बजे, श्री यतिन्द्र शर्मा, उत्तर प्रदेश एस टी एफ़ के उप निरीक्षक को जानकारी मिली कि कुख्यात डाकू अनूप सिंह गुर्जर और उसके गैंग के कुछ बदमाश जघन्य अपराध करने के लिए यमुना नदी के किनारे-किनारे कल्पी वन की ओर जाएगा । समय गवाएं बिना और सैन्य सहायता का इंतजार किए बिना, उ.नि. यतिन्द्र, उ.नि. ओमवीर, हे.कां. शिवेन्द्र तथा कां. राकेश शेरघाट में यमुना नदी के किनारे की घाटियों में पहुँच गए। पुलिस दल में प्रत्येक के पास ए के 47 राइफल और पिस्तौलें थी। जैसे ही वे एक मन्दिर की ओर गए, उन्होंने कदमों की आहट सुनी और किसी को बीड़ी जलाते हुए देखा। रात्रि अवलोकन उपकरण की सहायता से देखने पर उन्हें तीन व्यक्ति कंधों पर बंदूक लिए हुए साफ दिख रहे थे। संख्या में कम होने के बावजूद दल ने गैंग तक रेगंते हुए जाने का निर्णय लिया जिससे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, हालांकि ऐसे अवसर कम ही होते हैं। फिर भी आत्मसमर्पण करने का आह्वान किए जाने पर डकैतों ने पुलिसकर्मियों पर अचूक गोलीबारी शुरू कर दी। कोई विकल्प नहीं देखकर, एस टी एफ दल ने आत्मरक्षा में गैंग पर सीमित गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान को गंभीर खतरा महसूस करते हुए भी बहादुर पुलिसकर्मी डकैतों पर कब्जा करने के लिए आत्मरक्षा में गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद गैंग की तरफ से गोलियाँ चलनी बंद हो गई और नदी में कूदने की आवाजें सुनाई देने लगी। निकट तलाशी लेने पर एक डकैत को मृत पाया गया। उसकी पहचान खूंखार और दुर्दांत डाकू अनूप गुर्जर के रूप में हुई जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000/-रूपए तथा मध्य प्रदेश सरकार ने 25,000/-रूपए के नकद ईनाम की घोषणा कर रखी थी। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गईं-

(i) 315 बोर का एक देशी राइफल
(ii) 21 जिंदा कारतूस
(iii) 315 बोर के 6 खाली खोखे
(iv) एक सी एम पी 315 बोर

इस मुठभेड़ में सर्व श्री यतिन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक,ओमवीर सिंह चौहान, उप निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह सेंगर, हेड कांस्टेबल तथा राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता तथा साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.12.2007 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 178-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व श्री

1. राजीव कृष्ण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. राकेश कुमार पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 9 अक्टूबर को लगभग 1415 बजे जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधी श्री रवि गोगर के घर में घुस गए हैं और घर के सदस्यों को बंधक बनाने के बाद डकैती कर रहे हैं। यह भी जानकारी दी गयी थी कि अपराधियों ने पुलिस दल पर गोली चलाई है जिसमें एक पुलिस उप निरीक्षक गोली लगने से घायल हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को तुरन्त वहाँ पहुँच कर क्षेत्र को घेरने की हिदायत दी तथा लाईनों से बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाने के लिए भी कहा । लगभग 1430 बजे राजीव कृष्ण घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ लगभग 3-4 हजार की संख्या में उत्तेजित भीड़ इक्ट्ठा थी। वहाँ वाकई में बीच-बचाव में भीड़ के लोगों के घायल होने की संभावना थी। तब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव कृष्ण ने स्थिति का आकलन करने के बाद अवरोधक पार्टियों को तैयार किया और आसपास की ऊँची इमारतों पर पुलिस को तैनात कर दिया तथा कुछ अधिकारियों को भीड़ को नियंत्रित करने पर लगा दिया। तब राजीव कृष्ण ने स्वयं ही मकान से हो रही बीच-बीच की गोलीबारी के मध्य बहादुरी से मकान के अन्दर जाते हुए छापामार दल का नेतृत्व किया। अधिकारियों को बिल्कुल भी उन अपराधियों की ताकत, स्थिति या हथियारबल का पता नहीं था जिन्होंने घर के सदस्यों को बंधक बना रखा था। राजीव कृष्ण के नेतृत्व में दल ने मकान में प्रवेश किया, सावधानी बनाए रखी और भूमि तल पर एक कमरे में बंधक बनाए गए सदस्यों को मुक्त किया। उन्हें बताया गया कि कुछेक अपराधी शुरूआती असमंजस में वहाँ से भाग गए तथा संभवतः दो प्रथम तल पर थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव कृष्ण ने प्रथम तल की ओर दल का नेतृत्व किया और डाकुओं को आत्मसर्पण करने की चुनौती दी। अपराधियों में से एक ने उन पर गोलियाँ

बरसा दीं और उनके टखने को घायल कर दिया। भयभीत हुए बिना उन्होंने फिर से चुनौती दी, परन्तु जब उन्होंने देखा कि अपराधी अपनी सी एम पी को पुन: लोड कर रहा है और फिर से गोली चलाने की तैयारी कर रहा है तो राजीव कृष्ण ने आत्म रक्षा में अपनी सर्विस पिस्तौल से दो चक्र गोलियाँ दागीं जिसमें उप निरीक्षक श्याम सुन्दर उन्हें कवर फायर प्रदान कर रहा था। लगभग उसी समय साथ वाले स्नानघर से दूसरे अपराधी ने पुलिस दल पर गोली दागी। यहाँ पर सी ओ/डिप्टी एस पी राकेश कुमार पांडे ने गोलीबारी का जवाब दिया और एस एच ओ रकाबगंज तथा एस एच ओ न्यू आगरा ने उन्हें कवर फायर प्रदान किया। दोनों अपराधियों को इस साहसिक मुठभेड़ में मार गिराया गया जिसमें श्री राजीव कृष्ण तथा श्री राकेश कुमार पाण्डेय ने अपनी जानें जोखिम में डाली। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई-

(i) तीन सी एम पी .305 बोर, 23 प्रयुक्त कारतूस, 17 जिंदा कारतूस और 2 चूके हुए कारतूस।

(ii) एक चाकू, लूटे गए 3600/- रूपए, लॉकेट के साथ सोने की चेन तथा कान के टॉप, एक मोबाइल फोन तथा मारूति वैन।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री राजीव कृष्ण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा राकेश कुमार पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.10.2005 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.179-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व श्री

1. कृष्ण कुमार तिर्की, राईफलमैन (मरणोपरान्त)
2. पगर पंढ़ारीनाथ भास्कर राईफलमैन (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

(स्वर्गीय) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी कृष्ण कुमार तिर्की और (स्वर्गीय) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी पगर पंढ़ारीनाथ भास्कर 6 असम राइफल्स के होलेगंजंग पोस्ट के वाटर एस्कॉर्ट कन्वॉय की क्रमश: अग्रणी टाटा 407 वाहन तथा एल एम जी सं0 2 को चलाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। 1 मई 2008 को जब वाटर एस्कॉर्ट कन्वॉय फाइफनकोट गांव (आर आर 5098) से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वाटर प्वाईंट पर पहुँचा तब अग्रणी वाहन, जिसे (स्वर्गीय) राईफलमैन /सामान्य ड्यूटी कृष्ण कुमार तिर्की चला रहे थे और जिसमें (स्वर्गीय) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी पगर पंढ़ारीनाथ भास्कर थे, लगभग 50 मीटर की दूरी से की गई स्वचालित लघु हथियारों की गोलीबारी एवं रॉकेट से दागे गए ग्रेनेड की चपेट में आ गए। इस गोलीबारी में (स्वर्गीय)राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी पगर पंढ़ानीनाथ भास्कर सहित वाहन में छः व्यक्ति घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद (स्वर्गीय) राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी कृष्ण कुमार तिर्की ने वाहन को चलाना जारी रखा, आतंकवादियों से आगे निकल गए और उन्हें कई और गोलियाँ लग गई। इस क्रम में वे वाहन को मुठभेड़ स्थल से बाहर निकालने में सफल हो गए। इसी तरह की वीरतापूर्ण कार्रवाई में (स्वीर्गीय)राईफलमैन/सामान्य ड्यूटी पगर पंढ़ारीनाथ भास्कर ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों पर निरन्तर गोलीबारी जारी रखी और अपने कॉमरेडों की और अधिक मौतों को रोक दिया।

इस मुठभेड़ में श्री सर्व श्री (स्वर्गीय) कृष्ण कुमार तिर्की, राईफलमैन तथा पगर पंढ़ारीनाथ भास्कर, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.05.2008 से अनुमत हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.180-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, असम राईफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री चन्द्र मोहन आर,
हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 4 फरवरी, 2009 को कांगचुप मखोम गांव, आर एम 2593 में तलाशी और ध्वस्त अभियान के दौरान पीपुल्स रिवोलुशनरी पार्टी ऑफ कंगलैपाक (प्रीपाक) कैडर के दो व्यक्ति मारे गए। पार्टी पर घात लगाने के लिए 1745 बजे से आकलित रास्ते जी आर 250932 पर एक पार्टी को तैनात किया गया। लगभग 1845 बजे के आसपास पार्टी ने गांव की ओर से दो व्यक्तियों को संदिग्ध तरीके से आते हुए देखा। उनके नजदीक आने तथा चुनौती देने पर उन्होंने अपनी पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और अंधेरे तथा घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर बचने के प्रयास में नाले की तरफ कूद गए। यह भांपते हुए कि भूमिगत लोग बचकर भाग रहे हैं हवलदार (सामान्य ड्यूटी) चन्द्र मोहन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और अपनी जिन्दगी को अत्यधिक खतरे में डालते हुए भागते हुए आतंकवादी पर हमला बोल दिया तथा खुले मैदान में पोजीशन ले ली और प्रीपाक के एक आतंकवादी को मार गिराया। बहादुरी के इस कार्य के स्थान से निम्नलिखित बामदगी हुई :-

(क): 32 एम एम प्वाइंट की पिस्तौल (एक)
(ख): 32 एम एम प्वाइंट की पिस्तौल के जिन्दा राउंद (तीन)

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्र मोहन आर, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.02.2009 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 181-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वी एल के वैफई,
   सहायक कमांडेंट
2. सांतनु बरुआ
   कांस्टेबल
3. अशीम दत्ता
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 7 अप्रैल, 2008 को बी एस एफ की 145वीं बटालियन की सी आई पोस्ट थौजरी को लंगखुला/देसमेहाडी तथा पुरंगरा गांव के सामान्य क्षेत्र में सशस्त्र आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। गांव जंगल के अदंर स्थित था और उसमें असम की दीमासा जाति के लोग रहते थे। सूचना की सच्चाई को जानने हेतु, श्री वी एल के वेफई, सहायक कमांडेंट/कम्पनी कमांडर ने तुरंत स्थानीय स्त्रोतों को सक्रिय किया और गांव देसमेहाडी, जिला एन सी हिल्स, असम में स्थित घर में आतंकवादियों की उपस्थिति की पुष्टि की। उन्होंने तुरंत व्यापक अभियान की योजना तैयार की और 1 एस ओ तथा 24 अन्य रैंको से बनी अभियान पार्टी बनाई। उचित ब्रीफिंग के बाद, लगभग 070500 बजे, पार्टी ने लंगखुला पुल तक सड़क से रास्ता तय किया तथा वहां से पार्टी सामरिक टुकड़ियों में पूर्वोत्तर दिशा से देशमेहाडी गांव की तरफ चली। गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंचने पर अभियान पार्टी को चार भागों में बांट दिया गया तथा विशेष कार्य सौंपा और उन्होंने गांव की घेराबंदी की। श्री वी एल के वैफई, सहायक कमांडेंट ने कांस्टेबल सातंनु बरुआ और कांस्टेबल अशीम दत्ता को अपने साथ लिया। तीनों चतुराईपूर्ण स्थिति लेते हुए साहस से संदिग्ध कुटिया की तरफ चले। थोड़ी दूरी से, श्री वी एल के वैफई, सहायक कमांडेंट ने सशस्त्र आतंकवादियों की हलचल को देखा और तुरंत अपने साथियों कांस्टेबल सातंनु बरुआ और कांस्टेबल अशीम दत्ता को सतर्क किया। तीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया में अपनी राईफलों के घोडे चढ़ा लिए और कुटिया की तरफ चलने लगे। यह देखने पर, कुटिया में पहले से छिपे आतंकवादियों ने बी एस एफ कार्मिकों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। श्री बी एल के वैफई सामने से पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और अदम्य साहस एवं उच्च स्तर की पेशेवरता का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने कांस्टेबल सातंनु बरुआ और कांस्टेबल अशीम दत्ता को उपलब्ध कवर प्रयोग करने के लिए कहा। दोनों तुरंत अलग-अलग दिशाओं में लुढक गए और रेंगने की स्थिति ले ली तथा तथा आतंकवादियों की गोलीबारी पर प्रभावी जवाबी गोलीबारी की। भारी गोलीबारी के बीच, तीनों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उन्हें खत्म करने के लिए अपनी सही स्थिति लेने हेतु आतंकवादियों की गोलीबारी की

तरफ गए। ऐसा करते हुए, तीनों आतंकवादियों की गोली लगने से बाल-बाल बचे। श्री वी एल के वैफई जो नेतृत्व कर रहे थे ने पार्टी पर गोलीबारी कर रहे आतंकवादियों के स्थानों की पहचान की। जब श्री वी एल के वैफई गड्डे का कवर लेते हुए आतंकवादियों के नजदीक थे और जवाबी गोलीबारी कर रहे थे, तब उनकी आतंकवादियों की तरफ आगे की गतिविधि संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने पोजीशन लेने का निर्णय लिया और कवर प्रदान किया तथा कांस्टेबल सांतनु बरुआ और कांस्टेबल अशीम दत्ता को रेंगकर आगे आने तथा प्रभावी गोलीबारी द्वारा आतंकवादियों को व्यस्त रखने के लिए कहा। इस पर कांस्टेबल सांतनु बरुआ सामने उपलब्ध गड्डे की तरफ भागे और श्री वी एल के वैफई द्वारा प्रदान की गई कवरिंग फायर के तहत स्थिति ले ली। अपने सुरक्षित ठिकाने से आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से न डरते हुए, श्री वी एल के वैफई उच्च स्तर की पेशेवरता का प्रदर्शन करते हुए तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी पोजीशन से बाहर आए और कांस्टेबल सातंनु बरुआ और कांस्टेबल अशीम दत्ता को कवरिंग फायर दिया। इस पर, दोनों त्वरित प्रतिक्रिया में, आगे कूदे और आतंकवादियों की गोलीबारी की तरफ आते हुए उनके नजदीक स्थिति ले ली। बी एस एफ पार्टी की बहादुरी और आक्रामक कार्रवाई देखने पर, आतंकवादियों ने अपनी स्थिति बदलने का प्रयास किया। जब आतंकवादी अपनी स्थिति बदल रहे थे, तीनों ने संयुक्त कार्रवाई में आतंकवादियों की तरफ लक्षित भारी गोलीबारी शुरु कर दी जिसने आतंकवादियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। जब आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी रुकी, तब क्षेत्र की तलाशी ली गई और एक आतंकवादी का शव बरामद हुआ। मृत आतंकवादी की पहचान बाद में लाची लंगथासा पुत्र स्वर्गीय सघीन लंगथासा, निवासी जम्बंर बस्ती के रूप में हुई, जो कि डी एच डी (जे) ब्लेक विंडो ग्रुप से संबंधित था। मृत आतंकवादी के पास से निम्नलिखित हथियार, गोलाबरुद और विविध मदें बरामद हुईं :-

क)	7.62 एम एम एस एल आर (बी/एं. 16261667)	-	1 नग
ख)	7.62 एम एम एस एल आर मैगजीन	-	04 नग
ग)	7.62 एम एम बी डी आर जिंदा गोलाबारुद	-	82 राउंद
घ)	नोकिया मोबाइल सेट	-	1 नग
ड.)	भारतीय मुद्रा	-	1005 रुपए
च)	नोट बुक	-	1 नग
छ)	टोर्च	-	2 नग
ज)	एवरेडी सैल	-	8 नग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री वी एल के वैफई, सहायक कमांडेंट, सांतनु बरुआ, कांस्टेबल और अशीम दत्ता, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.04.2008 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 182-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आनंद कुमार
   सहायक कमांडेंट
2. बसुदेव परासर
   कांस्टेबल
3. टी वीनु
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बी एस एफ की 115वीं बटालियन को जून, 2007 में घुसपैठ को रोकने के लिए मणिपुर राज्य में तैनात किया गया था। श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट की कमान में इस यूनिट की "ई" कम्पनी को अगस्त 2008 से घुसपैठ रोधी (पोस्ट) लामलाई, मणिपुर में तैनात किया गया। उस क्षेत्र में घुसपैठ के अत्यधिक खतरे के बोध और ऑपरेशनल दृष्य पर विचार करते हुए विभिन्न कम्पनियों से जवान एवं शारीरिक रूप से मजबूत इच्छुकों के चयन से एक कमांडों प्लाटून तैयार की गई और उनकी चौबीस घंटे निगरानी एवं प्रभुत्व सुनिश्चित करने हेतु "ई" कम्पनी में तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त, भूमिगतों (यू जी) की हलचलों एवं उनकी परिचालनात्मक योजना के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना का पता लगाने हेतु स्थानीय स्रोतों को तैयार किया गया। दिनांक 14 जनवरी, 2009 को आनन्द कुमार, सहायक कमांडेंट, कम्पनी कमांडर "ई" कम्पनी सी आई (पोस्ट) लामलाई को स्थानीय स्रोत से सूचना मिली कि कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलट्री काउंसिल) (के सी पी (एमसी)) के कैडर सामान्यत: कच्चे रास्ते का प्रयोग करते हैं जो लामलाई पुलिस स्टेशन, जिला इम्फाल (पूर्व) के अन्तर्गत छलोड गांव और नोगड़ा पुल को जोड़ता है क्योंकि इम्फाल-लामलाई-उखरुल रोड़ (एन एच-150) को बी एस एफ की मोबाइल पैट्रोल एवं मोबाइल चेक पोस्ट (एम सी पी) दारा कवर किया हुआ था । सूचना की अन्य स्रोतों से पुष्टि की गई और उस क्षेत्र में कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलट्री काउंसिल) (के सी पी (एम पी)) की गतिविधियों की भी पुष्टि को गई। जमीनी संरचना और भूभागीय रुकावटों का विश्लेषण करने के बाद, श्री आनन्द कुमार, सहायक कमांडेंट ने यू जी को रोकने के

लिए बड़ी चतुराई से अभियान की योजना बनाई और अभियान को चलाने तथा निष्पादन के बारे में अपने कार्मिकों को ब्रीफ किया। यू जी के चतुराईपूर्ण संभव विरोधी आक्रमण तथा यू जी की हलचलों की सूचना स्थानीय स्रोतों से एकत्रित की गई। वाहनों की गतिविधियों को जांचने के संबंध में, श्री आनंद कुमार, ए सी ने इम्फाल-लामलाई-उखरुल रास्ते में घुसपैठ विरोधी लामलाई पोस्ट के पूर्व में 350 मीटर की दूरी पर सफलतापूर्वक मोबाइल चेक पोस्ट (एम सी पी) लगाई। इसके बाद, अधिकारी बी एस एफ की 115वीं बटालियन के कांस्टेबल बसुदेव परासर और कांस्टेबल टी वीनु से बनी कमांडो प्लाटून के साथ चक्कदार मार्ग को अपनाते हुए चतुराईपूर्ण तरीके से अभियान स्थल की ओर चले। 2115 बजे के आसपास, पार्टी ने चलोड गांव की तरफ से एक वाहन को आते हुए देखा गया। यह देखने पर, श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट ने अपने सैनिकों को सचेत किया और कांस्टेबल बसुदेव परासर और कांस्टेबल टी वीनु को रास्ते के पूर्वी ढ़लान पर पोजीशन लेने का निर्देश दिया जबकि श्री आनदं कुमार, सहायक कमांडेंट ने कांस्टेबल मनोज कुमार दारा और कांस्टेबल सुभाष दास के साथ रास्ते के पश्चिमी ढ़लान पर पोजीशन ले ली। जब वाहन लगभग 15 मीटर की दूरी पर था, श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट ने कांस्टेबल मनोज कुमार दारा को फ्लैश लाइट के सिग्नल को दिखाकर वाहन रुकवाने का निदेश दिया। फ्लैश लाईट दिखने पर, वाहन के ड्राईवर ने वाहन की गति को बढ़ा दिया और महिन्द्रा पिक-अप सीविल (मिनी) ट्रक के पिछले केबिन से आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। श्री आनन्द कुमार, सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल बसुदेव परासर और कांस्टेबल टी वीनु ने तुरंत पोजीशन ली और शीघ्रता से जवाबी गोलीबारी की। यह महसूस करते हुए कि यू जी सम्पर्क को तोड़ते हुए बचने का प्रयास कर रहे है, श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अपनी पोजीशन से बाहर आए और यू जी द्वारा अत्यधिक गोलीबारी के दौरान अपनी ए के-47 से गोलीबारी करते हुए उनके तेजी से जा रहे वाहन का पीछा किया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट के इस साहसिक कार्य ने आतंकवादियों की हिम्मत को तोड़ दिया और उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी कमांडर को अत्यधिक खतरे में देखते हुए, कांस्टेबल टी वीनु और कांस्टेबल बसुदेव परासर ने अत्यधिक साथी धर्म का परिचय दिया और यह जानते हुए कि वे यू जी की प्रभावी गोलीबारी के सामने आ जाएंगे, वह श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट की सहायता के लिए अपनी ए के-47 राईफल्स से गोलीबारी करते हुए उनकी तरफ दौड़े। इन तीनों बहादुर सीमा रक्षकों की गोलीबारी के परिणामस्वरुप, महिन्द्रा पिक-अप के ड्राईवर ने 150 मीटर चलने के बाद वाहन से नियंत्रण खो दिया और कच्चे रास्ते की दायीं तरफ सीमेंट के वाटर चैनल में टक्कर मार दी। यू जी अपने स्वचलित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल टी वीनु और कांस्टेबल बसुदेव परासर ने तुरंत रास्ते की तरफ पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी करते रहे। चूंकि यू जी रक्षात्मक पोजिशन से लगातार अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, श्री आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल टी वीनु और कांस्टेबल बसुदेव परासर ने यू जी का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक आक्रामक स्थिति ले ली क्योंकि कार्रवाई में कोई भी विलम्ब यू जी को बचने का अवसर दे सकता था। तीनों अपनी जिन्दगी को खतरे में डालते हुए अपनी पोजीशन से बाहर आए और अत्यधिक गोलीबारी

के बीच आतंकवादियों की तरफ हमला बोला और नजदीक लड़ाई में यू जी को मारने में सफल रहे। जबरदस्त मुठभेड़ में, कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलट्री काउंसिल) (के सी पी (एम सी)) के दो दुर्दांत यू जी मारे गए। वाहन का ड्राईवर भी मुठभेड़ में मारा गया। इस बात का बाद में पता चला कि यू जी ने वाहन को चुराया हुआ था।

क्षेत्र की और अधिक तलाशी लेने पर, निम्नलिखित गोलाबारुद/हथियार और अन्य मदें बरामद हुई:-

i)	ए के-56 राईफल्स	-	01 नग
ii)	ए के-56 मैगजीन	-	03 नग
iii)	ए के-56 गोलाबारुद (जिंदा)	-	64 राउंद
ix)	लेथड गन	-	01 नग
v)	लेथड बम (जिन्दा)	-	05 नग
vi)	लेथड बम (नष्ट हुआ)	-	01 नग
vii)	चाइनीज ग्रेनेड	-	02 नग
viii)	नोकिया मोबाइल फोन (नष्ट हुआ)	-	01 नग, चार्जर समेत
ix)	सीम कार्ड (एअरटेल-02, एअरटेल-01)	-	03 नग
x)	भारतीय मुद्रा	-	2845 रुपये
xi)	ड्राईविंग लाइसेंस	-	01 नग
xii)	ए के श्रेणी की ई एफ सी	-	12 नग
xii)	एक महिन्द्रा सिविल पिक-अप (मिनी ट्रक) जिसका पंजीकरण संख्या एम एन-01 के-9916 पंजीकरण दस्तावेजों के साथ।	-	

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आनन्द कुमार, सहायक कमांडेंट, बसुदेव परासर, कांस्टेबल और टी वीनु, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.01.2009 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 183-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस एन सिंह,
   सहायक कमांडेंट
2. अजय कुमार
   कांस्टेबल
3. संतोष कुमार
   कांस्टेबल
4. गुलाब सिंह
   कांस्टेबल
5. बलराम
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 19.03.2006 को 1100 बजे एस पी हजारीबाग ने सी आर पी एफ की जी/72 बटालियन के श्री एस एन सिंह, सहायक कमांडेंट, ओ सी को टेलिफोन के माध्यम से सूचित किया कि हजारीबाग (झारखंड) जिले के चौपारन पुलिस स्टेशन के भागर, भंडार, अम्बातरी, परसातरी गांव के क्षेत्र में 40 से 50 सी पी आई (माओवादी) नक्सलवादियों की हलचल देखी गई है। एस पी हजारीबाग ने भी उसी दिन 1500 बजे उक्त क्षेत्र में छापामारी/तलाशी ड्यूटी हेतु जी/72 की दो प्लाटूनों की मांग की। तदनुसार श्री एस एन सिंह, सहायक कमांडेंट, ओ सी जी/72 की कमान में जी/72 की दो प्लाटूनें वाहनों से 1600 बजे उक्त ड्यूटी हेतु पी एस चौपारन (जी/72 कम्पनी मुख्यालय से 80 कि.मी. दूर) के लिए चली। जवानों को दो टीमों में बांट दिया गया, पहली टीम ओ सी जी/72 की कमान में और दूसरी टीम एस पी हजारीबाग की कमान में दिनांक 20.03.06 को 0020 बजे जब जवान तेंगानिया गांव की तरफ 200-250 गज की दूरी पर गए तब कांस्टेबल अजय कुमार और कांस्टेबल संतोष कुमार ने विपरित दिशा से आ रहे 40 से 50 व्यक्तियों को देखा और उन्होंने श्री एस एन सिंह, सहायक कमांडेंट को सूचित किया। श्री एस एन सिंह ने तुरंत जवानों को पोजीशन लेने के आदेश दिए। इसी बीच

लगभग 0030 बजे एक नक्सलवादी ने सी आर पी एफ स्थल से 10 गज की दूरी पर अपनी टोर्च को जलाया और पुलिस उपस्थिति के बारे में बतलाया और सी आर पी एफ जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। नक्सलियों की गतिविधियों को देखते हुए श्री एस एन सिंह ने अपने साथियों के साथ पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। इसी दौरान सीटी/जी डी अजय सिंह और सी टी/जी डी संतोष कुमार ने जवाबी गोलीबारी की और ग्रुप के एक नक्सली को मार गिराया। इसी बीच श्री एस एन सिंह ने भी गोलीबारी शुरु कर दी तथा एक और नक्सली को मार गिराया। एक नक्सली ने जवानों की तरफ ग्रेनेड फैंकने की कोशिश की लेकिन श्री एस एन सिंह की गोलीबारी के कारण वह जख्मी हो गया। भारी जवाबी गोलीबारी और उनके साथियों के मारे जाने के कारण, नक्सलवादियों के हौंसले टूट गए और उन्होंने भागने का प्रयास किया। यह देखने पर श्री एस एन सिंह ने एच ई बम फैंकने के आदेश दिए और नक्सलवादियों पर 4 एच ई बम फैंके। तब श्री एस एन सिंह ने अपनी दो टुकड़ियों के साथ भागते हुए नक्सलियों का पीछा किया। इसी बीच नक्सलवादी दोबारा नदी की तरफ संगठित हो गए और गोलीबारी शुरु कर दी जिसका कांस्टेबल बलराम और कांस्टेबल गुलाब सिंह ने एस पी हजारीबाग के साथ जवाबी हमला किया और परिणामस्वरुप एक और नक्सली मारा गया। बचे हुए नक्सलवादियों ने अम्बातरी गांव की ओर से गोलीबारी शुरु कर दी, इसलिए श्री एस एन सिंह ने अपने जख्मी साथियों को लेकर भागते हुए नक्सलवादियों पर एल एम जी से गोलीबारी करने के आदेश दिए। श्री एस एन सिंह और एस पी हजारीबाग ने दो टुकड़ियों के साथ उनका 500 मीटर तक पीछा किया परन्तु घने जंगल और अंधेरे के कारण वे बचने में सफल हो गए। सी आर पी एफ के जवानों ने क्षेत्र की पूरी तलाशी ली तथा नक्सलवादियों के चार शव बरामद किए गए। एक नक्सली नामत: पेड़ी पासवान भी तलाशी के दौरान पकड़ा गया। घटनास्थल से अत्यधिक मात्रा में गोलाबारुद/हथियार और नकदी भी बरामद हुई। बरामद शव, गोलबारुद/हथियार, नकदी और पकड़ा गया बाल नक्सली को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एस एन सिंह, सहायक कमांडेंट, अजय कुमार, कांस्टेबल, संतोष कुमार, कांस्टेबल, गुलाब सिंह, कांस्टेबल और बलराम कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.03.2006 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 184-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. प्रवीन वर्मा,
   सहायक कमांडेंट
2. श्रीचरण सवैन
   हैड कांस्टेबल
3. रणधीर जायसवाल
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 29.04.2007 को, सी आर पी एफ की एफ/70 बटालियन के कमान अधिकारी श्री प्रवीन वर्मा, सहायक कमांडेंट, एच सी/जी डी श्रीचरण सवैन और सी टी/जी डी रणधीर जायसवाल अपनी कम्पनी (त्वरित कार्रवाई टीम) के सात अन्य कार्मिकों के साथ मोटरसाइकिलों पर उन नक्सलवादियों का पीछा कर रहे थे जो जिला मल्कानगिरी (उड़ीसा) के पुलिस स्टेशन एम वी-79 के एम वी-79 मार्केट क्षेत्र में लगभग 1330 बजे के सी आर पी एफ की गश्त पार्टी पर हमला करके तथा चोट पहुंचाने के बाद जंगल क्षेत्र में बचकर भागने का प्रयास कर रहे थे। क्षेत्र का उचित आकलन करने के बाद, श्री प्रवीन वर्मा, ए सी की कमान के अन्तर्गत सी आर पी एफ की एफ/70वीं बटालियन की उक्त पार्टी बहुत तेजी से चली और उक्त नक्सलवादियों का पीछा किया। लगभग 1430 बजे, एम वी-79 मार्केट घटना स्थल से लगभग 5 कि.मी. की दूसरी पर एम पी वी-47 गांव के बाहरी क्षेत्र पर, सी आर पी एफ की उक्त पार्टी ने 200 गज की दूरी से नक्सलवादियों की भारी गोलीबारी का सामना किया। सी आर पी एफ की अनुसरण पार्टी तुरंत मोटर साइकिल से उतर गई और पोजीशन ले ली क्योंकि नक्सलवादी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। नक्सलवादियों को चुनौती दी गई और समर्पण के लिए कहा गया परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए, श्री प्रवीन वर्मा, ए सी ने पार्टी को पांच भागों बांटा तथा बचाव रास्तों को बंद करने के लिए उनको तुरंत पोजीशन लेने का निर्देश दिया। नक्सलवादी दो ग्रुपों में श्री प्रवीन वर्मा, ए सी पर गोलीबारी कर रहे थे। एच.सी/जी.डी. श्रीचरण सवैन और सी टी/जी डी रणधीर जायसवाल भी अपनी पार्टियों के साथ क्रमशः सामने दांयी

तरफ और पीछे बायीं तरफ थे। कोई और रास्ता न होने पर, श्री प्रवीन वर्मा, ए सी, एच सी/जी डी श्रीचरण सवैन और सी टी/जी डी रणधीर जयसवाल ने निजी रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। नक्सलियों ने एक हथगोला फैंका जो श्री प्रवीन वर्मा, ए सी के नेतृत्व वाली पार्टी के थोड़ा सा आगे फटा। उसने अपनी पार्टी को सुरक्षित पोजीशन के कवर में रखा और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। तथापि, नक्सलवादियों के अपने सामने की दाएं नाकाबंदी को तोड़कर इसके बावजूद उन्होंने बच कर निकलने और चोट पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बावजूद उन्होंने नक्सलवादियों की तरफ रेंगकर आगे बढ़ते हुए अदम्य साहस और ड्यूटी के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया तथा अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए नक्सलवादियों की तरफ एक हथगोला फैंका तथा गोलीबारी शुरु कर दी। हथगोला फटने से एक नक्सलवादी को गंभीर चोट आई। श्री प्रवीन वर्मा, ए सी द्वारा चलाई गई कुछ गोलियां भी उसी नक्सलवादी को लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उस नक्सली का शव भी मिला जो ग्रेनेड फटने और गोली लगने से जख्मी हुआ था। उसके पास से एक ए के एम राइफल (बट सं. 11, बोडी सं. के ओ 44.7223), दो मैगजीन मिली, जो कि उसने एम वी-79 मार्केट पर सी आर पी एफ की एक गश्त पार्टी पर हमला करके छीनी थी। इसी बीच, एच सी/जी डी श्री चरण सवैन भी पीछे वाली कट ऑफ की पोजीशन को लक्षित करने वाले नक्सलवादियों के ग्रुप से भिड़े हुए थे। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। परन्तु कुछ देर शांत रहने के बाद, नकसलवादियों ने फिर गोलीबारी शुरु कर दी और जबरदस्त मुठभेड़ जारी रही। नक्सलवादियों की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही थी तभी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे सी आर पी एफ की एफ/70 बटालियन के एच सी/जी डी श्रीचरण सवैन ने उन पर गोलीबारी कर रहे एक नक्सली को देखा। अदम्य साहस का परिचय देते हुए, वह आगे बढ़े और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जिंदगी की परवाह न करते नक्सलवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी। उसकी गोली सफलतापूर्वक नक्सलवादी को लगी जोकि महिला नक्सली थी। उक्त मृत नकसलवादी के पास से दो मैगजीन सहित एक ए के-47 प्राप्त हुई। वह श्री प्रवीन वर्मा, ए सी द्वारा फैंके गए हथगोले के फटने से भी घायल हुई थी। दूसरी तरफ, सी टी/जी डी रणधीर जायसवाल ने हिंसक स्थिति से निपटने में प्रशंसनीय योगदान दिया और उसने भाग रहे नक्सलवादियों को कड़ी टक्कर दी जो आक्रमण पार्टी/त्वरित कार्रवाई टीम (क्यू आर टी) द्वारा बिछाए गए जाल को तोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। सी टी/जी डी रणधीर जायसवाल के नेतृत्व में आगे की बायीं कट ऑफ पार्टी ने नक्सलवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के विरोध में सी आर पी एफ की सामने वाली दायीं कट ऑफ पार्टी की सहायता की और सामने से हमला करके नक्सलियों को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। उसके साहस तथा स्थिति से निपटने की योग्यता से श्री प्रवीन वर्मा, ए सी, सामने वाली दायीं कट ऑफ पार्टी, एक नक्सली को मारने में सफल हुए। 29.04.2007 को एम पी-47, पी एस मोटु, जिला मल्कानगिरी (उड़ीसा) पर सशस्त्र नक्सलवादियों और सी आर पी एफ पार्टी के बीच हुई उक्त मुठभेड़ में श्री प्रवीन वर्मा, ए सी, सी टी/जी डी श्रीचरण सवैन और सी वी/जी डी रणधीर जायसवाल, एफ/70 बटालियन, सी आर पीएफ ने नक्सलवादियों के खिलाफ जवाबी हमले के दौरान अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए उत्कृष्ट बहादुरी एवं अनुकरणीय निष्पादन से प्रंशसनीय कार्य का परिचय दिया और अंततः दो सशस्त्र नक्सलवादियों

को मार गिराने में सफलता हासिल की। श्री प्रवीन वर्मा, ए सी, एच सी/जी डी श्री चरण सवैन और सी टी/जी डी रणधीन जायसवाल का ऐसा बहादुरीपूर्ण कार्य निश्चित रूप से उनकी सूझबूझ और चतुराईपूर्ण योग्यता का परिचय देता है। उन्होंने अन्य सी आर पी एफ कार्मिकों के लिए उदाहरण पेश किया है। यह इनके द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट साहस, अनूठी बहादुरी और वीरतापूर्ण कार्रवाई के सम्मान में है।

वीरतापूर्ण कार्रवाई के समय निम्नलिखित बरामदगी हुई:-

i)	ए के-47 राइफल, सिलंग के साथ (बॉडी सं. एच-33790)	-	01 नग
ii)	ए के-47 मैगजीन	-	02 नग
iii)	ए के-47 गोलाबारुद (लोट 10/58)	-	03 नग
iv)	स्वचलित 9 एम एम पिस्तौल (बॉडी सं. 16214375)	-	01 नग
v)	9 एम एम मैगजीन	-	02 नग
vi)	9 एम एम गौलाबारुद	-	14 नग
vii)	देश निर्मित 12 बोर की गन (शोर्ट)	-	01 नग
viii)	12 बोर की कारतूस	-	07 नग
ix)	देश निर्मित ग्रेनेड	-	01 नग
x)	ग्रेनेड पाउच	-	01 नग
xi)	दरांती (दाओ)	-	01 नग
xii)	चाकू	-	01 नग
xiii)	लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम	-	02 पॉकेट
xiv)	नइलोन बेग	-	01 नग
xv)	कंघी	-	01 नग

xvi) 1870 रुपए केवल, 30/04/2007 को जांच के दौरान मृत पुरूष नक्सलियों के अधिकार से बरामद हुए ।

नक्सलवादियों से बरामद स्वयं (सी आर पी एफ) से छीने गए हथियार, गोलाबारुद और विस्फोटक:-

xvii)	ए के एम राईफल स्लिंग के साथ (बॉडी सं. के. ओ. 44.7223, बट सं. 11)	-	01 नग
xviii)	ए के एम मैगजीन	-	02 नग
xix)	ए के एम मैगजीन पाउच	-	01 नग
xx)	ए के एम गोलाबारुद (लोट सं. 539/81)	-	16 नग
xxi)	फ्यूज सहित एसच ई-36 हथगोले		
xii)	(लोट सं.-18 एम ओ के-95)	-	01 नग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रवीन वर्मा, सहायक कमांडेंट, श्रीचरण सवैन, हैड कांस्टेबल और रणधीर जायसवाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.04.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 185-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. कुंजुमोन सी., (मरणोपरांत)
   हैड कांस्टेबल/ड्राईवर
2. शिव कुमार के.,
   हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

सी आर पी एफ की 143वीं बटालियन के यूनिट मुख्यालय को लाम्फेलपट पर तैनात किया गया था और इसकी 6 सेवा कम्पनियों को माइल स्टोल 23 से 78 तक एन एच-53 के साथ-साथ आर ओ पी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। दिनांक 03.10.2007 को विभिन्न कम्पनियों के 42 अनुमत कर्मियों सहित एस आई (जी डी) बी एस रावत की कमान में एच सी (ड्राईवर) सी कुंजुमोन द्वारा चालित वाहन पंजीकरण एं. डी एल-1 जी 4898, टाटा 3/5 टन सहित तीन यूनिट वाहनों को उचित ब्रीफिंग के बाद राशन सहित कम्पनी स्थानों पर भेजा गया। पार्टी ने कम्पनी स्थल के यूनिट मुख्यालय से 1000 बजे प्रस्थान किया। जब रक्षकदल कैथलमनबी गांव से परे एन एच-53 पर 21 और 22 मील स्टोन के बीच पहाड़ी की तलहटी की तरफ बढ़ रहा था, तब पहाड़ी भूभाग और खड़े मोड़ो के कारण वाहनों की गति कम हो गई। वाहन 35-40 कि.मी. प्रति घण्टे की रफ्तार से चल रहे थे और वाहनों के बीच लगभग 70-80 गज की दूरी थी। लगभग 1.40 बजे, खोंगलोंग गांव के नजदीक एन एच-53 के साथ घनी वनस्पती के पीछे छिपे हुए अज्ञात आतंकवादियों ने 21 और 22 माइल स्टोन के बीच "एस" मोड़ पर एच सी (ड्राईवर) सी कुंजुमोन द्वारा चलाए जा रहे तीसरे वाहन पर दांयी दिशा से अचानक भारी गोलीबारी शुरु कर दी, जिसमें से एक गोली एच सी (ड्राईवर) सी कुंजुमोन को लगी। तथापि, उनके पेट में गहरे जख्म और अत्यधिक खून बहने के बावजूद भी उसने नियंत्रण नहीं खोया और वाहन को चलाते हुए घात के स्थान से निकालने में सफल रहा और वाहन को पहाड़ी की तरफ सड़क पर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया, अन्यथा वाहन अनियंत्रित हो सकता था और तंग घाटी में गिरने के कारण जान-माल की अत्यधिक क्षति हो सकती थी। आखिकार वह मौके पर ही शहीद हो गए। इस प्रकार उनके अदम्य साहस और सही समय पर

की गई कार्रवाई ने वाहन में जा रहे कई कार्मिकों की कीमती जानें बचाई। इसीलिए उनके मामले में मरणोपरांत बहादुरी के लिए पुलिस पदक की सिफारिश की गई। वाहन पंजीकरण सं. डी एल-1 जी-बी 4898, टाटा 3/5 टन झाड़ियों में फंसा था और उस पर गोलियों की बौछार अंकित थी। वाहन पर 14 गोलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। 4 कार्मिक घटनास्थल पर ही और 2 हॉस्पीटल में मारे गए तथा 9 अन्य जख्मी हो गए। घटना के सदमे के बाद, एच सी (जी डी) के शिव कुमार, जो इस गाड़ी में था, ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अपना नियंत्रण नहीं खोया और सुझबूझ का परिचय देते हुए गोलियों की पहली बौछार से घायल हुए अपने साथी की राइफल को उठाया और तुरंत आतंकवादियों की तरफ गोलीबारी शुरु कर दी। उसके इस बहादुरीपूर्ण कार्य से आतंकवादियों की पहल कमजोर हो गई। इसी बीच उसने गोलियों की पहली बौछार से कांस्टेबल (जी डी) श्री भगवान की गर्दन में हुए जख्म से बह रहे खून को नियंत्रित करने के लिए वहां कपड़ा लगाकार प्रथम उपचार करके उसकी जिदंगी भी बचाई। उसकी गोलीबारी की कार्रवाई के बीच वाहन में बैठे जवान वाहन से भागने में सफल हुए और उन्होंने ओढ़ ले ली। बाद में जब बुलेट प्रुफ वाहन घात स्थल पर पहुंचा, तब सी/143 के कुमुक बल के सी टी (जी डी) वीरा भाई द्वारा लाए गए 51 एम एम मोर्टार के साथ एच ई बमों को दागा गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादी छोटी पहाड़ियों और घने जंगल का सहारा लेते हुए भाग गए। उसकी बहादुरी के इस कार्य ने न केवल अपने साथियों की जान बचाई बल्कि हथियारों को ले जाने में आतंकवादियों को भी निष्फल किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्वगीय कुंजुमोन सी., हैड कांस्टेबल/ड्राईवर और शिव कुमार के., हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.10.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 186-प्रेज/2009, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	दिनेश प्रताप उपाध्याय कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	अशोक कुमार डिप्टी कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	पिंकु बोरदोलोई कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	दतात्रे पोटे कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	बिरेन्द्र शर्मा कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.	रोबर्ट लाल थींगलीमा कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
7.	मोहम्मद इसील खान कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 8 नवम्बर, 2007 को सोपोर में 1400 बजे के आसपास सी आर पी एफ की 177 और 179वीं बटालियनों की आर ओ पी पर दो अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरु कर दी। सी आर पी एफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस की जवाबी गोलीबारी के कारण ये दोनों आतंकवादी न्यू लाईट होटल के दायरे में घुस गए जो कि सोपोर में मुख्य चौक के बगल में स्थित है। बाद की घटनाओं का क्रम संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

फेज-।

इस आक्रमण की पहली प्रतिक्रिया सी आर पी एफ की 177वीं बटालियन के कमांडेंट श्री डी पी उपाध्याय, सी आर पी एफ की 177वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सुभाष

चन्द्र, 177वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट श्री अशोक कुमार तथा उनके संबंधित क्यू आर टी एवं कुछ जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा की गई। इन जवानों ने आतंकवादियों को बचकर भागने से रोकने के लिए न्यू लाईट होटल को चारों और से घेर लिया। सी आर पी एफ की 177वीं बटालियन के प्रयासों को 22 आर आर तथा जे एण्ड के पुलिस से संबंधित जवानों के आने से मजबूती मिली। होटल परिसर से तलाशी लेकर सिविलियनों को सुरक्षित निकालने का कार्य तुरंत इन जवानों द्वारा शुरु किया गया। जरुरतमंदों के अनुसार यह बहुत नाजुक, संकटपूर्ण और जोखिमभरा अभियान था। सिविलियनों को निकालने के दौरान सी आर पी एफ की 179वीं बटालियन का एक बंकर सोपोर के मुख्य चौक के पास आ गया। सं. 065222735 सी टी/जी डी शिशुपाल सिंह भदोरिया सं. 913154751 सी टी/जी डी छोटे लाल चौहान, 179वीं बटालियन, सी आर पी एफ के वाहन के नीचे उतरे। ऐसा लग रहा था कि वे घटना की गंभीरता से परिचित नहीं थे। अचानक आतंकवादियों ने होटल की ऊपरी मंजिल से गोलीबारी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप सं.065222735 सी टी/जी डी शिशुपाल सिंह भदोरिया और सं. 913154751 सी टी/जी डी छोटे लाल चौहान, 179वीं बटालियन के घायल हो गए। सी आर पी एफ की 177वीं बटालियन के श्री अशोक कुमार, डी/सी(अभि.) के नेतृत्व में पार्टी ने बड़े जोखिम में दोनों व्यक्तियों को निकाल लिया। बाद में सं. 065222735 सी टी/जी डी शिशुपाल सिंह भदोरिया की होस्पीटल में मौत हो गई। 8 नवम्बर, 2007 को अंधेरे के कारण अभियान को रोकना पड़ा।

फेज-2

श्री मैथीली शरण गुप्ता, जे पी एस, आई जी (अभि.), सी आर पी एफ कश्मीर, श्री एस एम सहाय, आई एफ एस, जम्मू और कश्मीर पुलिस के एल ओ पी की ही तरह दिन के दौरान ही उसी समय मौके पर पहुंच गए। सिविलियनों को होटल से सुरक्षापूर्ण निकालते हुए उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने कमरे में हस्तक्षेप करने की निर्णय लिया। इस कार्य की शुरुआत जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा की गई। कमरे में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया में कांस्टेबल ओम सिंह, 556/आई आर 8वीं (500 कार्गो) आतंकवादियों की गोलीबारी से जख्मी हो गया। इसके परिणामस्वरुप जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा कमरे में हस्तक्षेप करने के प्रयास को छोड़ दिया गया। 9 नवम्बर, 2007 को और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

फेज-3

श्री मैथिली शरण गुप्ता, आई पी एस, आई जी पी (अभि.) सी आर पी एफ कश्मीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कमरे में हस्तक्षेप सी आर पी एफ द्वारा करने का निर्णय लिया। यह काम 177वीं बटालियन को सौंपा गया और श्री डी पी उपाध्याय, कमांडेंट कों कमरे में हस्तक्षेप करने के लिए टीम तैयार करने को कहा गया। टीम में निम्नलिखित सदस्यों को चुना गया :- (i) सी टी/जी डी मोहम्मद इसील खान, (ii) पीकुं बोरदोलोई, (iii) सी टी/जी डी रोबर्ट लाल थींगलीमा और (iv) श्री अशोक कुमार डी/सी (अभि.) 177वीं बटालियन। एक साहसिक और खतरनाक योजना तैयार की गई। एक स्टील की सीढ़ी को पतली लेन के साथ बगल वाली इमारत के तल पर रखा गया और ऊपर से न्यू लाइट होटल के टाप पर रखा गया। भारी

गोलीबारी को कवर करते हुए कमरा हस्तक्षेप टीम न्यू लाइट होटल में पहुंच गई और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने लगी। होटल के प्रत्येक कमरे की तलाशी लेना एक जोखिम भरा काम था जो कि कमरा हस्तक्षेप टीम ने बड़े साहस और कुशलता से निभाया। इस पार्टी ने सभी 52 कमरों की तलाशी ली। इन सभी कमरों की तलाशी लेने पर, उन्होंने श्री डी पी उपाध्याय, कमांडेंट को ईशारा किया, जिसने अपने सुरक्षा कार्मिकों के साथ मिलकर होटल के शेष भाग की तलाशी ली। तलाशी का दूसरा चरण होटल के पिछवाड़े से शुरु किया गया। जब तलाशी प्रक्रिया जारी थी तब एक आतंकवादी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। उसकी प्रतिक्रिया में कमरा हस्तक्षेप पार्टी और श्री डी पी उपाध्याय, क़मांडेंट, 177वीं बटालियन ने गोलीबारी शुरु कर दी। आतंकवादी ने बचने के लिए बगल वाली गली की तरफ भागना शुरु किया। जिस गली में आतंकवादी भाग रहा था वही सं. 055253371 सी टी/जी डी दत्तारे पोटे, 177वीं बटालियन, सी आर पी एफ और श्री एम.एस. गुप्ता, आई पी एस, आई जी (अभि.), कश्मीर खड़े थे। उनके बीच भारी गोलीबारी हुई जिसके परिणामस्वरुप लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी गुट से संबंधित पाकिस्तान के मैनवली जिले के पेपलान के अबु तालाह जाबांज मुमताजुल्ला नामक आतंकवादी मारा गया।

फेज-4

आतंकवादी द्वारा गोली चलाए जाने वाले कमरे की तलाशी लेने पर वहां कोई अन्य आतंकवादी नहीं मिला। पार्टी ने लगभग अपनी तलाशी बंद कर दी थी तभी श्री सुभाष चन्द्र, द्वितीय कमान अधिकारी, 177वीं बटालियन, सी आर पी एफ को अपने मोबाइल फोन पर अपने एक स्रोत से सूचना मिली कि दूसरा आतंकवादी उसी परिसर के बेसमेंट जैसे ढांचे में छिपा हुआ है। तलाशी अभियान चलाया गया और अंततः बेसमेंट की पहचान हुई। इस बैसमैंट में एक पतला सा छिद्र था जिसमें से भारी गोलीबारी होनी शुरु हो गई। सी आर पी एफ पार्टी आतंकवादियों को नहीं हटा पा रही थी, इसलिए आई ई डी के प्रयोग से कमरे को उड़ाने का निर्णय लिया गया। यह कार्य पूरा किया गया। अगली सुबह मलबे को उठाने और आतंकवादी को ढूंढने के लिए एक जे सी बी को बुलाया गया। यह कार्य करते हुए आतंकवादी अपने आप बाहर आ गया और सी आर पी एफ पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। आतंकवादी ने एक गली की तरफ भागना शुरु किया जो कि सं. 055074432 सी टी/जी डी बिरेन्द्र शर्मा, 177वीं बटालियन, निरीक्षक मो. शफीक, सं. 4500/एन जी ओ, जम्मू और कश्मीर पुलिस तथा श्री अशोक कुमार, डी सी, 177वीं बटालियन ने कवर किया हुआ था। सी टी/जी डी बिरेन्द्र शर्मा, निरीक्षक मो. शफीक और श्री अशोक कुमार, डी सी, 177वीं बटालियन ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी जिंदगी खतरे में होने के बावजूद भी अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। सी टी/जी डी बिरेन्द्र शर्मा बुरी तरह जख्मी हुए परन्तु तीनों आतंकवादियों को घायल करने में सफल हुए और बाद में वह मारा गया। बाद में आतंकवादी की पहचान अबु ओसामा जीशान कासिम, जिला लेह, एन डब्ल्यू एफ पी, पाकिस्तान के रूप में हुई जो कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी गुट से संबंधित था।

सं. 001386199 सी टी/जी डी पिंकु बोरदोलोई, सं. 055353419 सी टी/जी डी रोबर्ट लाल थींगलीमा और सं. 065344093 सीटी/जी डी मो. इसील खान ने अपने को बड़े खतरे में डालते हुए असाधारण तरीके से इस अभियान को चलाया। श्री डी पी उपाध्याय, कमांडेंट, 177वीं बटालियन, श्री अशोक कुमार डी/सी (अभि.), 177वीं बटालियन, सी आर पी एफ ने भी उच्च स्तर की बहादुरी का प्रदर्शन किया। श्री मैथिली शरण गुप्ता, आई पी एस, आई जी पी, (अभि.) सी आर पी एफ, कश्मीर पूरे अभियान में मौके पर ही डटे रहे। उन्होंने अभियान के खत्म होने तक व्यक्तिगत रूप से अभियान का निरीक्षण और निर्देशित करते रहे। अपने आपको गोलीबारी की सीधी लेन में लाकर एक आतंकवादी को खत्म करने में उनकी भूमिका की उच्च स्तर की परम्परा से प्रेरित होकर सी आर पी एफ सं. 0552533771 सी टी/जी डी दत्तात्रे पोटे, 177वीं बटालियन ने पहले आतंकवादी को मार गिराया तथा सं. 055074432 सी टी/जी डी बिरेन्द्र शर्मा ने बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी दूसरे आतंकवादी को घायल किया और मार गिराया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री दिनेश प्रताप उपाध्याय, कमांडेंट, अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट, पिंकु बोरदोलोई, कांस्टेबल, दत्तात्रे पोटे, कांस्टेबल, बिरेन्द्र शर्मा, कांस्टेबल, रोबर्ट लाल थींगलीमा, कांस्टेबल और मो. इसील खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरुप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.11.2007 से अनुमत है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi the 16th December, 2009

No. 123–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Maharashtra Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shriniwas Yellayya Dandikwar, Constable** — **(PPMG) (Posthumously)**

2. **Balasaheb Hanumant Deshmukh, Sub Inspector** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 22/02/2008 an information about the presence of 70/80 naxalites in the jungles near village Dobur (in Police Station Bhamragad) and that these naxalites were planning to cause sabotage, was received by Shri Deshmukh. Shri Deshmukh conveyed the information to the S.P. Gadchiroli and with little experience but strong desire to act and excel, planned an operation to arrest the naxalite assembled in the forest. Dobur forest has high cliffs on 3 sides as natural formation. The spot is a bowl like valley surrounded by high rise hills and a nullah cutting across the jungle at the base and passing through it. It was extremely difficult to plan an operation to accost and arrest the armed assembly at such a geographically adventurous position without the police party being noticed by it. Moreover, this location made it vastly disadvantageous to the police party. However, PSI Deshmukh called for additional manpower and planned a daring operation. The party of 10 set out from the A.O.P. consisting of Police Constables and Commando party of C-60 headed by Head Constable Narayan Wadde. One P.C. Shriniwas Yellayya Dandikwar was in the party of P.S.I. Deshmukh. They set forth for Dobur forest on foot to search the jungle and accost the naxalites. The C-60 party of Narayan Wadde was in southern most position. Party led by Rama Kudiyami was in the western part of the valley whereas the party led by PSI Deshmukh entered from the eastern side. 2 parties of Police Station were deployed beyond the Dobur hill range in the north from Kothi side. They started closing on the spot where the naxalites had assembled. The police parties had barely taken their position when the

southern party of Narayan Wadde was spotted by the naxalites who started firing indiscriminately upon them. Hearing this firing, PSI Deshmukh exhorted the party led by Rama Kudiyami to support the southern party and both the parties started bringing fire pressure on the naxalites. Seeing the mounting pressure -from the western direction, the naxalites turned back to the east direction towards the police party of PSI Deshmukh. In the meanwhile, PSI Deshmukh's party which included one Police Constable Shriniwas Yellayya Dandikwar moved ahead towards the nullah but found that the naxalites had moved to their rear and encircling them, had started firing heavily on the party of PSI Deshmukh. PSI Deshmukh's party found itself well away from the parties of Narayan Wadde and Rama Kudiyami and were quite at loss before the fire power of naxalites. At this junction, it was necessary to build counter pressure on the naxalites and push them back. PSI Deshmukh prepared a small detachment from his party consisting of Police Constables Shriniwas Dandikwar, S.K.Ingle, Dayaram Zade and 3 others to mount an attack on naxalites from the other side after crossing an open field. In the assault party carved out by PSI Deshmukh, Police Constable Shriniwas Dandikwar in a most brave act calling "Bharat Mata ki Jay" went ahead and charged towards the naxalites in a ferocious manner. Police Constable Shriniwas Yellayya Dandikwar entered the police service in Gadchiroli district on 28/03/2005. After completion of training, he was inducted in the Special Operations Group called as C-60 in Gadchiroli on 25/02/2006 because of his good physique, performance, alertness and sincerity to his job. The charge led by Police Constable Shriniwas Dandikwar proved most effective and the naxalites retreated relieving some pressure from the party. Police Constable Shriniwas Dandikwar charge was of the risk of his life. He killed and injured some naxalites, who had taken position behind the trees and bamboo screen. Because of this brave effort, the naxalites lost their nerve and started withdrawing. However, this brave policeman Police Constable Shriniwäs Dandikwar, unfortunately was hit by a bullet on his skull. Even after getting down, he exhorted the remaining members of the party to charge forward and fire upon the naxalites. Their effort made the naxals retreat into the forest. In the meanwhile, PSI Deshmukh though young, in-experienced and beleaguered with the naxalites assault, kept his cool, stance and continuously fired upon the naxalites. The charge led by Police Constable Shriniwas Dandikwar and the brave firing of PSI Deshmukh proved effective and the naxalites retreated releasing pressure from the party. In this effort, unfortunately Police Constable Shriniwas Dandikwar was hit by a bullet of the naxalites while responding to the call of duty. Equally PSI Deshmukh who was incharge of the party, in the adverse situation, led his men effectively and bravely, thereby eliminating 3 of the naxalites and saving the lives of his party men. The police party on conducting search found 4 naxalites dead (1 male and 3 female) and also found large amount of arms, ammunition, literature and other naxalite related articles. The following arms/ ammunition were recovered from the spot:-

1.	SLR Rifle	- 01	2.	303 Rifle	- 02

3.	315 (MM) with magazine	-	01	4.	Granade with fuse	-	02
5.	Detonator	-	18	6.	W.T.	-	01
7.	.303 Rounds	-	45	8.	8 mm Round	-	41
9.	SLR Round	-	06	10.	Camera Flash	-	03
11.	Solar Plate 12 W	-	01	12.	Multimeter	-	01
13.	Battery	-	5	14.	Steel Torch	-	03
15.	Pithoo	-	05	16.	Wire	-	01
17.	Medicine Kit	-	01				

The injured Police Constable Shriniwas Yellayya Dandikwar lived for 1-1/2 hours while he was moved for medical aid from the deep forest. The post mortem showed a single bullet injury on his left temporal region 5 cms above the ears in a size of 2 cm x 1-1/2 cm x 1 cm and the exit wound on the right side on the occipito temporal region of the size 4 cm x 2 cm x 4 cm. The injury was serious enough which caused the death of such a brave, sincere and capable policeman PSI Deshmukh took up the position as a matured leader of the party, radioed the message to SDPO Bhamragad, called for medical support for the injured police constable and made all efforts to save his life. Thus Police Constable Shriniwas Yellayya Dandikwar member of C-60 took upon himself the responsibility of puncturing the assault of the naxalites. He charged upon them valiantly and ensured their regress and the safety of his brotheren in the serious encounter between large number of naxalites with heavy fire power and trapped police party led by P.S.I. Deshmukh in the deep forest of Dobur jungle during anti-naxalite operations. Police Constable Shriniwas Yellayya Dandikwar fought with his life at the altar of his duties. Thus PSI Balasaheb Hanumant Deshmukh, a young officer during his first posting showed an extremely matured mind, able leadership, high degree of team capability and bravery of highest order, rising to the occasion and responding to the call of duty required at that time and made the operation of Dobur forest a success. This enhanced the high morale and achievements of the Police force.

In this encounter S/Shri (Late) Shriniwas Yellayya Dandikwar, Constable and Balasaheb Hanumant Deshmukh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22-02-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

39—391 GI/2009

No. 124–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **K C Yadav, Assistant Commandant** **(PPMG)**
2. **Ashim Manta, Constable** **(PPMG)**
3. **Arjun Singh, Head Constable** **(PMG)**
4. **Rajesh Kumar, Constable** **(PMG)**
5. **Rathod Pandit, Constable** **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Adhoc J-III BSF Battalion of Jammu Frontier was given the most challenging task to conduct election in highly Naxalites infested Districts-Rohtas & Kaimur in Bihar. Kaimur Plateau is spread over 1500 sqr Kms area which is considered inaccessible due to poor road conditions. Because of thick forest, poor visibility, inaccessibility and poor living conditions of people, the plateau has become heaven sanctuary for Naxalites. They are indirectly ruling the plateau and have established their bases, training camps and move freely. Whenever security Force venture to reach the plateau, they suffer heavy casualties. 'B' Coy of 182 Bn BSF was given an arduous task of deployment in the hypersensitive Naxalites infested area of Dhansa, PS-Rohtas. After reaching at the place of deployment, they established the base camp which was at a distance of approx 22 Kms from Dhansa. After carrying out reccee of general area and analyzing the threat assessment, Coy was deployed on 02nd April 2009. As the area is considered to be strong hold of Naxal groups and in the past, Naxal groups were successful in killing security force and blowing IEDs in this area, after deployment, Coy carried out extensive domination, cordon and search operations on all the suspected hideouts given by the local police. On 14.04.2009 at about 2230 hrs, Constable Ashim Manta, deployed on sentry duty observed some suspicious movements and

dog barking in village Dhansa. He alerted the troops. Sensing danger, Shri K C Yadav, Assistant Commandant, Coy Commander, immediately took stock of the situation and positioned his troops in their respective Morchas which they had prepared earlier to tackle such contingency. Suddenly approx 250 Naxalites, who had taken positions all around the Coy Post, started heavy firing on the post with automatic weapons. BSF Troops retaliated the fire in the most professional manner forcing Naxalites to stay away from the post. During the initial attack by Naxalites, one of the bullets hit Head Constable Arjun Singh who was manning MMG at roof top of the building. Despite injuries, **Head Constable Arjun Singh** continued firing from his MMG. He was later evacuated by the Coy Commander to safe Morcha and was administered quick clot powder and first-aid. Due to application of quick clot, bleeding reduced to a great extent and HC Arjun Singh resumed firing at the Naxalites groups despite serious injury. Shri K C Yadav, AC observed that heavy volume of fire was still coming from one particular house of village which was providing defensive cover to the Naxalites whereas making own fire ineffective. Analyzing the gravity of the situation, Shri K C Yadav, felt that to control and neutralize the fire of the Naxalites, it is must to overpower the fire place of Naxalites. As such, officer along with **Const Ashim Manta** amidst heavy volume of fire from Naxalites, came out of their position and crawled towards the house occupied by the Naxalites with utter disregard to their own life. Under covering fire, the duo managed to reach the house amidst heay exchange of fire and successfully lobbed the grenades inside, thus, neutralizing the Naxalites groups who were creating major problems by firing from a protected place. Still heavy firing from the other direction of the village was continuing. Due to peculiarity of ground, **Constable Rajesh Kumar** manning 51mm Mortar Morcha was not able to bring down effective fire, thus, he decided to shift his position, occupied the alternate position and brought down effective fire. In an another daring move, **Constable Rathod Pandit** in order to put effective fire on Naxalites came out of his position and crawled to Kote amidst heavy firing, took out AGL and sited the weapon on the roof top by exposing himself to Naxalites fire and brought effective fire on the Naxalites, thus preventing them to come closer to the camp. **Shri K C Yadav, Assistant Commandant** provided leadership and commanded the operation with high degree of professionalism, determination and courage with utter disregard to his life. **Head Constable Arjun Singh, Constable Rajesh Kumar, constable Rathod Pandit, Constable Ashim Manta** displayed extra ordinary courage in tandem which was instrumental in neutralizing the bold Naxalites attack. The action was so meticulous that there was no loss of life of own troops or civilians except from the injury to Head Constable Arjun Singh. During the entire operation, troops under command of Shri K C Yadav ensured strict fire discipline and utilized their ammunition in a regulated manner to ensure hours long pitched battle against the Naxalites armed with automatic weapons and Rocket Launchers and inflicted heavy casualties which forced the Naxalites to flee away in to thick forest which is the rarest thing to happen in bold Naxalites attack on the Security Force.

In this encounter S/Shri K C Yadav, Assistant Commandant, Ashim Manta, Constable, Arjun Singh, Head Constable, Rajesh Kumar, Constable and Rathod Pandit, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14-04-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 125–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry / Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Industrial Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Bhagirath Singh, Head Constable**	**(PPMG) (Posthumously)**
2.	**Amrendra Sarmah, Head Constable**	**(PPMG) (Posthumously)**
3.	**Sarbjeet Singh, Constable**	**(PPMG) (Posthumously)**
4.	**Vipin Kumar Singh, Constable**	**(PPMG) (Posthumously)**
5.	**Dharam Singh, Constable**	**(PPMG)**
6.	**Salim Khan, Constable**	**(PPMG)**
7.	**Santosh Kumar, Constable**	**(PMG)**
8.	**Devendra Prasad, Constable**	**(PMG)**
9.	**Subas Chandra Pradhan, Sub Inspector**	**(PMG) (Posthumously)**
10.	**Potupureddi Appanna, Constable**	**(PMG) (Posthumously)**
11.	**Barun Paramanik, Constable**	**(PMG) (Posthumously)**
12.	**Solanki Kritan Kumar, Constable**	**(PMG) (Posthumously)**
13.	**Bidhan Maji, Constable**	**(PMG) (Posthumously)**
14.	**Lalit Kumar, Constable**	**(PMG) (Posthumously)**
15.	**Kuber Chandra Rout, Constable**	**(PMG)**

16.	**Chetan Das, Constable**	**(PMG)**
17.	**Ram Bilash Singh, Constable**	**(PMG)**
18.	**Harender Prasad, Constable**	**(PMG)**
19.	**Champak Kalita, Constable**	**(PMG)**
20.	**SK. Mohiuddin, Constable**	**(PMG)**
21.	**Narender Kumar Yadav, Constable**	**(PMG)**
22.	**Mihir Parmanik, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

This citation relates to an extreme act of rare courage shown by CISF personnel deployed at explosive magazine of mines belonging to NALCO Damanjodi in Koraput District of Orissa State in which the attempt of naxalites to run over and loot arms, ammunition & explosives was repulsed effectively. While 04 Naxalites were killed in the operation, ten CISF personnel made supreme sacrifice by laying down their lives in line of their duty.

On the night of 12/04/2009 at about 2130 hrs, around 400 heavily armed Naxalites of Communist Party of India (Maoist) group launched simultaneous attacks on the CISF Fire Station Barrack, CISF Mines Barrack, CISF Main Gate Control Room and Explosive Magazine of NALCO Damanjodi. They were armed with sophisticated weapons like AK-47 Rifles, SLRs, country made weapons, petrol bombs, grenades and IEDs. **HC/GD Amarendra Sarmah** and **CT/GD Sarbjeet Singh** were part of Quick Reaction Team and bore the brunt of the first attack. Even though heavily outnumbered and facing attack from all sides, they retaliated and refused to surrender. HC/GD Amarendra Sarmah was killed by an IED blast while Const Sarbjeet Singh fell to the bullets. **HC/GD Bhagirath Singh** was on duty at Morcha No.4. Naxalites asked him to surrender but he kept on fighting and retaliating bravely. He held Naxalites at bay till he fell to their bullets. **CT/GD Vipin Kumar Singh and CT/GD Santosh Kumar** were on duty at the crucial Morcha No.5. They displayed exemplary courage and operational skill in resisting the heavy firing from all sides. They did not allow even one Naxalite to advance up to the morcha at a height of about 25 ft from the ground by their sustained determination and operational skills and held their position. Const V.K. Singh, in spite of a bullet injury, continued to fight till he died of excessive bleeding. Const.

Santosh Kumar continued to fight alone and ensured that the Naxalites were not able to overrun this crucial post. **CT/GD Dharam Singh, CT/GD Devendra Prasad** and **CT/GD Salim Khan** were deployed at the critical morcha No.6 on the roof of the control room. As soon as the attack started, they took up tactical positions and retaliated from LMG and INSAS Rifle. Even though heavily outnumbered and under attack from three sides, they refused to buckle and bravely ignored calls for surrender. They fought with exemplary courage, tactical skill and determination till the morning. Their gallant action not only defended the post but also prevented Naxalites from looting arms, ammunitions and explosives and causing further injuries to other jawans. Naxalites concentrated their fire on Morcha No.8, which was one of the most crucial morchas for the defence of the Magazine. **SI/Exe Subas Chandra Pradhan, CT/GD Barun Paramanik and CT/GD Bidhan Maji** on duty took up the challenge of this sudden and vicious attack and retaliated. Apart from firing they hurled petrol bombs at the CISF personnel. These three personnel showed extraordinary resistance and faced the three-pronged attack with exemplary bravery. During this exchange of fire, one of the attackers was killed and a number of them were seriously injured. The three CISF personnel continued their heroic action in defending this crucial morcha and made the supreme sacrifice. **CT/GD Potupureddin Appanna** was off duty and was resting in the rest room. As soon as the attack started he took position near the container barrack and fired upon the advancing Naxalites. During exchange of fire he was hit by a bullet but he did not flinch and continued to fight gallantly and made the supreme sacrifice. **CT/GD Solanki Kritan Kumar** was deployed in Morcha No-7. The Naxalites also fired and hurled petrol bombs and were able to advance towards this morcha by taking cover of the adjacent magazine building. Ct/GD Solanki Kritan Kumar fought bravely and prevented further advancement of Naxalites. He was hit by petrol bombs but continued to fight gallantly till he was hit by a bullet and died. **CT/GD Lalit Kumar,** who was also off duty, immediately took position near the magazine and fired at them. Naxalites heavily outnumbered him and he was overpowered by them. Naxalites asked him to hurl grenades at the other CISF personnel but the Constable refused point blank. For his selfless action and total refusal to obey the diktat of Naxalites he was shot dead by them. **CT/GD Narender Kumar Yadav** was off duty but present in the control room. He fought gallantly and, even though injured by a grenade, did not allow Naxalites to come inside. In case the naxalites had gained entry inside the control room, they would have blown off the control room and destroyed the crucial Morchas No-2 & 3. **CT/GD Kuber Chandra Rout, CT/GD Chetan Dass, CT/GD Ram Bilash Singh, CT/GD Harendra Prasad, CT/GD Champak Kalita, CT/GD Mihir Parmanik and CT/GD Sk. Mohiuddin** were resting in the rest room at the time of the attack. They immediately took positions and, even though heavily outnumbered, fought with great courage and continued firing till early morning and, thus, prevented the Naxalites from looting arms, ammunitions and explosives. They demonstrated exemplary courage and bravery even when heavy fire was directed at them from

various corners and thwarted the Naxalite's attack. By their gallant action, the CISF personnel did not allow the Naxalites to succeed in their mission. They held the Naxalites at bay, prevented looting of the explosives magazine and loss to the property of Public Sector Undertaking and lives of Public Sector employees. They killed four Naxalites and injured a number of them. They sustained their brave action till early morning of 13.04.2009 when the Naxalites retreated ignominiously. The fact that Naxalites left four dead bodies behind speaks of their exemplary bravery because Naxalites rarely leave dead bodies in order to conceal their identification. In this operation, twenty two CISF personnel fought gallantly against the Naxalites and made them to retreat without achieving their objective. Out of them, ten laid down their lives at the altar of duty. The following recoveries were made from the site of encounter:-

(i) Four dead bodies of Naxals.

(ii) 02 No's Rifle 7.62mm IAI SLR (Regd No.OFT-1900-15159659 & OFT-1999- 16192546), Rifle 303 B/A with magazine single bore- 01 No. 01 No.MK-01 No. 4N-94 58/SB, B/A 29963-A (303 Old Model), an unexpected crude device was also recovered at the explosive magazine. In addition 10.5 Kgs of explosives was seized from the retreating naxalites.

In this encounter S/Shri (Late) Bhagirath Singh, Head Constable, (Late) Amrendra Sarmah, Head Constable (Late) Sarbjeet Singh, Constable (Late) Vipin Kumar Singh, Constable, Dharam Singh, Constable, Salim Khan, Constable, Santosh Kumar, Constable, Devendra Prasad, Constable, (Late) Subas Chandra Pradhan, Sub Inspector, (Late) Potupureddi Appanna, Constable, (Late) Barun Paramanik, Constable, (Late) Solanki Kritan Kumar, Constable, (Late) Bidhan Maji, Constable, (Late) Lalit Kumar, Constable, Kuber Chand Rout, Constable, Chetan Das, Constable, Ram Bilash Singh, Constable, Harender Prasad, Constable, Champak Kalita, Constable, SK. Mohiuddin, Constable, Narender Kumar Yadav, Constable and Mihir Parmanik, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12-04-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 126–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Railway Protection Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Muralidhar Laxman Chaudhari, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Shri Muralidhar L. Choudhary was posted as Head Constable at RPF Thana CST (Main) on the fateful day i.e. 26.11.2008 in the shift of 20.00 hrs. to 0800 hrs. He was detailed at parcel gate duty. In the meantime terrorist attacked CST station area. He sensed danger and shouted loudly that terrorists have attacked and he asked the public and staff to take safer shelter. The terrorist in return fired at him and he collapsed on the spot. Even though he was not equipped with any arms but by alerting the public, he saved many lives and laid down his life while performing his duty at the highest level. The act carried out by Shri Muralidhar L. Choudhary is exemplary, courageous, unique and marvelous which shows his utmost dedication and devotion towards duties without caring for his life. This energetic, brave and courageous RPF staff is incomparable, unparallel and has shown heroic of the rarest order.

In this encounter (Late) Shri Muralidhar Laxman Chaudhari, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-11-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 127–Pres/2009- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Indo Tibetan Border Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Anil Kumar T
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

The fall of the Taliban in Dec 2001 saw the world's major powers coming forward to offer a multitude of aid to rebuild Afghanistan. Considering her strategic interests, India also offered aid and assistance in many construction projects. Of all the Indian aid programmes, the biggest and the largest was the Rs.746 crore international highway of 219 kms from Delaram to Zaranj which shortened the trade route from Bandar Abbas port in Iran to Afghanistan by over 1400 Kms. India took up the challenge and the Border Roads Organization (BRO) in turn accepted the task on behalf of the Indian Government to construct this road link. ITBP was deployed in Project Zaranj, Afghanistan and had been given the challenging task of providing security to BRO personnel who were constructing the 219 kms long highway in Nimroz Province of war torn country Afghanistan. Constable Anil Kumar T of 8th Bn. ITBP (CT/GD No.880183185) was inducted in Project Zaranj on September 2007 and had been performing security duties with 23 BRTF. On 12.04.2008 at about 0745 hrs near Maniappan Dett (Minar) about 54 kms towards Delaram from Gurguri, when the berm filling/road marking party was moving towards the work site, a suicide bomber suddenly blew himself close to the party. Due to the blast 2 BRO personnel died and several BRO/ITBP personnel were injured. Ct/GD Anil Kumar T who was amongst those who were injured. Despite his injuries, he ensured that the other injured BRO and ITBP personnel in the damaged vehicle were taken out and kept ready for evacuation to the MI Room. Thereafter, he took position to secure the area to prevent any possible follow up attack by the Taliban, before losing consciousness.

In this encounter Shri Anil Kumar T, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12-04-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

41—391 GI/2009

No. 128–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M. Ravindranath Babu,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Srirangam Ravindranath,**
   Reserve Sub Inspector
3. **Isarapu Sanyasi Rao,**
   Sub Inspector
4. **M. Venkateswarulu,**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the evening of 27.10.08, Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP collected precise information through his reliable source that the banned CPI Maoist cadres of Koraput Area Committee are camping in Ravikona Forest area about 12 Kms North West of Parvathipuram Rural P.S. of Vizianagaram Dist to commit offence in the area. The said area is situated at a distance of 2 kms away from Vizianagaram – Orissa state Border. The area is spread with Dense mixed jungle, screams and hills, almost all the roads, cart tracks and foot tracks are suspected to be mined and dangerous for road journey as well as cross country march. Inspite of hostile conditions prevailing in the area Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP collected actionable intelligence and planned an operation to neutralize the extremists camping in the forest area. As per his plan, he took the assistance of one district special party of Vizianagaram District to conduct combing operations. To keep the movement of the forces secret he planned their movement in the night so as to reach the operation area and to launch the operation with the first light. As per his plan, the Special Party Shri Srirangam Ravindranath, RSI, Shri Isarapu Sanyasi Rao, SI and Shri M. Venkateswarulu., PC led by Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP dropped in the forest area and started combing the area with the first light on 28.10.08.

On the early hours of **28-10-2008,** Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP as part of combing, while conducting combing operations near Kothavalasa-Ravikona Forest area 11 KMs North-West of Parvathipuram Rural P.S., along with Shri Srirangam Ravindranath, RSI, Shri Isarapu Sanyasi Rao, SI and Shri M. Venkateswarulu., PC and District Special Party, Vizianagaram at about 0430 hours noticed about 10 – 15 member group of banned CPI Maoists of Koraput Area Committee, olive green clad and some of them in mufti with deadly weapons nearby, immediately the police party divided into two groups one group lead by Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP and Shri Isarapu Sanyasi Rao, SI and half of the district special party and another group lead by Shri Srirangam Ravindranath, RSI and Shri M. Venkateswarulu, PC and the remaining special party. They took positions and were about to apprehend the armed Maoist, but one of the sentry observed the police parties, alerted the squad and opened indiscriminate fire with fire arms towards Police party with a view to kill the nominees and their party. Then the police party after taking all precautions taking proper defense positions and in self defense opened fire towards the Maoists. The Exchange of fire lasted for thirty minutes in which Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP, Shri Srirangam Ravindranath, RSI, Shri Isarapu Sanyasi Rao, SI and Shri M. Venkateswarulu., PC without caring for their lives shot two important Maoists, who were giving stiff resistance to the police party. Sensing the danger from the assault of the police party, the remaining extremists fled away from the scene, taking the advantage of thick forest and boulders. The nominees with their assault group chased the extremists who were firing with AK-47 and other automatic weapons towards the police party while escaping away from the scene of Exchange of Fire.

The brave act of Shri M. Ravindranath Babu, Addl. SP, Shri Srirangam Ravindranath, RSI, Shri Isarapu Sanyasi Rao, SI and Shri M. Venkateswarulu., PC and their team inflicted heavy casualties on CPI (Maoist) with the death of (1) Valluri Venkata Rao @ Mastan Rao @ M.R. @ Kailasam, AOBSZC, Member, Native of Guntur Town of Andhra Pradesh (2) Ramatothi Jayakumar @ Ramana @ Ramesh, Commander, Koraput Area Committee, Native of Prakasam Dist of Andhra Pradesh.

In this encounter, One 9 mm Pistol, one Tapancha, two Kit bags and Rs. 32,000/- cash were recovered from the scene of offence vide Cr.No 67/08 of Parvathipuram Rural P.S. of Vizianagaram District.

These slain extremists committed several heinous offences, in AOBSZC area including killing of police personnel and political leaders, blasting of Police Stations and Vehicles, assaults etc. As a result of this encounter, the morale of the CPI (Maoist) in the **AOB area** fell to its lowest ebb.

In this encounter S/Shri M. Ravindranath Babu, Additional Superintendent of Police, Srirangam Ravindranath, Reserve Sub Inspector, Isarapu Sanyasi Rao, Sub Inspector and M. Venkateswarulu, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28-10-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 129–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S V Rajashekar Babu,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Srikantam Jagannatha Rao,**
   Sub Inspector
3. **Hathagale Dasharath,**
   Head Constable
4. **Lanke Bhaskar Rao,**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the evening of 27.10.08, Shri S. V. Rajashekar Babu, Addl. SP came to know through his reliable sources that the banned CPI Maoist top cadres of A.P. Special committee are camping near Bontha konda forest area which is about 12 Kms from Bandalmotu mandal and P.S. of Guntur district and 110 Kms from the District Head Quarter and bordering with Prakasam District. The area is spread with dense mixed jungle, screams and hills and almost all the roads, cart tracks and foot tracks are suspected to be mined and dangerous for road journey as well as cross country march. In spite of the hostile conditions prevailing in the area, Shri S.V. Rajashekar Babu, Addl. SP collected actionable intelligence and planned an operation with the district special party of Guntur District. He meticulously planned the operation with utmost care by taking all precautions to avoid exposure of the Police movement and briefed the party accordingly.

On the evening of **27-10-2008,** Shri S.V. Rajashekar Babu, Addl. SP along with Shri Srikantam Jagannatha Rao, Sub Inspector, Shri Hathagale Dasharath, Head Constable and Shri Lanke Bhaskar Rao, Police Constable and the district special party proceeded for combing operation and reached the out skirts of Remidicherla village and took LUP in the nearby forest. They further continued their combing in the early hours of 28-10-2008 and started checking all the ridges,

valleys, hide outs and water points that are situated in Remidicherla and Bonthapally forest areas and reached the foot of Bontha pally hillock at about 0645 hrs. The team led by nominee-I heard sounds from the bushes situated on the eastern side and to confirm the sounds, Shri S.V. Rajashekar Babu, Addl.SP and his party crawled the hard terrain and reached near to the bushes, peeped into the bushes and noticed 8 member group of banned CPI Maoists with deadly weapons. Immediately Shri S.V. Rajashekar Babu, Addl. SP divided the police party into assault party and cutoff party. The assault party was led by Shri S.V. Rajashekar Babu, Addl.SP and consisted of Shri Hathagale Dasharath, HC and half of the district special party. The cut off party was led by Shri Srikantam Jagannatha Rao, SI and consisted of Shri Lanke Bhaskar Rao, PC and the remaining special party. Within flash of seconds, the two parties crawled to the respective positions by following all the tactical principles, took their positions and were about to start the action to apprehend the armed ultras. But the Maoist group was guarded by two sentries on both sides and one sentry observed the crawling cutoff party and informed the entire group that the enemy is around and on that the leader of that group directed the entire group to give punch fire at the police party. On that all the Maoists opened indiscriminate fire with sophisticated fire arms with an intention to kill the police party. In this war like situation assault party shown utmost bravery and moved to near by boulders, took covers and started retaliating. The Maoists were spraying the bullets on to the assault party, but Shri S.V. Rajashekar Babu, Addl.SP and consisted Shri Hathagale Dasharath, HC shown exemplary bravery and forwarded in zig-zag fashion without caring the bullets passing near to them, took partially exposed covers and fired at the extremist spraying bullets with AK-47. On that he collapsed to death and the remaining extremists, sensing danger from the assault group, fled away towards the other side, but by then the cutoff party were already in its position and observed the fleeing extremists. The fleeing extremists also observed the cutoff party and gave indiscriminate fire on to the cutoff party. The Exchange of fire lasted for twenty minutes and the Shri Srikantam Jagannatha Rao, SI and consists of Shri Lanke Bhaskar Rao, PC fought without caring their lives and caused the death of another female maoist who was giving stiff resistance to the police party.

Thus the brave act of the S/Shri S V Rajashekar Babu, Additional SP, Srikantam Jagannatha Rao, Sub Inspector, Hathagale Dasharath, Head Constable and Lanke Bhaskar Rao, Police Constable and their team inflicted heavy casualties on Maoist out fit with the death of (1) Thota Gangadhar @ Ramachander @ RC, n/o Kooragallu(V), Mangalagiri(M), Guntur district, Member of AP Special committee (2) Valan –das Jayamma @ Saritha @ Aruna @ Kamalakka d/o Raja Gowd, W/o RC, Gollapally village, Narsapur Mandal, Medak district, of CC Tech. Mechansim (DCM status).

In this encounter, **One AK 47 rifle and one Tapancha** were recovered from the scene of offence vide Cr.No 54/2008 of Bandlamotu P.S. of Guntur District. These slain extremists committed several heinous offences in APSC area including killing of police and political leaders, attacks on Police Stations, mine ambushes and

blasting of Vehicles etc. Thota Gangadhar @ RC is involved in lot of offences like attack on Yerragonda Palem PS in 2001, Attack on Srisailam I & II town PSs in 2002 and murder of Dornala sarpanch in 2003 Kidnapping of SI Sri Anjaneyulu while coming from Katamraju jatara in 2004 etc.

Jayamma @ Aruna is involved in offences like exchange of fire held at Ibrahimpatnam of R.R.District in 1995, attack on Ramayampeta Police Station of Nizamabad district in 1996-97, blasting of land mine at Pillutla in 1997 where in a DSP died, attack on Turkapalli Police Station of Nalgonda district in 1998, attack on Bommalaramaram Police Station in 1999 and attack on Mannuru Police Station in 2005-06 etc.

With the killing of these two notorious Maoist leaders the morale of the CPI (Maoist) in the **APSC** fell to its lowest ebb and the revival of movement in AP region remained a night mare for the Maoists.

In this encounter S/Shri S V Rajashekar Babu, Additional Superintendent of Police, Srikantam Jagannatha Rao, Sub Inspector, Hathagale Dasharath, Head Constable and Lanke Bhaskar Rao, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28-10-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 130–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri M. Ganesh Raju,
Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 25.09.07, information was received about activity of 20 members of CPI(Maoist) group near Maddygaruvu (v) under G.Madugula P.S. in the previous night. The OSD/Narsipatnam contacted his sources and collected vital information about the presence of Maoists and prepared a detailed tactical plan. He deputed one District Special Party briefed them in detail. The Police party including Shri M. Ganesh Raju, Police Constable dropped at 0900 hours on 25.09.2007 at the outskirts of Maddigaruvu village and took LUP. From there they walked for 6 KM through Sirasapalle Reserved Forest under scorching heat of the sun. They combed the thicky forest area. While proceeding towards Amidelu (V) through the forest by taking all precautions, Shri M. Ganesh Raju, Police Constable who was in the front of the assault team noticed a group of 20 Maoists in olive green uniform and carrying weapons. Shri M. Ganesh Raju, Police Constable and others advanced from left and right flanks to cut-off the escape routes. The police party asked the Maoist group to surrender by informing about their identity in a clear and loud voice. But the Maoist group opened fire with automatic weapons. The main assault team advanced with available cover courageously unmindful of the hails of bullets being showered on them by the Maoists and retaliated the fire in self defence. Shri M. Ganesh Raju, Police Constable was in the front of the assault team and first came under the fire of the Maoists. This fierce exchange of fire continued for nearly 30 minutes and resulted in killing of one dreaded female Maoist Mandiba Nagaratnam @ Shakeela, Deputy Commander cum Area committee member of Korukonda Area committee. While the area was being thoroughly combed, against the Maoists, who took position in the dense forest, opened fire on the Police party. Again the Police informed them to surrender in a loud and clear voice. But the Maoists continued the fire. The Assault team including Shri M. Ganesh Raju, Police Constable, opened fire in self-defence and advanced courageously unmindful of the grave danger to their life. The exchange of fire continued for nearly 20 minutes and

resulted in killing of another three dreaded Maoist cadre, among whom one is a Dalam Commander and two other Dalam members. After the cease fire the Police party searched the area and found three dead bodies of Maoists Jartha Vijaya, Kumba Rama Laxmi @ Sweetha and Yellangi Chittibabu @ Chantibabu. They were involved in series of cases of Maoist violence and were absconding. Two .303 rifles, one SBBL, one Tapancha, huge quantity of ammunition, detonators, personal belongings and important documents/ Maoist literature/ books throwing a light on their organization and future plans, etc, were recovered from the scene of exchange of fire. This is the subject matter in Cr.No.34/2007 u/s 147, 148, 307 r/w 149 IPC, Sec. 25, 27 I.A.Act and 174 Cr.P.C. of Pedabayalu P.S. and Circle of Paderu Sub-division, of Visakhapatnam District. This classic and fine exchange of fire is the first ever successful exchange of fire with armed cadre of Korukonda Area Committee of CPI (Maoist) in Paderu Sub-Division limits, in which severe casualty has been inflicted on them. Since their debacle in North Telangana and Nallamalla area of Andhra Pradesh, the Maoists are completely concentrating on Andhra – Orissa Border Special Zone, exclusively in the East Division of Visakhapatnam, which is their Guerilla base, to enhance their influence, involving in violent activities. Since their operation in this area, they had not received any casualty in Police action inspite of the wanton violence perpetrated by them. This single successful operation had dealt a body blow to CPI (Maoist) movements in East Division of Visakhapatnam and restored public confidence. The determination, bravery, courage, a sense of purpose and devotion to duty shown by Shri M. Ganesh Raju, Police Constable this successful anti-extremist operation from the front, unmindful of the grave risk to his life, raised the morale of the force to a great height.

In this encounter Shri M. Ganesh Raju, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-09-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 131–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Nabneet Mahanta,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **Utpal Borah,**
   Unarmed Branch Sub Inspector
3. **Pushpadhar Payeng,**
   Armed Branch Constable
4. **Gonesh Gogoi,**
   Armed Branch Constable
5. **Lalit Payeng,**
   Armed Branch Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the basis of a secret information received by Nabaneet Mahanta, APS, SDPO, Majuli about movement of a group of ULFA militant in Jorbil Kathaniati village under Garamur PS, an operation was launched under his Command at 1700 hrs on 19.07.2008. Accordingly, SDPO Majuli along with three of his PSOs namely ABC/537 Pushpadhar Payeng, ABC/56 Lalit Payeng & ABC/121 Gonesh Gogoi and UBSI Utpal Borah (OC Garamur PS) rushed to the village. Coy Commandant of G35 CRPF was informed ;and asked to execute naka at Borguri (Which is 1 ½ KMs away from the PO) to cut off all entry and exit points to the village. When the Police team reached Balichaporbi L.P. School, 2/3 armed militants were seen running towards Pohumora Balichaporigaon. On seeing the police party, the militants attacked the police by firing indiscriminately from their arms. At this juncture Shri Nabaneet Mahanta, APS, SDPO , Majuli along with OC Garamu PS and three of his PSOs moved towards the village endangering their personal safety by firing at the militants amidst heavy firing by the militants with sophisticated weapons. An encounter ensued between the police and the militants, which continued for some time. After the firing stopped, the PO was searched and one ULFA cadre was found lying dead at the PO with bullet injuries on his person.Later

on he was identified as Tulen Baruah @ Naren Baruah @ Amrit Dutta, S/O Nityananda Baruah of Kharjan Na-Satra, PS Garamur, Majuli. He was the S/S SGT Major of banned ULFA organization, involved in many cases of murder, Kidnapping, extortion etc. including the killing of the social Activist and AVARD NE Gen Secy. Sanjoy Ghose on 04-07-1997 and an Indian National Congress Leader Bhdheswar Bez on 24.01.2007, among others. A few militants managed to escape taking advantage of the darkness and thick vegetation.

A case has been registered vide Jengraimukh PS Case No. 16/08/ U/S 120 (B)/121/(A)/307 IPC R/W 25 (1-A)/27 Arms Act R/W 10/13 US (P) Act.

In this encounter S/Shri Nabneet Mahanta, Sub Divisional Police Officer, Utpal Borah, Unarmed Branch Sub Inspector, Pushpadhar Payeng, Armed Branch Constable, Gonesh Gogoi, Armed Branch Constable and Lalit Payeng, Armed Branch Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-07-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 132–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Vineet Vinayak, Superintendent of Police**
2. **Birendra Kumar Singh, Sub Inspector**
3. **Raj Kumar, Sub Inspector**
4. **Surendra Kumar Singh, Senior Commando**
5. **Manoj Kumar, Junior Commando**
6. **Narendra Kumar Jha, Junior Commando**
7. **Sunil Kumar Singh, Junior Commando**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 13.12.07, an intelligence input was received by Shri Vineet Vinayak IRS. Superintendent of Police, District Khagaria, that Sattan Chaudhary, a dreaded criminal of Kosi region and his armed gang members, wanted in 23 cases of murder, dacoity, kidnapping and extortion would be visiting a farm on Khagaria-Saharsa border on the intervening night of 13/14.12.2007. This gang, armed with sophisticated weapons, including rifles looted from the police had been previously involved, in at least 02 encounters with the police. Its gang leader, an absconder in all criminal case registered against him was aided in his activities by the adverse and inaccessible riverine terrain, which seriously compounded problems for the police party by making them extremely vulnerable by exposing their movement from a distance. At about 21.45 hrs, on 13.12.07 Shri Vineet Vinayak, led a team

comprising of SI. Birendra Kumar Singh, S.I. Raj Kumar, and 25 other Police Personnel, to the said farm. To maintain secrecy of movement, the raiding party trekked 10 kms on the sandy river banks crossing two abandoned bridges in that cold and dark wintery night. On reaching the said location at around 12:00 midnight, the SP briefed his men and tactically deployed them in 4 groups cordoning the said farm from three sides. At around 01.00 am, 7 armed men arrived there riding on horse backs. The S.P. directed them to stop and surrender. This warning was however met with a volley of indiscriminate fire threatening the life of policemen and the security of govt. weapons. Shri Vineet Vinayak, then directed his men, to crawl forward and initiate restricted and controlled retaliatory fire. This dangerous exchange of fire continued for around four hours. At around 5.00 am, when the firing stopped, it became clear that 7 criminals and 2 horses lay dead in the field. Near them lay their weapons, ammunitions and fired cartridges which included 2 looted .303 Police, Rifles, 3 Regular .315 Rifles, 1 Semi Automatic Rifle and 2 Country-made Pistols along with 66 rounds of live ammunition. 5 horses were also found in the field nearby. 3 policemen were saved from injury due to their bullet proof protection gear as revealed from the bullet marks thereon. The information of this incident was immediately conveyed to senior supervisory officers and DGP control room. The dead criminals were identified as -1. Sattan Choudhary (Gang leader) 2. Ranjit Yadav 3. Md. Ijrayal, 4. Rajo Choudhary 5. Bhup Choudhary 6. Jogi Choudhary and Naresh Choudhary.

In this encounter S/Shri Vineet Vinayak, Superintendent of Police, Birendra Kumar Singh, Sub Inspector, Raj Kumar, Sub Inspector, Surendra Kumar Singh, Senior Commando, Manoj Kumar, Junior Commando, Narendra Kumar Jha, Junior Commando and Sunil Kumar Singh, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14-12-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 133–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Gujarat Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vijaykumar Karshanbhai Gadhvi,
Police Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Shri Vijay Kumar Karshanbhai Gadhvi P.S.I nabbed hard core and most wanted criminal Sailesh Manubhai Dhandhaliya of village Sathra of Alang Police Station under Talaja Taluka who was wanted in more than 20 heinous crimes that took place in Bhavnagar and other districts of Gujarat state. Bhavnagar Police had formed various squads for nabbing him but he kept eluding the police for more than 7 months. On 09-08-2008 Sailesh fired at his relative and sworn enenmy Devshankarbhai Jani at village Sathra but Devshankarbhai luckily escaped. Shailesh than fled from the scene of the crime on his motorbike along with his accomplice. A District level alert was declared to apprehend the absconding culprit and therefore Shri Vijay Kumar Karshanbhai Gadhvi P.S.I took up position on one of the possible escape routes between Juna Jaliya and Rajapara villages. To ensure that this clever criminal is not alerted about the police presence this team used private vehicle for the "nakabandhi". During the course of their watch Shailesh and his accomplice came towards the police party on motorcycle and when challenged by the police party to surrender he instead shot a PSI V.K Gadhvi on his chest with the intention to kill him. Shri Gadhvi was hurt on his left side lower chest wall. He also sustained injuries as per medical report attached. Shri Gadhvi had taken the precaution to wear a bullet proof jacket and therefore he survived despite this attack. Shri Gadhvi showed the courage and presence of mind to stop the armed criminal and wrestle him to the ground. Shri Gadhvi was joined by his team which overpowered this dangerous, armed criminal and released the loaded firearms from his hand. Thereafter they arrested Shjailesh Dhandhliya who had become a dreaded name in Bhavnagar district and out side and who had committed armed loots and dacoities and also committed murders by fire-arms, He had also started extortion activities and police protection had to be extended to his proposed victim. Thus in overpowering and arresting hard core criminal Shailesh Manubhai Dhandhaliya, Shri Vijaykumar Karshanbhai Gadhvi has exhibited exemplary courage by putting his life at stake and behaved like true police officer and thereby he has also given society a sigh of deep relief.

In this encounter Shri Vijaykumar Karshanbhai Gadhvi, Police Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09-08-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 134–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Abdul Qayoom,
Additional Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 20.04.2007, on a specific information developed by Shri Abdul Qayoom-KPS, Addl. Supdt. of Police (Ops) Pulwama to the extent that two terrorist of HM terrorist outfit are hiding in the house of one Gh. Nabi Reshi S/O Khazir Mohd. at village Ratnipora (P/S Pulwama). The house was cordoned by Police party of Police Camp Pulwama headed by Shri Abdul Qayoom, Addl. Supdt. of Police (Ops) Pulwama to combat with the holed up terrorists. The terrorists were challenged to surrender which they refused and lobbed hand grenade on the search party. The police party led by Addl.S.P. (Ops) Pulwama retaliated in the self defence. Army (55 RR) also joined the operation for further support. Meanwhile, it came to notice that some civilians were trapped by terrorists inside the house. The police party led by Shri Abdul Qayoom, Addl. Supdt. of Police (Ops) Pulwama without carrying for their lives rescued the civilians. During the ensuing fire fight, the terrorists tried to escape from the house but due to quality leadership, dedication and timely action by police party under the command of Addl. Supdt. of Police (Ops) Pulwama, both the terrorists of HM outfit were killed. The killed terrorists were later on identified as:-

1. Bilal Ahmad Ganaie @ Suhail S/O Gh. Rasool R/O Ratnipora ("C" Category as per ZPHQ category list).
2. Sajad Ahmad Bhat @ Waseem S/O Ab. Ahad R/O Lelhar.

The neutralization of these two dreaded terrorists was a big blow to HM outfit as the dreaded terrorist were involved in a number of killing (security forces & civilians) extortions, atrocities on civilians, besides recruiting/ motivating local youths. This was indeed a great achievement for police, which was achieved due to the exemplary, bravery, gallant action displayed by Shri Abdul Qayoom, Addl.S.P. (Ops) Pulwama. In the above mentioned operation the following arms/ ammunition were recovered from the site of encounter:-

1.	AK-47/56 rifles	=02 Nos.
2.	AK Mags.	=04 Nos.
3.	AK Amn.	=110 Rds. etc.

Case FIR No. 154/07 u/s 307 RPC, 7/27 I. A Act stands registered in this regard in Police Station Pulwama.

In this encounter Shri Abdul Qayoom, Additional Superintendent of Police Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20-04-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 135–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Shiv Krishan,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 31.07.2007, an information was received by SSP Doda regarding the presence of a dreaded top Pak terrorist Abid Hussain Basra Code Zargam Code Hayat Set Code K-2 S/O Mohd. Ismail Basra R/O Rahimyarkhan Punjab Pakistan affiliated with Hizbul Mujahideen outfit in a build up hideout in the dense forest of Nagni Nallah under Police Station Doda. The said terrorist had moved from the higher reaches of Gandoh and Bhaderwah to near the District Headquarters Doda with intention to commit some sensational terrorist act on the eve of Independence Day 2007. The information was further developed by the officer, by skillfully utilizing the services of his local sources, ensuring utmost secrecy, meticulously planned the operation and opted to execute on ground personally with a small component of District Police and 10 RR during the intervening night of 31.07.2007 and 01/08/2007. While laying the cordon around the hideout, the terrorist opened indiscriminate fire and hurled grenades. Undeterred with this, a quick cordon was laid. Shri Manohar Singh, SSP alongwith SI Shiv Krishan volunteered to strike the hideout. Noticing the assault party approaching hideout, the terrorist increase the volume of Fire and hurtling of grenades which missed the officers by hair line. The holed up terrorist was constantly asked to surrender upon which he continued firing and hurling of grenades towards the assault party. Sensing danger to the lives of Jawans in the cordon, the officers started tactically crawling towards the hideout. In

the meanwhile the terrorist jumped out and took position behind a big boulder and continued firing. There was hardly any place for the officers to take position even then by exhibiting the presence of mind of the highest order and raw courage, they swiftly retaliated the fire thereby restraining the terrorist to cause casualties as well to escape. Sensing the officers, approaching near, the terrorist jumped down the nallah firing indiscriminately from his AK rifle. While the terrorist was being chased by the officers, he moved back at once and fired towards the officers again having a highly narrow escape to both of them. But the officers by displaying raw courage, operational skill, dedication and devotion to duties and presence of mind of the highest order, in a dare devil close fierce gun battle killed the above said Pakistani top Commander. The recovery included 01 AK rifle, 03 magazines, 37 rounds, 01 binocular, 01 grenade, 02 Identity Cards and 01 pouch. The slain terrorist was active in District Doda for the last about 10 years and involved in number of heinous militancy related crimes like killings of innocent civilians, attacks on security forces/ Police/ VDCs, rape, looting etc. he had inducted many youths in militancy and sent them to Pak for arms training. He was a dreaded terrorist and had spread a reign of terror in the whole of District Doda. He was looking after all the operations, finance, recruitment, infiltration, ex-filtration, re-cycling of surrendered & arrested / released terrorists for Hizbul Mujahideen. He was the most wanted Hizbul Mujahideen terrorist categorized as "A". He was the only and the longest surviving Hizbul Mujahideen foreign terrorist active in district Doda. His neutralization is considered to be the biggest achievement against Hizbul Mujahideen in District Doda and his timely neutralization has saved many lives on the eve of Independence Day 2007 for which he had shifted to present hideout near District Headquarters.

In this encounter Shri Shiv Krishan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01-08-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 136–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nazir Ahmad,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

As specific information regarding the presence of Jahangir Ahmad Dar @ Chota Jahangir S/O Gh. Mohd. Dar R/O Halmullah Bijbehara (District Commander of Anantnag in a hide out at village Dogripora Pulwama, P/S Awantipora, Police District Awantipora) was generated by Inspector Nazir Ahmad SHO Police Station Nowgam Srinagar. On this information, SHO P/S Nowgam Shri Nazir Ahmad alongwith a police party from South Zone sringar rushed towards the said village and quickly cordoned off the area. Shri Nazir Ahmed, Inspector and his party proceeded towards suspected hideout. After locating the hideout, which was above the cowshed of the suspected house, Inspector Nazir Ahmad tactically positioned the police party around the suspected house. On approaching the hideout, Inspector Nazir Ahmad tried to remove the wooden plank cover of the hideout, terrorist hiding inside started indiscriminate firing on police party in which Inspector Nazir Ahmad SHO P/S Nowgam had a narrow escape as the bullets missed him by a whisker. On retaliation, the terrorist got back into the hideout. Displaying extra ordinary presence of mind and courage, the above police party headed by Inspector Nazir Ahmad without caring for their lives, took cover a very close proximity to the hideout and engaged terrorist in fire fight for about 35 minutes till the reinforcement of Army and Police joined them. In the subsequent gun battle, Jahangir Ahmad Dar @ Chota Jahangir S/O Gh. Mohd Dar R/O Halmullah Bijebehara (District Commander of HM Outfit category "A") was killed. The said terrorist was active for last (07) years and was involved in number of heinous crimes, which include car bomb blasts, IED blasts, killing of civilians and personnel of Security Forces. By eliminating the said terrorist, the HM outfit suffered a major set back. In this connection case FIR No. 4/2008 U/S 307-RPC, 7/27 I.A. Act stands registered in Police Station Awantipora. The following arms/ammunition was recovered from their possession:-

1.	AK-56	=02
2.	AK Magazines	=02 Nos.
3.	Rds.	=56 Nos.
4.	Grenade(Chinese)	=01 No. (On spot destroyed)
5.	Pistol (Chinese)	=01 No.
6.	Pistol Mags.	=01 No.
7.	RPGL Shuttle	=02 No. (On spot destroyed)

In this encounter Shri Nazir Ahmad, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18-03-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 137–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Raj Pal Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On a specific tip off, a search was launched on 22-12-2007 by S.I. Raj Pal Singh of SSR Gool accompanied by own troops and columns of 58 RR in the general area of Hara, Gool. The officer without caring for his life continued his efforts in making contact with ANEs in the chilly night of high altitude forest area. Finally on 23.12.2007 morning (1000 hrs) movement of an unidentified/suspected person was noticed who was cautioned to stop and reveal his identity who instead started indiscriminate firing. The terrorist concealed himself behind boulders lying in the Nallah but the officer tactfully crawled upto the holed up terrorist and displayed tactical acumen, exceptional courage in gunning down the terrorist. The eliminated terrorist was later identified as Mohd. Imran @ Abu Umer of LeT outfit, R/O Chechyan Rawalpindi, Pakistan. The elimination of the said terrorist has given a high relief to the locals of the area and boosted morale of the Police security forces. The following recovery has been made from the site of encounter:-

1. AK-47 =01 No.
2. A.K. Mag. =03 No.
3. A.K. Amn. =05 Rds.
4. Grenade =01 No.
5. Pouch =01 No.

In this encounter Shri Raj Pal Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-12-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 138–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sajjad Ahmad Shah,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Mushtaq Ahmed,**
   Inspector
3. **R P Singh,**
   Sub Inspector
4. **Jan Mohammad,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

With the approaching summer and tourist season, LeT directed Divisional Commander, Central Kashmir, Abu faisal to reactivate his cadre and break the prolonged silence in Srinagar and adjoining areas. Abu Faisal who was the most dreaded and one of the longest surviving terrorist in Central Kashmir, decided to give final shape to his plans in disrupting peace in Srinagar and thwart the forth coming election 2008. SOG Srinagar developed an input and it was established that the dreaded terrorist Abu Faisal was planning to carry out attacks in Srinagar City. A team under the supervision of Dy SP Sajjad Ahmad Shah of SOG Srinagar was constituted to further develop this input with the objective to eliminate LeT Abu Faisal, Divisional Commander Central Kashmir. In the first week of March, it was reliably learnt from a human asset that Abu Faisal along with one associate has shifted from his hideout in Zabarwan hills to Teilbal and adjoining areas to carry out attacks. The target house was finally located in the third week of March in Dangerpora Teilbal. Recee was conducted and a rough sketch of the surrounding areas was made. Meticulous planning was made so that civilian casualties are averted and no damage to property is caused. All nafri was briefed by SSP Srinagar at Operational Headquarters Srinagar personally. On 23rd March 2008, the target house was finally cordoned. The terrorists rushed out of the house firing indiscriminately and lobbing grenades and tried to break the cordon in cover of heavy firing. In this Sg Ct. Bashir Ahmad No. 2678/S, Ct Irshad Ahmad , Ct Mohd

Kabir and One Ct. Sham Singh of 122 Bn CRPF were killed. After causing casualities terrorist manage to run into adjoining fields. Hot pursuit was given to the escaping militants by the team comprising of Dy SP Sajjad Ahmad Shah, Inspr. Mushtaq Ahmad , SI R P Singh and Ct Mohd Johan , SG Ct Ab Rashid N, Ct Tanveer Ahmad , Sh Shoib Reyaz , Sarfaraz Khan and SPO Iftikhar Ahmad. After a hot chase some distance away from the house, the terrorist realized that he had been concerened. The terrorist took position a heavily built embankment on one side of Nallah. The terrorist started heavy firing and lobbed grenades on the pursuing party. The pursuing party surrounded the terrorist from two sides. Dy. SP Sajjad Ahmad and Ct Mohd Johan took position behind a boulder on one side and the other team led by Inspr. Mushtaq Ahmad and SI R P Singh took position in a nearby terrace and fired on the terrorist. Effective fire from Inspr and SI R P Singh resulted in injury to the militant. The terrorist jumped to other side of the wall and started firing on Dy SP Sajjad Ahmad Shah, in order to break the cordon and escape. Dy SP Sajjad Ahmad Shah without caring for his personal safety rushed out from his position and caught the terrorist unaware. Dy SP Sajjad Ahmad Shah along with Ct . Mohd Johan fired on the militant from point blank range who was also firing indiscriminately. Dy SP Sajjad Ahmad Shah was given effective fire cover by Inspr. Mushtaq Ahmad and SI R P Singh resulting in elimination of Abu faisal, Divisional Commander Central Kashmir. The terrorist was shot at from close range resulting in his death. From the slain terrorist 01 AKL Rifle, 01 AK Magazine, 13 (live) AK Rds, 03 Nos Grenades, 01 Pouch, 2 Matrix, 01 Identity card and 01 Diary were recovered. In this regard case FIR No. 24 of 2008 under Section 302, 307 RPC, 7/27 I.A. Act stand registered in P./S Nigeen, Srinagar.

In this encounter S/Shri Sajjad Ahmad Shah, Deputy Superintendent of Police, Mushtaq Ahmed, Inspector, R P Singh, Sub Inspector and Jan Mohammad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-03-2008

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 139–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Tanveer Ahmad,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On a specific information generated by Police Awantipora regarding presence/hiding of 01 HM terrorist in the house of one Abdul Ahad Bhat R/o Mandoora who was planning to carry out suicidal attack on the security forces in the area. On receipt of this information, a joint operation of Police, Army and CRPF was planned to nab the terrorist and the village was cordoned. During search, the terrorist namely Showkat Ahmad Dar @ Saleem Khan S/o Mohammad Sultan Dar R/O overigund (A Category terrorist of HM outfit) hiding in the house of Abdul Ahad Bhat hurled grenades and opened a heavy volume of fire from his illegal weapons on the searching party with the result one army officer and one L/NK got injured. In the said house the whole family were kept hostage by the said terrorist. Due to the presence of inmates in the said house, police could not retaliated, the whole team of Police/Army/CRPF discussed how to evacuate the inmates from the said house. However, SI Tanveer Ahmad who without caring for his precious life managed his entry in the said house. The terrorist who was firing timely on Police to show his presence/Stay alive, SI Tanveer Ahmad was monitoring the activities of the terrorist and recognized from which room the terrorist is firing. He remained in the said house for two to three hours to see the approach in order to attack and to eliminate the terrorist without causing damage to the property as well as human lives who were present in the said house. At last he got hold of the terrorist and shot him with his service pistol and evacuated all the family members from the said house. The following arms and ammunition was recovered from the place of encounter:-

1.	Rifle AK	=01
2.	Magazine AK	=04 (03 Damaged)
3.	Ammn AK	=30 Rds.
4.	Detonator	=02 Nos.

In this connection, case FIR No. 62/07 U/S 307 RPC 7/27 A.Act stands registered at Police Station Tral. It is worth mentioning that the terrorist was involved in civilian killings, attacks on security forces in Tral area and had created terror among the masses. The gallant action diplayed by SI Tanveer Ahmad resulted not only elimination of the terrorist but also evacuation of the innocent family members from the house.

In this encounter Shri Tanveer Ahmad, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-07-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 140–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gh. Jeelani Wani,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On October, 11, 2007, on a specific information regarding presence of terrorists in the house of one Assadullah Khan, S/o Abdullah Khan R/o Watrina Bandipora, Shri Ghulam Jeelani Wani, Dy.SP (Sub – Divisional Police Officer Bandipora) and his men rushed to the village Watrina (Bandipora) and cordoned the suspected house. While the house was being cordoned on all sides, Shri Ghulam Jeelani Wani, Dy.SP and the small party accompanying him moved closer to the target house and asked the holed up terrorists inside the house to surrender which was of no avail as the terrorists opened a heavy volley of fire on the Dy.SP and his party. Exhibiting remarkable presence of mind and leadership, the officer leading his party moved swiftly towards the house and took position behind the wall and engaged the terrorists with retaliatory fire. The terrorists also lobbed series of hand granades upon the Police Party besides resorting to indiscriminate firing. During the course of continued firing, Shri Ghulam Jeelani Wani led his men, without caring for personal safety, towards a room from where the terrorists were firing and succeeded in elimination of two terrorists. The tremendous amount of courage and bravery shown by Ghulam Jeelani despite being in a very vulnerable position at the encounter site and his leadership ability was greatly responsible for the successful elimination of both the terrorists without any causality to the Police Parties. The deceased terrorists were identified as Abu Hamza @ Zulfikar @ Shakir R/o Pakistan of Jamit – ul- Mujahideen terrorist outfit and Fazarat Hussain Shah R/o Poonch of Lashkar – e – Toiba terrorist outfit. Arms and Ammunition recovered in the operation include two AK – 47 Rifles, four AK – Magazine, eleven rounds of AK Ammunition and three Identity card. For this incident, case FIR 183/2007 U/s 307 RPC 7/27 A. Act stands registered in Police Station Bandipora. The killing of these terrorists has been a great achievement for J&K Police as both of them were wanted in many criminal cases. In fact, Abu Hamza was the self – styled District Commander of Jamait – ul- Mujahideen terrorist outfit and was categoriesed as "A"

category terrorist. He was active in the Bandipore area since long, involved in various heinous crimes viz attacks on security forces and killing of civilians. His elimination is a great setback not only to Jamiet – ul – Mujahideen terrorist outfit but also other terrorist outfits.

In this encounter Shri Gh. Jeelani Wani, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11-10-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 141–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shahzad Ahmad Salaria,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Sheraz Ahmad Khan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 27th July, 2008, on a specific information generated by Police Kupwara regarding presence of a few terrorists in the area of Surigam Lolab, an operation was launched by Police Kupwara. As soon as the operation party under the command of Shri Shahzad Ahmad Salaria, Dy.SP(Police Component Kupwara) reached the spot, the terrorists hiding in the area, fired indiscriminately upon the Dy.SP and his men. The fire was swiftly retaliated resulting in a fierce firefight, in which one foreign terrorist identified as " Abdullah" Battalion Commander of LeT outfit got neutralized but his few associates managed to escape from the site. It may be mentioned that after a certain interval of time, the operation was re-launched and exercise of cordon & search operation was again started by Shri Shahzad Ahmad Salaria, Dy.SP and his men and reinforcement of the troops of 9 PARA also joined the SOG Personnel of Kupwara to trace out the terrorists who managed their escape during first gun battle. The place where the terrorists were hiding is a dense forest area and it was a herculean task for the operation party to find out the terrorists there but due to painstaking efforts putforth by Shri Shahzad Ahmad Salaria, Dy.SP and his Shri Sheraz Ahmad, Sg Constable, the terrorists were spotted but the terrorists on seeing them, fired indiscriminately. Shri Shahzad Ahmad Salaria, Dy.SP after sensing it that the place is quite advantageous for the terrorists to inflict damage to the operation personnel and also to get chance to flee from the spot, the

officer applied good presence of mind and swiftly spread his men around the area where terrorists were hiding to ensure tight cordon and only after laying strong cordon around the terrorists, the fire was effectively retaliated from all sides to suppress the retaliatory action of the terrorists and to avoid any damage to the operation personnel. During fierce firefight, Shri Shahzad Ahmad Salaria, Dy. SP assisted by Shir Sheraz Ahmad, Sg Constable started advancing towards the terrorists to push them hard. While advancing towards the terrorists, the terrorists lobbed grenades and volley of fire onto the Dy. SP and his associate but despite being attacked by the terrorists, Shri Shahzad Ahmad Salaria, Dy.SP and Shri Sheraz Ahmad, Sg Ct kept advancing towards the terrorists in a fire retaliation exercise with courage, exhibiting great camaraderie and utilizing their skilled tactics while advancing towards the terrorists and retaliating the fire from vulnerable positions, which led to the neutralization of one more terrorist namely Abu Bakar @Iqbal @ Rizwan of JeM outfit. The following recoveries were made at the site of gallant action : -

Rifle AK-47 1 no, Mag AK – 47 6 nos; Amn. AK – 47 – 183 Rds; R/SI Com – 01 no. (Damaged), Hand Grande – 1 no. (Damaged), UBGL – 01 no; UBGL Grenade – 05 no. (Destroyed in site), Pouches – 02 nos, Pistol Tokasar 7.62 mm – 01 no. Mag. Pistol -01 no. and 7.62 MM Amn. – 08 Rds.

In this encounter S/Shri Shahzad Ahmad Salaria, Deputy Superintendent of Police and Sheraz Azmad Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-07-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 142–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Yousuf,
Police Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19.8.2007, on specific information provided by SSP Anantag regarding presence of terrorists in general area of Kevipora Marhama Bijbehara, a team headed by PSI Mohd Yousuf under supervision of Dy.SP SOG Anantnag laid the cordon of the said area. During the search, terrorists opened fire on the search party. The police party, however, asked the terrorists to surrender but they continued firing upon party. The police party retaliated in a professional manner and without caring for their precious lives, killed a "A" category dreaded terrorist namely Fayaz Ahmad Dass @Zubair S/o Gh. Qadir Dass R/o Waghama Bijbehara on spot and arrested another terrorist of same outfit namely Fayaz Ahmad Dass @ Jamsheed S/o Habibullah Dass R/o Waghama Bijbehara " C" Category. The gallant action of PSI Mohd Yousuf in this encounter was exemplary one and appreciated on spot by general public as no damage or any causality was caused. However, the said officer was injured in the gun battle. The officer and the party have fired 105 rounds of AK-47 and 30 Rds of .9 mm respectively from their service rifle i.e. AK-47 and pistol. The following quantity of arms/ammunition was recovered: -

1) AK Rifle	-	01 No.
2) Magazine	-	02 No.
3) A.K. Ammn.	-	80 Rds.
4) UBGL	-	01 No.

In this encounter Shri Mohd. Yousuf, Police Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-08-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 143–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sheikh Junaid Mehmood,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Param Vir Singh,**
   Deputy Superintendent of Police
3. **Mohd. Shafiq,**
   Inspector
4. **Rakesh Akram,**
   Inspector
5. **Manzoor Ahmad,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On November 08, 2007 at about 1415 hours, two armed terrorists in Police Uniform fired indiscriminately on a joint patrolling party of Police and CRPF Personnel at Main Chowk Sopore, District Baramulla in North Kashmir, injuring one CRPF Constable. Both the terrorists, soon after, moved into the nearby Four Storyed Hotel Complex, namely, New Light Hotel Sopore and started firing indiscriminately. The Police along with CRPF and Army have cordoned off the Hotel amidst Grenade lobbying and firing by the terrorists from the Hotel where a number of Guests were staying besides a numberof Civilians having their lunch.

As more than hundred Civilians were trapped in the four storied complex, Addl. SP Baramulla Shri Sheikh Junaid Mehmood and Inspector Mohd Shafiq No. (SHO Police Station Sopore) and Sub Inspector Manzoor Ahmad organized their men and moved into the Hotel from one of the rear doors and facilitated the exit of the Civilians. While these three officers were organizing the rescue of the Civilians despite heavy firing on to the bullet Proof Bunker being used by them, applying a great degree of diligence and caution, Shri Sheikh Junaid Mehmood (Addl SP) moved his BP Bunker vehicle towards the main entrance and continued firing along with his men which forced the terrorists to vacate the ground floor and run upstairs into second and third floor. By 1800 hours, Shri Sheikh Junaid Mehmood (Addl. SP

Baramulla), Inspector Mohd Shafiq and Sub Inspector Manzoor Ahmad along with their men successfully rescued the Civilians from the Hotel and also ensured a tight cordon around the Hotel with additional reinforcements from SOG Srinagar. While the IGP Kashmir I IG CRPF / DIG North Kashmir were co-coordinating the night deployments for the next phase of the operation, one of the terrorists lobbed a Grenade on their vehicle and this followed heavy exchange of fire between the terrorists• holed up in the third floor and the party down below. Without caring for their personal safety, Shri Sheikh Junaid Mehmood along with Inspector Mohd Shafiq and Sub Inspector Manzoor Ahmad moved to the rear side of the building amidst firing and engaged the holed-up terrorists. All the night deployments engaged both the terrorists in speculative fire and never allowed them to move out from the building. In the morning on November 9, 2007 the operation continued Shri Sheikh Junaid Mehmood and Addl. SP (Ops) Srinagar planned the building intervention into the 4th floor of the Hotel from adjoining building with a small component of sixteen men of SOG and CRPF. No sooner than the first two men of this component entered into the 4th floor, the terrorist who was hiding in the stairs leading to 4th floor opened indiscriminate fire on to the party leading to serious injuries to Constable Om Singh 556/IR 8th (SOG Cargo) and moved down in to 31 floor. Rescuing the injured and evacuating him was done with a brave and cavalier action by Dy SP Param Vir Singh (SOG Sringar) and Inspector Rakesh Akram despite the firing on to the wooden roof from the 3 floor by the terrorists. As the day progressed and night was setting in, preparation for the night dominance ·/ illumination continued for the 2nd successive night. The Operation resumed in the third morning with heavy fire on to the rooms in which the terrorists were holed up and the building intervention plan was executed under the charge of Shri D.P. Upadday, Commandant CRPF and Shri Sheikh Junaid Mehmood with SOG Srinagar I Sopore and CRPF components making entry into the fourth floor. By the afternoon, the fourth floor was occupied by the SOG Srinagar personnel under the charge of Dy SP Param Vir Singh, the third floor was occupied by SOG Srinagar Personnel under the charge of Inspector Rakesh Akram, Shri D.P. Upadday, Commandant CRPF and Shri Sheikh Junaid Mehmood rallied the CRPF and SOG personnel to fire heavily into the second floor following which, the terrorists moved down into the ground floor through the stair case which could not be covered from outside as the stairs are inside the complex. Soon the CRPF and SOG parties occupied the second and first floor and started moving into the ground floor. As soon as the parties headcd by Dy SP Param Vir (SOG Srinagar) and Inspector Rakesh Akram reached near the base of the stairs case, one of the terrorists hiding under the stair case, opened heavy fire on to the police party and tried to run out of the rear side of the building but he was neutralized. During this exercise, Constable Majid Hussain of JR 7Eh Bn (attached with SOG Sopore) received blast injuries. The second terrorist, however, managed to get into the corner room of the ground floor and continued firing. The operation continued into its third night with all night deployments continuing the cordon. On the fourth morning of the operation, Inspector Mohd Shafiq led his men closer to the room in which the terrorist was

hiding and there was a heavy volley of fire from the terrorist. Showing great courage and without caring for his personal safety, Inspector Mohd Shafiq moved closer with his party men and fired upon the terrorist thereby, neutralizing him. In the entire operation, **two terrorists got killed** who were later on identified as Abu Taiha Janbaz Mumtaaz-ullah Rio Tehsil Peplan District Menawali Pakistan and Abu Usama Zeeshan Qasim Rio Tehsil and District Leh NWFP Pakistan. **Also, 02 AK rifles, 02 AK Magazines and 17 AK rounds were recovered from the encounter site.** For the incident, case FIR No. 350/2007 U/S 307, 302 RPC, 7/27 A. Act stands registered in Police Station Sopore. During the operation which, lasted for three nights and four days, first of its kind in the anti-terrorist operations in North Kashmir, the Officers and men mentioned above showed great resolve and courage besides tremendous patience only to ensure that no collateral damages to lives and property is caused.

In this encounter S/Shri Sheikh Junaid Mehmood, Additional Superintendent of Police, Param Vir Singh, Deputy Superintendent of Police, Mohd. Shafiq, Inspector, Rakesh Akram, Inspector and Manzoor Ahmad, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-11-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 144–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Amarnath,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 05.10.2006, CRPF led by AC Kanhaiya Singh and SI Amarnath was on special operation ZEBRA. When the force reached tola Besri of Ranpura village under Ranka P.S. after conducting patrolling in Barwadih, Hetarkala, and Palhe at about 0545 in the evening the naxalities started firing on the force. The police party after introducing themselves asked the naxalites to surrender but the naxalities continued firing on the party. Left with no option to save their own life and arms and ammunitions, AC Kanhaiya Singh and SI Amarnath guided the force to take position and start controlled firing. As it was a market day and there were many civilians moving near the encounter site, the police had to be overcautious as they didn't want the civilians to be killed in cross firing. The encounter continued for about 30 minutes. After finding themselves in a week position the naxalities continuing firing started moving backwards. The police team under the guidance of AC Kanhaiya Singh and SI Amarnath moved forward for about 300 meters where they saw that some armed naxalites were firing on the police continuously to help other naxalites to escape. SI Amarnath and AC Kanhaiya Singh and others also continued firing on the naxalites. The raiding team moved further where they saw a dead body of naxalities in uniform and an SLR lying near him. They further ordered to move forward in the direction of threat but the naxalites managed to escape taking advantage of the darkness. They informed the senior officers about the incident and camped at the place of encounter as there was a likely threat of ambush in the area. At around 12 in the midnight the naxalites reassembled and again started firing. The raiding team kept control of the situation. The firing continued till 2 O'clock. Additional force came at about 0330 in the night. As there was chances of landmines and firing from naxalites, the raiding party could search the area only in the morning where they seized the following articles:-

(i) SLR Rifle - 01 No.

(ii)	SLR Magazine	- 01
(iii)	7.62 Live rds	- 28
(iv)	Hand Grenade	- 02
(v)	Cane bomb	- 01
(vi)	Detonator	- 11
(vii)	Empty cases of 7.62mm	-02
(viii)	303 bore rds	- 48
(ix)	Charge	- 10
(x)	Dead body of Naxalite, Uniform and naxal literature.	

The incident shows extraordinary leadership and courage on the part of SI Amarnath and AC Kanhaiya Singh of CRPF, Risking their own life they led the force from the front and not only ensured their own safety and safeguarded their arms and ammunitions but also in such a difficult situation ensured controlled firing which could save lives of many innocent civilians.

In this encounter Shri Amarnath, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05-10-2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 145–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Girish Pandey,**
   Inspector
2. **Basisth Narayan Singh,**
   Sub Inspector
3. **Pran Ranjan Kumar,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

The Superintendent of Police, Hazaribagh received a confidential information that an armed squad of CPI (Maoist) consisting of 40-45 members are camping in the area of Chauparan P.S. and bordering area of Fathepur P.S.of Gaya Distt. and are terrorizing the villagers and collecting huge levy. The SP Sri Pravin Kumar got it verified through O/C Chauparan and C.I.Barhi and then organized a raid/operation immediately meticulously planned. SP discussed the whole information, terrain of area approach to that place with CI Barhi Sri Girish Pandey, O/C Chauparan SI B.N. Singh, O/C Barhi SI Pran Ranjan Kumar alongwith Assistant Commandant Sri S.N.Singh 72 "G" Coy, CRPF. To keep the secrecy of movement of police force. It was decided to move by train and to reach the place by walking through forest area of Hazaribagh-Gaya borders. According to the plan SP and his contingent of CI Barhi, O/C Chauparan O/C Barhi, Assistant Commandant of CRPF, S.N.Singh alongwith 40 strength of CRPF jawans and approx 10 Jawan of DAP. During the darkness of night the whole team moved from jadu Gram Railway station to Ambatari village on foot. After reaching nearby forest area of Ambatari, O/C Chauparan got a confidential information that the Armed squad of Maoist were in Parastri village which is situated in the foot hills of Bara Ghat range of mountains. The spirit of never say, policemen under the able and brave leadership of above officers hatched the strategy of moving towards the target into extended line formation two parties. First party headed by SP Hazaribagh himself alongwith CI Barhi and one platoon of CRPF and 4 bodyguards of SP. 2nd Party headed by SI B.N.Singh and SI Pran Ranjan Kumar of

District Police alongwith Assistant Commandant CRPF "G" 72 Sri S.N.Singh alongwith one platoon of CRPF and DAP jawans. The 1st party proceeded the last of Kachcha forest road while 2nd party advanced through the west of Kachcha forest Road. Approximately ½ K..M. before the river Parasatari village as the police party was approaching towards village. It was approximately 0030 hrs in night, the extremist group sensed the presence of police and started a heavy volley of fire on the police party. Every police personnel was in high alert and everybody immediately took the safe cover available nearby. On the direction of SP himself the first party and the 2nd party retaliated back by firing and started repulsing the attack. As the whole police party was not in a proper cover and a group of the extremists were on the top of hill too the whole raiding party was in extreme of life danger. Not only that the extremist have taken cover before small hillocks and were firing incessantly. The firing was so heavy and under thick forest cover and it was almost impossible for the police party to proceed ahead. The 2nd Party led by SI B.N. Singh and SI Pran Ranjan Kumar and Assistant Commandant S.N.Singh alongwith the 4 jawans of assault section of CRPF crawled and advanced towards the small cover/hillock from where the extremists were firing. The firing was so heavy and even police personnel was shaken by the thought of imminent towards the firing extremists to have a closer look in dark night. The SP alongwith CI Barhi and his party members reached the top of the hill and opened the fire on the extremists who were sitting on top. They continued till the extremists left the hill and went down and some of them got injured by bullet also. On the other side SI B.N.Singh, Pran Ranjan Kumar, Assistant Commandant S.N.Singh and brave jawans of assault action moved closer to the firing extremist and targeted the extremist while the party on the back side fired Para Bomb for light as per the direction of SP. At the same time H.E.Bombs were also fired from the Police/CRPF side in the direction where the extremists were seen hiding in the light of para bomb. At a point of time position of the police part became so vulnerable that it was surrounded by the police party during the encounter found itself in a totally adverse situation because the extremist had advantages of height and good forest cover. The firing from extremists side started subsiding. It was sheer providence that no police personnel were hit by any bullet during exchange of fire. Only the great leadership, sheer courage, cool, calculating and wise operational tactics of highly dedicated officers. C.I.Girish Pandey, SI B.N.Singh, SI Pran Ranjan Kumar, CRPF personnel retaliated back the attack with full of vigor and repulsed them back and forced them to retreat after a huge loss from Naxals side. With the day break, an extensive search of the area was done. During the search of the locality four dead bodies of Green clothed hard core FLAG (CPI Maoist) extremists were found with deadly weapons and hand grenade. Total 10 sophisticated weapons were seized in that encounter area:- (i) 7.62 Regular SLR (looted from CRPF in Latehar District) – 01 (ii) 5.56 Insas Regular Rifle- 01 (iii) .303 Mark VI regular sten gun- 01 (iv) .315 Bore regular rifle- 01 (v) .12 Bore DBBL regular gun-01 (vi) three hand grenades each of size of ½ k.g. explosive, huge cache of ammunition of different bores i.e. 7.62, 5.56, .303, .12 bore etc, large

number of shoulder bags containing naxal literature, information regarding activities of each Magadh zone Maoist activities regarding collection of levies etc. The dead extremists were identified by the villagers as (i) Kedar Yadav, village – Salaiya, PS- Mohanpur, Distt- Gaya. (ii) Sudheshwar Manjhi S/o Shiv Nanda Manjhi, village- Bhagwanpur, P.S. Mohanpur (iii) Janak Pasi, village- Manhona, PS- Fatehpur all of district Gaya and (iv) Suni Bhuiya S/o Mahavir Bhuiya, village- Simrantand, PS-Dirdalla, Distt- Nawada (all of Bihar State). The local villagers gave the information and subsequent intelligence inputs ascertained that at least 6 more Naxals have been killed and many more have been seriously injured. Their dead bodies were carried by the Naxals.

In this encounter S/Shri Girish Pandey, Inspector, Basisth Narayan Singh, Sub Inspector and Pran Ranjan Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20-03-2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

49—391 GI/2009

No. 146–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Chanchal Shekhar,**
   Superintendent of Police
2. **Virendra Singh,**
   Additional Superintendent of Police
3. **B.S.Parihar,**
   Inspector
4. **B.P.S.Parihar,**
   Inspector
5. **Ajay Kaithwas,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26.03.2008 a vital information was received by police at Dist. Dhar about the movement of some SIMI activist, in Pithampur area of Dist. Dhar after seeking guidance from the zonal IGP Sh. Anil Kumar and range DIG, Sh. V. Madhu Kumar, Superintendent of police Chanchal Shekhar who along with the officers and jawans was busy attending the communally hyper sensitive issue of RANG PANCHMI festival at Dhar. But the sensitivity of SIMI activities and it's affect on the law and order situation in the state was such that S.P Chanchal Shekhar took a chance and withdrew some officers deployed on sensitive duties and formed parties to act on the information. The information was that, some suspicious people probably SIMI members were secretly holding meeting of local people in the area adjoining Silver Oak factory of Pithampur. To nab the suspected persons the police force had to rush to Pithampur to accomplish the task three parties were formed. The party constituted of ASP Virendra Singh along with C.S.P. Sunil Mehta, Pithampur, Mr. B.P.S Parihar, S.H.O. Pithampur, Dhar (M.P.) inspector Ajay Kaithwas S.H.O. Tirla Dhar (M.P.) and Mr. B.S. Parihar, S.H.O. Dhamnod Dhar (M.P.) after being briefed about the background of SIMI and the importance of the operation by the SP, the Parties left for Pithampur to act on the plan.The first party was led by Mr. Virendra Singh Additional S.P. Dhar along with Mr. Sunil Mehta C.S.P. Pithampur, Dhar (MP) and Inspector Ajay Kaithwas S.H.O. Tirla, Dhar (MP). The second party was

led by Mr. B.S. Parihar S.H.O. Dhamnod, Dhar (MP). The third Party was led by Mr. B.P.S. Parihar S.H.O. Pithampur, Dhar (MP). All the three parties acted upon a full proof plan to capture the activists. Unfortunately, none of the parties succeeded in locating any movement of the activists there. But on searching they seized sensational literature and other documents that proved that some suspicious element and had done some meeting there and had left only a short while ago. On the basis of these documents some informers were sent forth to get the information of the activists. The information thus got was developed and it was revealed that some SIMI activists were staying in the Shyam Nagar area in the house of a bakery owner named Jaffar Khan. It is a three storied house. Very secretly the above information was confirmed and then a very meticulous plan was made having special attention to the time and the modus of raid as it is very densely Muslim populated area. Even during night, the area is full of human activities. If firing was resorted to, it might have led to casualty of life and loss of property. The parties were continuously in touch with the Superintendent of Police Chanchal Shekhar, who was supervising and coordinating the whole operation. ASP, Virendra Singh and CSP Pithampur, Sunil Mehta reached the area of Shyam Nagar, Indore(M.P.) in the guise of civilians and got all the minute details of the entire area ,the house where the suspects were hiding, the geographical condition and the movement of the passer byes of the area. The Parties were further briefed by the SP. At about 2 o'clock in the night, having kept the three parties about 2 kms away from the spot, the heads of the three parties reached the spot and showed them the second floor of the building where the suspects were staying. The light of the room was on, but the lights of all the houses of the area were off as people had slept. The party heads were directed about their positions. Complete secrecy of the plan was maintained so that the activists would not have any sign of the presence of the police. After returning from the area, the plan was explained to all the members of the three parties. They were directed about their tasks and the precautions to be taken during the operation by the SP. It had been informed that the activists had various types of sophisticated and modern arms and highly disastrous explosives. Keeping this in mind, the members of the parties were armed with bullet proof jackets and automatic fire weapons to face any untoward incident. The party members were strictly instructed to resort to firing only in the extreme situation, where risk of life was involved. For the effective accomplishment of the plan, the three, parties already formed were assigned their respective tasks. The first party led by Mr. Virendra Singh Additional S.P. Dist. Dhar (M.P.) along with Mr. Sunil Mehta C.S.P. Pithampur, Dist.- Dhar(M.P.) and Inspector Ajay Kaithwas SHO, Tirla, Dist.- Dhar(M.P.) had the responsibility of attacking the activists and capturing them. The second party led by Mr. B.S. Parihar, SHO Dhamnod, Dist.- Dhar (M.P.) was to support the main party and to cover the house from the front. The third party, was rear cut off party led by Mr. B.P.S. Parihar, SHO, Pithampur, Dist.-Dhar (M.P.) was to cover the back side of the house to prevent any run off attempt of the activists from the back of the house. Following this plan, the first party very stealthily approached the room where the

activists were hiding, they covered the room from all the sides and got prepared for all the risk. They patiently and smartly got the door opened. The skillfully and cleverly designed attack of the party didn't give the activists any chance to understand what was happening there. Before they could understand anything, all were captured and detained. Most of them had loaded weapons. If they had got only few seconds, they would have definitely attacked and killed some policemen. All the activists including Safdar Nagauri, Haafiz Hussain, Aamil Parwaz, Shibali, Kammruddin, Shaduli, Yaasin, Kaamraan Ansaar, Munroz, Shamiullah, Khalid Ahmed, Ahmed Beg were arrested on the spot with loaded automatic pistols. It was the purely because of the swift and brisk action of the police that the militants did not get chance to consolidate their position other wise many policemen' could have lost their lives. They would have caused great casualty if given a little time. This was confirmed by the statement of Safdar Nagauri who said that if they had got only 30 seconds, they would have welcomed the police force with bullet and fought till the last minute of their life. The thirteen activists arrested from the above mentioned house are some of the top rated terrorists belonging to the SIMI organization in the country. Among those arrested are:-

1. Safdar Nagauri, Former All India Secretary General SIMI,The Chief of SIMI in India,
2. Kammruddin Nagauri State President of SIMI M.P.
3. Haafiz Hussain alias Adnan State President of SIMI Karnataka State
4. Aamil Parwaz Member of Central Advisory Committee & State President of SIMI Bihar & Jharkhand State
5. Shibali Chief of SIMI Southern Zone & Member of Central Advisory Committee
6. Shaduli Kerela
7. Yaasin Gulbarga, Karnataka
8. Kaamraan Khndwa, MP
9. Ansaar Kerala
10. Munroz Belgaon, Maharashtra
11. Shamiullah Karnataka,
12. Khalid Ahmed Maharashtra
13. Ahmed Beg Karnataka

All are core group members of SIMI.

The seizure made from the SIMI terrorists in the raid is a startling revelation of their devastating plan:-

1. Seven pistols (mousers), 39 Rounds.
2. 39Rounds.
3. 13 Masks

4. 23 surgical gloves, first aid box.
5. 9 Mobile phones.
6. 45500 Rs. Cash and a cheque bearing value Rs. 25 lacs.
7. Prohibited literature.
8. Training schedule and training literature.
9. 2 desktop computer, extra hard disk, 2 pendrives, 22 CD's.
10. 122 gelatin sticks & 100 detonators seized from Choral camp

The police force executed the plan very bravely and courageously. Without shedding a single drop of blood, they arrested all the activists it's a matchless example of resilience, gallantry, team work and dexterity. If such hard core terrorists were not caught, they would be a great menace to the unity of the country. Even if they had been killed, it would not be of that help. The information sought from the activists divulges that their training camps are being run in Choral, Distt. Khargone Ujjain and in the area of the state of Karnataka, Kerla and Gujrat they are wanted in many states for creating terror. After interrogation of the terrorists they revealed the detail of the training at Choral on search of the premises police recovered huge amount of explosives 122 Gelatin sticks and 100 Detonators. After investigation, it was confirmed that in the training camps weapons were made available and the youth were trained to operate arms and explosives. Here such explosives used in bomb making were also seized. If not stopped; these camps would produce hundreds of terrorists posing danger for the stability and peace of the country. The activists were interrogated by the police officials of different states like Punjab, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Andhra Pradesh, Tamilnadu, Delhi, Kerala etc. With the help of this information, many SIMI activists were arrested in different parts of the country. With this successful operation of Dhar Police (MP), the disruptive activities of SIMI throughout the country could be curbed. The terrorists, who underwent the Norco test, disclosed many anti-social activities of the organization throughout the country and their links with foreign terrorist organizations like LeT and Huzi. To make this mission a success, no policeman cared for his life. All the policemen and the officers pioneered gallantry and displayed dedication to their duty and the country. They worked despite all the possibilities of firing and violence. In- spite of getting information of the availability of arms and weapons with the activists, they tried their best to avoid use of weapons from their part. This mission was against SIMI, an origination that has its active network in many parts of the country.

In this encounter S/Shri Chanchal Shekhar, Superintendent of Police, Virendra Singh, Additional Superintendent of Police, B.S.Parihar, Inspector, B.P.S.Parihar, Inspector and Ajay Kaithwas, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-03-2008.

50—391 GI/2009

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 147–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Smt. Anuradha Shankar, Deputy Inspector General**
2. **Anant Kumar Singh, Superintendent of Police**
3. **Dr. Girija Kishore Pathak, Additional Superintendent of Police**
4. **Rajesh Singh Bhadoriya, Sub Divisional Officer Police**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the night of 10.01.2007, Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police Bhopal Range, Bhopal was given the information that some persons who might be naxalites were running a weapons' factory in Satnami Nagar, Piplani, Bhopal. The source also tipped off that deadly weapons, their spare parts and explosive materials were being manufactured in the said factory. This deadly material was supposed to passed on to naxalites for anti-national activities and to attack and kill the innocent citizens and the security personnel. The only lead which was given was that the factory called Bhaskar Engineering Works, near Hanuman Mandir. The information given was quite vague. To verify the information, Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police Bhopal Range, Bhopal left for the said area accompanied by Supdt. of Police Bhopal Shri Anant Kumar Singh, Head Constable Vimal, Constable Pappu Katiyar and the source at about 10.00 o'clock in the night. They broke sweat for the whole of the night without any rest and finally located the target with the help of some responsible citizens. It was necessary then to conduct a raid in a planned manner. Hence Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police Bhopal Range, Bhopal reached police station Piplani with Shri Anant Kumar Singh Supdt. of Police, Bhopal in the morning hours on 11.01.2007 and planned the raid on the said weapons' factory. They collected reinforcements and formed three parties and briefed them. The first party comprised of Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police, Bhopal Range, Bhopal, Shri Anant Kumar Singh, Supdt. of Police, Bhopal, Sub-Inspector Virendera Kumar Mishra and others. It was the same party which had done the reccee and located the

target in the previous night. The other two parties were "cut-off parties". The first cut-off party was led by Addl. Supdt. of Police, G.K. Pathak and the second cut-off party was led by Rajesh Singh Bhadoria, SDOP. The three teams left PS Piplani at 9.00 A.M on 11.01.2007 and reached the said location and took their respective positions. At about 10.30 A.M. a suspicious person on bicycle who was approaching the factory saw the main raid party and its leader Smt. Anuradha Shankar, DIG and when asked to stop he turned his bicycle suddenly and tried to run away. He was chased by DIG Smt. Anuradha Shankar, SP Anant Kumar Singh and Sub-Inspector Virendra Kumar Mishra. The cut-off parties were alerted immediately which started moving from the other two sides. Seeing this, the suspect ran into the street leading to shop no.4. But soon he was cornered by the main raid party. As he tried to climb up a wall, sub-Inspector Virendra Kumar Mishra caught the man by his leg. The suspect jumped on Sub-Inspector Virendra Kumar Mishra, pulled his service revolver, and immediately fired at the party, but the untoward incident was averted by sub-Inspector Mishra who simultaneously pushed his hand aside. The shot whistled past Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police, Bhopal Range, Bhopal and Shri Anant Kumar Singh, Supdt. of Police, Bhopal and they were saved by a nick. Since the Sub-Inspector Mishra's revolver was attached to a cord, otherwise the accused could have run away with it. By that time, cut-off party leaders G.K. Pathak and Rajesh Singh Bhadoria also joined the main raid party. The officers did not care for their own life and safety when they rushed into the narrow lane. With great difficulty braving immense danger, the four officers overpowered the suspect and took him into their custody. It was made possible due to the agility of these officers and exemplary bravery shown by them. The suspect informed the main raid party that this name was Diwakar @ Madhukar. The officers searched his body and found the keys for shop no.4. This very shop was found to be Bhaskar Engineering Works. Upon inspection, Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police Bhopal Range, Bhopal and Shri Anant Kumar Singh Supdt. of Police , Bhopal found the apart from machines etc. huge cases of 2 inch mortars, barrels and spare parts of revolvers and .303 rifles were found. This led to further investigation resulting in seizure of huge number of deadly weapons, explosives, spare parts, maoist, literature and cash along with the arrest of 5 Naxalites, whose description is as under:-

1. Chakka Krishna @ Shekhar @ Chandrashekhar @ Ramchander s/o Veeraih, age 47 Yrs., r/o village Kajipeta situated in between Tenali and Guntur, Distt. Guntur, CTC member in CPI and hold the rank of SCM (State Committee Member) in the maoist outfit with Rs. 10 lakhs reward on him for his apprehension.
2. Yelavarthi Leela Krishna @ Diwakar @ Ravindram @ Madhukar s/o Satyanarayan, age 35 Yrs, r/o Kothaluru, Swalyapuram of Guntur district, DCS, in the maoist outfit with Rs.5 lakhs reward on him for his apprehension.

3. Ramesh Siddhi @ Ramu @ Dunna Dange, S/o Ashervadham, age 40yrs, r/o Brammankodur, Ponnur mandal of district Guntur, DCM in the Maoist outfit with Rs.3 lakhs reward on him for his apprehension.
4. Gandrakota Pentaih @ Satish Patil, @ Narayana, s/o Komaraiah, age 57 yrs, r/o Intikanne, Kesamudram of Warangal district, ACS in the maoist outfit with Rs. 2 lakhs reward on him for his apprehension.
5. Lanjupally Rani @ Sunitha, D/o Peraiah, age 25 yrs, r/o Julapally, Piduguralla, Guntur district, ACS in the maoist outfit with Rs. 2 lakhs reward on her for her apprehension.

The weapons' factory was being run by the naxalites of CPI (Maoist). The material manufactured in this factory was being supplied to their cadre in various provinces of the country. These arrested naxalites are of extremely dangerous tendency and their position in their organizations is also of national level. During the arrest of suspect Diwakar, when he laid his hands on SI Mishra's revolver and shot from it, Smt. Anuradha Shankar, DIG of Police Bhopal Range, Bhopal, Shri Anant Kumar Singh, Supdt. of Police, Bhopal were saved by a hair's breadth, but the officers did not fear for their life and displayed the valour of highest order, exemplary leadership, extreme courage, sharp decision and sincerest dedication to duty in such adverse and dangerous circumstances while arresting the naxalite Diwakar and his accomplices. A noteworthy issue in this whole operation is that the information given was descriptive but not exact. However with a fine sleuth like incisiveness, the DIG and S.P. worked hard to locate the target, for which they were bestowed with the highest commendations from the I.B. Secondly it was made amply clear that the target was a weapons' factory run by the top brass of maoist outfit. The risk to life and limb was undoubted. This did not deter these officers for a moment. The fact that officers of the levels of DIG and S.P. led the operation from the front brought immense motivation to the force. Finally, and not the least, it is relevant to quote the words of Chakka Krishna after his arrest, "Sir, you have broken our back by ravaging our factory. We are pushed back by at least 20 years. The following arms/ ammunition were recovered during the operation:-

(A) **Weapons**

1. 9 mm Carbine with magazine-1
2. 51 mm Mortar (Barrel-10, lever-4, Firing pin-13)
3. RPG 7 Rocket Launcher (Barrel-04)
4. 0.38 Revolver (Central Rod-55, butt-06, body-06)

(B) **Ammunition**

1. Parts of H.E Bombs (51 mm Mortar)
2. Cartridges of different bores.

(C) **Spares/Dies**

1. Spares of 0.303, Revolver, Pistol, SLR, LMG
2. Dies of different parts of weapons and ammunition

(D) **Explosive**

1. Gun Powder
2. Propellant
3. Detonators

(E) **Machine & Tools/Equipment**

1. Lathe Machine-1, Moulding press machine-1, Grinding machine-1, Milling machine-1.
2. Measuring tools of various specifications

(F) **Cash**

1. Rs.11,86,500/-.

(G) **Literature**

1. Books related to research & making of Arms and Ammunition.
2. Books related to Naxalism.
3. Drawings related to arms/ammunitions and related parts.
4. Minutes of all the meeting of CTC (Central Technical Committee).

(H) **Computers etc.**

1. Laptop-01
2. Printer-01
3. CDS, Floppies, Cassettes (related to designs of arms & ammunition and naxalite ideology)

In this encounter S/Shri Smt. Anuradha Shankar, Deputy Inspector General, Anant Kumar Singh, Superintendent of Police, Dr. Girija Kishore Pathak, Additional Superintendent of Police and Rajesh Singh Bhadoriya, Sub Divisional Officer Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11-01-2007.

BARUN MITRA,
Jt. Secy.

51—391 GI/2009

No. 148–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Madhya Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Jaideep Prasad,**
   Superintendent of Police
2. **Rameshwar Singh Yadav,**
   Sub Divisional Officer Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

At half past midnight on 01-03-2005 Shri Jaideep Prasad got an information that the dacoit gang leader Hazrat Rawat alongwith 5-6 armed dacoits is supposed to enter the area of P.S. Bhitarwar from the district Shivpuri and he should cross the Nallah at village Gohinda over a road bridge. Shri Jaideep Prasad reached P.S Bhitarwar, collected the force from the Police Station and divided the police party into two groups. He briefed the officers and the police force about the information and took them to Gohinda Nallah. Shri Jaideep Prasad briefed the Police force again near the Nallah and laid an ambush. Party No.1 Comprising S.P Shri Jaideep Prasad, SDOP Shri R.S. Yadav, SHO Bhitwar S.I, Shri A.P. Goswami and Constable Shri Ram Lakhan was deployed on the left side of Gohinda Nallah bridge. Party No.2 laid by SI Shri Udai Bhan Singh, Vinod Chhawai, Constable Amar Singh, and Constable Jitendra Singh were deployed on the right side of the bridge. Both the parties kept waiting very cautiously and patiently in the darkness through the night. At around 5 AM two headlights were spotted coming closer towards the Nallah from Sehore side of distt. Shivpuri. As it came closer it became apparent that there were two motorcycles which stopped at around 50-60 feet from the Nallah. Some of them alighted from the motorcycles while both the drivers remained seated. Two dacoits got down in the left side and two in the right side of the road. After maintaining a distance of 20-30 feet from the road on either side, the dacoits who were profusely using abusive language tried to advance towards the Nallah. S.P. Jaideep Prasad who was in party No.1 in the left side of the bridge challenged the dacoits for their identity. In response instead of showing their identity the dacoits fired indiscriminately on S.P. Shri Jaideep Prasad and his party. S.P. Shri Jaideep Prasad narrowly escaped from the fire as one of the bullets nearly missed his head. SDOP R.S. Yadav had a miraculous escape from this unexpected

volley of fire as one of the bullets nearly kissed his left ear. S.P. Shri Jaideep Prasad again warned the dacoits to stop firing and challenged them to surrender but in vain. Meanwhile the two motorcycle riders took about turn and escaped towards sehore in distt. Shivpuri in a great speed. S.P. Shri Jaideep Prasad asked his party to crawl towards the unrelenting dacoits who had taken safe positions and were firing on the party No.1 from a very close distance. S.P. Shri Jaideep Prasad, SDOP Shri R.S. Yadav and their team opened fire in self defence towards the well positioned dacoits. The dacoits fired pointedly on S.P. Shri Jaideep Prasad and SDOP Shri R.S. Yadav who were fully on open field. S.P. Shri Jaideep Prasad advanced towards the dacoits putting a great risk on his own life. Looking to such an outstanding leadership, SDOP Shri R.S. Yadav dashed ahead and joined the shoulders with his S.P. Shri Jaideep Prasad. Both the officers exhibited conspicuous gallantry, alertness and gumption beyond the call of their duties and gave dashing blows with return fire on the well positioned dacoits with their AK-47 Rifles in a controlled manner. With such a close pitched exchange of fire S.P. Shri Jaideep Prasad and SDOP Shri R.S. Yadav kept on advancing towards the dacoits and succeeded in shooting down the most dreaded and notorious dacoit gang leader Hazrat Rawat S/O Kalyan Singh Rawat aged 38 Year R/O village Chhata P.S. Jigna Distt. Datia (M.P) who was carrying a reward of Rs.50000-00 declared by Govt. of M.P. One 12 bore double barrel English gun alongwith 9 live and 15 empty cartridges of 12 bore and 8 empty cartridges of 315 bore were recovered from the passion of the deceased gang leader. There was great jubilation among the public in rural and urban areas of Gwalior, Shivpuri and Daita Districts as they sighed a great relief on the elimination of such a dreaded dacoit. Public and press was in a great praise to such a gallant act under the leadership of S.P. Shri Jaideep Prasad and SDOP Shri R.S. Yadav. During the whole operation, Shri Jaideep Prasad, S.P. Gwalior displayed sterling leadership qualities, great devotion to duty, exemplary courage and gallant act of highest order putting his own life into a grave danger far beyond the call of his duty. His inspiring leadership coupled with indomitable courage brought the best of his men in adverse circumstances.

In this encounter S/Shri Jaideep Prasad, Superintendent of Police and Rameshwar Singh Yadav, Sub Divisional Officer Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01-03-2005.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 149–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Y. Oken Meetei, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**L Gogo Meetei, Head Constable**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**L. Rameshwor Singh, Havildar**	**(1st Bar to PMG)**
4.	**Md. Firoj Khan Rifleman**	**(PMG)**
5.	**Th. Premchandra Singh, Rifleman**	**(PMG)**
6.	**A. Arunkumar Singh, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 1.7.2008 at about 3.30 p.m. a reliable information that some youths numbering about ten armed with sophisticated weapons were loitering in and around Laphupokpi area at Nongmaiching Hill. Based on this reliable information a combined team of Imphal East District Commando led by Sub Inspector Y. Oken Meetei and a column of 32 Assam Rifles, after proper planning and briefing rushed to the said area. On reaching Laphupokpi foot hill area, at a distance of about 100 meters, the combined team noticed some youths in between the hillocks. On seeing the youths, the commandos and the Assam Rifles personnel started proceeding forward with utmost caution. After 10/15 minutes of their advancement on foot, the combined team was fired upon heavily from different directions. Immediately, the commandos and the AR personnel took position by spreading over the hilly areas behind the thick bushes, ducking on uneven ground and retaliated. There ensued a fierce encounter.

During the encounter, Sub Inspector Y. Oken Meetei and Rifleman L. Arunkumar had the chance of perceiving movement of one of the youths behind the thick bushes of the hill. Immediately, both of them advanced towards the militant. The militant ducked on the ground and again started firing. At this critical juncture, both SI Oken and Rifleman Arunkumar with strong determination charged against the militant (clad in gray T-shirt & dark gray long pant) and ultimately succeeded in shooting him down. The dead body was later on identified to be that of one Thokchom Pitru Singh (21 years) S/o (Late) Th. Shamkishore Singh of Gularthon, Jiribam. One AK-47 Rifle loaded with 16 live rounds of ammunition, three lethod bombs were recovered from near the dead body. One bag containing 56 live rounds of AK ammunition, 4 (four) number of M-16 Magazines and 3 pieces of PEK were recovered from near the dead body. A hardcore member of Kangleipak Communist Party (KCP). In the meantime, Head Constable L. Gogo Meetei and Rifleman Md. Firoz had an encounter at a steep hillside near a banyan tree, at a distance of about 50/60 meters. The lone militant was lurking behind the banyan tree while both the commandos were making all out efforts to overpower himby charging from two different sides. The militant was holding small arms. However, he could not be easily overpowered because of his position at a convenient place. He was warned to surrender, but he did not yield to the warning, rather continued to fire towards the commandos from behind the banyan tree. At an opportune movement when the militant was about to shift his position, Head Constable L. Gogo Meetei and Rifleman Md. Firoj attacked him from two different directions and shot him down resulting to death. One 9 mm pistol loaded with 4 (four) live rounds ammunition was recovered from near the dead body. One red bag containing 13 live rounds ammunition was also recovered from near the dead body. The militant was identified to be one Chingangbam Bijen Singh (19 yrs) S/o Lat Ch. Inaobi Singh of Yambem Mayai Leikai. A hardcore member of Kangleipak Communist Party (KCP). On the northern side of the foothill, havildar, L. Rameshwor Singh and Rifleman T. Premchandra Singh were engaging themselves in gun-fight with some of the militant. The Assam Rifles personnel were also providing covering fire from a distance of about 200 meters. During the encounter, when Havildar L. Rameshwor Singh and Rifleman T. Premchandra Singh were crossing over a gorge to chase the fleeing militants, one of the militants was lurking behind a thick bush. He seemed to have been stealthily waiting for an opportune moment to attack the commandos from behind the bush. On seeing the commandos approaching towards him, the youth fired towards the commandos. However, the bullets missed. At this crucial movement Havildar Rameshwor and Rifle T. Premchandra Singh immediately fired upon and shot him dead. One 9 mm pistol loaded with 2 live rounds was recovered. The slain militant was identified as Chingangbam Tompock Singh (20 yrs) S/o Ch. Sagor Singh of Yairipok Yambem Mayai Leikai. A hardcore member of Kangleipak Communist Party (KCP). It refers to case FIR No. 76 (7) 08 u/s 307/341 IPC, 25 (1-c)A.Act & 5 Expl. Subs. Act of Irilbung Police Station.

In this encounter S/Shri Y. Oken Meetei, Sub Inspector, L Gogo Meetei, Head Constable, L. Rameshwor Singh,Havildar, Md. Firoj Khan, Rifleman, Th. Premchandra Singh, Rifleman and A. Arunkumar Singh,Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01-07-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 150–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**B. Lunthang Vaiphei, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Samuel Kamei, Rifleman**	**(PMG)**
3.	**L. Ratan Kumar, Constable**	**(PMG)**
4.	**Md. Islamuddin, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 19th March, 2008 at about 2110 hours, a credible information was received that some armed militants belonging ot Kanglei Yawol Kanna Lup numbering about 5 cadres, responsible for the heinous and merciless killing of 7 non-Manipuris on 17/03/2008 at Hayael Hengoon, Mayang Imphal were seen at Charoibung, Mayang Imphal areas and the information further stated that they were again planning to commit prejudicial activities in the area by way of attack/ambush to the security force in the Charoibung area. Based on the information, a combined team of CDO/ Bishnupur unit and CDO Imphal west unit under the command of SI B. Lunthang Vaiphei of CDO/ Bishnupur unit was organized and after proper briefing they were detailed to conduct an operation to nab the assailants as a mark of instructional response to the emerging threats and changing scenario inasmuch as it demands closure coordination among the District Police and commando of valley districts in terms of intelligence sharing and inter-operability. On reaching Charoibung village at around 2140 hrs, the teams were divided into two groups. One group under the command of SI M. Sudhir Kumar, SI P. Sanjoy Singh and Jem. Th. Sudhir Singh along with 6 personnel were deployed at Mayang Imphal Anilonghi crossing, on the eastern side of Chariobung village as a cut off party. While the other group led by S.I. B Lunthang Vaiphei, SI. Shimray and Jem. D.

Robinson along with 6 personnel procceded from south east of Charoibung village towards Heibong Makhong on the west for about one Kilometer. As soon as the team under S.I. B. Lunthang Vaiphei reached the road crossing at Charoibung-Heibong Makhong, they were suddenly fired upon by unknown armed militants with sophisticated weapons from the western side of the Heibong Markhong. Immediately, S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn Samuel Kamei who led the police team instantaneously jumped out of the bullet proof vehicle and took position on the road side and repulsed the firing from their service AK-47 Rifles in utter disregard of their personal safety with dogged determination towards the position of the militants even as the bullets were whizzing past them. The firing from the militants went on unabated for about 10/15 minutes. However, S.I. B. Lunthang Vaiphie and Rfn. S. Kamei lying flat on the road side without cover fired courageously towards the direction of the militants and engaged them. While Rfn. Md. Islamuddin and Constable L. Ratan Kumar who were openly exposed on the road side, without any cover, crawled towards the western side risking their lives against the heavy firing from the militants and provided firing covcrage to S.I. B.Lunthang Vaiphei and Rfn. S. Kamei. They engaged themselves heavily in the counter and due to their proficiency in firing at the position of the militants, S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn. S. Kamei got opportunity and space to move closer and attack the militants. S.I. B. Lunthang Vaiphei using his professional skill and wisdom assessed the position of the militants and watched their movement and suddenly noticed two armed militants, one of them with an AK-rifle in his hand and aiming to fire to the police party in the dimly visible night. Instinctively, S.I. B. Lunthang Vaiphei and Rfn. S. Kamei without caring much for their lives fired simultaneously at the two militants before they could fire at the police party and shot them dead at the spot. The other militants managed to escape on the western side of Heibong Makhong towards Loktak Lake by taking advantage of the tall bushes and darkness. The other group of CDO team who were deployed as cut offs at Anilongbi crossing was contacted by S.I., Vaiphei through wireless set and they arrived 5 minutes later to help in the further search of the area. After 10/15 minutes of the encounter, the area was thoroughly searched with the police team and found two militants had succumbed to death with multiple bullet injures and also found on AK-56 rifle alongwith 9 live rounds loaded in magazine, and one 9 mm Pistol with 4 live rounds loaded in magazine beside two dead bodies. The two slain militants were later identified as:-

(1) Self Styled Sergent Major Sanjoy @ Robert (35) S/) S. Biramani Singh of Wabagai Mayai Leikai, a hard core cadre of KYKL.

(2) Self Styled Croporal Dutta Singh (36) S/o (l) E. Muduston Singh of Wabagai Keithel Macha, A hard core cadre of KYKL.

It refer to case FIR No. 37(3)08 MI-PS U/S 307/34 IPC & 25 (1-C) A. Act. The above KYKL cadres were involved in killing 7 Non-Manipuris in a gruesome and egregious manner on 17/03/2008 at Hayel Hengoon, Mayang Imphal. The following arms & ammns were recovered from the two militants killed in the encounter:-

(i)	AK-56 assault rifle	-	01 no.
(ii)	AK magazine	-	01 no.
(iii)	AK live rds	-	09 nos.
(iv)	9 mm Pistol	-	01 no.
(v)	9 mm live rds ammns	-	04 nos.
(vi)	9 mm Magazine	-	01 no.

In this encounter S/Shri B. Lunthang Vaiphei, Sub Inspector, Samuel Kamei, Rifleman, L. Ratan Kumar,Constable and Md. Islamuddin, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-03-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 151–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**P. Achouba Meetei, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Khonaijam Ringo Singh Rifleman**	**(PMG)**
3.	**Lisham Ratan Singh, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 06.10.2007 at about 1500 hours, SI, Achouba Meetei received specific information about the presence of armed militants in Top Khongnangkong area. On receipt of the information, a combined team of Commando, Imphal East district unit led by SI P. Achouba Meetei and a column of 32nd Assam Rifles under the supervision of Colonel Deepak Kumar Commandant 32 Bn Assam Rifles and led by Major R K Sharma, Post Commander of 32 Bn. Assam Rifles, Chinga, worked out an operational plan and moved tactically to the area at about 1530 hours. On reaching the area, the teams fanned out and conducted cordon and search operation. At about 1600 hours, while the operation was going on it was learnt that the armed militants had moved towards Nongmaiching hill in a motor cycle. SI P. Achouba and his team took the lead and immediately rushed towards Nongmaiching hill. They were closely followed by the Assam Rifles personnel. The team on reaching the foothill of Nongmaiching hill cross-road, near Eco- Tourism Park was fired upon heavily by the militants with sophisticated weapons. SI Achouba Meetei and

his team immediately retaliated and all, viz. Constable L. Ratan Singh, Constable T. Zamalian, Constable S. Ramesh, Constable Md. Abdur Rehman and Rifleman Kh. Ringo singh, dived out of the vehicle and lay flat at the paddy field. They were covered only by the elevated portion of the edge of the paddy field. After about 4 minutes of lying flat on the ground with continued firing from both side, SI Achouba with Const. Ratan and Rfm. Ringo moved towards a little north to have a clearer view of the militant's position. The militants numbering 3 or 4 were slightly seen at a distance of about 15/20 feet above from their location above foothill crawling among the trees and thick bushes. Suddenly the militants released a volley of fires again and the bullets were whizzing inches away from SI Achouba Meetei and Rfm Ringo Singh. Then Const. Ratan Singh was instructed by SI Achouba to continue firing to the militants, while he and Rfm. Ringo Singh both with due care, moved ahead crawling towards the hill at the risk of their lives by exposing themselves in the firing. Suddenly two of the militants sprang up from their lying position and burst fired to the police personnel, SI Achouba and Rfm. Ringo Singh instantaneously retaliated at the militants and two of them were shot dead at the spot. The rest fled from the site during the encounter. The encounter lasted for about 10-12 minutes, after the firing ceased the area was thoroughly searched and found one dead body near the foothill with an AK-56 assault rifle bearing N0. 5 A5647 loaded with one magazine containing 5 lives rounds. The youth was later on identified as one Md. Iqbal Ahmed (23) s/o MV Khalil of Lilong Yangbi Leikai. From his pocket one wallet containing a driving licence and an amount of Rs.215.00 in cash. On further search another dead with one 9mm pistol bearing No.1110 mark as " Automatic Pistol" made in USA loaded with four live round was recovered. From his Pocket some incriminating documents of PULF, one Nokia Mobile handset Model No.1110 with Rs. 200.00 in cash. The deceased was later on identified as one Md. Kabir @ Hefa @ Belan s/o Md. Azizur Rehman of Lilong Leikhaokhong s/s Publicity Secretary of the outfit. Further searhed of the site resulted in recovery of 5 empty cases of AK ammunitions and one motor cycle bearing No. MN03/0479, with a copy of license. It refers to case FIR No. 227(10)07 Prompt PS, u/c 307/34 IPC read with 25(1-c) Arms Act. Despite the risk of losing their own lives from the heavy and sudden firing from the well entrenched armed militants firing, SI P. Achouba Meetei and Rfm Ringo Singh reacted with professional bravery and courage, thereby killing 2 ranking members of Peoples United Liberation Front (PULF) organization and recovery of 1 AK rifle with 5 live rounds of ammunitions and one 9 mm pistol with 4 live rounds and empty cases. It was also possible because of the firing support provided by Const. Ratan Singh. Had the police officer and men not reacted bravely, the lives of the police personnel, Assam Rifles Personnel as well as civilians might have been lost.

In this encounter S/Shri P. Achouba Meetei, Sub Inspector, Khonaijam Ringo Singh, Rifleman and Lisham Ratan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

53—391 GI/2009

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06-10-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 152–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**K. Jayanta Singh, Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**M. Sudhirkumar Meitei, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**P. Sanjoy Singh, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
4.	**L. Noren Singh, Rifleman**	**(PMG)**
5.	**Md. Hasan Ali, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 08.09.2008 at about 8.30 pm, as planned earlier, the Commando led by Sub-Inspector, P. Sanjoy Singh assisted by Rfn. Md. Hasan Ali was leading the Army troop and approaching towards the target at Loktak Lake from Ningthoukhong side in country boat as assault team. Inspector M. Sudhirkumar Meitei, O/C Commando assisted by Rfn. L. Noren Singh was leading the Army troop as planned earlier and proceeded towards the target from Toubul side. His main task was not only for providing cut off but also to intercept any fleeing undergrounds. If need be, he is to strike against the undergrounds who are also establishing camps on the northern side. Shri K. Jayanta Singh was co-ordinating and supervising the operation. The commando with army troops were approaching towards the camps, maintaining the highest degree of surprise by rowing the country-boats with their hands. On reaching near the camps of the undergrounds at around 4.15 am of 9th September 2008, the UG cadre who was on sentry duty open fired from automatic weapons. Immediately Inspector M. Sudhirkumar Meitei assisted by Rfmn. Md. Hasan Ali, leading the army troops, impelled by high degree

of sense of duty, repulsed the firing. At the same time, they were also advancing further without caring for their personal safety. A heavy encounter took place, Inspector M. Sudhirkumar Meitei Rfmn. L. Noren Singh and army troops immediately silence the sentry of the underground cadres who were positioning on the observation post of the camp and Sub-Inspector P. Sanjoy Singh, Rfmn Md. Hasan Ali alongwith army personal killed the sentry of the underground cadre who were on the southern side of the camp. After silencing both the sentries, the troops led by the both the commando officers, in utter disregard of their personal safety and on their risk, storm into the camps, as a result of which, three other armed cadres were killed. The operation continued upto 6.30 am of 09.09.2008. During the search operation, one lady cadre was arrested and the following arms and ammunitions and explosives were seized from the camp:-

(a)	AK- Rifles	=04 nos.	(i)	30 mm Grenade	=22 nos.
(b)	UMG	=01 no.	(j)	Chinese Grenade	=06 (destroyed insid
(c)	60mm Mortar	=01 no.	(k)	RPG Shell	=04 nos.
(d)	Lethod gun	=01 no.	(l)	Mortar Bomb	=06 nos.
(e)	M-16 UBGL	=01 no.	(m)	Radio Sets	=13 nos.
(f)	RPG	=01 no.	(n)	Pouches	=06 nos.
(g)	7.62 mm	=1200 rds.	(o)	Detonator	=50 nos.
(h)	5.56 mm	=300 rds.	(p)	PEK/RDX	=02 Kgs.
			(q)	Wire	=50 mtrs.

This refer to case FIR No.104(9) 2008 Bishnupur P.S. U/S 307/34 IPC, 16/20 UA (P) Amendment Act 2004, 25 (1-C) Arms Act and 3/5 Explosives Substance Act. As per intelligence input from the local people, it was also confirmed that 4 other arms cadres who received fatal injuries managed to escaped towards the eastern side of Loktak Lake i.e. Mayang Imphal side. The deceased five underground cadres have been identified as below:-

a) Nongthonbam Roshan Singh @ Deepak (23), s/o N. Biramangol Singh of Langthabal Kunja Awang Leikai, Imphal West, Rank, S/S Lance Corporal of PREPAK
b) Sagolsem Joykumar Singh @ Loktakngamba (30), S/o S. gokulchand Singh of Langmeidong Laimanai, Thoubal District, Rank, S/S Pvt. Of PREPAK
c) Okram Basanta Singh @ Pamjaba (25) , S/o O. Mangi Singh of Langathel Maning Leikai, Thoubal District. Rank, S/S Corporal of PREPAK
d) Thangjangam Kuki @ Lalboi (19), s/o (L) Zoukhomang of Moreh Ward No.2, Chandel District, Rank S/S Pvt. Of PREPAK
e) Maisnam Ranjit singh @ Nanao @ Thangbu (20) S/o M. Romon Singh of Babukhal, Jiribam, Imphal East District. Rank S/S Pvt. Of PREPAK

The arrested female cadre has also been indentified as Akham Ningol Laishram Ongbi Helen Devi @ Ashalata (32) w/o L. Ningthemton Singh of Nachou, Bishnupur district. Soon after the operation at Loktak Lake was over , Shri K. Jayanta Singh, Superintendent of Police Bishnupur District, Inspector M. Sudhirkumar Meitei and Sub-Inspector, P. Sanjoy Singh continued to keep track of the injured underground cadres who escaped from the camp. On 18/09/2008, one injured person namelyHaoraongbam Lakpati Singh @ Khagemba (31), S/o H. Ibomcha Singh of Lilong Chajing Chingmang was arrested from Tera Urak Awang Leikai, Lamsang P.S. Imphal West District, who got his treatment from Raj Polyclinic, North AOC, Imphal and arrested in the same case of FIR No.104(9)2008 Bishnupur P.S. u/s 307/34 IPC, 16/20 UP(P) Amendment Act 2004, 25(1-C) Arms Act and 3/5 Explosives substance Act.

In this encounter S/Shri K. Jayanta Singh, Superintendent of Police, M. Sudhirkumar Meitei, Inspector, P. Sanjoy Singh,Sub Inspector, L. Noren Singh, Rifleman and Md. Hasan Ali, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09-09-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 153–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M. James Thangal, (1st Bar to PMG)**
   Sub Inspector
2. **M. Prem Kumar Singh, (1st Bar to PMG)**
   Head Constable
3. **D. Khamba Maring, (PMG)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 24-09-2008 at about 1730 hours, an actionable hard information about the presence of well-armed militants at Kotlen area was received. The input further stated that they were planning to lay ambush on security forces/police at any opportune moment. On receipt of this reliable information, Dr. Ak Jhalajit Singh, SDPO, Imphal West District, GO in-charge coordinated with 16th Assam Rifles and planned a joint counter-insurgency operation. The combined team proceeded and on reaching the foothill of Sangaithel village, the team bifurcated into two groups. The commando team under the command of Sub Inspector M James Thangal proceeded towards Thangjing Dhiru village and the rest approached towards the canal of the said village to cut off any escape route while one selected. When the commando team led by Sub Inspector James Thangal on reaching the southern edge of Thangjing Chiru village, they were heavily fired upon by militants with automatic weapons. The team under SI James Thangal, HC M.Premkumar Singh, Constable Th. Herojit Singh and D. Khamba Maring, who were in the front, took position at the foothill and retaliated with their AK assault rifles. After the immediate retaliation, the armed militants firing subside for a while, taking the opportunity, SI James Thangal and his team advanced forward in two group but parallel direction in order to diminish their vulnerability. After approaching for about 10 meters towards the village, SI James Thangal spotted two armed militants behind an elevated mound and firing towards the police party with an automatic weapon. SI James Thangal directed HC Premkumar and Constable D. Khamba Maring to proceed

further north to cover the armed militants. Immediately, the militants responded with a burst of firing. HC Premkumar and Constable Khamba Maring immediately proceeded further north and engaged the militants by firing intermittently. Meanwhile SI James Thangal and Constable Th. Herojit Singh were fired upon constantly by the militants and they were unable to move. Suddenly, the two militants were slightly seen while they were in the midst of firing, both of them simultaneously and immediately retaliated and two of the militants were killed at the spot. The two killed militants were later on identified as (1) Thokchom Thomas @ Thomason (23) S/o Th. Umakanta Singh of Singjamei Thokchom Leikai, presently at Wanghei Kheithel Ashangbi and (20 Leitanthem Tandonbi (23) S/o L. Inaocha Singh of Kongapal Chanam Leikai, both hard-core activists of the outlawed organisation Kangleipak Communist Party (KCP). One AK-56 Rifle loaded with 11 (eleven) live rounds of ammunition and one Chinese made hand grenade were recovered from the slain militant. On the other hand HC Premkumar and Constable D. Khamba Maring kept advancing further north side of the village, covered with thick jungle / forest from where some of the militants were firing. While moving they were also fired upon by fleeing unknown armed militants. The two officers immediately chased the fleeing militant and shouted at him to stop, instead of stopping, the militant fired to the police party and the two police officers simultaneously retaliated and shot him dead at the sport. He was later on identified as one Maibam Homendro Singh (26) S/o M.Lukhoi Singh of Palace Compound, near Mahabali, an activist of the same underground out fit. One 9 mm pistol loaded with 4 live rounds of ammunition was recovered from near the dead body. In the operation, sub Inspector James Thangal, Head Constable M Premkumar Singh, Constable Th. Herojit Singh and Constable D. Khamba Maring exhibited unparallel courage and professionalism under adverse conditions and took extreme risk beyond the call of normal duty. The set back suffered by the KCP organisation in this encounter had a demoralizing effect on the cadres of the organisation. Had the officer and men not acted in a courageous and exemplary manner, such an achievement would not have been possible and the underground cadres would have escaped.

In this encounter S/Shri M. James Thangal, Sub Inspector, M. Prem Kumar Singh, Head Constable and D. Khamba Maring, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24-09-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 154–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**M. Sudhirkumar Meitei, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**P. Sanjoy Singh, Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
3.	**A. Indrakumar Singh, Constable**	**(PMG)**
4.	**N. Romen Singh, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 10.04.2008 at about 2 p.m. a reliable input was received by SI, P.Sanjoy Singh of Commando, Bishnupur District that armed cadres are planning to extort money at gun point from toll tax, gas agency, bazaar area and Municipal Council, Ningthoukhong. On receipt of the input, Commando teams led by SI P. Sanjoy Singh assisted by S.I. M. Sudhirkumar Meitei (now Inspector) chalked a plan by tying up with a column of 15 JKLI led by Maj. Abhinandan Roy for capturing the armed undergound cadres. After proper briefing, the two parties led by SO, P Sanjoy Singh and another led SI M Sudhirkumar Meitei (now Inspector) assisted by 15 JKLI were proceeding towards Ningthoukhong from Kha Potsangbam side along Tiddim Road. On the same day at about midnight, unknown person were seen moving in two wheeler vehicle along Tiddim road from Ningthoukhong side. The movement of the vehicle at the odd hour raised suspicion and Commando party led by SI, P. Sanjoy Singh tried to stop the two wheeler vehicle. Immediately, the two wheeler stopped and two unknown youths attempted to escaped towards the eastern side of Tiddim road by opening fire towards the Commando parties. The Commando party also chased them, but the two youths continued fire intermittently towards the Commando party to prevent them from advancing further. The Commando also returned fire. There was an exchanged of fire. SI P Sanjoy Singh assisted by Constable, A. Indrakumar Singh advanced a bit further by crawling along paddy fields without caring for their personal safety and made an attempt to

capture one of the cadres. Immediately, the armed cadre sprung up to open fire, but SI, P Sanjoy Singh along with Constable , A Indrakumar Singh immediately reacted and fired towards him, as a result of which, he received injury and fell down on the paddy field. SI M Sudhirkumar Meitei (now Inspector) assisted by Rifleman N Romen Singh also advanced a little further with iron nerve towards the other armed cadre by crawling to capture the cadre who was trying to escape by firing towards the party of S.I M. Sudhirkumar Meitei (now Inspector). Both of them immediately reacted and fire from their AK-47 Rifles which hit him on his back and frontal side. He also fell down on the ground.

After the encounter was over, a search was carried out and the following arms and ammunitions and other articles were recovered from them :-

1. One M 20 Pistol with one magazine and 4 live rounds.
2. One 9 mm pistol with one magazine and 3 live rounds.
3. One Honda Activa Black in Colour b/no. MNO1N/9871
4. 10 (ten) Nos. of letter head with logo of PREPAK.
5. One Nokia hand set Model 2300 with SIM card No. 9856529518

This refer to case FIR NO. 43 (4) 08 Bishnupur P.S. u/s 307/34 IPC, 20/16 (1-B) U A (P) A . Act & 25 (1-C) Arms act.

The two slain militants were later on identified as :-

1) Salam Robinson Singh @ Chirai @ Robin (33) s/o S. Joy Singh of Uripok Khumanthem Leikai, S/S Commander Finance, Bishnupur District, PREPAK.
2) Ngangbam Dhanajit @ Ibomcha @ Bomcha Singh (23) s/o Ng. Mangi Singhof Uripok Baschapati Leikai. S/s Corporal, PREPAK.

In the encounter, SI, P.Sanjoy Singh, SI M Sudhirkumar Meitei (now Inspector) and their Commando teams, totally unmindful of their personal safety, exhibited unparallel courage worthy of emulation, resolute leadership and professionalism under adverse condition and taking judicious risks beyond the call of normal duty. The reserve suffered by the PREPAK organization in this encounter had a demoralizing effect on the cadres of the organization. As a result of which, the kidnapping and killing of non- Manipuris for ransom were comparatively less, more peaceful and much better. Had the officers and men not acted in a courageous and exemplary manner, the underground cadres would not have only escaped from the clutch of the policemen, but also would have taken toll of the lives of the police offices and men.

In this encounter S/Shri M. Sudhirkumar Meitei, Sub Inspector, P. Sanjoy Singh, Sub Inspector,A. Indrakumar Singh, Constable and N. Romen Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10-04-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 155–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Laitonjam Bebekananda Singh, Havildar**
2. **Takhellambam Anou Singh, Constable**
3. **Maibam Imo Singh, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26/05/2008 at about 9.30 am, a specific and reliable information was received that some members of the proscribed underground outfit "Kangleipak Communist Party"(in short KCP) were holding a hostage for ransom at Sangaithel area. On receipt of this information, a combined team of Commando, Imphal West District under the command of Shri A.K.Jhalajit, SDPO, Imphal and OC/Commando Unit, Imphal West, a column of 12 MLI and 32 Assam Rifles each rushed to the said area for an operation. On reaching the suspected area, the combined team after proper briefing and deployment at strategic location, started conducting search operation at Sangaithel village and its adjoining areas. Since it was a vast hilly region, the commandos and the security forces conducted the operation with utmost care. At about 10.30 am while the combined team was approaching towards a meadow leading to the gorges known as Waikhulok and Uchalok in the hilly area of Sangaithei village, they were fired upon heavily who were in the forefront. The commandos retaliated fiercely and advanced forward. With great difficulty, the commandos charged against the militants and succeeded in destroying their hide-out. However, the militants retreated and spread over the vast hilly area and fired towards the commandos from upside the hill. By that time, the Assam Rifles personnel and the remaining Commando personnel who were in the outer cordon closing to the firing spot (hide-out place) with firing, thus providing firing-coverage to the advance Commando team. In the midst of heavy

encounter, the advance team of Commando personnel, particularly, Havildar Bebekananda, Constable T. Anou Meitei Constable M. Imo Singh made a hot pursuit of the militants running down towards a steep gorge covered with thick bushes. When Havildar Bebekananda, Constable T. Anou Meitei and Constable M. Imo Singh made a hot pursuit of the militants running down towards a steep gorge covered with thick bushes. When Havildar Bebekananda rushed down to the george with firing, he was fired upon heavily from different directions. In the situation, he ducked himself behind a big boulder. At this critical juncture, Constable T. Anou Meitei and Constable M. Imo Singh also managed to get close in and assisted Havildar Bebekananda in the fight. In the meantime, one of the of militants tried to jump on from the gorge for his escape leaving one youth. Immediately, Havildar Bebekananda, Constable T. Anou and Constable M. Imo fired upon the militant holding one small arms and shot him down. The other youth lifted his hands up and surrendered to the Commandos. On questioning, the youth who was later on identified as Tayeb Ali, S/o Imam Ali of Mantripukhri, Rifleman, Manipur Rifles, narrated that he was kidnapped for ransom by the militants belonging to Kangleipak Communist Party (MC), taking him hostage in their hide out for the last 15 days. Thus, the youth was rescued by the Commandos unhurt. The slain militant was later on identified as Warokpam Bnasanta Meitei, aged about 35 years, s/o (L) W. Ibohal, resident of Yairipok Laikhong, an activist of KCP (MC). One 9mm Pistol loaded with empty magazine was recovered from near the dead body. The militants who were already in the upper hill-side managed to escape taking advantage of the thick bushes/trees in the hilly-region. The encounter lasted for about 2(two) hours. On further search of the Sangaithel Maning area, two women cadres of KCP(MC) who were later on identified as (1) Sanjenbam Bidya Devi (19 years), daughter of S. Brajamani Singh of Sangithel Maning Leikai and (2) Sanjenbam Pratima Devi (18 years), d/o S. Brajamani Singh of Sangaithel Maning Leikai were arrested. The following articles were recovered from the spot:-

(i) 1 (one) 9mm Pistol fitted with one empty magazine.
(ii) Camouflage shirt- 5 nos.
(iii) Camouflage pant- 2 nos.
(iv) Magazine pouch- 13 nos.
(v) Jungle hat – 3 nos.
(vi) Camouflage P-cap- 4 nos.
(vii) Water bottles-2 nos
(viii) One pair of jungle boot
(ix) One AK- 47 folding butt.

It refers to case FIR No.39(5)08 patsoi PS u/s 307/34IPC, 16/1720 UA(P) A. Act 2004 and 25 (1-C) Arms Act.

In this encounter S/Shri Laitonjam Bebekananda Singh, Havildar, Takhellambam Anou Singh, Constable and Maibam Imo Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-05-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 156–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ksh. Manihar Singh, Inspector**
2. **P. Achouba Meetei, Sub Inspector**
3. **S. Ramesh Singh, Constable**
4. **Md. Abdur Rahaman, Constable**
5. **Md. Sanayaima, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 04/09/2007 at about 0110 hours, on receipt of specific information that some armed cadres of People's United Liberation Front (PULF) are moving in Keirao area with intention to disturb the campaigning of the ensuing Panchayat election 2007 and commit prejudicial activity in the area, 3 (three) teams of commando, Imphal East district unit, led by Insp. Ksh, Manihar Singh, OC/CDO unit, Imphal East district, SI P Achouba Meetei and ASI Khogendra Pangambam along with a column of 32nd Assam Rifles rushed to the aforesaid area. The combined team chalked out an operation plan and moved to the area from two directions. Inspr. Ksh. Manihar Singh and SI P Achouba Meetei accompanied by half a column of Assam Rifles personnel moved towards Keirao village from Iribung bazaar on the south along the inter-village road running on the western side of Iril river and ASI Khogendra Pangambam along with another half a column of Assam Rifles personnel moved from Iribung police station towards Keirao village through a small by-lane, south of Irilbung PS as to cut-off any escape route on the western side of the village. While the police CDOs and Assam Rifles personnel were moving towards Keirao village about 100 yards away from Irilbung bridge, one Maruti Gypsy white in colour was seen coming from the opposite direction at a

distance of about 20/25 meters. Inspr. Manihar Singh who was in the front become suspicious and stopped his vehicle and signaled the maruti gypsy to stop, the vehicle slowed down but instead of stopping, the occupants suddenly fired towards the police and Assam Rifles personnel from automatic weapons. On seeing the weapon of the armed militant slightly, Inspr. Manihar Singh and Const S. Ramesh Singh, both of them holding an AK rifles each immediately and simultaneously retaliated with firing to the armed militants , who was sitting and firing from the back side of the vehicle, dimly visible in the moonlight and dived on the roadside. The immediate retaliation by Insp. Manihar and Const. Ramesh resulted in killing one of their colleagues and scuttled militant's further attack to the police party. The firing from both side continued for about 2/3 minutes and during the encounter, other militants escaped towards Keirao village. Inspr. Manihar immediately informed SI Achouba Meetie through wireless set about the escape of some militants from the site towards the village. SI P. Achouba Meetei in turn informed ASI Khogendra Pangambam through w./t set about the escaped of armed militants from the encounter site and directed him to cut-off the escape route on the western side of the village. Meanwhile, he along with C/No. 0101262 Md. Sanayaima and C/No. 0101258 Md. Abdur Rahaman, each holding an AK rifles and SI P. Achouba holding an additional 2 inch motar with para illuminator, immediately pursued the fleeing militants on foot in the dimly visible moon light night, at the risk of their lives. After pursuing them for a distance of about 20-25 meters towards the village, they were met with heavy firing from automatic weapons by the militants from near the paddy field. The pursuing police personnel also instinctively returned the fire and dived on the ground and lay flat on their chest and waited for about ½ minutes. After an exchange of firing for about 2-3 minutes, SI Achouba directed Const. Md. Abdur Rahman to fired para-illuminator to locate the position of the militant and their where about. As soon as the para-illuminator was fired, it was met with a burst of firing from the militants. 2/3 militants were dimly visible lying flat in a ditch near the paddy field with their weapons pointed towards the police party. The firing from the militants narrowly missed Const. Abdur Rahaman by inches. The constable dived and lay flat in the paddy field. As the militants increase their fire power and intensity, the police officer and men crawled and inched forward by the side of an elevated land, suddenly 2/3 militants sprang out from their hide out in the ditch and charged forward by firing towards the police party. SI Achouba Meetei, followed by Const. Md. Abdur Rahaman and Const. Md. Sanayaima instantaneously returned the fire at the risk of their lives and two of them were shot dead at the spot. Others escaped through the paddy field on the southern side of the village. After about 10 minutes of the end of firing from both sides, the Commandos and Assam Rifles personnel thoroughly searched the area and recovered two dead bodies in the paddy field. One AK-47 rifle bearing No. 1968x 54734 loaded with 13 rounds of live ammunitions was recovered from near the dead body of one militant. He was later

on identified as one Md. Yusuf Ali @ Ibocha (25) of Keirao Makting Awang Leikai, S/S CO of the armed group. Another dead body was also found nearby and subsequently identified as one Md. Doctor Sana (18) s/o Md. Junab Ali of Keirao Major Ingkhol. One 9 mm pistol marked as PETRO BERRATTA loaded with five rounds of live ammunitions was recovered from near the dead body. On the other hand, Ispr Ksh. Manihar Singh and his men conducted search on the roadside and the vehicle, one dead body was found inside the Maruti Gypsy. He was later on identified as one Md. Akbar @ Firoz (20) s/o Md. Abdul Wahid of Keirao Menjor Ingkhol S/S Finance Secretary of PULF. One AK-56 rifle bearing No. 56-16225925 loaded with 15 live rounds of ammunitions along with 7 (seven) number of empty cartridges of AK-rifle was recovered from inside the vehicle. It refers to FIR No. 76 (9) 07 of Irilbung police station, u/s 307/34 IPC, 25 (1-C) Arms act.

In this encounter S/Shri Ksh. Manihar Singh, Inspector, P. Achouba Meetei, Sub Inspector, S. Ramesh Singh, Constable, Md. Abdur Rahaman, Constable and Md. Sanayaima, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-09-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

56—391 GI/2009

No. 157–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**N. Tikendra Meetei, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**A. Nando Singh, Jemadar**	**(PMG)**
3.	**A Gopendro Singh, Rifleman**	**(PMG)**
4.	**D. Mekham Maring, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 28/06/2008 at around 6.20 P.M., on receipt of a very specific information regarding the presence of some well armed People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) Cadres who were involved in Heirok Thabal Chongba firing incident on 24th March, 2008, resulting in the death of two girls and one blinded, were loitering in and around Langmeithet Village (under Thoubal District) with an intention to ambush security forces, two teams of CDO Thoubal under SI N. Tikendra Meetei and Jemadar A. Nando Singh and a column of 34 AR under Major N. Rawat rushed to the area and conducted Cordon and Search operation of specific houses at Langmeithet Mamang Khounou. The team immediately cordoned the area and searched two selected houses after dividing the combined force into two teams. At about 6.45 P.M., when SI N. Tikendra alongwith Rifleman A. Gopendro and Rifleman D. Mekham Maring moved into the house compound of one Maibam Manibabu Singh S/o M. Khoidum Singh of Langmeithet Mamang Khunou from the front, the militants present inside the house opened fire with a heavy burst of AK rifles. Immediately, SI N. Tikendra alongwith Rifleman A. Gopendro and Rifleman D Mekham Maring took position and retaliated and at the same time advanced by firing. While the team under Jemadar A. Nando Singh and Major N. Rawat, realized the militants might escape from the rear, rushed towards the rear door of the same house. Both the teams made simultaneously entry into the house. The UGs

were momentarily caught by surprise and opened heavy volume of fire indiscriminately towards the team with assault rifles. Realising the need to act swift, SI N. Tikendra, displaying exemplary courage under fire and with a strong sense of commitment to the cause of the nation, inched toward the front side of the house, closely followed by Rifleman A. Gopendro and Rifleman D. Mekham Maring. Then SI N. Tikendra kicked and opened the front door and fired instantaneously followed by Rifleman A. Gopendro and Rifleman D. Mekham Maring who also opened fire towards the militant. In the fierce close encounter, one militant was killed at the spot near the door of the house. One AK Rifle marked as M 22 9171 alongwith one magazine loaded with 10 live rounds was recovered from the slain UG inside the house. He was later on identified as Laishram Bomba @ Bhagat (28) S/o L. Tomba Singh of Sekmaijin Hangoon, a self styled Sergeant of the banned organization Peoples Revolutionary Army of Kangleipak (PREPAK). Meanwhile, Jemadar A. Nando Singh and Maj. N. Rawat with Rifleman Johnson K G and Rifleman N. Brojen Singh also moved in from the rear of the house and carried out room to room clearance. One of the militants, firing with an AK Rifles tried to escape from near the Kitchen door. Then A Nando and Maj. N. Rawat blocked the escape route and after a fierce encounter lasting nearly 12 minutes, killed the militant near the kitchen rear door. One AK Rifle marked as Made in China, alongwith one magazine loaded with 12 live rounds was recovered near the slain UG in between the main house and kitchen door. He was later on identified as Ashem Ibochouba Singh (26) S/o A. Tunal Singh of Sekmaijin Khoidumpat, a self styled Corporal of the banned organization namely Peoples Revolutionary Army of Kangleipak (PREPAK), in between the main house and kitchen. After the encounter, a thorough search was conducted and the following were recovered:-

(a) One AK Rifle marked as M 22 9171 alongwith one magazine loaded with 10 live rounds was recovered from the slain UG inside the house.
(b) One AK Rifle marked as Made in China, alongwith one magazine loaded with 12 live rounds was recovered near the slain UG in between the main house and kitchen door.
(c) On further search of spot, 30 (thirty) empty case of AK rifles.
(d) 30 (thirty) loose live ammunitions of AK Rifle which were inside a pouch of the slain UG inside the house.

It refers to case FIR No.87 (6) 2008 YPK PS U/s 307/74 IPC, 25 (1-C) A Act & 16 (1) UA (P) A. Act 2004.

In this encounter S/Shri N. Tikendra Meetei, Sub Inspector, A. Nando Singh, Jemadar, A Gopendro Singh, Rifleman and D. Mekham Maring, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28-06-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 158–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Pebam John Singh, Inspector** (1st Bar to PMG)
2. **Md. Riyajuddin Shah, Sub Inspector** (PMG)
3. **Thokchom Manishana Singh, Constable** (PMG)
4. **Md. Kalamuddin, Rifleman** (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 29/08/2008 at about 6.45 PM, a reliable information was received that some armed militants who fired upon a passenger bus bound for Maphou Dam and deflated all the tyres at Oksu village had managed to escape towards the Tinsid Road crossing Baruni hill range. On receipt of the said information, a combined team of commandos of Imphal East District led by Inspector P. John and a column of 39 Assam Rifles, after proper planning and briefing, rushed to the said area for manhunt operation. On reaching the foothill area of Tinsid hill, the commando personnel alighted from their vehicle and approached towards the left i.e., northern side of the hill on foot while the Assam Rifles personnel proceeded further along the main Tinsid Road i.e., southern side of the Tinsid hill. The combined team was thus bifurcated to cover in a better way the foothill area where the militants were suspected to have been taking shelter. The location being porous and terrorist infested area, the commandos maintained extra alertness while proceeding on foot. Thus, while the commando personnel were proceeding along the foothill area with utmost caution, some youths numbering about 7 were seen at a distance of about 200 metres in a very suspicious manner. The commandos continued their advancement. However, before reaching the area where the said person was seen, the commandos were fired upon from two directions- from the foothill area ahead

of them and from the hill-top. Immediately, the commandos retaliated by taking position along the small drain at the steep hill-side. However, they had hard and tough situation to defend themselves from the shower of bullets from the hill-top. However, in utter disregard of their personal safety, the commandos advanced forward. During the fierce encounter, Inspector P. John perceived that one of the militants was firing from behind a nearby thick bush. Rifleman Md. Kalamuddin was giving good firing towards the said militant. By taking advantage of the covering fire provided by Rifleman Md. Kalamuddin, Inspector P. John managed to get closer in crawling position and made a swift charge from a very close range to take on the militant. He shot him by his 9 mm pistol and killed him on the spot. On the other side, at a distance of about 15 meters, one youth was also seen firing towards the commandos. As the militants were resorting to rapid fire directly towards Inspector P. John from a close range, he could not advance further. Heavy gunshots also came from other militants using sophisticated weapons from higher hilltop. At this critical juncture, Sub Inspector Md. Riyajuddin Shah, in utter disregard of his personal safety, advance and charged against the militant. Physically he was exposed to the gunshots of the militant. Constable Th. Manishana Singh came to his assistance. At a very short moment when the militant was facing Constable Th. Manishana Singh, Sub Inspector Md. Riyajuddin Shah pinned down the youth with his 9 mm pistol. The actual encounter lasted for about 8 minutes. Even after the killing of the two militants, there were gunshots from both sides. However, the militants retreated in view of the determined acts of the commandos and managed to escape taking privilege of the thick bushes of the hilly region. The commandos conducted search operation of the area. On search, one 9 mm pistol marked as "STAR BECHEVERRIA FIBAR ESPANSA S.A.CAL DM/M 38' bearing Body No.1183245 loaded with one live round in the chamber and 5 (five) live rounds in the magazine and was found lying near the dead body wearing the blue striped T/shirt and grey trouser. On further search, one extortion chit addressed to Director FCS was found inside the pocket. Further, another 9 mm pistol marked as "USA" bearing Body No.0537 loaded with one live round in the chamber and three live rounds in the magazine was found lying near the dead body wearing grey T/shirt and blue jean trouser. One hand-written account statement showing extortion from different Govt. offices was also recovered from the slain militant. 19 (nineteen) empty cases of AK ammunition were found scattered on the hill-top. The slain militants were later on identified as (1) S/s Sgt. Major Thounaojam Shyambabu Singh @ Nungshiba @ Rohit (38 years) S/o Th. Megha Meitei of the village Napet Palli Maning Leikai, working as District Commander of Imphal East District and (2) S/s Corporal Sagolsem Rame, S/o Late S. Ibopishak, (37 years) of the village Etham Makah Leikai, both hard core cadre of the banned underground outfit Kangleipak Communist Party (MC).

In this encounter S/Shri Pebam John Singh, Inspector, Md. Riyajuddin Shah, Sub Inspector, Thokchom Manishana Singh, Constable and Md. Kalamuddin, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29-08-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 159–Pres/2009- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**P. Achouba Meetei, Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
2.	**Kh. Ringo Singh, Rifleman**	**(PMG)**
3.	**Md. Sanayaima, Constable**	**(PMG)**
4.	**Jacob Kaping, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 7th June 2008 at about 7.45 p.m. as part of counter-insurgency operation, a combined team of commandos of Imphal East District led by Sub Inspector P. Achouba Meetei and 32 Assam Rifles led by Maj. R..K.Sharma carried out frisking and checking along the Lairenpat inter-village road, running between the Irilbung village and Ucheckon Khunou. The inter-village road was surrounded by paddy-field on both sides. Thus, while the combined team was carrying out frisking and checking of passers-by along the inter-village road, one Maruti van grey in colour was seen coming from the eastern side i.e. Iribung side towards Ucheckon Khunou in high speed. Darkness descended over the area and as the vehicle was getting close to the police party say, at a distance of about 50 meters, Sub Inspector P. Achouba Meetei made a signal to stop the vehicle. The vehicle jerked to an abrupt halt and the occupants numbering about 5/6 (exact number could not be ascertained in the darkness) jumped out of the vehicle, spread over the area in different directions, and started firing towards the combined force. To cope with the situation, the commandos immediately retaliated ducking on the middle of the road itself and then continued to fire by taking position on both sides of the I.V. Road. By then, the Assam Rifles personnel who were covering the outer areas also resorted to blank-firing. However, due to heavy exchange of fire between the militants and commandos in the darkness, the Assam Rifles personnel had difficulty

in closing towards firing area. SI P. Achouba Meetei, Rifleman Kh. Ringo Singh and Constable Md. Sanayaima took position on the south-eastern side behind the small ridges of the paddy field and two of the commando personnel namely, Constable Jacob Kaping and Rifleman N. Nungshibabu also took position inside the small drain of the paddy field on the north-western side of the I.V.Road. The commandos spread out themselves into two groups and fought with the militants fiercely. In the midst of firing, in the south-eastern side, a voice was heard shouting please save me, I am innocent and I was kidnapped by UG's. At the same time, SI P. Achouba saw 2 (two) armed militants crawling on the southern roadside and firing towards the police party continuously. SI P. Achouba Meetei immediately fired with due care to protect the alleged kidnapped victim and shot dead 1 (one) armed militant and other militant shot dead by Rifleman Kh. Ringo Singh and Constable Md. Sanayaima. On the other hand one militant attempted to escape towards the southern side of the I.V.Road with continuous firing; but he was shot dead by Constable Jacob Kaping and Rifleman N. Nunghsibabu simultaneously. Immediately, after the firing ceased SI P. Achouba Meetei crawled and approached towards the unknown youth and found in semi unconscious state. He identified himself as one Haorongbam Shanta Singh (44 years) S/o H. Kheron Singh of Chingmeirong Mamang Leikai. He was thus rescued and found to have been kidnapped by the suspected KYKL militants for ransom. After proper identification, he took the youth to safe area then the Commando carried out thorough search, during which two dead bodies who were later on identified as Ningthoujam Gulapai Singh (40 yrs) S/o H. Kheron Singh of Sagolband Tera Loukham Leirak and Huidrom Robindro Singh (30 yrs) of Sekmaijin at present Kakching Irung Mapal, listed cadres of KYKL were found in the southern roadside of the I.V.Road. During search one SM Carbine loaded with 6 (six) live rounds of 9 mm ammunition was recovered from near the dead body of Ningthoujam Gulpai and one 9 mm pistol with three live rounds was also found near the dead body of Huidrom Robindro Singh. 2 (two) nos. of PEK explosives with two detonators were also found from inside the right side pant pocket of N. Gulapai. Further, dead body of another militant who was later on identified as Mayanglambam Ibochouba alias Tangbi Singh (30 yrs) of Kakching Irung Mapal, a listed cadre of KYKL was found from the southern side of the paddy fields. One 9 mm pistol marked as Made in Italy auto pistol loaded with three live rounds was recovered from near his dead body. The combined team further continued to conduct search operation.The remaining militants managed to escape under the cover of darkness. The following arms & ammunition, vehicle and explosive articles were recovered from the spot:-

(a) One S.M.Carbine bearing Regn. No.GAF 1960, Butt No.ICR 57A IPS 1969 and magazine No.ICR 59 A. Magazine 9 mm IA 34 rounds loaded with 6 live rounds one inside the chamber.

(b) 2 (two) nos of PEK explosive with 2 detonators.

(c) One 9mm Pistol marked as "Made in Italy Auto Pistol 9 rounds ICR 9 mm. B/No.A0017171 and one magazine with 3 (three) live round. One in inside the chamber.

(d) One 9mm Pistol with one magazine loaded with 2 (two) live rounds, one in inside the chamber.

(e) One Maruti Van grey in colour bearing Regn. No. MN 01 K-6240 with R.C.Bood and

(f) 9 nos of AK empty cartridges, 5 (five) nos of 9mm cartridges.

In this encounter S/Shri P. Achouba Meetei, Sub Inspector, Kh. Ringo Singh, Rifleman, Md. Sanayaima, Constable and Jacob Kaping, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07-06-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 160–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **L. Thangminlen Khongsai, Havildar**
2. **N. Kunjeshwor Singh, Constable**
3. **Y. Ningthem Meitei, Rifleman**
4. **O. Suranjoy Singh, Rifleman**
5. **M. Shyamsundar Singh, Rifleman**
6. **R.K.Manjit Singh, Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded

In the first week of January'09, an intelligence report was received from the Police Head Quarters regarding the intention of the banned People Liberation Army's (PLA) to lay multiple ambush on security forces as well as lay IEDs in the four valley districts of Manipur. Thus," general alert was sounded in all districts and Thoubal District Police under the supervision of its Superintendent of Police who was collecting local inputs and intensive search operations carried out at several places. Thus, on 10/01/09 at about 1.30 p.m., a reliable and specific information was received about movement of some armed cadres of the banned People's Liberation Army (PLA) in the general area of Keirak and Wabagai village with an intention to attack/ambush as well as lay IEDs on security forces at an opportune moment, a team of CDO Thoubal District comprising parties of SI N.Tikendra Meitei, Jemadar Prakash, ASI Th.Bibekananda Singh and Havildar L. Thangminlen Khongsai rushed to the area to pre-empt the subversive activities of the said militants. At about 2.30 p.m., while the commando team was moving in four vehicles along Thambal Chingya road from Tentha side towards Keirak, the commando team was fired upon heavily with sophisticated weapons by militants from two different locations on the adjoining ridges of Chingphei Ching near the

Buffalo farm, Keirak. Immediately the vehicles were driven near the hill base and the commandos jumped out of the vehicles and took position alongside the road and behind the vehicles. Since the militants were resorting to firing from different angles positioning themselves from higher- up location on the right eastern hill ridge and a bit higher up location on the left western side hill ridge, the commandos could hardly find coverage for retaliating the heavy firing. On top of that, the hilly terrain and thick marshy growth nearby caused extreme difficulty for the Commandos to locate the exact position from where the militants were firing and as such initially, some sort of confusion prevailed and the commando team fired in retaliation from wherever they could take position. In the course of the encounter, while the parties of Jemadar Prakash and SI Tikendra were giving firing support, parties of ASI Bibekananda and Havildar L. Thangminlen Khongsai were focusing on the eastern side and western side respectively. At that instance, 3/4 persons holding sophisticated weapons were observed taking position behind the thick growth at the lower western ridge and on the higher ridge of the western hillock by Havildar L.Thangminlen Khongsai who whispered to Rifleman Y.Ningthem, Rifleman R.K.Manjit Singh, Rifleman M. Shyamsundar Singh and Rifleman O. Suranjoy Singh to move up towards the top of the hill ridge. Even as Havildar Thangminlen Khongsai and the above commandos crawled tactically towards a small mount on the western side and took position, one militant who was in the lower ridge and firing towards them with an AK rifle was shot dead simultaneously by Havildar Thangminlen and Constable N.Kunjeshwor. In the meanwhile Rifleman Y,Ningthem and Rifleman O.Suranjoy Singh from the northern side of the western hillock ridge and Rifleman M. Shyamsundar Singh and Rifleman R.K.Manjit Singh from the southern side of the Western hill ridge climbed up firing continuously and closed up and thus a fierce encounter continued near the hill top in which 3/4 suspected militants were holed up. Thus, in the encounter, one militant was killed while other militants managed to escape towards the swampy lake of Kharung pat At least, one of the militants leaving behind a trail of blood was suspected to be injured but somehow managed to escape. After the encounter which lasted for about 15/20 minutes, the commandos after taking due precaution, advanced towards the site and on checking the area, the following arms and ammunitions were recovered.

1. One AK Rifle bearing no. 56-1 3203642 along with one magazine loaded with 10 live rounds and one empty magazine of AK rifle near the slain UG which was lying on the lower ridge of the hill. He was later on identified as Thingujam Jiten Singh @ Binod Khumancha (35) S/o Th.Yaima Singh of Thoubal Kiyam Wangmataba Amureijam, a self styled Sergeant Major of the banned outfit Peoples' Liberation Army (PLA) Khwnancha was also directly involved in the ambush and killing of Insp. N. Lokhon Singh, former Officer-in-charge of CDO/Thoubal and two other commando personnel at Thoubal Bazar on 20th February 2006, it refers to FIR No. 24(2)06 TBL P.S. U/s 302/307/326/395/34 IPC, 3/5 Expl. Subs.Act 25(1-C) A. Act & 16(1) (b)/20

UA(P) A.Act'04, in the planting of bomb at Waithou in which two personnel of 34 Assam Rifles were killed it refers to FIR No. 117(7)05 TBL P.S. U/s 307/427 IPC & 16(1) (a) (b) UA(P) A.Act'04, in the ambush at Oksu Misi Makhong on 2/9/2006 in which two Havildars and two Riflemen of 19 Assam Rifles were killed, it refers to FIR No. 105(9)06 LLI PS U/s 121/121-A/302/307/326/34 IPC, 20 UA(P) A.Act'04 & 25(1-C) A. Act, Planting of bomb near Y.K College Wangjing on it December'07, it refers to G.D. entry no. 7/TBL P.SJ2007 dated it December'07, in the attack on 22 Maratha Light Infantry at Mayang Imphal on it October'07, it refers to FIR No.117(10)07 MIPS U/s 307/302/34 IPC & 250-C) A.Act.

2. One AK Rifle bearing No.301018 along with one magazine loaded with 12 live rounds and one empty magazine of AK rifle near the slain UG which was lying on the hill ridge. He was later on identified as Laishram Boyai Meitei @ Tony (25) S/o (L) Shyamkishor Singh of Khoidumpat, a self styled Lance Corporal of the banned outfit Peoples' Liberation Army (PLA).

3. On further search of the spot, one AK rifle bearing no. 56 23295 along with one magazine loaded with 7(seven) live rounds, 2(two) pressure bombs in a cotton hanging bag, 2(two) magazine pouches and 35(thirty five) empty cases of AK rifle. The same were seized by observing formalities at the spot at 3.10 p.m. It refers to FIR No. 06(01)09 Kakching Police Station, U/S 121/121-A/307/34 JPC,25(I- C) Arms Act, 5 expl. Subs. Act and 20 UA (F) A. Act' 04.

In this encounter S/Shri L. Thangminlen Khongsai, Havildar, N. Kunjeshwor Singh, Constable, Y. Ningthem Meitei, Rifleman, O. Suranjoy Singh, Rifleman, M. Shyamsundar Singh, Rifleman and R.K.Manjit Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10-01-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 161–Pres/2009- The President is pleased to award the 5th Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Th. Krishnatombi Singh, Inspector**	**(5th Bar to PMG)**
2.	**L. Lenin Singh, Constable**	**(PMG)**
3.	**Ch. Birendra Aimol, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 12th December, 2008, at about 6 p.m., based on a reliable interrogation about the presence of some well-armed cadres of valley based underground outfit in and around Khurai Salanthong area in Imphal, ostensibly to carry out subversive activities such as hijacking of vehicles, laying ambush on security forces at any opportune moment, etc., a team of commandos (CDO) of Imphal West District under Inspector Th. Krishnatombi Singh, Officer-in-Charge, CDO/Imphal West rushed to the said area for pre-emptive operation. Thus, when the commando team tactically approached the area and reached the wooden hanging bridge of Khurai Salanthong, Inspector Th. Krishnatombi Singh stopped his vehicle, alighted and signaled two of his commando personnel namely Constable L. Lenin Singh and constable Ch. Birendra Aimol to cross the bridge on foot along with him, while the remaining commando personnel were directed to take another route with the vehicle and to join them on the other side of the Imphal River since the police vechicle could not cross over/pass through the small wooden hanging bridge. Even as Inspector Th. Krishnatombi Singh and two of his commando personnel cited above moved forward to cross over the bridge from the western side towards the eastern side, they saw three unknown youths riding a motor cycle trying to cross the bridge from the opposite direction i.e. from the eastern side towards western side of the Imphal river. Due to winter season, it was almost dark. When the youths on the motor cycle were about to reach the middle of the bridge, they spotted the movement of the commandos by the head light flash of the motor cycle. Hastily,

they slowed down their motor cycle and one of the youths jumped from the motor cycle and fired upon the commandos with an automatic weapon. Inspector Th. Krishnatombi Singh,.who was leading his commando personnel in the forefront at that moment, was fully exposed against the burst-fire of the militants, that too from a close range. Having no object for his physical coverage, he ducked and dived on the floor of the small wooden bridge and fiercely retaliated with his already cocked AK Rifle. Constable L Lenin Singh who was next to him, jumped to the left side of the bridge took position and joined in the gunfight. While Constable Ch. Birendra Aimol, who was behind the two and already lying down on the right side of the wooden bridge undeterred with the heavy exchange of fire and impelled with high sense of responsibility and commitment at the critical juncture, continued to advance forward by crawling and incessantly fired with his weapons towards the militants. Thus, without caring for their lives, Inspector Th. Krishnatombi Singh and two of his commandos swiftly and tactically moved forward with retaliatory firing from their AK-Rifles against the militants who fired at them with automatic weapons. In the brief gun-fight that lasted for about 6/7 minutes, one AK holder militant was killed at the spot, while one of them (injured in the gunfight) repeatedly shouted" save my life", " save my life", " I am an innocent person kidnapped by armed militants". With a sense of humanity, Inspector Th. Krishnatombi Singh and his men saved the innocent person. However, the injured person was later on identified as Chandam Sunil Singh.(33) sb Ch. Yaima Singh of Lairikyengbam Leikai, a fighting member of PREPAK and the deceased youth was later on identified as Thangjam Boynao Karnajit aged about 25 years Of Singjamei Mayeng Leikai, Fighting member of PREPAK. The other militant managed to escape with intermittent firing towards the commandos from his automatic weapon by taking advantage of the darkness. One AK-56 Rifle having 18 (eighteen) live rounds (one live round loaded in the chamber and 17 live rounds in the magazine), 39 empty cases of AK ammunition, one Chinese Hand Grenade and one Yamaha motor cycle, red in colour, bearing Regd. No. MNI 1-6540 were recovered from the encounter site (from near the dead body). It refers to case FIR No. 426(12)08 PRT-PS U/S 326/307/34 IPC 25(I-C)A. Act., 5 Expl. Sub Act & 20 UA(P) A. Act 04.

In this encounter S/Shri Th. Krishnatombi Singh, Inspector, L. Lenin Singh, Constable and Ch. Birendra Aimol, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 5th Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12-12-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

59—391 GI/2009

No. 162–Pres/2009- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Clay Khongsai, Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Y. Kishorchand Meitei, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**N. Tikendra Meetei, Sub Inspector**	**(2nd Bar to PMG)**
4.	**A. Nando Singh, Jemadar**	**(PMG)**
5.	**Ksh. Inaoton Singh, Havildar**	**(PMG)**
6.	**Ph. Arun Kumar Singh, Havildar**	**(1st Bar to PMG)**
7.	**S. Suresh Singh, Rifleman**	**(PMG)**
8.	**T. Paul Maring, Rifleman**	**(PMG)**
9.	**Md. Doulat Khan, Rifleman**	**(PMG)**
10.	**H. Nungshithoi Singh, Rifleman**	**(PMG)**
11.	**Y. James Meitei, Rifleman**	**(PMG)**
12.	**N. Seilesh Singh, Rifleman**	**(PMG)**
13.	**E. Romen Kumar Singh, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 8.12.08 at about 7 p.m. specific and vital information was received regarding movement of armed cadres of PREPAK in a hijacked Tata vehicle at Langathel village with an intention to attack security forces/lay ambush at an opportune moment. Immediately, commandos of Thoubal district comprising parties of Inspector, Y. Kishorchand Meitei (OC/Thoubal Police Commando), SI N Tikendra Meetei, Jemadar A Nando Singh, Havildar Ksh. Inaoton Singh and Havildar Ph. Arunkumar Singh under the overall command of Shri Clay Khongsai, IPS, SP/Thoubal District, after briefing, rushed at the said area and selected an ambush site near the Langathel bridge adjacent to the dam on the Langathel River and on the Langathel Cheiraoching to check the movement of the said armed cadres. The site selection was done taking into consideration the moonlit night and minimum presence of civil population. At about 7.45 p.m. , one team under SI Tikendra assisted by Havildar Ksh. Inaoton and one team under Jemadar Nando assisted by Havildar Aninkumar Singh were deployed near the Langathel Bridge adjacent to the dam on the Langathel River and on the Langathel Cheiraoching. While one team under Shri Clay Khongsai SP/Thoubal and one team under Inspector Y Kishorchand took position by the roadside ditch as reserved party and cut off party at about a distance of 50 metres from the bridge. At about 8.40 p.m., one TATA truck was seen coming out from Langathel village side and Shri Clay Khongsai (SP/Thoubal), alerted the deployed commandos. The team under SI Tikendra stood up and signaled the vehicle with the torch light for checking. But within seconds, several militants numbering about 10 (ten) to 12 (twelve), fired at the Police Commandos with sophisticated weapons from the TATA truck. Immediately, Jemadar Nando and Hav Artiin Kumar Singh along with Rfh T. Paul Maring and Rfn Md. Doulat Khan opened fire at the militants in the TATA truck and two of the militants, taking position in the back of the TATA truck were instantly killed. The armed militants were surprised by the presence of security force in different places and some of the militants jumped down from the truck and fired at the CDOs after taking position along the Langathel River Bank. On hearing the exchange of fire, Inspector Y Kishorchand and SP/Thoubal Clay Khongsai also rushed to the encounter site to assist the police team. Meanwhile, the militants who jumped down from the vehicle tried to escape towards the eastern side of the river bank by firing continuously with their weapons towards the commandos. The commandos comprising of SI Tiken, Hay Inaoton, and Rfn S Suresh without caring for their safety and risking their lives amidst the exchange of firing, crawled tactically and fired rapidly towards the militants. One of the militants taking position near the river bank was killed. At the same time, one militant who was holed up in the bushes along the river bank was repeatedly firing towards the police commandos. Sensing that casualty could be inflicted to the police, Shri Clay Khongsai SP/Thoubal, with years of experience in counter insurgency, signaled to Rfh H. Nungshithoi followed by Rfh Y James, and moved in tactically and fired simultaneously towards the militant and shot him dead. Meanwhile, one militant

who tried to escape towards the eastern side towards the dam side was vigorously pursued by Inspector Y Kishorchand who rolled and fired along with RIb N Seilesh and Rfn E Romen Kumar. The militant turned and fired, but Inspector Y Kishorchand, (Officer-in-charge of Thoubal Commandos) bii& Rfn Seilesh with Rfh Romen dived on the left thick growth and simultaneously fired towards the militant and killed him. The encounter went on for about 30 minutes. At least two/three militants managed to escape taking advantage of the melee as well as darkness and it is suspected that they were injured. After a brief lull, SP/Thoubal signaled to the commandos in a coded sign. Thereafter, the commandos after taking due precaution, advanced towards the site and on checking the area, the following arms and ammunitions were recovered:

1. One AK-56 Rifle bearing no. 18081 with one magazine loaded with 9 live rounds of AK Rifle ammn. Near the slain militant which was lying near the river bank. He was later on identified as Ninghoujam Rhogen Singh alias Koko (26) S/o N. Itomcha Singh of Fleirok Part II Bazar, a Private cadre of Red Army of the banned outfit Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK).

2. One AK-56 Rifle bearing no. 56 15142741 with one magazine loaded with 7 live rounds of AK Rifle near the slain militant which was lying in the bushes along with river bank. He was later on identified as Loktongbam Dinesh alias Naoba Singh alias Dineshor alias Thonglen (25) s/o L Amuyaima Singh of Sagolband Langjing Achouba, a self styled Sergeant of Red Army of the banned outfit Peoples' revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK).

3. One AK-47 Rifle bearing no. 1972 179556 with one magazine loaded with 5 live rounds near the slain militant which was lying in the eastern side along with river bank, later identified as Thingujam Samananda Singh alias Nanai Ingba (18) s/o Th. Sanajaoba Singh of Thiyam Leishangkhong, a self styled Lance corporal of Red Army of the banned outfit Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK).

4. One Lathod Launcher Gun (M-40) with 8 lathod bomb shells, near the dead body lying in side the Tata truck and later identified as Yengkhom Bungo Singh alias Tomthinnganba (23) S/o Late Y Sanatomba Singh of Bishnupur ward no. 2, a self styled corporal of Red Army of the banned outfit Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK).

5. One Chinese hand grenade with detonator and one .36 H.E. Hand grenade with detonator, near the dead body lying inside the Tata truck and later on identified as Huidrom Kokngang Singh (28) Sb H Ibotomba Singh of Wabagai Tera Pishak, a Private cadre of Red Army of the banned outfit Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK).

6. On further search, 51 empty cases of AK Rifle ammn., Two magazine Pouches, One haversack , some cloths, medicines, other assorted items and one TATA Dipper, white in colour bearing no. MN-03T/0065. The same were seized by observing formalities at the spot at 9. 25 p.m.

The following day of the encounter, one of the injured militants, who managed to escape, namely Khundrakpam Sana Singh alias Ibosana alias Rahul aflas Nongthang (24) Sb kh. Yaima Singh Amuyaima Singh of Heirok part II Devi Mandom a self styled District Commander of Thoubal district of the banned outfit Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) was brought to the Hospital by some local people of the neighboring village. It refers to FIR no. 230(12) 08 Kakching Police Station, U/S 121, 121-A, 120-B, 307/34 IPC, 25(1-C) Arms Act, 5 expl. Subs. Act and 20 UA (P) A. Act' 04. In the above encounter, despite the disadvantageous nature due to darkness, the officers and men of commando unit, Thoubal District under the able leadership of its SP Shri Clay Khongsai, displayed meticulous planning, exhibited raw courage under fire and the unrelenting spirit to crush the terrorist outfits. They also displayed courage and gallant act of the highest, thereby killing five hardcore armed militants of the banned peoples Revolutionary Army of Kangleipak (in short PREPAK) leading to the recovery of two AK-56 assault rifles, one AK-47 assault rifles with 21 live rounds of ammunition in three magazines, one Lathod launcher gun with 8 live lathod bomb shells and two hand grenades.

In this encounter S/Shri Clay Khongsai, Superintendent of Police, Y. Kishorchand Meitei, Inspector, N. Tikendra Meetei, Sub Inspector, A. Nando Singh, Jemadar, Ksh. Inaoton Singh, Havildar, Ph. Arun Kumar Singh, Havildar, S. Suresh Singh, Rifleman, T. Paul Maring, Rifleman, Md. Doulat Khan, Rifleman, H. Nungshithoi Singh, Rifleman, Y. James Meitei, Rifleman, N. Seilesh Singh, Rifleman, E. Romen Kumar Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-12-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 163–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**L. Dhanabir Singh, Assistant Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**T. Haridas Singh Rifleman**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**N. Jameson Singh, Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26/03/2009 at about 4 p.m., based on a specific information regarding movement of armed cadres of the banned United National Liberation Front (UNLF) in the general area of Wabagai Village and Kharungpat (marshy lake) with an intention to attach security forces deployed for Lok Sabha election at an opportune moment, teams of commando unit, Thoubal under OC/CDO Thoubal patrolled in the said area to check the movement of the armed cadres under the supervision of the Addl. SP/Thoubal. At about 5.45 p.m, while the commando teams were proceeding toward Kharung pat along Natek Khong (adjoining canal) between Kharung pat and Wabagai after search operation at Wabagai area, the leading party led by ASI L. Dhanabir Singh was under a sudden heavy firing from different directions of Kharung pat using Lethod Bombs (M-40), AK rifles and other sophisticated weapons by the militants who were already taking position behind the tall grasses / reeds of the Kharung Pat (marshy lake). Immediately, the commando teams also took position in the marshy lake having no visible protection and retaliated fiercely against the attackers. With utter disregard to their safety, ASI L. Dhanabir in the fore front followed by Rifleman T. Haridas Singh and Rifleman N. Jameson Singh crawled tactfully towards the UGs who were firing behind tall grasses/reeds and fired back at the attackers while Insp Y. Kishorchand, OC/CDO and other CDO personnel were providing fire coverage from the southern side. In the ensuing encounter, one of the militants was shot down. The other militants, unable to withstand the aggressive drive, started retreating towards the Kharung Pat

by firing indiscriminately with automatic weapons and tried to flee towards the Kharung pat side. The Commandos continued to advance with rapid firing and move towards the fleeing militants. However, the militants managed to escape taking cover of the thick floating vegetation of Kharung pat and falling darkness. After the encounter which lasted for about 20 minutes, on search of the encounter site, the following items/articles were recovered from near the deceased.

1. One AK -56 Rifle loaded with 1 live round in the chamber,

2. 25 (Twenty five) live rounds of AK Rifle ammunition loaded in the magazine,

3. 1 (one) magazine in magazine pouch

4. On further search of the area, 12 (twelve) empty cases of AK Rifle ammunition recovered. The same were seized by observing formalities at the spot at @ 6.30 p.m.

Later on, the deceased was identified as Yumelmbam Tomba Singh (30) @ Sanjeev S/o Y. Chandra Singh of Khurai Nandeibam Leikai, a self styled Sergeant of the banned United National Liberation Front (UNLF). It refers to case FIR No. 47no. 4 (3) 09 KCG P.S u/s 121/121-A/307/34 IPC, 25 (1-c) A. Act and 20 UA (P) A. Act'04.

In this close and fierce encounter, the officer and men of the CDO Thoubal District displayed high sense of discipline, presence of mind, the will and the spirit to crush the terrorist outfit and selfless devotion to duty of the highest order, thereby killing a self styled Sergeant of UNLF and recovered an AK 56 Rifle. Had the police officer and the men not reacted swiftly, professionally and tactically, the lives of the police personnel as well as civilians in the nearby area might have been in great danger.

In this encounter S/Shri L. Dhanabir Singh, Assistant Sub Inspector, T. Haridas Singh, Rifleman and N. Jameson Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26-03-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 164–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kshetrimayum Manihar Singh, Inspector** — **(1st Bar to PMG)**
2. **Yengkhom Shakti Shen Singh, Jemadar** — **(PMG)**
3. **Waikhom Amarjit Singh, Rifleman** — **(PMG)**
4. **Md. Abu Talib, Rifleman** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 27-02-2009 at about 7 pm., a reliable and specific information was received that armed cadres of the valley-based underground outfit "Kangleipak, Communist Party (MC) - Lalheiba faction, were loitering in and around the western side of Khurai Bazar i.e., Imphal river bank area with intent to ambush commando personnel, as a similar incident had taken place in the recent past (2 1-12-2008 at 7.20 pm) at Khurai Lamlong bazaar crossing. On receipt of the specific information, a special team of commandos of Imphal East District was organized under the overall command of Inspector Ksh. Manihar Singh, O.C. of Imphal East Commando Unit and rushed to the aforesaid area to launch counter-insurgency operation. For proper coverage of the surrounding area and domination of the suspected area, the commando team bifurcated — Inspector Ksh. Manihar and party approached from the southern side i.e., from the road-crossing near Khurai Lai Awangba proceeding towards the northern side along the river bank road while Jemadar Shakti Shen and his party approached towards the suspected area froth Lamlong bridge. Darkness prevailed over the area due to total absence of electric light. While some of the commandos engaged in conducting search along the river-bed area featured with uneven surface and bushes, Jemandar Shakti Shen and some

of his men were approaching towards the suspected area taking coverage of the structures in the construction site of the Lamlong Higher Secondary School Inspector Ksh. Manihar accompanied by some of his commandos watched movement of suspected elements on the eastern side of the river bank covering cress-cross points of lanes/by-lanes. He closely supervised the deployment of force for effective coverage of the area, maintaining caution and extra-alertness. In the process, all of a sudden, at about 8.15 p.m., Inspector Manihar 'happened to notice some armed youths numbering about 6 (six) coming from the river bank area (high-rise formation of the river bank area) trying to sneak out towards the eastern side where shop and school buildings, exist. When Inspector Manihar shouted them to stop, the youths started firing towards the commandos with automatic weapons. The militants used hand grenades. The commandos retaliated and there ensued a lively encounter. In the southeastern side of the school premises, Inspector Manihar and some of his men namely Rifleman Amarjit and Rifleman Md. Abu Talib had a fierce gunfight with one of the militants holding automatic rifle. As the UG elements were pre-occupying the area, they had better position than the commandos in the encounter. However, Inspector Manihar with cool mind but firmly handled the situation and made a forceful drive against the militants. Ultimately, Inspector Manihar, closely assisted by Rifleman Amarjit and Riflemad Md. Abu Talib succeeded in shooting dead the militant holding AK-56 Rifle who was later on identified as Laishram Siken Meitei (34 years), S/o (L) Laishram Nungsitombi Meitei of Thamnapokpi, P.S. Lamlai, self-styled Sergeant Major of the banned underground outfit Kangleipak Communist Party (MC) Lalheiba faction. When the militant holding AK-56 rifle fell down, the militants got set back in mind and retreated starting running away in different directions. However, the militants continued resorting to intermittent firing to facilitate their escape. The commandos made a hectic pursuit of the fleeing militants. At a critical juncture when Jemandar Shakti Shen tried to jump over a small nullah just behind the chatai fencing on the eastern side of the riverbank in pursuit of the fleeing militants, one of the militants turned aside from a corner and fired upon him from a very close range with intent to eliminate him. As good chance would have it, the first and second bullets missed its target. Jemandar Shakti Shen who escaped unhurt dived into the nullah and at the same time retaliated. The commandos around Jemandar Shakti Shen made a proactive action against the militant. With no alternative, the militant rushed to the riverside. Jemandar Shakti Shen, single handedly dared to pursue the militant and charged against him with incessant firing and ultimately succeeded in shooting dead the militant holding 9mm pistol, who was later on identified as Ashangbam Jadumani Singh (35 years), S/o (Late) A. Rabei of Maiba Khul Mamang Leikai, Koirengei. one of the hard core leaders of the same U.G. outfit KCP (MC) Lalheiba faction. The actual encounter lasted for about 15 minutes continuing up to around 8:30 pm. Even after the killing of the two militants, the commandos continued to

conduct search operation. The remaining militants managed to escape taking advantage of darkness and inhabited area on the eastern side of the market. During search, the following arms and ammunition were recovered: -

(1) 1(one) AK 56 rifle bearing No. 02106
(2) 1(one) AK-56 rifle magazine
(3) l(one) 9mm pistol bearing No. 3305 marked as USA
(4) l(one) 9mm pistol magazine
(5) 1(one) high explosive Chinese made hand grenade olive green in colour
(6) 8(eight) rounds of AK-56 live ammunition, 15(fifteen) nos. of AK-56 empty cases.
(7) 4 (four) nos. of 9mm live ammunitions, 5(five) nos. of 9mm empty cases.

As per police record, the slain militants were involved in many heinous crimes of subversive design like ambush on security force, kidnapping of innocent people and extortion. They were listed extremists working in top hierarchy of the UG outfit with foreign training.

In this encounter S/Shri Kshetrimayum Manihar Singh, Inspector, Yengkhom Shakti Shen Singh, Jemadar, Waikhom Amarjit Singh, Rifleman and Md. Abu Talib, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-02-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 165–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Meghalaya Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Smt. C.A.Lyngwa, Senior Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**I.S.Marak, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**K. Thapa, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
4.	**D. Khatri, Sub Inspector**	**(PMG)**
5.	**B.B.Gurung, Constable**	**(1st Bar to PMG)**
6.	**S. Sharma, Constable**	**(PMG)**
7.	**C. Marak, Constable**	**(PMG)**
8.	**J. Marbaniang, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26th March 2008, after receiving a specific information from a confidential source that some HNLC cadres based in Lumshnong (under khliehriat police station, Jaintia Hills District will be proceeding to Bangladesh. A team of 11 (eleven) SOT personnel led by Smt. C.A.Lyngwa, MPS (SSB-SB 11) proceeded to the area and after a prolonged vehicle checking were able to intercept 2 (two) HNLC cadres namely Emmanuel Umthlu @ Shuwa and Willander Diengdoh @ Khian from a commercial vehicle at Malidor @ 1.30 pm. The cadres were thoroughly interrogated and confessed that they were going to the Indo- Bangladesh Border to receive self styled captain of HNLC and a courier who has been sent from Bangladesh by the Organization to command the group based in Jaintia Hills. The

team laid a trap at the appointed place and were able to nab the duo from Bangladesh, namely Syrpai Mawlong @ Bhalang and Riskin Phawa at Umkiang Pahar Junction Jaintia Hills around 5 pm. A thorough interrogation conducted under the supervision of Smt. C.A.Lyngwa, MPS, Spl. Superintendent of Police (SB-II). Based on the interrogation, Smt. C.A.Lyngwa then decided to raid the camp site located at Washlymbong , which was manned by 2 (two) HNLC cadres and 3 (three) NLFT Cadres of Tripura. The arrested militants also confessed that two of their cadres were based at Umkiang Pahar village with a Radio set for communicating with the camp. This place was being used as an observation post by the camp. Smt. C.A.Lyngwa then selected a team to approach in such a way that police team should reach the village and seize the radio without alerting the villagers who were reported to be the sympathizers of HNLC and could warn the cadres in the Camp site. Smt. C.A. Lyngwa held a thorough briefing with SOT personnel and alongwith SI Pohshna I/C Umkinag P.P. proceeded to the village at 2 am led by the arrested cadres. The assault team led by Smt. C.A.Lyngwa had to move silently through the village and locate the house and surrounded it. SI K. Thapa and SI I. Marak with BNC/B. Gurung, BNC/ C. Marak broke into the house with great risk to their lives. Using weapons at this stage would have alerted the villagers, using unarmed combat (UAC) skils, Smt. C.A.Llyngwa and the 4 (four) SOT personnel managed to overpower 2 (two) HNLC cadres namely Aibor Sawian @ Bahrit and Chedrak Wanniang by the element of surprise and by their swift action. 2(two) Japanese made Yaasu wireless hand held sets, 2 (two) Chinese manufactured hand grenades were seized from them. The team then silently exited from the village and sent back 5 (five) of the arrested cadres under the guard of 4 (four) SOT personnel to umkiang Patrolling Post (Jiantia Hills) while the remainder of the team by Smt. C.A.Lyngwa continued towards the camp. On the leading of one of the militants, Aibor Sawian the team walked for 6/7 hours on a treacherous jungle track and sited the camp located on the slope of a hillock in the jungle at around 12.30 hrs. After satisfying herself of the layout of the camp, Smt. C.A. Lyngwa re-briefed the SOT personnel and split up the team into 3 (three) groups. Taking the cover of the trees surrounding the camp, the three groups stealthily approached the camp simultaneously till they were about 50 (fifty) meters (approx) away. They remained in this position for about 15 minutes to study the movements in the camp. The team spotted a sentry armed with 1 (one) AK 56 Rifle assault rifle standing behind a bunker and another militant sitting on the ladder of the hut also armed with AK 56 Rifle. None of the 3 (three) NLFT cadres could be sighted at that time. At this time Smt. C.A.Lyngwa decided to split the team with herself alongwith SI I.S.Marak, SI, K.Thapa, BNC/B. Gurung and BNC/C.Marak to hit the camp and another team led by SI. D. Khatri alongwith BNC S.Sharma and BNC/J. Marbaniang to move behind the camp as cut off party. Unfortunately for the assault team as they were crawling and inching slowly towards the camp, the sentry spotted them and opened fire. The assault team came under heavy fire, however, they held their grit and retaliated simultaneously and managed to gun down the sentry and injure the other militant in the first salvo itself. In the meanwhile the 3 (three) NLFT

cadres who were lying down under one of the huts started firing from lying position. The assault team however continued to march with great courage and determination and by putting their lives in the line of fire with bullets raining down on them. A NLFT militant was injured by the firepower of the assault team. This dogged determination of the team deterred the NLFT militants who then retreated towards the jungle dragging the injured militants. The cut off team led by SI D. Khatri went after them and the militants were running down and taking shelter behind trees. They faced heavy fire from the militants but the team of SI D.Khatri, BNC/ S. Sharma and BNC/ J. Marbaniang were able to gun down another militant. The others were able to escape, though the team made all out efforts to follow the fleeing militants. The thickness of the jungle ahead made it humanly impossible. In this encounter, Smt. C.A.Lyngwa, MPS and her team of officers and men namely, SI I.S.Mark, SI, K.Thapa, SI. D Khatri, BNC/566 B B Gurung, BNC/576 S. Sharma, BNC/319 C Marak and BNC/2530 J. Marbaniang displayed exemplary courage in the face of extreme risks to their own lives. Exhibiting remarkable presence of mind as well as foresight and meticulous planning, succeeded in killing two hardcore militants, destroying their camp and recovery of a huge cache of arms and ammunitions.

In this encounter S/Shri Smt. C.A.Lyngwa, Senior Superintendent of Police, I.S.Marak, Sub Inspector, K. Thapa, Sub Inspector, D. Khatri, Sub Inspector, B.B.Gurung, Constable, S. Sharma, Constable, C. Marak, Constable and J. Marbaniang, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-03-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

62—391 GI/2009

No. 166–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Desh Raj,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On receipt of information about a robbed car SI Hari Kishan alongwith HC Desh Raj, HC Kishor Kumar and Constable Subhash made their departure vide DD No.26A dated 18/06/2008 PS Vikas Puri to lay a trap infront of Keshopur Jal Board outer ring road at 06.00 P.M. in search for car No.PB-02 AZ 8990 Maruti Swift, as the number given in the wireless message. At about 6.15 PM the driver of swift car No.PB-02 AZ 8990 came from Distt. Centre Janakpuri side rashly. SI alongwith the staff tried to stop the car. But the car driver rather stopping the car, tried to run over them with the intention to kill. Hardly they saved their life and the car driver run away towards keshopur Depot. HC Desh Raj and HC Kishore Kumar chased the car by their Motorcycle and at the Red Light of Keshopur Mandi, HC Desh Raj and Kishore Kumar tried to stop the car but driver run away towards Chaukhandi Khyala by keeping side. SI Hari Kishan and Constable Subhash were also chasing the car on their scooter. At about 6.25 P.M. when they reached near Sant Nagar Extension, while the driver was turning his car, he lost the control and hit the car on the foot path (Patri). HC Desh Raj asked the driver to stop the car but he tired to run away. HC Desh Raj managed to catch the window (glass broken), rather stopping the car, the driver tried to runaway by dragging HC Desh Raj. During this process the door of the car opened and HC Desh Raj alongwith driver fell down from the car. The rear tyre of the car run over HC Desh Raj and the driver. The car stopped itself by hitting on the Patri. Meantime SI Hari Kishan and Constable Subhash reached and got down from the scooter and pulled out HC Desh Raj from under the car and overpowered the driver. The accused was identified as Harpreet Singh @ Mintu @ Dimple S/o Jasbir Singh R/o RZ-81, Vishnu Garden. Both HC Desh Raj and car driver sustained injuries on hands and body. During interrogation driver disclosed that he snatched this car alongwith his associates from the area of Delhi Cantt and was driving by using fake number plate. Accused Harpreet Singh @ Mintu and HC Desh Raj were taken to DDU Hospital by HC Kishore Kumar and Const Subhash. A case u/s 186/353/307/411/482 has been registered at PS Vikaspuri.

In this encounter Shri Desh Raj, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18-06-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 167–Pres/2009- The President is pleased to award the 3rd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police**	**(3rd Bar to PMG)**
2.	**Chandrika Prashad, Sub Inspector**	**(PMG)**
3.	**Dev Dutt, Head Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 09.05.2006 specific information was received that Tariq @ Bada Chana who is a close associate and sharp shooter of underworld don Chotta Shakeel of Dawood Ibrahim Gang and carries a reward of Rs.50,000/- as declared by Commissioner of Police, Delhi on his arrest, had gone towards Kaliyar Sharif on motorcycle bearing No.UP-12-B-2630 and would be returning any time. A joint team led by Shri Sanjeev Kumar Yadav, ACP/ Special Cell, S.O.G. Haridwar and local police of Roorkee laid a trap at Sonali River Bridge. At around 09.20 P.M., a motorcycle coming from other side of the bridge was noticed and rider was signaled to halt by ACP Sanjeev Kumar Yadav. In his bid to escape, the rider lost control and the bike skid. The rider abandoned the bike and started running towards right side in order to flee under the cover of darkness. ACP Sanjeev Kumar Yadav, positioned in front of the charge alongwith SI Chandrika Prashad, HC Dev Dutt and other team members, identified him to be same Tariq @ Bada Chana and challenged him to surrender while simultaneously giving him a chase. The escaping gangster instead whipped out firearm and opened indiscriminate fire on the trio. Despite total absence of any cover for safety, in order to prevent his escape and in self defence, ACP Sanjeev Kumar Yadav, SI Chandrika Prashad and HC Dev Dutt had to fire at the gangster. The exchange of fire ensued while, ACP Sanjeev Kumar Yadav, SI Chandrika Prashad and HC Dev Dutt being in the forefront and in direct line of fire without caring for their own lives. After the firing from the gangster's side stopped, ACP Sanjeev Kumar Yadav also directed fellow team

members to stop fire and carefully closed in to the gangster. Tariq was found lying injured while his .32 revolver was lying beside. Tariq was immediately removed to hospital where he was declared to be died. ACP Sanjeev Kumar Yadav, SI Chandrika Prashad and HC Dev Dutt fired 01 round, 02 rounds and 02 rounds from their service weapons respectively. A case vide FIR No.114/06 u/s 307/186/353 IPC, 25/27/54/59 Arms Act was registered at PS Kotwali Nagar Roorkee.

In this encounter S/Shri Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police, Chandrika Prashad, Sub Inspector and Dev Dutt, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 3rd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09-05-2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 168–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gagan Bhaskar,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

There was a spate of crime in the city. A gang of desperate robbers seemed to have become active who wreaked havoc on the streets of Delhi by looting cash, jewellery and other valuables as well as luxury vehicles such as Innova, Ford Fiesta, Tavera etc. from innocent people at gun point. After looting them they tied their hands and legs and dumped them in the backseat of the vehicle. They also looted luxury vehicles. They are so desperate and merciless that in the incident of P.S. Paschim Vihar they did not even spare a 4 years old kid who was held as a hostage before the entire family was looted and later thrown in the area of Nihal Vihar. Taking it up as a challenge, a special team with SI Gagan Bhaskar as the key member was formed. SI Gagan Bhaskar worked hard day and night for several days continuously to develop information about the highway robbers. SI Gagan Bhaskar personally scanned through the record of hundreds of active criminals of Delhi and adjoining areas having similar modus operandi. Coupled with this Herculean task, he deployed his own sources to identify and pin point the identity of the criminals on the basis of clues which he had gathered from the victims/complainants of all the robbery/car jacking incidents that had taken place in Delhi in Jan 2008. SI Gagan Bhaskar's painstaking, tireless and unceasing efforts bore fruits and he was finally able to develop specific information about the robbers on rampage. Surveillance and searching of each and every call of the suspects on the computers further corroborated the information about the desperados. On 28.1.2008 SI Gagan Bhaskar, laid a trap for the criminals about which specific information was received that the suspects would be coming to District park in the area of PS Paschim Vihar. At about 3 pm, one Toyota Innova in which 3 persons were sitting, was sighted coming from Peeragarhi. On seeing the vehicle, despite knowing that criminals are armed with deadly weapons, without any fear SI Gagan Bhaskar alerted the staff and signaled the oncoming vehicle to stop. On getting whiff of the police presence,

instead of stopping, the vehicle speeded up and swerved to one side in order to escape. Showing great presence of mind SI Gagan Bhaskar, immediately placed barricades and blocked the escaping vehicle. Finding no alternative, the car borne criminals got out of the vehicle with weapons in their hands warned the police team and started running in different directions leaving the vehicle behind. Despite the fact that the desperate criminals were carrying deadly weapons (fire arms and commando knives) and have warned the police officials and can shoot him, SI Gagan Bhaskar showing great courage without caring for his life, put his life in danger and chased the accused who was carrying a rifle in his hand. SI Gagan Bhaskar chased the criminal for about 100 meters and succeeded in apprehending the gang leader namely Rinku. After a scuffle with armed criminal SI Gagan Shaskar snatched his rifle and overpowered him at the risk of his life. The other two criminals were also nabbed. On sustained interrogation they cracked and confessed having committed a series of robberies/jacking in the city. The following recoveries were made :-

(i) One Rifle
(ii) One Country made pistol
(iii) Two Commando Knives
(iv) Two Toyota Innova Vehciles
(v) 1 Motorcycle Pulsar
(vi) 11 Mobile Phones
(vii) One gold Chain
(viii) Two Gold Rings
(ix) Two wrist Watches
(x) Bags, clothes, perfumes etc.

With the arrest of these dreaded criminals, 9 cases of robbery, kidnapping, theft have been worked out with recoveries of looted properties though they have disclosed committing 25 robberies in various parts of Delhi in the one month.

In this encounter Shri Gagan Bhaskar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28-01-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 169–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Har Gobinder Singh Dhaliwal,**
   Deputy Commissioner of Police
2. **Bhisham Singh,**
   Assistant Commissioner of Police
3. **Vijay Singh,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

During the month of August 2008, a team under the supervision of Shri H.G.S. Dhaliwal, IPS, Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi was continuously working to develop information and apprehend dreaded and desperate gangster Om Prakash @ Bunty wanted in some of the most sensational cases of murder, robbery and other heinous offences in Delhi, Haryana and Uttar Pradesh including the sensational double murder case of PS Amar Colony registered vide FIR No.248/08 dated 11.07.2008 u/s 302/34 IPC & 25 Arms Act, murder case of PS Defence Colony registered vide FIR No.217/08 dated 11.07.08 u/s 302/397/394/307/34 IPC & 25/27 Arms Act, murder case of PS Sangam Vihar registered vide FIR No.364/08 dated 05.07.08 u/s 302/34 IPC and attempt to murder case of PS Ambedkar Nagar registered vide FIR No.317/08 dated 12.07.08 u/s 307/34 IPC & 25/27/54/59 Arms Act. During the most active and desperate phase of their criminal careers dating back to more than a decade, the special team led by Shri H.G.S. Dhaliwal, DCP/South District, developed various informations. As a result of massive manhunt and extensive field investigation led the team to their hideout in Village Garhi Shedra, NOIDA, from where two motorcycles which were robbed from Sangam Vihar and Andrews Ganj after firing and killing were recovered alongwith some incriminating documents confirming their identities and involvements. Om Prakash @ Bunty was an active Bad Character of PS Sangam Vihar and was previously involved in 23 cases of murder, attempt to murder, robbery, Arms Act and theft, whereas Rajesh @ Panni was also involved in cases of Arms Act and attempt to murder. On 24.08.2008, a secret information was received

by Shri H.G.S. Dhaliwal, IPS, Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi that dreaded gangster Om Prakash @ Bunty alongwith Rajesh Sharma @ Panni had shifted to a new hideout in the area of Saurabh Vihar, Jaitpur Village, Badarpur, New Delhi. Mr. Dhaliwal immediately collected his special team, briefed them personally and developed further information on likely hideout. A special team led by Mr.H.G.S. Dhaliwal, DCP /South District was constituted to raid the premises. In the wee hours of 25.08.2008, the police team surrounded the hideout and exhorted the criminals to surrender. But instead they responded with indiscriminate firing. Mr. Dhaliwal ordered firing in self-defence and personally led the crack team from the front that broke open the door and entered the room while the cross-firing was still continuing. In the action, a bullet hit him on his mid-riff area which penetrated upper layer and got embedded in his Bullet Proof Jacket due to which his life was saved. The gangsters inside the hideout kept on firing for sometime even after the crack team had entered the room and it was only after a sustained gun battle that this dreaded gangsters could be neutralized. In such a do or die situation, it is to the credit of his indomitable courage, gallant action, dedication to duty and dynamic leadership that undeterred by continuous firing by the dreaded gangsters that Mr. Dhaliwal led his team from the front and broke into the hideout while the cross-firing was still continuing, regardless to his own safety to prevent loss of innocent lives as well as lives of his own team members. Mr. Dhaliwal fired three bullets during the cross firing and more serious injuries could be prevented to the police party due to controlled retaliatory firing of Mr. Dhaliwal and his team. On search of the hideout, Om Prakash @ Bunty — the dreaded gangster of National Capital Region Delhi- and Rajesh Sharma @ Panni — the ruthless sharp shooter- were found lying in a critical condition due to bullet wounds and were later declared "Dead on Arrival" at All India Institute of Medical Sciences. Both the gangsters carried a reward of Rs.50,000/- each on their head, declared by the Commissioner of Police, Delhi and Non-Bailable Warrants against the gangsters were issued by different courts. 3 automatic .9 mm pistols (2 made in USA and 1 made in China), 4 country made pistols (.313 bore), 2 knives, 1 Khukri, 4 extra empty magazines of .9 mm pistol and 22 live cartridges were recovered.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

Mr. H.G.S. Dhaliwal, IPS, DCP/South District: On 24.08.2008, a secret information was received by Shri H.G.S. Dhaliwal, IPS, Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi that dreaded gangster Om Prakash @ Bunty alongwith Rajesh Sharma @ Panni had shifted to a new hideout in the area of Saurabh Vihar, Jaitpur Village, Badarpur, New Delhi. Mr. Dhaliwal immediately collected his special team, briefed them personally and developed further information on likely hideout. A special team led by Mr.H.G.S. Dhaliwal, DCP /South District was constituted to raid the premises. In the wee hours of 25.08.2008, the police team surrounded the hideout and exhorted the criminals to surrender. But instead they responded with indiscriminate firing. Mr. Dhaliwal ordered firing in

self-defence and personally led the crack team from the front that broke open the door and entered the room while the cross-firing was still continuing. In the action, a bullet hit him on his mid-riff area which penetrated upper layer and got embedded in his Bullet Proof Jacket due to which his life was saved. The gangsters inside the hideout kept on firing for sometime even after the crack team had entered the room and it was only after a sustained gun battle that the dreaded gangsters could be neutralized. In such a do or die situation, it is to the credit of his indomitable courage, gallant action, dedication to duty and dynamic leadership that undeterred by continuous firing by the dreaded gangsters that Mr. Dhaliwal led his team from the front and broke into the hideout while the cross-firing was still continuing, regardless to his own safety to prevent loss of innocent lives as well as lives of his own team members. Mr. Dhaliwal fired three bullets during the cross firing and more serious injuries could be prevented to the police party due to controlled retaliatory firing of Mr. Dhaliwal and his team.

ACP Bhisham Singh: Mr. Bhisham Singh, ACP/Sarita Vihar was instrumental in developing information about the hideout. Moreover, when the team reached and surrounded the hideout at Saurabh Vihar, Jaitpur Village, Badarpur, New Delhi where the gangsters were hiding, ACP Bhisham Singh took the initiative and when with the help of other two members he broke open the doors he was completely exposed to any attack by the gangsters. The dreaded duo were still firing when he entered the flat and his own life was at substantial risk. The gangsters were firing indiscriminately and the police party had also been retaliating the fire in self-defence when he entered the hideout. During the shootout, ACP Bhisham Singh fired at the gangsters and engaged them. His timely action while putting his own life at risk had a vital role in eliminating the gangsters and saving the lives of fellow team members.

Inspector Vijay Singh: During the shootout with the interstate gangsters when Inspector Vijay Singh entered the flat, the gangsters were still running around and firing in different directions. The police party was also firing in retaliation. Without caring for his life, Inspector Vijay Singh ran through volley of fire and bravely confronted the gangsters. The daring officer exhibited utmost courage put his own life at risk while entering the hideout at the time of Action. It was his timely action which helped in saving many lives of the police party and was instrumental in eliminating the gangsters.

In this encounter S/Shri Har 'Gobinder Singh Dhaliwal, Deputy Commissioner of Police, Bhisham Singh, Assistant Commissioner of Police and Vijay Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25-08-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

64—391 GI/2009

No. 170–Pres/2009- The President is pleased to award the 4th Bar to Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police**	**(4th Bar to PMG)**
2.	**Dharmender Kumar, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Balwant Singh, Head Constable**	**(PMG)**
4.	**Rajbir Singh, Head Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 13.09.2008, the serial blast incidents were reported at Gaffar Market, Karol Bagh, Central Park, Connaught Place, Barakhamba Road and Greater Kailash, Delhi. Three bombs were diffused, one at Regal Cinema, one at Central Park, Connaught Place and one at Children's Park, India Gate, Delhi. 26 people died and 133 got injured in above blast incidents. The investigation of one of the blast case vide FIR No. 166/08 dated 13.09.08 U/s 302/323/121/34-IPC, 3/4/5-Explosive Substances Act, 10/12/13-Unlawful Activities (P) Act P.S. Karol Bagh Delhi was transferred to Special Cell/NDR. A special team was constituted in the Special Cell of Delhi Police, which is the counter-terrorism unit of the capital's police force, to investigate the cases and bring the culprits to book. After analysis of data and inputs received from intelligence agency led them to the area of Batla House in Jamia Nagar of Delhi where the suspected module was holed up in one of the flats.

On 19.09.2008, a team headed by Inspector Mohan Chand Sharma, first went to the place to apprehend the accused. A backup team was stationed at ground floor. Inspector Mohan Chand Sharma, who was heading the first team, directed SI Dharmender to go into flat No. 108 in the garb of an executive of one of the mobile service providers with the express purpose of fixing the identity of the user of mobile number 9811004309. SI Dharmender first went upstairs on the top floor flat

No. 108 of L-18, Batla House. He heard couple of voices in the apartment and decided to come back to inform Inspector Mohan Chand Sharma who then decided to go together to check the inmates in the apartment. A seven member team including Inspector Mohan Chand Sharma, SI Rahul Kumar, SI Dharmender Kumar, SI Ravinder Tyagi, HC Balwant, HC Satender and HC Udaibeer went to the top floor of this building, where this flat No. 108 was located. Inspector Mohan Chand Sharma knocked the front door and asked them to open the door, informing them of their being police personnel. Nobody opened the door. He then tried to push the door but it was found bolted from inside. He then pushed the other door which was not found bolted from inside and the team led by Inspector Mohan Chand Sharma entered the flat through this door. Immediately, a volley of fire came on the police team from the right side of the drawing room as well as the left side room of the apartment. Insp Mohan Chand Sharma, SI Rahul Kumar, SI Ravinder Tyagi, HC Balwant also fired back in self defence and with a view to apprehend the militants as they were trapped between the fires of militants coming from both sides. The militants were firing from sophisticated fire arms. During shootout Insp Mohan Chand Sharma sustained bullet injuries and he fell down, then SI Dharmender shown exemplary courage and picked up the official pistol of injured Insp Mohan Chand Sharama and he along with SI Rahul Kumar and HC Balwant bravely confronted the militants present in the drawing room. While returning fire, they were in the direct firing line of the militants and had no cover for their safety. It was a very close range firing. SI Ravinder Tyagi was in front of the militant who was firing from left side room. SI Ravinder Tyagi bravely confronted that militant in self defence. During shootout one of bullet fired by militants hit HC Balwant in his right hand and his pistol fell down but by collecting all of his strength, he picked up pistol from his left hand in order to avoid it's going in to the hands of militants. During the gunfight with militants, after injury to Insp Mohan Chand Sharma, SI Rahul Kumar led the team right from the front and confronted the hail of fire of the militants. SI Rahul Kumar faced the militants head on and also directed his team members to immediately remove the injured Insp Mohan Chand Sharma and HC Balwant to the hospital. During shootout one of the militants later identified as Mohd Atif Ameen @ Bashir sustained bullet injuries while two militants later identified as Ariz @ Junaid & Shahbaz @ Pappu managed to escape from the spot while firing at the police party. Inspector Mohan Chand Sharma and HC Balwant Singh were sent to hospitals through SI Dharmender and HC Udaibeer. Some militants were still hiding in the left side room. Their escape was blocked by SI Rahul Kumar, SI Ravinder Tyagi and HC Satender. In the mean time the back-up team, headed by ACP Sanjeev Kumar Yadav including HC Rajbir Singh, equipped with bullet proof-jackets and arms also reached in the flat. SI Rahul who was already present there informed ACP Sanjeev Kumar Yadav about the incident and also told about the other militants, who had fired at police party, are hiding in the left side room. ACP Shri Sanjeev Kumar Yadav asked the militants, hiding in left

side room to surrender before police party but they did not respond. Then ACP Sh Sanjeev Kumar Yadav and HC Rajbir Singh bravely tried to enter in that room to apprehend the militants but one of them moved towards the door of the balcony simultaneously firing at the police team. ACP Sh Sanjeev Kumar Yadav was in the direct line of fire of the militant and one of the fired bullets passed close to daredevil ACP. Shri Sanjeev Kumar Yadav immediately retaliated in self defence. The militant continued firing upon police party to escape and causing casualty and two of the fired bullets hit HC Rajbir in the chest but he was saved because of bullet proof jacket being worn by him. HC Rajbir immediately retaliated with his AK 47 assault rifle in self defence. ACP Sh Sanjeev Kumar Yadav with acute presence of mind, sense of valour and firm determination neutralized the dreaded militant. In the cross fire by the back-up team, militant Mohd Sajid @ Pankaj sustained injuries whereas another militant identified as Mohd Saif @ Rahul Sharma surrendered before the police party. Both the injured militants Mohd Atif Ameen and Mohd Sajid were removed to Hospital and they were declared brought dead at AIIMS Hospital. Inspector Mohan Chand Sharma later succumbed to his injuries at the hospital the same day. One AK series assault rifle with 2 magazines loaded with 30 rounds each and two pistols of .30 calibre were recovered from the militants. One militant namely Mohd. Saif r/o Azamgarh, UP was also apprehended from flat No. 108, L-18 Batla House, Jamia Nagar, Delhi. During interrogation, Mohd Saif admitted his involvement in serial blasts at Delhi, Ahmedabad, Jaipur and other parts of India. On a cursory search of the flat, 2 laptops, mobile phones, pen drive, internet data card, compact Disks, Digital video cassettes, broken SIMs, SIM card of various companies, cycle ball bearing, incriminating documents related to jihad etc were recovered.

The information about involvements of these outfit members were shared with Central Intelligence Agencies, Rajasthan, Mumbai, Gujarat, Uttar Pradesh and other State police. In the recent serial blasts, five accused persons have been arrested by Delhi Police and twenty accused persons have been arrested by Maharashtra police and one by UP Police. During their interrogation, all of them have corroborated the disclosures of accused persons arrested by Delhi Police. It was due to the grand valour and exemplary courage shown by ACP Sh Sanjeev Kumar Yadav, SI Rahul Kuamr, SI Dharmender, SI Ravinder Tyagi, HC Balwant and HC Rajbir that two militants were neutralised in the shoot out, one was apprehended alive and the entire module of the terrorist out fit Indian Mujahideen was busted. Undeterred and unfazed, ACP Sh Sanjeev Kumar Vadav fired 2 rounds, SI Rahul Kumar fired 5 rounds, SI Ravinder Tyagi fired 4 rounds, HC Balwant fired 2 rounds from their official pistols, SI Dharmender fired 2 rounds from the official pistol of Insp Mohan Chand Sharma and HC Rajbir fired 3 rounds from his official AK-47 and all played a vital role in eliminating the militants.

In this encounter S/Shri Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police, Dharmender Kumar, Sub Inspector, Balwant Singh, Head Constable and Rajbir Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 4th Bar to Police Medal/1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-09-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 171–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gagan Bhaskar,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

With brilliant gallant work, SI GAGAN BHASKAR cracked a sensational case of kidnapping for ransom of a minor school girl and arrested 5 kidnappers and recovered the girl. On 8.3.08, in broad day light, a minor school girl named Kritika D/o Sh. Rajeev Walia aged 14 years was kidnapped near her house while she was going to the market at Virender Nagar, Hari Nagar, New Delhi area by a gang of 5 accused persons. After kidnapping the innocent girl the kidnappers made ransom call and demanded Rs. 50 Lacs from the parents of the kidnapped girl for her safe release. The matter was reported to the police and on the statement of Sh. Omprakash Walia, grandfather of the victim a case vide FIR No. 92/08 u/s 364A IPC was registered in PS Hari Nagar. Since it was a very sensitive case as the life of a minor girl was in danger the police took extra precautions to ensure that no harm is caused to the minor girl. SI Gagan Bhaskar showed highest level to professionalism and developed important clues on the basis of local enquiry and technical surveillance. The SI was able to narrow down the location of the criminals on the run and laid a trap on Vasant Kunj Road near Mahipal Pur Red Light. At about 5 am on 10/03/08, as soon as the suspect vehicle (a White Lancer) was sighted going towards Vasant Kunj from Mahipal Pur Red Light, in a swift action, the SI Gagan Bhaskar with police team surrounded it. Sensing police presence, the kidnappers tried to run away. Showing great courage SI Gagan Bhaskar, put his life in danger and pounced on the vehicle to apprehend the criminal and recover the kidnapped girl. In the melee that ensued accused persons tried to flee in the lancer car they attempted to crushing SI Gagan Bhaskar under the wheels of the car, despite this he in a valiant effort without carrying of his life hung on to the escaping

vehicle for almost 20 to 25 meters and were finally able to stop the vehicle. With his great effort not only he was able to finally nab 5 kidnappers but also recovered the victim who was inside the Lancer vehicle. In this brave act made for safe recovery of a minor kidnapped girl, SI Gagan Bhaskar could have been crushed under the wheels of car and lost his life but he did not care for his life and his courageous efforts bore fruits and the SI succeeded in arresting all the gang members and safely recovered the minor girl.

In this encounter Shri Gagan Bhaskar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-03-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 172–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gite Shridhar Mahipati,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

During the night intervening 18 and 19 October 2008, Ct Shridhar while performing patrolling duties of his beat in the area of Khichri Pur Delhi, he intercepted three motor cycle borne persons for checking, during the process one of them fired three bullets at him due to which he sustained critical injuries, but Ct. Shridhar, valiantly fired back at the assailants with his service pistol. Subsequently one of the assailants was found to have sustained one bullet injury as a result of the fire opened by Ct Shridhar. All the accused were later arrested. All these accused are hardened criminals having a number of cases ranging from murder, attempt to murder, house breaking etc.

The aforesaid heroic act of Ct. Shridhar single handedly intercepting and challenging three desperate and hardened criminals reflect his extreme sense of devotion to duty despite a grave risk to his own life.

In this encounter Shri Gite Shridhar Mahipati, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-10-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 173–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Man Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

An information was received in Special Cell/NDR, during the month of December, 2006, that a notorious and desperate interstate gangster Kamal Mehta S/o Inderjeet R/o 195/200, Bharat Nagar, Delhi involved in several cases of murder, attempt to murder, robbery, kidnapping for ransom etc. was trying to set up base in Delhi for carrying out his criminal activities. He was carrying a reward of Rs.15,000/- from Haryana on his arrest. Informers were deployed to develop information about his whereabouts and surveillance was mounted to watch his movements and activities. On 22.12.2006 at about 5.30 pm, specific information was received that Kamal Mehta would come to Nangloi via Narela-Kanjhawala, on a blue colour Bajaj Chetak Scooter to meet his contact between 8 pm to 9 pm. This information was recorded in Daily Diary register. A team under the leadership of Shri Sanjeev Kumar Yadav, ACP consisting of Inspector S.K.Giri, Inspector Manoj Dixit, SI Abhay Narain Yadav, Constable Man Singh and other staff of Special Cell reached near Sir Chhotu Ram polytechnic institute, village Ghewra Road at 7.40 PM. Keeping in view the information the raiding party was divided into two teams, team No. 1 lead by Inspector Majoj Dixit took its position in front of Sir Chhotu Ram Polytechnic Institute, on road going toward Ghewra, Team No.2 which includes ACP Shri Sanjeev Kumar Yadav, Inspector S K Giri, SI Abhay Narain Yadav and Constable Man Singh, took its position on the south side about 200 meters away from Sir Chhotu Ram Polytechnic Institute, on road going toward Ghewra. At about 8.10 pm Inspector Manoj Dixit informed Team No.2 that, Scooter as per the information Blue colour has been seen and is going towards Nangloi. The scooter is bearing No.DL-6S-P-9783. Attempts were made by SI Abhay Narain Yadav and Constable Man Singh to stop this scooter but the rider instead speeded up. On information Govt. Qualis was placed in between the road by team No. 2 whose flash light was on, to block the vehicle. The scooter was speedily coming towards team No.2. In the meantime the scooterist was identified to be Kamal Mehta. Police team disclosed its identity and asked him to surrender instead,

he left the scooter on the road and started firing in a bid to escape. He started running towards the fields in east side, on this SI Abhay Narain Yadav and Constable Man Singh chased him. Kamal Mehta kept firing upon the police party indiscriminately. In order to apprehend the dreaded gangster and for self defence SI Abhay Narain Yadav and Constable Man Singh also fired from their service pistols. In the ensuing encounter criminal Kamal Mehta got injured and fell down. He was moved to the hospital through PCR where he was declared brought dead. A case was registered under appropriate sections of law in this regard at PS Kanjhawala, Delhi. The following recoveries were made from the site of encounter:-

(i) One Colt Automatic Pistol, 455 calibers pistol.
(ii) One Fired Cartridge and three live cartridges of the gangster
(iii) One Bajaj Chetak Scooter NO.DL-6S-P-9783.

Role played by Constable Man Singh

On 22.12.2006 Constable Man Singh and SI Abhay Narain Yadav alongwith other team members, took their position on road going toward Ghewra, near Sir Chhotu Ram polytechnic institute, to apprehend the dreaded gangster Kamal Mehta. When Scooter was seen coming, the rider was asked to surrender after being identified to be Kamal Mehta. But he left the scooter and fled in the fields firing upon the police simultaneously. Constable Man Singh and SI Abhay Narain Yadav chased the gangster in the fields to apprehend him besides being in the line of fire. In order to apprehend the dreaded gangster and for self defence Constable Man Singh and SI Abhay Narain Yadav also fired from their service pistols.

In this encounter Shri Man Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22-12-2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

66—391 GI/2009

No. 174–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Tripura Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sahit Debbarma,**
   Naik
2. **Babul Choudhury,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 19.08.2008 at about 0800 hrs on the basis of a secret information that a NLFT group of extremists in civil dress with sophisticated weapons and grenades had intruded from Bangladesh and subsequently seen at some unknown jhum hut in some remote area of Thalik para under Kanchanpur PS (North Tripura) , party commander Nb/Sub (GD) Swapan Kr. Paul along with 16 other at once planned out operational strategy for setting out action against the group from indulging in any nefarious act of any sort upon the land and the people. Strategically party was divided into two groups and after a clear and precise briefing they set out quickly for action against the dreaded extremists of NLFT group which had already been declared banned by Government. After moving through deep jungles aid difficult terrain for about 01 hrs 45 minutes they reached Thalikpara and moved further towards interior jhum hut. On nearing acme unknown location our patty Commander noticed one girl nearing 14 to 15 years who perhaps was caning from interior jhum hut areas to a water point to collect water suddenly turning back and heeding toward another direction. Our party commander suspected some abnormality and alerted the team to quickly nab the girl to collect information of the interior jhum locations. The girl disclosed some information on the basis of which our party commander advanced the group in two different directions strategically suspecting the hiding place to be nearby. As one party led by Hav(GD) Gangamanik Debbanna strategically advanced for some distance, he noticed an isolated jhum hut down in a comparatively distant location in which a person could be seen washing his hand. Hav (GD) Gangamnaik noticed the dress of the person (though civil in uniform) was somewhat not as usual dress worn by local people of the area. It struck his mind that they might not be of the locality and perhaps the intruders. He alerted his group to take position and cordoned the area gradually. He surveyed the

area and advance 05 Jawan down along the probable escaping passage leading to a cherra as stop party. No.97040602 NK (GD) Sahit Debbarma, No.97040929 NK (GD) Babul Choudhury, at once took position and moved by crawling down the difficult slope to advance forward keeping their presence unnoticed. The other member moved strategically to cordon the area. Suspecting danger two persons from jumped out from jhum hut and hurled 02 grenades subsequently upon our party who were by that time very close to the jhum hut. Party of NK (GD) Sahit Debbarma in quick response dived from their positions to escape successive grenade attacks. Subsequently firing stated from a distance tickri location from another end of jhum hut in random manner upon our party. Our party in retaliation fired in the direction in which the extremists were haphazardly firing and started advancing. In the midst of random firing our party advanced even forgetting the value of their own lives to any how nab the extremists. The stop party crawled very near to the jhum hut on even being randomly fired upon and managed to capture one extremist. The firing continued for about 15 minutes and ultimately by the offensive attack of our party under the able leadership of party commander, the extremists' party had to move back and flee away. The Police party even chased them through the difficult terrain, but could not nab others as they could escape taking advantage of jungle and their position and terrain. However, on thorough search, our party recovered dead body of an extremist and another extremist seriously injured and profusely bleeding. Our party showing true valour immediately arranged to carry the injured ffrom medical aid but the injured died after few minutes.

In this encounter S/Shri Sahit Debbarma, Naik and Babul Choudhury, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-08-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 175–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Tripura Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bhakta Bindu Jamatia,
Naib Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 18th August, 2008 morning Havilder (GD) Rajesh Debbarma of SOG pln. received information through his own source that a group of ATTF extremist under the leadership of 55 Sgt. Major of ATTF namely Pusparam Jamatia(30) @ Nakbar/Naithakrai was seen moving the village Bargachia under Sidhai P.S. They were six in numbers out of which five were in OG dress and one in civies. All of them carried automatic weapon. The- information was verified from different angle and confirmation obtained. The exact place of stay of the extremists was also obtained. On the basis of this information it was decided to launch a Raid immediately in the suspected place. The ops party of SOG pln of 2nd Bn. TSR led by Nb/Sub(GD) Bhakta Bindu Jamatia went off Chachu post at 0830 hrs. on 18.08.2008. The operation party proceeded bound by bound right from Chachu and maintained full element of surprise. The RV point was fixed at Khamper from where they were divided into two groups. The assault party was led by Hav. Rajesh Debbarma and the cut off party by Nb/Sub Bhakta Bindu Jamatia. The assault group (search party) led by Hav. Rajesh Debbarma took left turn from RV point and pursued jungle route with a view to attacking the place of stay of armed militants from the north-east side jungle. The cut off party pursued the tilla route and planned to deploy them in two parts to put effective stoppage to -the fleeing extremists in the eastern side of the village. As the assault group reached half of their way they sighted the ATTF group of six, five in OG dress and one in civies approaching the jungle area from the paddy field with the purpose of taking the jungle track leading to Daikhola village. All the militants were carrying weapon. The area was covered by thick undergrowth and no proper cover was also available. On being alerted the assault group members took position immediately camouflaging them in the bushes. Havildar Rajesh Debbarma was in the front and took position on the right side slopes of the track. The other members positioned in a comparatively high areas and have clear vision of the track leading from the paddy field. As the ATTF members reached within 10 yards from Hay. Rajesh Debbarma the exchange of fire took place. The field of fire was not very clear as the—'assault group found no time to proceed further down to take the advantage of the paddy field to use as good killing ground. Hav. Rajesh Debbarma instantly fired from his AK — 47 Rifles and hit the number one in ATTF group. The other members of the group were not within the visibility of Hav. Rajesh Debbarma. The other members of the assault group opened coverage fire and prevented the militants to cause any harm to Hav. Rajesh Debbarma and EF Jagat Kumar Jamatia. By the time Havilder(GD) Rajesh

Debbarma could fire again the militants could reach down step and in the process fired indiscriminately from their AK-66 Rifles upon the ops party. The extremist group also thrown hand grenade which blasted within a distance of 20 yards of the assault group. The exchange of fire continued for 25 minutes. The assault group members then slowed down through the right flank and found that one dead body of the militant was lying with his automatic weapon beside. The members of the ATTF group fled towards north-west side where they were encountered by the cut off group led by Nb/Sub(GD) Bhakta Bindu Jamatia. The exchange of fire with the cut off group took place before they could reach their last point of laying of stop. They could be able to hit another extremist forcing him to leave his AK-66 Rifle with one magazine and 20 round ammunition. The extremists fired from their AK 66 rifles about 200 rounds and one hand grenade while the ops party fired 263 rounds. The ops party carried out thorough search after stopping of fire covering both the place of encounter and one bullet ridden dead-body of ATTF extremist in OG dress was found in the first place of encounter. The dead-body was identified as of : SS Sgt. Major of ATTF Pusparam Jamatia (30) @ Nakbar/Naithakrai S/o Late Bir Bahadur Jamatia Vill. Doluma ADC Colony, PS. Birganj South Tripura District (a listed ATTF extremist vide 51.22 of the list of SP(SB),Tripura against Birganj PS.)

The following arms and ammunition and incriminating documents were recovered from the P.O.

1. AK-66 Rifle -02(two) No. (Body No.10101297)& No. 9007345)
2. AK-66 Rifle Magazine -03(three) nos.
3. AK-66 Rifle Ammunition -36(thirty six) round
4. Cash -Rs.7300/-(Rupees seven thousand three Hundred
5. Pitto 01 (onc) no.
6. ATTF Subscription pad-01 (one) no.
7. Diary-03 (three) no.
8. Photograph-02 (two) no
9. Mosquito net 01 (one) no.
10. Polythene sheet -01 (one) no.
11. Civil shirt-01 (one) no.
12. Mobile sim card-01 (one) no.

This was indeed a case of exemplary bravery and a gallant act on the part of the SOG platoon of 2nd Pln. TSR. A quick and tactical action has yielded the spectacular achievement in the fight against ATTF insurgent group. Killing of the leader of the extremist group and recovery of Arms and ammunition gave a serious set back for the insurgents and boost up the morale of the operating troops. Special mention needs to be made about party commander Naib Subedar Bhakta Bindu Jamatia and Hav (GD) Rajesh Debbarma who has gallantly fought by risking his own life.

In this encounter Shri Bhakta Bindu Jamatia, Naib Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18-08-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 176–Pres/2009- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Amitabh Yash, Senior Superintendent of Police**	**(2nd Bar to PMG)**
2.	**Anant Deo, Additional Superintendent of Police**	**(2nd Bar to PMG)**
3.	**Hrishikesh Yadav, Inspector**	**(PMG)**
4.	**Anil Kumar Singh, Inspector**	**(PMG)**
5.	**Vimal kumar Singh, Sub Inspector**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Shri Amitabh Yash, SSP STF and his team consisting of Shri Anant Deo Addl.S.P., Shri Anil Kumar Singh Inspector, Shri Hrishikesh Yadav, Inspector, Shri Vimal Kumar Singh, SI CP along with other policemen were camping at Shivrampur P.S. Karvi. They had orders to bring the notorious dacoits Thokia @ Ambika and his Gang to justice. The Govt. of U.P. had declared a reward of Rs. Five lakhs on him and Govt. of M.P. had also declared a reward of Rs. one Lakh. Information about the movement, supporters of the gang and its network was collected with the help of human intelligence and electronic surveillance regularly for more than one year. As a result of this meticulous exercise information about the precise location of the gang was brought to the team by an informer, at 00.15 on 04.08.2008 he informed about the presence of 20 members, all armed with automatic and other sophisticated weapons. The team moved towards the location, concealing their movement by taking advantage of undulating ravines and managed to make contact with the gang near the well where they had taken shelter. On being asked to surrender, the gang replied with abuses and gunfire. The dacoits were located at a tactically superior position and they could direct effective fire on the STF team. Despite grave danger to their lives, Shri Amitabh Yash SSP, Shri Anant Deo, Addl. S.P., moving ahead, decided to crawl towards the location of the gang.

Anil Singh, Hrishikesh Yadav and Vimal Singh also moved closer by crawling towards the gang which was firing heavily at them. On reaching near, the police team also fired back breaking the resistance of gang which fled using cover of the darkness, wet undulating ground and thick bushes. A careful search of area led to the finding of a dead boy of Thokia @ Ambika @ Doctor the gang leader. The following recoveries were made from the encounter site:-

1. One AK series rifle, 48 live cartridges and 11 empty shells of AK series.
2. One DBBL, 12 bore gun Factory made, 24 live cartridges and 08 empty shells of 12 bore.
3. Two SBBL, 12 bore gun Factory made.

In this encounter S/Shri Amitabh Yash, Senior Superintendent of Police, Anant Deo, Additional Superintendent of Police, Hrishikesh Yadav, Inspector, Anil Kumar Singh, Inspector and Vimal kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-08-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 177–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Yatindra Sharma,**
   Sub Inspector
2. **Omveer Singh Chauhan,**
   Sub Inspector
3. **Shivendra Singh Sengar,**
   Head Constable
4. **Rakesh Kumar Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

At about 0430 hrs on 19 December 2007, Shri Yatindra Sharma, SI of U.P., STF received information that the notorious dacoit Anoop Singh Gurjar and his gang will be moving towards the Kalpi forest along the bank of the river Yamuna to commit some heinous crime. Without losing time or waiting for reinforcements, SI Yatindra, SI, Omvir, HC Shivendra and Ct. Rakesh reached the ravines on the bank of river Yamuna at Sherghat. The Police Party was armed with an AK 47 rifle and

pistols each. As they moved ahead of a temple, they heard footsteps and saw someone lighting a bidi. On seeing with the help of a Night Vision Device, three persons carrying guns on their shoulders were clearly visible. Inspite of being very few in number, the team decided to crawl close to the gang and challenge them in order to arrest them as such opportunities are rare. However on being asked to surrender the dacoits replied with a volley of accurate firing on the police men. Left with no option, the STF team opened controlled fire on the gang in self defence. Despite grave danger to there lives the brave police men crawled forward firing in self defence in order to overpower the gang of dacoits. After some time, firing from the gang stopped and sounds of people jumping into the river were heard. On closer inspection, one dacoit was found lying dead. He was identified as the **dreaded and notorious dacoit Anoop Gurjar** on whom the government of UP had declared cash reward of Rs.20000/- and the government of MP a cash reward of Rs.25000/-. The following recoveries were made from the site of encounter:-

(i) One country made rifle 315 bore (ii) 21 live cartridge
(iii) 6 empty shells of 315 bore (iv) one CMP 315 bore.

In this encounter S/Shri Yatindra Sharma, Sub Inspector, Omveer Singh Chauhan, Sub Inspector, Shivendra Singh Sengar, Head Constable and Rakesh Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-12-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 178–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rajeev Krishna, Senior Superintendent of Police** — **(1st Bar to PMG)**
2. **Rakesh Kumar Pandey, Deputy Superintendent of Police** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Information was received on 9th October around 1415 hrs, that some criminals have entered the residence of Sh Ravi Gogar and after taking the inmates hostage are committing dacoity there. It was also informed that the criminals have fired on the police party in which a police SI has received gunshot injuries. SSP Rajeev Krishna immediately instructed police officers to reach and cordon off the area and also called for Bullet Proof jackets from the lines. At around 1430 Rajeev Krishna reached on the spot, where an excited crowd of around 3-4 thousand had gathered. There was a very real threat of members of public being injured by the intermittent firing. Rajeev Krishna then SSP Agra after assessing the situation positioned stopper parties and deployed men on surrounding high rise buildings and deputed some officers to control the crowd. Rajeev Krishna then himself led the raiding party into the residence braving the intermittent fire which was coming from there. The officers neither knew the strength, position or firepower of the criminals, who were holding the inmates hostage. The team led by Rajeev Krishna entered the residence, taking due precautions and freed the tied inmates from a room on the ground floor. They were told that some of the criminals had escaped in the initial confusion and probably two were on the first floor. SSP Rajeev Krishna led the team to the first floor and challenged the dacoits. One of the criminals retaliated by firing at him injuring him in the ankle. Undeterred he again challenged him, but when he saw the criminal loading his CMP and preparing to fire with it again, Rajeev Krishna fired two rounds from his service pistol in self defense, with SI Shyam Sunder giving covering fire. Almost simultaneously the second criminal fired at the police party from the adjoining bathroom. At this CO/Dy. S.P. Rakesh Kumar Pandey fired back with SHO Rakabganj and SHO New Agra giving cover fire. Both criminals were shot down in this daring encounter in which Sri Rajeev Krishna. and Sri Rakesh Kumar Pandey risked there lives. The following recoveries were made from the site of encounter:-

(i) Three CMP .315 bore, 23 spent cartridges, 17 live cartridges & 02 missed cartridges.

(ii) One knife, robbed amount Rs.3600, gold chain with locket and ear tops, One Mobile phone and Maruti Van.

In this encounter S/Shri Rajeev Krishna, Senior Superintendent of Police and Rakesh Kumar Pandey, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09-10-2005.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 179–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Krishna Kumar Tirkey, (Posthumously)**
   Rifleman
2. **Pagar Pandharinath Bhaskar, (Posthumously)**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

(Late) Rifleman/General Duty Krishna Kumar Tirkey and (Late) Rifleman/General Duty Pagar Pandharinath Bhaskar were performing the duties of the driver of the leading TATA 407 vehicle and LMG No.2 respectively of water escort convoy of Hollengjang post of 6 Assam Rifles. On 01 May 2008, when the water escort convoy was approaching the water point i.e. nearly 500 mtrs short of village Phaiphankot (RR 5098) the leading vehicle, which (Late) Rifleman/General Duty Krishna Kumar Tirkey was driving and in which (Late) Rifleman/General Duty Pagar Pandharinath Bhaskar was LMG-2 came under intense Rocket Propelled Grenade and automatic small arms fire from a distance of about 50 meters. In this fire six persons in the vehicle were injured including (Late) Rifleman/ General Duty Krishna Kumar Tirkey and (Late) Rifleman/General Duty Pagar Pandharinath Bhaskar. (Late) Rifleman/General Duty Krishna Kumar Tirkey, in spite of being grievously wounded, continued to drive the vehicle past the militants and got hit by more bullets. In the process he was able to get the vehicle out of the killing ground of the ambush. In a similar gallant action (Late) Rifleman/General Duty Pagar Pandharinath Bhaskar despite being wounded continued to bring effective fire on the militants thereby preventing further loss of life of his comrades.

In this encounter S/Shri (Late) Krishna Kumar Tirkey, Rifleman and Pagar Pandharinath Bhaskar, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01-05-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 180–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Chandra Mohan R,
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04 February 2009, during search and destroy operations at Kangchup Makhom village, RM 2593 two People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) cadres were killed. A stay behind party was deployed in ambush on appreciated routes at GR 256932 with effect from 1745 hours. At approximately around 1845 hours the party observed two persons approaching the village in a suspicious manner. As soon as the individual closed in and on being challenged they fired at own party and jumped towards nala in an attempt to escape taking advantage of the darkness and thick foliage. Realising that the undergrounds are escaping Havildar (General Duty) Chandra Mohan without caring for personal safety and taking extreme risk to his own life, charged on the fleeing militants and took position in the open ground and shot dead one cadre of PREPAK. The following recoveries were made at the site of gallant action : -

a) Pistol pt 32 mm (one) b) Live rounds of pt 32 mm Pistol (Three)

In this encounter Shri Chandra Mohan R., Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04-02-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 181–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **V L K Vaiphei,**
   Assistant Commandant
2. **Santanu Boruah,**
   Constable
3. **Ashim Dutta,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 7th April, 2008, CI Post Thaujari of 145 Bn BSF received a reliable information regarding presence of armed militants in the general area of Langkhulla/Desmaihadi and Purangra village. The village is located inside the forest and fully habited by Dimasa Tribes of Assam. In order to ascertain the veracity of the information, Shri V L K Vaiphei, Assistant Commandant/Coy Commander immediately activated the local sources and confirmed the presence of militants in a house located in village Dismaihadi, District N C Hills, Assam. He immediately worked out a comprehensive ops plan and took a strong ops party comprising of 1 SO and 24 Other Ranks. After proper briefing, at about 070500 hrs, the party moved by road up to Langkhulla bridge and from there the party moved in tactical column towards Desmaihadi village from North-East direction. On reaching the outer periphery of the village, the ops party was divided into four groups and allotted specific task and they started cordoning the village. Shri V L K Vaiphei, Assistant commandant took Constable Santanu Boruah and Constable Ashim Dutta with him. The trio in tactical position moved courageously towards the suspected hutments. From a short distance, Shri V L K Vaiphei noticed the movements of armed militants and immediately alerted his buddy, Constable Santanu Boruah and Constable Ashim Dutta. The trio in a quick reflex cocked their rifles and moved towards hutments. On seeing this, the militants who were already hiding in the hutments resorted to heavy volume of fire on BSF personnel. As Shri V L K Vaiphei was leading the party from the front, he did not lose his nerves and retaliated the militant's fire by displaying exemplary courage and high degree of professionalism. He simultaneously directed Constable Santanu Boruah and Constable Ashim Dutta to use the available cover. The duo immediately rolled towards different direction and took crawling position and effectively retaliated the militant's fire. Amidst heavy fire, the trio with utter disregards to their personal safety and lives exposed themselves towards the militant's fire to find out their exact location to eliminate them. By doing so, the trio had narrowly escaped from being hit by militant's fire. Shri V L K Vaiphei who was leading from the front

identified the location from where the militants were firing on the party. As Shri V L K Vaiphei was very close to the militants under cover of an earth cutting and was retaliating the fire, his further movement towards militant's position was not possible, so he decided to take position and provide covering fire and directed Constable Santanu Boruah and Constable Ashim Dutta to crawl forward and engage the militants by effective fire. On this Constable Santanu Boruah and Constable Ashim Dutta courageously ran towards the earth cutting available at the front side of the hutment and took position under the covering fire given by Shri V L K Vaiphei. Undeterred by the heavy volume of firing by the militants from their well positioned hideout, Shri V L K Vaiphei by displaying high degree of professional competency and without caring for his personal safety came out of his position and gave covering fire to Constable Santanu Boruah and Constable Ashim Dutta. On this, the duo in quick reflexes, jumped forward and took very close position by exposing themselves towards the militant's fire. On seeing the brave and aggressive action by the BSF party, the militants made a bid to change their position. While the militants were changing their position, the trio in a joint action, resorted to heavy volume of aimed fire towards the militants which forced the militants to decamp. When the firing from militant's were stopped, the area was searched and dead body of one militant was recovered. The killed militant was later identified as Lachi langthasa S/o Late Sadhin Langthasa, resident of Jamber Basti who belongs to DHD (J) Black Window Group. Following arms, ammunition and miscellaneous items were recovered from the killed militants: -

a)	7.62 mm SLR (B/No. 16261667)	- 1 No
b)	7.62 mm SLR Magazine	- 4 Nos
c)	7.62 mm BDR live amn	- 82 rds
d)	Nokia mobile set	- 1 No
e)	Indian Currency	- Rs.1005
f)	Note Book	- 1 No
g)	Torch	- 2 Nos
h)	Eveready cell	-8Nos

In this encounter S/Shri V L K Vaiphei, Assistant Commandant, Santanu Boruah, Constable and Ashim Dutta, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07-04-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 182–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Anand Kumar,**
   Assistant Commandant
2. **Basudev Parasar,**
   Constable
3. **T. Vinu,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

115 Battalion BSF was inducted in the State of Manipur in Counter Insurgency Role in June 2007. 'E' Coy of this Unit, commanded by Shri Anand Kumar, Assistant Commandant is deployed at Counter Insurgency (Post) Lamlai, Manipur since Aug 2008. Considering the high threat perception of insurgents and operational scenario of that area, a Commando Platoon was formed by selecting young and physically tough volunteers from different coy and deployed under 'E' coy to ensure surveillance and domination round the clock. Besides this, locals sources were developed to ascertain the valuable information regarding the movements of UGs and their operational strategy. On 14th Jan 2009, Shri Anand Kumar, Assistant Commandant, Coy Commander 'E' Coy, CI (Post) Lamlai received an information through a local source that Cadres of the Kangleipak Communist Party (Military Council) (KCP (MC)) are generally using a Kacha track which connects Chalou Village and Nongada Bridge of Police Station Lamlai, District-Imphal (East) for their operational and administrative activities as the Imphal-Lamlai-Ukhrul road (NH-150) was covered by the Mobile Patrol and Mobile Check Posts (MCPs) of BSF. The information was further corroborated through other sources and the activities of the Kangleipak Communist Party (Military Council) (KCP (MC)) through that area was confirmed. After analyzing the ground structure and topographical obstacles, Shri Anand Kumar, Assistant Commandant very tactically planned an operation to intercept the UGs and briefed his troops about the conduct and execution of operation, possible counter attack tactics of UGs and movements of UGs based on the information collected from the

local sources. In order to check the movement of vehicles, Shri Anand Kumar, AC successfully placed a decoy Mobile Check Post (MCP) at a place 350 Mtrs East of the Counter Insurgency Post Lamlai in Imphal-Lamlai-Ukhrul stretch. Thereafter, the officer along with Commando Platoon comprising of Constable Basudev Parasar and Constable T Vinu of 115 Bn BSF moved towards the planned operation site in a tactical manner by adopting a detour. At about 2115 hrs, the party observed a vehicle approaching from Chalou village. On seeing this, **Shri Anand Kumar, Assistant Commandant** alerted the troops and directed **Constable Basudev Parasar and Constable T Vinu** to take position on Eastern Slope of the track while Shri Anand Kumar, Assistant Commandant along with Constable Manoj Kumar Dash and Constable Subhash Das positioned on the Western slope of the track. When the vehicle was at a distance of about 15 Mtrs, Shri Anand Kumar, Assistant Commandant directed Constable Manoj Kumar Dash to signal the vehicle to stop by using flash light. On seeing flash light, the driver of the vehicle accelerated the speed followed by indiscriminate firing by the militants from the rear cabin of the Mahindra Pick-up Civil (Mini) Truck. **Shri Anand Kumar, Assistant Commantant, Constable Basudev Parasar and Constable T Vinu** immediately took position and quickly retaliated the fire. On realizing that the UGs were trying to break the contact and escape, Shri Anand Kumar, Assistant Commandant unmindful of his personal safety, dashed out from his position and chased the speeding vehicle under heavy fire of UGs firing from his AK-47 rifles at the militants. This gallant act of **Shri Anand Kumar, Assistant Commandant** in utter disregard to his own safety, unnerved the militants forcing them to duck. Sensing that the party Commander is in great danger, **Constable T Vinu and Constable Basudev Parasar**, displayed great camaraderie and despite knowing the fact that they would be exposed to the effective fire of the UGs, rushed towards the position of Shri Anand Kumar, Assistant Commandant to support him, while firing from their AK-47 Rifles. In the ensuing exchange of fire by these three gallant Borderman, the driver of the Mahindra Pick-up after speeding off for about 150 meters, lost control of the vehicle and crashed on the right side of the Kacha track into a cemented water channel. The UGs resumed indiscriminate firing from their automatic weapons. Shri Anand Kumar, Assistant Commandant, Constable T Vinu and Constable Basudev Parasar immediately took position astride the track and continued retaliation. As the UGs were continuing indiscriminate firing from a defensive position, **Shri Anand Kumar, Assistant Commandant, Constable T Vinu** and **Constable Basudev Parasar** took a decision to take on the UGs in the most offensive manner as any delayed action may give an opportunity for UGs for escape. The trio came out of their positions by putting their own lives at risk and charged towards the militants amidst heavy exchange of fire and succeeded in silencing the UGs in the close combat. In the fierce encounter, two hard core UGs of Kangleipak Communist Party (Military Council) (KCP (MC)) were eliminated. Driver of the vehicle also died in the encounter. It was later learnt that the UGs had hijacked the vehicle.

During further search of the area, following arms/amns and other items were recovered :-

i) AK - 56 Rifle	-	01 No
ii)AK - 56 Mag	-	03 Nos
iii)AK -56 Amn (Live)	-	64 Rds
iv)Lethod Gun	-	01 No
v)Lethod Bomb (Live)	-	05 Nos
vi)Lethod Bomb (Damaged)	-	01 No
vii)Chinese Grenade	-	02 Nos
viii)Nokia M/Phone (Damaged)	-	01 No with Charger
ix)SIM Card (Airtel- 02, Aircel-01)	-	03 Nos
x)Indian Currency	-	Rs. 2,845/-
xi)Driving License	-	01 No
xii)EFCs of AK Series	-	12 Nos

xii) One Mahindra Civil Pick-up (Mini Truck) bearing registration No. MN-01K-9916 along with Registration documents.

In this encounter S/Shri Anand Kumar, Assistant Commandant, Basudev Parasar, Constable and T. Vinu,Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14-01-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 183–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **S. N. Singh,**
   Assistant Commandant
2. **Ajay Kumar,**
   Constable
3. **Santosh Kumar,**
   Constable
4. **Gulab Singh,**
   Constable
5. **Balram,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 19/03/2006 at 1100 hours S.P. Hazaribagh telephonically informed Shri S.N. Singh, Asstt. Comdt. O.C, G/72 Bn. CRPF, that movement of 40 to 50 CPI(Maoist) naxalites was seen in the area of Village- Bhaghar, Bhandar, Ambatari, Parsatari ,P.S. Chaupararan of Distt. Hazaribagh(Jharkhand). S.P. Hazaribagh also requisitioned two platoons of G/72 for Raid/Search duty in the above area from 1500 hours on the same day. Accordingly two platoons of G/72 U/C Shri S.N.Singh, Asstt. Comdt., O.C. G/72 left for P.S. Chauparan (80 Kms from G/72 Coy Hqr.) for Said duty at 1600 hours by vehicles. The troops were divided into two teams: No 1 team under command O.C. G/72 and team No. 2 under command S.P. Hazaribagh. At 0020 hours on 20/03/06 while troops advanced about 200-250 yards towards vill. Tengania, CT Ajay Kumar and CT Santosh Kumar saw the movement of 40 to 50 persons coming from opposite side and informed Sh. S.N.Singh, Asstt. Comdt. and Sh. S.N.Singh immediately ordered the jawans to take position. In the meantime at about 0030 hours one of the Naxalites who was just 10 yards from CRPF point section, switched on his torch and raised the alarm about Police presence and started firing indiscriminately on CRPF troops. On observing

the movements of naxals Sh. S.N.Singh along with his men took position and started retaliating the fire. During this CT/GD Ajay Singh and CT/GD. Santosh Kumar retaliated and killed one naxal who was leading the group. In the mean time Sh. S.N.Singh also opened fire and killed one more naxalite. One naxalite tried to throw a Grenade towards the troops but became victim of firing done by Sh. S.N.Singh. Due to heavy retaliation and killing of their colleagues, the naxalites got demoralized and tried to flee. They started climbing the Baraghat Pahari from the Dhandar River side. On observing this Sh.S.N.Singh, ordered to fire HE Bombs and 4 HE Bombs were fired on the Naxalites. Then Sh. S.N.Singh alongwith his 2 sections started chasing the fleeing naxalities. In the mean time naxalites got reorganized on the river side and started firing which was retaliated by CT. Balram and CT. Gulab Singh along with S.P.Hazaribagh resulting to killing of one more naxalite. Remaining naxalites started firing from the vill. Ambatari side, therefore Sh. S.N.Singh ordered to open L.M.G.fire on the Naxalites who were fleeing with their injured colleagues. Sh. S.N.Singh and .S.P. Hazaribagh alongwith two sections chased them up to 500 meters but due to dense forest and thick darkness they managed to escape. CRPF troops cordoned the area and in the morning the area was thoroughly searched and recovered four dead bodies of naxalites. and one naxalite namely Paddy Paswan was also apprehended during the search. A huge quantity of Arms/ Amns and cash was also recovered from the incident site. Recovered dead bodies, Arms/ amns, Cash and apprehended child naxalite were handed over to the police for further legal action.

In this encounter S/Shri S. N. Singh, Assistant Commandant, Ajay Kumar, Constable, Santosh Kumar, Constable,Gulab Singh, Constable and Balram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20-03-2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 184–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Praveen Verma,**
   Assistant Commandant
2. **Sricharan Swain,**
   Head Constable
3. **Randhir Jaiswal,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 29/04/2007, Shri Praveen Verma, Assistant Commandant, Officer Commanding of F/70 BN, CRPF, HC/GD Sricharan Swain and CT/GD Randhir Jaiswal alongwith other seven personnel of their company (Quick Reaction Team) on motorcycles gave a hot pursuit to fleeing naxalites who were trying to escape into jungle area after attacking and inflicting casualties on CRPF patrolling party at about 1330 hours in MV-79 market area of Police Station MV-79, District Malkangiri (Orissa). After a proper ground appreciation, the said party of F/70 BN, CRPF under command Shri Praveen Verma, AC moved very fast and chased the said naxalites. Around 1430 hours, on the outskirts of village MPV-47 which was approximately 5 kms from the incident place at MV-79 market, the said party of CRPF faced a heavy volley of fire by the naxalites from a distance of about 200 yards. Immediately, the pursuit party of CRPF got down from motorcycles and took position as the naxalites were firing indiscriminately. The naxalites were challenged and asked to surrender but of no avail. Seeing the grave situation, Shri Praveen Verma, AC divided the party into five groups with a direction to quickly position themselves as cut offs on likely escape routes. Naxalites in two groups kept on firing on the positions of Shri Praveen Verma, AC, HC/GD Sricharan Swain and CT/GD Randhir Jaiswal who were with their cut off parties on the front right flank and rear left flank respectively. Finding no other way, Shri Praveen Verma, AC, HC/GD Sricharan Swain and CT/GD Randhir Jaiswal countered the fire in right of private defense. The naxalites hurled a grenade which exploded a little ahead of the

party led by Shri Praveen Verma, AC. He kept his party under cover by taking safe position and resorted to retaliatory fire. Nevertheless, naxalites tried to advance towards his side with an intention to inflict casualties in order to escape after breaking open his front right cut off position. Shri Praveen Verma, AC promptly reacted to the situation and advanced tactically without caring for his personal safety and life. While crawling towards the position of naxalites, he displayed exemplary courage and dedication towards his duty even at great risk of his life and threw one grenade and resorted to firing at the naxalites. The grenade exploded immediately causing serious injury to one of the naxalites. The few bullets fired by Shri Praveen Verma, AC also hit the same naxalite. While advancing further, the dead body of a male naxalite having grenade blast and gun shot injuries was found. He was carrying one AKM rifle (Butt No.11, Body No.KO.44.7223) with two magazines which he had snatched away after attacking the patrolling party of CRPF at MV-79 market. Meanwhile, HC/GD Sricharan Swain of the said pursuit party also engaged the other group of advancing naxalites who had targeted the position of his rear left cut off party. The exchange of fire continued for few minutes. But after a brief lull, the naxalites again started firing and a fierce encounter ensued. As the firing from the naxalites continued, HC/GD Sricharan Swain of F/70 BN, CRPF, who was leading the attack, spotted one naxalite who was firing at him. Displaying exemplary courage, he advanced and fired towards the naxalite without caring for his life and personal safety. The bullets fired by him successfully hit the naxalite who was later found out to be a female naxalite. The said killed naxalite was carrying one AK-47 rifle with two clubbed magazines. She had also sustained blast injuries due to grenade thrown by Shri Praveen Verma , AC at her previous positions. In the other hand, CT/GD Randhir Jaiswal has accredited himself admirably in tackling fierce situation and he offered stiff resistance to the advancing naxalites who were trying to escape by loosing a siege laid around them by the pursuit party/Quick Reaction Team(QRT). The front left cut off party under CT/GD Randhir Jaiswal gave flanking support to CRPF front right cut off party in countering the fire by the naxalites and could able to push them back by launching a frontal attack. His courage and ability to deal the situation was instrumental in killing of one naxalite by Shri Praveen Verma, AC of front right cut off party. In the said encounter which took place between armed naxalites and CRPF party on 29/04/2007 at MPV-47, PS Motu, District-Malkangiri (Orissa), Shri Praveen Verma, AC, HC/GD Sricharan Swain and CT/GD Randhir Jaiswal of F/70 BN, CRPF displayed a commendable act of outstanding bravery and exemplary performance in accepting a grave risk to their lives during their counter attacks against the naxalites which finally fetched them the success of killing two armed naxalites. Such gallant action of Shri Praveen Verma, AC, HC/GD Sricharan Swain and CT/GD Randhir Jaiswal definitely speaks of their presence of mind and tactical efficiency. They have set an example for the other CRPF personnel. In recognition of the extra ordinary courage, rare bravery and gallant action exhibited by them.

The following recoveries made at the time of gallant action :

i)AK-47 rifle with sling (Body No.H-33790)	-	01 No.
ii)AK-47 magazine	-	02 Nos.
iii)Ammunition AK-47 (Lot 10/58)	-	03 Nos.
iv)9mm pistol Auto (Body No.16214375),	-	01 No.
v) 9mm magazine	-	02 Nos.
vi) Ammunition 9mm	-	14 Nos.
vii)12 Bore Country made (Short) Gun	-	01 No.
viii) 12 Bore Cartridges	-	07 Nos.
ix) Country made grenade	-	01 Nos.
x) Grenade pouch	-	01 No
xi) Sickle (Dao)	-	01 No.
xii) Knife	-	01 No.
xiii) Red Chilly Powder 100 gms	-	02 pkts.
xiv) Nylon bag	-	01 Nos.
xv) Comb	-	01 No.

xvi) Rs.18,170/- (Rupees Eighteen thousand one hundred and seventy) only recovered from the possession of the killed male naxalite during inquest dated 30/04/2007.

Recovery of own (CRPF) Weapons, Ammunition and Explosives snatched by naxalites

xvii) AKM rifle with sling (Body No.KO.44. 7223, Butt No.11)	-	01 No.
xviii) AKM magazine	-	02 Nos.
xix) AKM magazine pouch	-	01 No.
xx) Ammunition AKM (Lot No.539/81)	-	16 Nos.
xxi) HE-36 Hand Grenade with Fuse		
xxii) (Lot No. 18M OK-95) 01 No.		

In this encounter S/Shri Praveen Verma, Assistant Commandant, Sricharan Swain, Head Constable and Randhir Jaiswal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29-04-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 185–Pres/2009- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kunjumon C.,** **(Posthumously)**
   Head Constable/ Driver
2. **Shiva Kumar K.,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Unit HQr of 143 Bn CRPF is deployed at Lamphelpat and its 6 Service Coys for ROP duties along with NH – 53 from Mile stone 23 to 78. On 03/10/2007 three Unit vehicles including Vehicle Regn NO. DL-IG-4898, TATA 3/5 Ton driven by HC (Driver) C.Kunjumon Under Command of SI (GD) B.S.Rawat alongwith 42 protection and leave personnel of various Coys were detailed to proceed to Coy locations with ration Stores after proper briefing. The party left Unit HQr for Coy locations at about 1000 hours. When the convoy ascended the foot hills between mile stone 21 and 22 on NH – 53 beyond Keithelmanbi Village the vehicles slow down little bit due to hilly terrain and steep curves. The vehicles were moving at speed of 35-40 kms per hour and there was distance about 70-80 yards between the vehicles. At about 1.40 hours, all of a sudden unknown militants hiding behind the thick vegetation along NH-53 near Khonglong Village fired volley of bullets from right direction upon the third vehicle driven by HC (Driver) C.Kunjumon while negotiating a 'S' turn in between mile stone 21 and 22, one of the bullet hit HC (Driver) C.Kunjumon. However in spite of his grievous injury on his abdomen and bleeding profusely he kept his mind cool and managed to drive the vehicle from ambush site and parked the vehicle at a safe place on the hill side of the road otherwise the vehicle would have gone out of control and fallen into the gorge causing more casualty. Ultimately he lost his life on the spot. Thus his act of conspicuous courage and timely action resulted saving precious lives of many personnel travelling in the vehicle. Hence his case recommended to award of Police Medal for Gallantry Posthumously. Vehicle Registration No.DL-IG-B-4898, TATA 3/5 Ton was caught in the ambush and hit by a volley of bullets. Marks of 14 bullets were visible in the body of vehicle. 4 personnel succumbed to the injuries on the spot 2 CT at hospital and 9 others were injured. After shock of the incident, HC (GD) K.Shiva Kumar who was travelling in the ill fated vehicle shown exemplary courage keeping his mind cool and used his presence of mind he picked up the rifle of his colleague who was hit with the first volley of bullets and immediately fired towards the militants. This act of his braveness broke the initiative of the militants. Mean while he also extended the first aid by pressing a cloth on neck to control the bleeding of CT (GD) Shree Bhagwan who was also hit on his neck by first volley of bullets thus saving his life. Due to his intervening firing action the occupants of

vehicles managed to escape from the vehicle and took covering position. Later when the Bullet proof vehicle reached the ambush site he fired HE Bombs with 51 mm Mortar brought by CT (GD) Veera Bhai of reinforcement party of C/143, sensing the danger militants ran away under the coverage of hillocks and thick forest. This act of his bravery not only saved the life of his colleagues but also thwarted the militants from taking away the weapons.

In this encounter S/Shri (Late) Kunjumon C., Head Constable/ Driver and Shiva Kumar K., Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03-10-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 186–Pres/2009- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Dinesh Pratap Upadhyay, Commandant**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Ashok Kumar, Deputy Commandant**	**(PMG)**
3.	**Pinku Bordoloi, Constable**	**(PMG)**
4.	**Dattatrey Pote, Constable**	**(PMG)**
5.	**Birender Sharma, Constable**	**(PMG)**
6.	**Robort Lal Thinghlima, Constable**	**(PMG)**
7.	**Mohd. Iseel Khan, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Two unidentified militants fired at the R.O.P. of 177 and 179 Bns, CRPF at about 1400 hrs on 8th Nov, 2007 in Sopore. Retaliation by CRPF and J & K Police caused these two militants to enter the premises of New Light Hotel which is situated adjacent to the Main Chowk in Sopore. The subsequent sequence of events is being summarized as follows:

Phase-I

The initial reaction to this attack was provided by Shri D.P. Upadhyay, Commmandant-177 Bn CRPF, Shri Subash Chandra, 2-I/C of 177 Bn, CRPF, Shri Ashok Kumar, Dy. Comdt. of 177 Bit along with their respective QRTs. and some extent of J&K Police. These troops put up a cordon around New Light Hotel thereby preventing the militants from escaping. The efforts of 177 Bn CRPF were strengthened by the arrival of troops belonging to 22 RR and J & K Police. The immediate task of searching and safely removing of all civilians from the Hotel premises was carried out by these troops. Needless to say that this was an extremely sensitive, delicate and hazardous operation. It was during the evacuation of civilians that one Bunker of 179 Bn CRPF arrived near the main Chowk of Sopore. No.065222735 CT/GD Shishupal Singh Bhadoria, No. 913154751 CT/GD Chhote Lal Chauhan of 179 Bn, CRPF alighted from the vehicle. It appears that they were not aware of the gravity of the events taking place. All of a sudden militants opened fire from the upper storey of the Hotel resulting in injuries to No.065222735 CT/GD Shishupal Singh Bhadoria and No. 913154751 CT/GD Chhote Lal Chauhan of 179 Bn. Both of the men were evacuated under great risk by a party headed by Shri Ashok Kumar, D/C (Ops) of 177 Bn CRPF. Later No. 065222735 CT/GD Shishupal Singh Bhadoria succumbed to injuries in Hospital. The operations were suspended due to darkness on 8th November 2007.

Phase-2

Shri Maithili Sharan Gupta, JPS, IG? (Ops) CRPF Kashmir arrived on the spot at the same time during the day as did Shri S. M. Sahai, IFS, LOP of J & K Police. Having evacuated civilian safely from the Hotel it was decided by senior officers present that room intervention be undertaken. This task was initially taken up by the J & K Police. In the process of room intervention, Constable Om Singh, 556/IR 8th (500 Cargo) was injured as a result of firing by militants. This resulted in abandoning of attempts of room intervention by the J & K Police. No further progress was made on 9th November-2007.

Phase-3

Shri Maithili Sharan Gupta, IPS, IGP (Ops) CRPF Kashmir and other senior officers then decided that room intervention would be conducted by the CRPF. This task was allotted to 177 Bn and Shri D.P. Upadhaya, Commandant was directed to prepare room intervention team. The Team selected contained the following members:- (I) Ct/GD Muhammad Iseel Khan, (ii) Ct/GD Pinku Bordoloi, (lii) Ct/GD Robert Lal Thinghlima and (iv) Shri Ashok Kumar D/C(Ops) 177 Bn. A very daring and dangerous plan was formulated. A steel ladder was extended from a high ledge of an adjoining building across a narrow lane and into the top floor of the New Light Hotel. Under cover of heavy fire, the room intervention team crossed over to the New Light Hotel and began room to room searching. The search of

every room of the hotel was an extremely risky task that was performed with utmost skill and daring by the room intervention party. This party sanitized and checked all the 52 rooms. On clearing all these rooms they gave on all clear signal to Shri D. P. Upadhyay, Commandant who along with his security personnel joined this party to search the remaining parts of the hotel. The second phase of the search was conducted in the back of the hotel. It was while the search was In progress that one militant tried to force his escape by firing upon security forces. His fire was returned by room intervention party and Shri D. P. Upadhyay, Comdt. 177 Bn. The militant was forced to run towards a side alley to escape. The alley in which the militant ran was manned by No. 055253371 CT/GD Dattatry Pote of 177 Bn, CRPF' and Shri M.S. Gupta, IPS, IG (Ops), Kashmir. There was a heavy exchange of fire between them resulting In the killing of militant Identified. as Abu Tallah Janbaz Mumtazulla of Peplan, District-Mainwali, Pakistan belonging to the Lashkar-e-Tayyaba terrorists' outfit.

Phase-4

Search of the room were the militants had fired did not reveal any other militant. The party had almost abandoned its search when Shri Subash Chandra-2-I/C of 177 Bn CRPF received a call on his mobile phone from one of his sources indicating that the other militant was hiding in a basement-like structure of the same premises. A search was conducted and the basement was finally located. This basement had some wire-meshing through which a severe exchange of fire took place. The CRPF party was unable to dislodge the militant and it was decided to demolish the room by use of an lED. This was accomplished. The following morning a JCB was called in to remove the debris and locate the militant. It was during this exercise that the militant revealed himself and fired at CRPF party. The militant ran towards an alley that was being covered by No. 055074432 Ct/GD Birender Sharma of 177 Bn, Inspector Mohd Shafiq, No. 4500/NGO of J&K Police and Shri Ashok Kumar, DC 177 Bn. CT/GD Birender Sharma, Insp Mohd. Shaflq and Sh. Ashok Kumar, DC, 177 Bn showed extreme courage and did not give up their position in spite of grave threat to their life. CT/GD Birender Sharma was severely injured but all three succeeded in injuring the militant and he later succumbed to his injuries. The militant was later identified as Abu Osama Zeeshan Quasim of The./Distt.-Leh, NWFP, Pakistan belonging to the Lashkar-e-Tayyaba terrorists outfit.

No. 001386199 CT/GD Pinku Bordoloi, No. 055353419 CT/GD Robert La! Thinghllma and No. 065344093 CT/GD Mohd Iseel Khan have conducted this operation In an extra ordinary manner by putting themselves in utmost danger.

Shri D. P. Upadhyay Commandant 177 Bn, Shri Ashok Kumar DC (Ops) 177 Bn CRPF have also exhibited valour of a high degree. Shri Maithili Sharan Gupta, IPS, IGP (Ops) CRPF Kashmir was on the spot during the entire operation. He personally supervised and directed the operation to its conclusion. His role in

liquidating one of the militants by putting himself in direct line of fire is in the highest traditions of the CRPF. No.055253371 Ct/GD Dattatray Pote of 177 Bn was instrumental in killing the first militant and No.055074432 Ct/GD Birender Sharma, even when he was severely injured in the gunfight, in injuring and neutralizing the second militant.

In this encounter S/Shri Dinesh Pratap Upadhyay, Commandant, Ashok Kumar, Deputy Commandant, Pinku Bordoloi, Constable, Dattatrey Pote, Constable, Birender Sharma, Constable, Robort Lal Thinghlima, Constable and Mohd. Iseel Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08-11-2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010